राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का सत्ताईसवां दिवस [संख्या : 17

शनिवार;

22 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

जवान सिंह श्री, पूर्व सदस्य के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जवान सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री जवान सिंह का जन्म दिनांक 12 दिसम्बर, 1920 को सिरोही जिले में मीरपुर ग्राम में हुआ। आपने बी.ए.,एल.एल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जवान सिंह वर्ष 1952 में प्रथम राजस्थान विधान सभा के लिए सिरोही निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे। आप सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। आप विधान सभा में संयुक्त दल के मंत्री एवं सचेतक रहे।

राजनीति में आने से पूर्व आप सिरोही राज्य में उप न्यायाधीश (सब जज) के पद पर आसीन रहे। आप सिरोही की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहे।

श्री जवान सिंह का दिनांक 15 मार्च, 2003 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री जवान सिंह को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी)

अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

(श्री अध्यक्ष)

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री वृद्धिचन्द जैन की 19 मार्च से 30 मार्च, 2003 तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 19 मार्च, 2003 से दिनांक 30 मार्च, 2003 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : विधान सभा का सत्र तो पुनः 20 से शुरू हुआ था। 19 से मांगी है या 20 से?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा की हां पक्ष की लाबी आज परीक्षा का केन्द्र बनी हुई है। विधान सभा के अन्दर विधान सभा की स्वायत्ता में कोई भी राजनीतिक दल राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर सकता। एक-एक विधायक को एक लम्बा-चौड़ा पत्र देकर उससे भरवाया जा रहा है, इस तरह कि उनकी परीक्षा हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक गतिविधियां आप कहीं भी करें, यह राजनीतिक का केन्द्र राजस्थान की विधान सभा नहीं बननी चाहिए।

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : यह तो हमारे विधायक दल का मामला है, कहां राजनीति है? यह विधायक दल के चीफ व्हिप का नोटिस है, इसमें कहां राजनीतिक मामला है? यह हां पक्ष की लाबी में चीफ व्हिप का है...(व्यवधान) वह चीफ व्हिप का मामला है, उसमें राजनीति कहां है? मैं सोचता हूं इनको जानकारी नहीं है। यह चीफ व्हिप का मामला है।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय सदस्य, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपकी हवा खिसक रही है क्या?

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : आपके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। यह आपके जूरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, आप बगैर बात ही हल्ला कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जानकारी तो कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधान सभा राजनीतिक का केन्द्र बनी हुई है।

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जानकारी कर लें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान विधान सभा में कौन विधायक बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, इस पर हम नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, यह आपके कार्यक्षेत्र का मामला है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है यह।

डा. सी. पी. जोशी : हमारी पार्टी के चीफ व्हिप का मामला है यह। हमारी पार्टी का मामला है।

श्री सांवर लाल : माननीय विधायकों से प्रश्नावली भरवायी जा रही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : चीफ व्हिप का आदेश है, मानना पड़ेगा।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति के बिना इस प्रकार की गतिविधियां यहां विधान सभा परिसर में सम्पन्न नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह हमारी अपनी पार्टी का मामला है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बन जाओ पार्टी के सदस्य।

श्री सांवर लाल : यहां पर केवल विधायक दल के सम्बन्ध में बातचीत की जा सकती है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कांग्रेस विधायक दल के सचेतक का पत्र है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बाहर की बातचीत की जा सकती है, अध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : बैठिए आप। आपकी दुर्गति इसीलिए हो रही है कि नान इश्यू को तो इश्यू बनाने की कोशिश करते हो।

श्री सांवर लाल : राजनैतिक गतिविधियां यहां पर नहीं हो सकती। विधान सभा परिसर में राजनैतिक गतिविधियां नहीं हो सकती, विधायक दल की बैठक और विधायक दल से सम्बन्धित बातें ही हो सकती हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : विधायक दल के मुख्य सचेतक महोदय बैठक बुला सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या तकलीफ हो गई?

डा. सी. पी. जोशी : विधायक दल की मीटिंग नहीं होगी तो किसकी होगी?

श्री अध्यक्ष : बैठिए। सदन की (व्यवधान) बीच में नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह प्रोफार्मा आपने पूरा भरकर दिया, आपके पिता का नाम...

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए आप।

डा. सी. पी. जोशी : इसमें कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है?

एक माननीय सदस्य : अभी तो हमने किसी ने दिया ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये तो मूक प्राणी हैं, मूक प्राणी हैं कांग्रेस विधायक... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह तरीका नहीं है। कांग्रेस लैजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है।

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी, बैठिए। आसन पैरों पर। आसन पैरों पर।

डा. सी. पी. जोशी : कोई प्रोफार्मा नहीं है। पार्टी के नेता को...(व्यवधान) यह तो अलाउड है आपको। आपके बी.जे.पी. के लीडर को अलाउ नहीं किया आपने।

श्री अध्यक्ष : बैठिए। प्लीज सिट डाउन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यहां पण्डितजी से कहला दो कि आपने प्रोफार्मा नहीं किया है। परीक्षा ले रहे हो यहां विधायकों की। कांग्रेस के विधायकों की परीक्षा और परीक्षक वहां दिल्ली से चलकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्रीमती बीना काक।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर का प्रतिवेदन

श्रीमती बीना काक (वन राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जल अधिनियम, वर्ष 2001-2002 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। श्री खेतसिंहजी राठौड़, विधि मंत्री।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि...

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की...(व्यवधान) मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बैठ जाइए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, सैकण्डरी बोर्ड की कापियों का बण्डल रामगढ़ शेखावाटी का अजमेर में...

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके बाद कह देना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, आप इसके बाद फर्मा दीजिए।

विधायी कार्य : विधयेक का पुर:स्थापन

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधयेक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री छोगाराम बाकोलिया, समाज कल्याण मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की प्रस्तुति

श्री छोगाराम बाकोलिया (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय से रुपये 5,14,42,17,000/- (पांच अरब चौदह करोड़ बयालीस लाख सत्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम परमार।

मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री दयाराम परमार (जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,83,91,91,000/- (चार अरब तिरासी करोड़ इक्यानवे लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या-33 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री अमीन खान (शिव)

1. पेंशनभोगी वृद्धों को अधिक पेंशन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर)

2. बाड़मेर जिले में दो वर्षों से लगातार वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को इस वर्ष से पेंशन बन्द करने से उनकी आर्थिक स्थिति पर कुठाराघात पैदा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

3. बाड़मेर जिले में अनुसूचित जनजाति में मालि-आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अधिक पिछड़ा हुआ है, उनकी स्थिति सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

4. वृद्धावस्था पेंशन का दायरा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. जैसलमेर जिले में जनसंख्या के आधार पर नये अनुसूचित जाति के छात्रावास प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

6. सामाजिक सुरक्षा एवं पिछड़ापन निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

7. काफी लम्बे समय से सामाजिक सुरक्षा राशि के भुगतान न होने के कारण लोगों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

8. बांसवाड़ा जिले में समाज कल्याण विभाग के भवनों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. समाज कल्याण छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं नहीं लगाने एवं शयन हेतु पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

10. पंचायत समिति बाली के बी.पी.एल. परिवारों को पारिवारिक सहायता, प्रसूती सहायता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. पंचायत समिति बाली में वृद्धावस्था पेंशन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

12. चूरू शहर पर रतननगर स्थित समाज कल्याण छात्रावास के भवनों की विगत तीन वर्षों में मरम्मत हेतु राशि व्यय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

13. बारां जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों पर बढ़ रहे अत्याचार की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. बारां जिले के समाज कल्याण छात्रावासों में भोजन का स्तर सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. छीपाबड़ौद जिला बारां के समाज कल्याण छात्रावास तक सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

16. विभाग द्वारा छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में गरीब महिलाओं, विधवाओं को पेंशन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

17. कस्बा लाडनूं में सरकारी छात्रावास के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी की अनुशंसा पर छात्रावास भवन सरकार द्वारा निर्माण करा देने के उपरान्त भी किराये के मकान में छात्रावास चलाने पर चर्चा के लिये।

18. राजस्थान अनुसूचित जाति–जनजाति निगम द्वारा ऋण अनुदान देने में पात्र व्यक्तियों की उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. समाज कल्याण विभाग में कार्यरत अधिकतर अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर भी सरकार द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

20. अनुसूचित जाति–जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. निशक्त जनों को मासिक पेंशन देने की स्वीकृतियां जारी करने के मामलों में प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

22. अनुसूचित जाति में छोटे संवर्ग के लोगों एवं अत्यन्त गरीब तबके के व्यक्तियों की राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)

23. अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु बागरा में छात्रावास भवन नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. पंचायत समिति जसवन्तपुरा जिला जालौर के कस्बा रामसीन में अनुसूचित जाति छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. पंचायत समिति मु. जसवन्तपुरा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. अनुसूचित जाति/ जनजाति छात्रावासों में रसोइयां एवं चौकीदार के पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के पद स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों में अधीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

28. सिरोही जिले में लम्बित वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. सिरोही जिले में लम्बित विधवा पेंशन प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

30. सिरोही व शिवगंज नगर के असहाय लोगों को 50 किलो गेहूं व 30 रुपए नकद सहायता देने के लम्बित प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. शिवगंज व कैलाश नगर में समाज कल्याण छात्रावास भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

32. राजकीय छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन रसोईयों व चौकीदारों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. राज्य में नये छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

34. सभी शिक्षित बेरोजगार युवक जो बी.पी.एल. परिवारों में आते है उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)

35. समाज कल्याण छात्रावासों की दुर्दशा सुधारने एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

36. विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन नहीं दिये जाने एवं पेंशन राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

37. राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2000-2001 में अनुसूचित जाति, जनजाति में राजकीय सेवा में प्रदेश के क्षेत्र विशेष व जाति विशेष का 80 प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के कारण, जातियों व क्षेत्र श्रेणियों में बंटवारा कर न्यायोचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आरक्षित वर्ग में विभाजन कर श्रेणियां नहीं बनाने तथा उपेक्षित वर्ग की जातियों राजपूत, ब्राह्मण, राजपुरोहित, हिन्दू, सिंधी, अरोड़ा, खत्री, महाजन, कायस्थ, पठान, शेख, बोहरा के जरूरतमंद लोगोंको आरक्षण नहीं देने से लोगों में रोष उत्पन्न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. जिला-डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा पड़ोसी जिलों की कई तहसीलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने से पंचायत राज के सरपंच, प्रधान व प्रमुख के पद पर एक भी गैर-आदिवासी का प्रतिनिधित्व नहीं होने से क्षेत्र में उपेक्षित वर्ग में रोष होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. प्रदेश के दक्षिणी भाग के आदिवासी भील, सहरिया, गरासिया आदि का राजकीय सेवा, शिक्षा, ऋण आदि में पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र विशेष द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करते रहने के कारण दो श्रेणियों में क्षेत्र का विभाजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

41. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में एक बार व्यक्ति को लाभ मिलने के बाद उसकी पत्नी, संतान को भविष्य में आरक्षण लाभ से वंचित कर उसी जाति वर्ग के अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को आरक्षण का अवसर का लाभ देने की विशेष व्यवस्था नहीं करके एवं एस.सी., एस.टी. में क्रिमीलेयर व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

42. राजस्थान में इण्डस्ट्रियल इकाइयों में राज्य के श्रमिकों की संख्या नाममात्र की होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. समाज कल्याण विभाग द्वारा एस.सी/एस.टी. के छात्र-छात्राओं को लम्बे समय से छात्रवृत्ति न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्रावासों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के साथ की जा रही भेदभावपूर्ण नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावासों में स्नानघर, शौचालय व अन्य साज-सामान, बाउण्ड्रीवाल के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. राज्य में असहाय, विधवा, अनु./जनजाति व बी.पी.एल. परिवारों की बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व)

47. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को भी मुख्य मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत आबंटित होने वाली गुमटियों के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनुदान, बैंक ऋण, बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत वृद्ध, विधवा, निशक्त पेंशन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. अजमेर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं यथा आर.ए.एस.आर.पी.एस., आई.ए.एस., आई.पी.एस. की तैयारी हेतु प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. अजमेर में पी.एम.टी.,पी.ई.टी. परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र शुरू कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

52. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री मोहन लाल चौहान)

53. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को उनके कुएं पर विद्युत कनेक्शन हेतु पूरी डिमाण्ड राशि जमा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. राजकीय समाज कल्याण छात्रावास, बड़ के अपूर्ण भवन को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

55. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर स्वर्णों द्वारा किये जा रहे दुर्व्यवहार को रोके जाने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की शादी के अवसर पर दूल्हों को उचित सरंक्षण दिलवाये जाने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-30 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-30 मुख्य शीर्षक जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. राजस्थान प्रदेश में जनजातिय क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

2. उदयपुर जोन में जनजाति आशार्थियों को प्रशासनिक पदों पर 5 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. उप योजना क्षेत्र उदयपुर में महाराष्ट्र पैटर्न का 8 प्रतिशत राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

4. बाली विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं हेतु शिक्षा एवं छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. बाली विधान सभा क्षेत्र में महिला शिक्षा सहयोगियों के अभाव में शिक्षाकर्मी स्कूल नहीं खुलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. विधान सभा क्षेत्र बाली के जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु माडा योजना के तहत पर्याप्त राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. बाली विधान सभा क्षेत्र में आदिवासी परिवारों को समग्र ग्रामीण रोज़गार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के तहत ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबडा) :

8. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के माडा के गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

9. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में रहने वाले जनजाति के व्यक्तियों को मिलने वाली सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के माडा के ग्रामों में सरकारी खर्चे पर कुओं की ब्लास्टिंग करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में आने वाले जनजाति के गांवों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में जनजाति के लोगों का शैक्षणिक स्तर सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

13. जनजाति क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले जनजाति के लोगों की राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

14. महाराष्ट्र पैटर्न राज्य में लागू करने के पश्चात् राज्य मद का 12.44 प्रतिशत के बजाय 8 प्रतिशत का आबंटन करने एवं आबटन खर्च में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. जनजाति उप योजना क्षेत्र के विस्तार हेतु भारत सरकार को भेजे गये प्रस्तावों पर सरकार द्वारा आवश्यक पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. 15 अक्टूबर, 2000 से राज्य के उप योजना क्षेत्र में संशोधित रूप में महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. राजस्थान में जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिये राज्य सरकार पिछले चार वर्षों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बजट का प्रावधान नहीं करने एवं जनजाति क्षेत्रों के लिये वर्ष 2002-2003 की तुलना में तीन करोड़ सोलह लाख की कमी कर वर्ष 2003-2004 के बजट में 482.24 करोड़ का ही प्रावधान रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा)

18. राज्य के जनजाति उप योजना क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. जनजाति क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय, सागवाड़ा में कक्षाओं हेतु पर्याप्त कमरों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. जनजाति उप योजना क्षेत्र के चीखली क्षेत्र के कडाणा डूब क्षेत्र में आये

(श्री कनकमल कटारा)

कृषकों को अभी तक मुआवजे का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

21. सिरोही व शिवगंज तहसील में आदिवासी आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. सिरोही व शिवगंज तहसील में आदिवासी छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. बिखरी जनजाति के अन्तर्गत सिरोही व शिवगंज तहसील की उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. सिरोही व शिवगंज तहसील को जनजाति क्षेत्रीय विकास (टाडा) अथवा माडा में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

25. राज्य में माडा के अन्तर्गत "विकास खण्डों" में अनुदान राशि के आबंटन में भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. राज्य माडा योजना के अन्तर्गत चल रही विभिन्न विकास योजनाओं का टोंक जिले के उनियारा व देवली विकास खण्डों को पर्याप्त सहायता व कार्य आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

27. जनजाति क्षेत्रों में विकास कार्य खोलने एवं धन राशि का उचित आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा)

28. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में राज्य के जनजाति उप योजना क्षेत्र में जनजाति छीतरी बस्तियों का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. राज्य की जनजाति उप योजना क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा की सड़कों का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा)

30. माडा योजनान्तर्गत निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सिंचाई, सड़क, तालाब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

31. राज्य में 500 से 1000 की आबादी कि एस.टी./एस.सी. बाहुल्य क्षेत्र के गांवों में सड़कें बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति मिलने पर माडा राशि नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में भयंकर अकालग्रसित जनजाति क्षेत्रों में बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. विद्युत बोर्ड द्वारा जनजाति वर्ग के कृषकों को कुओं में कनेक्शन लेने

(श्री कन्हैया लाल)

पर बी.आर. की छूट नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी की दोपुर, भदसरी, पीपल्याबाई आदि के अपूर्ण एनिकटों को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

36. अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

राजस्थान बोर्ड की परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएं सड़क पर पड़ी मिलने से विश्वसनीयता खोने की चिन्ता

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन की रामगढ़ शेखावाटी की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाएं कल अजमेर में खुले सड़क के ऊपर मिली हैं, उनको दो आदमियों ने जाकर जमा कराया नवज्योति कार्यालय में। नवज्योति कार्यालय ने टेलीफोन करके चेयरमैन साहब से पूछा है, उनको जानकारी दी इसकी। पर्चा हुआ, वहां दूसरी कापी पहुंची, क्या पहुंचा, यह बड़ा असमंजस हो गया क्योंकि परीक्षा की सैंक्टिटी ही जाती रही। जब बोर्ड की आफिशियल काफी है तो मेरा निवेदन है कि यह बड़ा गम्भीर विषय है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी यथास्थिति पर कोई सदन को विश्वास में लें, सदन को अवगत तो कराएं। यह बड़ी चिन्ता का विषय है क्योंकि इस प्रकार से उत्तर पुस्तिकाएं केन्द्र में न पहुंच कर अजमेर में ही मिलती है और फिर उसी प्रश्न पत्र पर परीक्षा भी हो जाती है। इसका मतलब एक एक परीक्षा केन्द्र में उन पर्टीकुलर रोल नम्बर्स की डुप्लीकेट कापी निकाली गई या क्या हुआ, यह बड़े असमंजस की स्थिति है। बड़ी शंका पैदा होती है कि एक्जामिनेशंस फेयर नहीं है। क्या उनकी कापी को वापस रिप्लेस करने का इरादा था या क्या था? नैचुरली कोई शिक्षा मंत्रीजी या चेयरमैन तो रेस्पोंसिबिल है नहीं, होगा तो कोई आपका सबोर्डिनेट ही। Situation is very alarming शिक्षा मंत्रीजी, आप कल यहां जवाब दे रहे थे शिक्षा विभाग की अनुदान की मांगों पर वहां पर चेयरमैन को मालूम पड़ा, नैचुरली चेयरमैन ने आपको इत्तिला की होगी, चेयरमैन ने वहां पुलिस से मालूम किया होगा, आपने बोर्ड से मालूम किया होगा। तो क्या स्थिति है, जरा सदन को अवगत कराने का कष्ट करें, क्योंकि इस मामले में अगर आपने ढिलाई बरती तो आपको आलरेडी, अध्यक्ष

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

महोदय, यह कहते हुए बड़ा दुःख है। बस इतनी-सी बात है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी।

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जानकारी प्राप्त करके आपको अवगत करा दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज स्टेटमेंट दे देंगे आप?

डा. बी. डी. कल्ला : आज तो नहीं, मैं नैक्स्ट जो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरी परीक्षा दुबारा होगी, लोगों के भविष्य का सवाल है। समाचार पत्रों में बात आ गई और इनको जानकारी नहीं है? समाचार पत्रों में छप गया उसके बाद आपको जानकारी नहीं, आपको कहना चाहिए कि आज ही सूचना देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज शाम को दे दीजिए चार बजे।

श्री अध्यक्ष : अपने दल के आप सचेतक हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : साहब, चार बजे स्टेटमेंट दे दें।

श्री सांवर लाल : अविश्वसनीयता प्रकट हो रही है, बच्चों में अविश्वास पैदा हो रहा है, शाम तक आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

डा. बी.डी. कल्ला : अच्छा, अध्यक्ष महोदय, मैं शाम को पांच बजे आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चार बजे दें, पांच बजे खतम हो जाएगा हाउस आज चलेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप इत्तिला कर लें। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

मांग संख्या–33 व 30 पर विचार

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-30 और 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास पर अपने विचार रख रहा हूं।

(11.12 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी देश में, हम बंटे हुए थे वर्गों में, वर्णों में। उसके आधार पर समाज का बहुत बड़ा हिस्सा उपेक्षित था। राजस्थान की जनसंख्या को देखते हैं तो करीब 30 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति की है, वह पिछड़ा हुआ वर्ग हमेशा समाज में उपेक्षित रहा। आजादी के कर्णधारों ने आजादी के बाद हमारी सोशल सिक्योरिटी का जिम्मा लिया और कई कानून और नियम बनाये कि जिनके आधार पर वह पिछड़ा तबका जो

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

उपेक्षित था, सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। मान्यवर, हमने गुलामी के दिन देखे हैं, ऊंट पर जब एक अनुसूचित जाति का आदमी रस्सी पकड़कर जाता था तो सवर्ण लोग उसमें चढ़ना मुनासिब नहीं समझते थे। छुआछूत की जो व्यवस्था थी, इन 53 वर्षों में हम उन समस्याओं से निपटे हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकार ने कई नियम पास किये-1955 का नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, अनुसूचित जाति और जनजाति का अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989-सबसे उन जातियों को आगे बढ़ाने की बात है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि इन 53 वर्षों में वह तबका आगे आया हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा उन्होंने जब रस्किन की किताब पढ़ी "अनटू दी लास्ट" कि जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, हमारा दायित्व है कि हम उसको आगे लाएं। संविधान की धाराओं में हमने प्रोविजंस किये, इसके बारे में हम आगे आये। संविधान निर्माता डाक्टर अम्बेडकर ने पहला नारा दिया कि शिक्षित बनो। अगर यह वर्ग शिक्षित बनता है तो बराबरी में आएगा। वही आधार है कि आज वह पिछड़ा तबका शिक्षित बनकर बराबरी में आकर खड़ा हुआ है। इसकी मुझे प्रसन्नता है। वर्तमान सरकार ने भी सोशल सिक्योरिटी के बारे में अपने चार वर्षों के शासन में कीर्तिमान कायम किये हैं, विशेष ध्यान दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का विशेष आग्रह रहा है कि वर्तमान सरकार उन कमजोर तबकों को जो पिछड़े हुए हैं, आगे लाए और पूरी सुरक्षा से वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। एक बात अब तक मुझे याद है कि राजस्थान में हरिजन स्वयं सेवक संघ के नाम से हम काम करते थे, आदिम जाति सहयोग संघ के नाम से काम करते थे। राजस्थान की राज्य सरकारों ने वह जिम्मा लिया और छात्रावासों के माध्यम से हजारों हमारे युवक डाक्टर बने, इंजीनियर्स बने और उन्होंने अपनी बराबरी समाज में कायम की। छुआछूत का जो कलंक था, आज प्रायः वह मिट-सा गया। मुझे वह सीन भी याद है कि जब अनुसूचित जाति के एक-दो बच्चे पढ़ते थे तो विद्यालय में बाहर उनको बैठाया जाता था। वह सारी व्यवस्था आज समाप्त हो गई है। छात्रवृत्ति के माध्यम से वर्तमान सरकार ने करीब 25 करोड़ का प्रोविजन रखा गत वर्ष और उसको इस वर्ष और आगे बढ़ाने की कोशिश की। छात्रावासों में खाने और कपड़े वगैरह की राशि कम दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 675 रुपये किया गया मुझे लगता है कि इसमें एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र अच्छा जीवन व्यतीत करके समान नागरिक बन पा रहे हैं।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

इन दिनों में सरकार ने एस.सी., एस.टी. सहकारी विकास निगम बनाकर बीस सूत्रीय कार्यक्रम में केन्द्र सरकार के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं की। जमीन के अलाटमेंट, ऋण से लेकर बिजली, पानी की सारी व्यवस्थाओं में इन वर्गों के लिए प्राथमिकता दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग बनाकर पांच करोड़ रुपये की राशि इसमें डाली, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर 10 करोड़ की राशि इसमें रखी। शिशु गृह बनाये, महिलाओं के लिए विशेष किया। पहली बार राजस्थान में नि:शक्तजन आयोग बनाकर जो उपेक्षित थे, जो नि:शक्तजन थे जिनको कहीं सुरक्षा नहीं मिलती थी, उनको सुरक्षा की गारंटी दी। मुझे खुशी है कि नि:शक्तजन आयोग ने राजस्थान में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। सामाजिक सुरक्षा में जो विदाउट पेंशन थे, विधवाओं की वृद्धों की पेंशन बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह की गई। अकाल की स्थिति हमने देखी है विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में वहां पूरे 6 महीने 50 किलो अनाज और 30 रुपये प्रति दिन दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अकाल में अधिक प्रभावित हैं, उनको राहत पहुंचाई गई। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो प्रगति हुई है इन वर्षों में, भारत वर्ष के 53 वर्ष के शासन में, मैं कहता हूं कि सामाजिक क्रांति आई है और उसके माध्यम से जिसको हम पिछड़ा और अन्तिम व्यक्ति कहते थे, उसकी व्यवस्थाएं हमने की हैं। राजस्थान का बहुत बड़ा भाग जनजाति क्षेत्र है, वहां पर विकास की अलग से योजना बनाई। जैसा कि अभी चर्चा सदन में होती रही, हमने महाराष्ट्र पैटर्न को यहां लागू किया। हम चाहते थे कि पहाड़ों में रहने वाले लोग जो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके उत्थान के लिए विशेष योजना बनाएं और हमने इसमें काफी प्रगति की है। क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से वह सारा क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो सुदूर ढाणियों में बंटा हुआ हैं, वहां बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, आर्थिक आयोजन की व्यवस्था हो, जनजाति क्षेत्रीय विकास का अलग से विभाग बनाकर माननीय मंत्री महोदय उसका विकास कर रहे हैं। नशामुक्ति और कई ऐसे कार्यक्रम हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी का विशेष आग्रह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से हम राजस्थान को आगे ले जाएं और हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो पिछड़ा हुआ है उसको बराबरी में लाकर हम आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री महोदय ने जो मांग रखी है उनका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग

(श्री मदन दिलावर)

संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। उसके तहत ही केन्द्र सरकार ने, और राज्य सरकारों ने प्रदेशों में ऐसे पिछड़े लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, शोषित ऐसे सब लोगों के कल्याण के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए समाज कल्याण विभाग की स्थापना की है। अलग अलग प्रदेशों में यह विभाग अलग नामों से जाना जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के अन्तर्गत कई प्रकार की योजनाएं राजस्थान सरकार संचालित करती है। आम आदमी जानता है वह यह जानता है कि समाज कल्याण विभाग में सबसे बड़ी योजना छात्रावास की है। छात्रावासों में बच्चों को सरकार की तरफ से निःशुल्क सब प्रकार की व्यवस्था होती है ताकि गरीब व्यक्ति अपना विद्यार्जन कर सके, आगे बढ़ सके, समाज के शिक्षित व्यक्ति की तरह स्वावलम्बी बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह योजना सरकार के गठन के समय से ही प्रारम्भ है। मुझे इस बात का कष्ट है कि जो योजना प्रभावी होनी चाहिए थी, जिसके माध्यम से हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ा सकते थे, स्वावलम्बी बना सकते थे, उसकी इन चार सालों में जितनी दुर्गति हुई है, मैंने कभी नहीं देखी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, आज राशि का यदि हम कहें कि प्रत्येक बच्चे पर कितनी खर्च की जा रही है तो मैं समझता हूं कि राशि पर्याप्त है। 675 रुपये प्रति बालक पर खर्च करने का प्रावधान रखा है। लेकिन वास्तविकता है क्या? उनके पास सोने-बैठने के सामान और पूरे बिस्तर हैं क्या? खाने-पीने के बर्तन ठीक प्रकार हैं क्या? उनकी सुविधाएं भवन वगैरह पर्याप्त हैं क्या? यह नहीं है श्रीमान् जनता की खरी कमाई के 675 रुपये खर्च होने के बावजूद भी जितना लाभ मिलना चाहिए था वह लाभ नहीं मिल रहा है। मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूं। आपको बता रहा हूं कि छात्रावासों की स्थिति क्या है। रोटी मांगने पर गर्म चिमटों से दागा जाता है, यह बयान किसी के सामने नहीं कर रहे हैं बच्चे, वहां के अतिरिक्त जिला कलक्टर के सामने आपने बयान कर रहे हैं। अतिरिक्त कलक्टर उनकी बात को जांच करने के बाद सही पाता है और गर्म-गर्म चिमटों के निशान बच्चों के शरीर पर देखता है। छात्रावास चलाने की परिकल्पना यही थी क्या? बनवारी लालजी को पता है, जब ये थे तो इनके पास शिकायत आई है। परन्तु मैं नहीं कहना चाहता, इनके परिवार के सदस्य के मित्र होने के कारण से कोई भी कार्यवाही नहीं

(श्री मदन दिलावर)

हो पाई है, श्रीमान्। यह अतिरिक्त कलक्टर बीच में बैठे हुए हैं, बच्चे अपनी व्यथा बता रहे हैं कि स्थिति क्या है। 675 रुपये खर्च करने की बड़ी डींग हाकी है, वहां बिस्तर हैं क्या? श्मशान घाट में जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति किसी की मौत होने के बाद फटे-पुराने बिस्तर फेंक कर आता है, ऐसी स्थिति छात्रावासों की हो गई है। छात्रावासों में चार वर्ष पूर्व ऐसा लगता था कि जैसे कोई संस्कार के केन्द्र बन गये हैं, बड़े-बड़े परिवारों के बच्चे भी प्रवेश पाने के लिए अर्जियां लगाते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में प्रश्न पत्र बांटने का काम पूर्व शिक्षा मंत्रीजी कर रहे हैं। आप देख लो, विधान सभा परिसर की क्या दुर्गति हो रही है। विधान सभा की हां पक्ष लॉबी में परीक्षा केन्द्र चल रहा है और यह प्रश्न पत्र बांट रहे हैं। आप देखिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आप बिराजो। आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह अच्छी परिपाटी नहीं है। मैंने तो पहले भी निवेदन किया था, बाकी तो आसन को देखना है कि इस विधान सभा की स्वायत्ता रहेगी या नहीं रहेगी और आप भी श्रीमान् आसन पर बिराज रहे हैं तो आप कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं, आप पूरी विधान सभा के उपाध्यक्ष हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) **:** यह हमारी पार्टी का काम है।

डा. सी. पी. जोशी : उनको मैटर का मालूम ही नहीं है कि किस हिसाब...

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, आपको कहां दिक्कत आ रही है? आपके पास तो जा ही नहीं रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उधर बैठी हैं अम्बिकाजी, दिल्ली से आये हुए परीक्षक बैठे हैं। ठीक है, परीक्षा देना...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, बिराजें। ये तो सब पास हैं, इनको क्या प्रश्न पत्र बांट रहे हो आप? ये तो सब पास हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो दे आये न? राठौड़ साहब, आप परीक्षा में फेल हो जाओगे, आपकी मुझे चिंता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या प्रश्न पत्र देंगे? समझते तो हो नहीं बात को और कहते हो कि प्रश्न पत्र है। यह कोई प्रश्न पत्र है? सन् 1946 में पास हुए थे जब आप पैदा ही नहीं हुए थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सन् 1956 की बात चली गई और वो कांग्रेस भी चली गई। अब कांग्रेस अम्बिका सोनी की कांग्रेस है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वो ही आखिरी प्रश्न पत्र था, उसके बाद कोई नहीं आया।

श्री सांवर लाल : खेतसिंहजी, अब वो नेतृत्व नहीं रहा आपके जमाने वाला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अम्बिका सोनी की कांग्रेस में, खेतसिंह राठौड़, फेल मत हो जाना, हमें चिंता है। आप हमारे काका श्री हो।

डा. सी. पी. जोशी : दिलावरजी को बोलने दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कभी जिंदगी में फेल नहीं हुए, आपने गोता खाया था।

श्री मदन दिलावर : मैं निवेदन यह कर रहा था कि मां-बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इसलिए छात्रावास में भेजते हैं कि वहां रहकर बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, निःशुल्क होगा, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम पढ़ा नहीं पाएंगे। परन्तु जब बच्चा घर जाता है, उसकी मां उसको देखती है तो चिमटे दिखाई देते हैं। खैर, मैं तो इसमें ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि सरकार पर शक है मुझे। शक है कि यह कोई कार्यवाही करेगी क्या। आज तक किसी बात में कोई कार्यवाही की क्या? सरकार की जानकारी में हम कितने मामले लाये होंगे लेकिन जूं तक भी रेंगती है क्या? लेकिन सदन के सामने मैं इसलिए रखना चाहता था कि सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी ऐसी स्थितियां बन गई हैं।

मैं कह रहा था कि चार वर्ष-साढ़े चार वर्ष पूर्व स्थिति क्या थी। एक निश्चित दिनचर्या थी बालकों की कि इतने बजे उठना है इतने बजे खेलना है, इतने बजे भोजन है, इतने बजे वंदे मातरम् का गान होगा, इतने बजे राष्ट्रगान होगा। अब क्या हो गया उन सब को? वंदे मातरम् गान से भी परहेज हो गया, राष्ट्र गीत से भी परहेज़ हो गया, समय पर भोजन कराने से भी परहेज हो गया। बच्चों को पढ़ाने के लिए वार्डन सप्ताह में एक बार स्कूल जाता था, कक्षा अध्यापक से पूछकर आता था और अपने रजिस्टर में नोट कराकर लाता था, दस्तखत कराकर लाता था कि बच्चा कैसे चल रहा है, पढ़ाई में कैसा है। यदि वह स्कूल का अध्यापक कमजोर कहता था तो उसकी व्यवस्था करता था कि यह कमजोर है। मक्कारी कर रहा है तो समझाया था, अभिभावकों को जाकर सम्पर्क करता था। लेकिन आज जो चार साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, उसको गुड़-गोबर करके रख दिया है। भोजन की स्थिति और भी विचित्र है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। अवहेलना क्या? कि उसमें काम करने वाले जो अंशकालीन कर्मचारी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जिनको पांच वर्ष हो जाए उनको निरन्तर रूप से नियमित करते रहो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपके कार्यकाल में आप छात्रावास को कितने

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

पैसे देते थे? 300 रुपये देते थे न? छात्रावासों की स्थिति ठीक है, ऐसा मत बोलो आप।

श्री गोपाराम मेघवाल : 300 रुपये देत थे कैदियों की तरह। अब 700 रुपये अशोक गहलोत सरकार ने किया है छात्रावासों के अन्दर। आपको ध्यान है कि आप मंत्री थी तो तीन सौ रुपये मिलते थे?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं बदला नहीं हूं, जो हकीकत है वह बोल रहा हूं। दौसा में भी है। चिमटों से दागा जाता है, यह गलत है। मैं सही कह रहा हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को चिमटों से दागा जाता है, मैं सदन की जानकारी के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि छात्रावासों को चलाने की जिम्मेदारी हमने एक कमेटी पर रखी है जिसके अध्यक्ष माननीय विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं।

श्री मदन दिलावर : हां, हां, मेरे यहां तो मेरे घर के बाहर नहीं होता है, मेरे यहां तो मैं खुद दौड़ता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : और अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है। जब 350 रुपये देते थे आप, 350 रुपये में व्यवस्था होती थी, हमने 675 रुपये किये, क्या गुनाह किया हमने?

श्री मदन दिलावर : आपने गुनाह बहुत किये हैं। 350 रुपये के बाद 475 रुपये थे लेकिन वे 475 रुपये पूरे खर्च होते थे। आपके 675 रुपये करने के बाद भी 250 रुपये खर्च नहीं हुए, कहां जा रहा है पैसा? यह गुनाह है आपका। आप यदि अपने अधिकारियों पर विश्वास करते हैं तो ए.डी.एम. सिटी कोटा की रिपोर्ट मंगवाकर देख लीजिये कि चिमटे से नहीं दागा जाता। आपने स्पष्टीकरण दिया है, उससे कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता भला आदमी।

मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का निवेदन कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो अंशकालीन कर्मचारी हैं वहां, रसोइया है, चौकीदार है, उनको पांच साल कम्प्लीट काम करते हुए हो जाएं तो उनको नियमित कर दो। मैंने कई बार विधान सभा में इस बात को रखा, प्रश्न लगाया, ध्यानाकर्षण लगाया, स्थगन लगाया। भाग-भागकर अधिकारी मेरे पास आये कि दिलावर जी इसमें चर्चा मत करना, हम निश्चित रूप से तुरन्त नियमित कर रहे हैं। हमने सोचा, चलो बात मान लेते हैं। वह जवाब आ गया, हमने आब्जेक्शन नहीं किया, उसका रिएक्ट नहीं किया। आज 10-10 साल

(श्री मदन दिलावर)

तक के लोग बैठे हैं, 600 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, 800 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। 800 रुपये में परिवार चल जाएगा क्या? उनको अंशकालीन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आपको उनको नियमित करना चाहिए। मंत्री महोदय, जब जवाब दो तो बताना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं तो उनके सम्मान में और उनके आदेश की अनुपालना में कब तक अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने जा रहे हो? कि स्क्रीनिंग हो रही है। मैं चार साल से सुन रहा हूं कि स्क्रीनिंग हो रही है। एक एडिशनल डाइरेक्टर आये जो दो साल तक स्क्रीनिंग करते रहे। फिर वह चले गये, दस्तखत नहीं करके गये फाइल पर, तो जो दूसरे एडिशनल डाइरेक्टर आये हैं, वे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ट्रांसफर हो जाता है तो फाइलें भी चली जाती है क्या? कोई न्यायाधीश यह कहे कि यह केस पहले के समय में हुआ था इसलिए मैं फिर से जीरो से स्टार्ट करता हूं, तब तो जिंदगी भर भी किसी का फैसला होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के नाम पर ये जो अंशकालीन कर्मचारी, अंशकालीन रसोइये और चौकीदार हैं, उनको निश्चित रूप से नियमित करें, इनके बच्चे भूखों मरने की स्थिति में हैं, इनके पेट का पालन नहीं हो रहा है, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्रीमान्, कांग्रेस पार्टी है न, इसका एक घोषणा पत्र मैंने पढ़ा है। ये पता नहीं, क्या-क्या कह देते हैं। अशोकजी गहलोत इसको बाइबिल कह देते हैं, कभी कोई इसको कहता है कि सोनियाजी का सम्माननीय पत्र है। कभी क्या कह देता है, कभी क्या कह देता है, कभी क्या कह देता है। इसमें लिखा है इन्होंने, श्रीमान्, कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छकार, विकलांग, अल्पसंख्यक, इनके लिए सस्ते ब्याज पर रोजगार करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाएंगे। वित्त मंत्रीजी अपने बजट भाषण में भी कहते हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय से भी कहलवाते हैं कि हम गारंटी बढ़ा रहे हैं। क्या होगा गारंटी बढ़ाने से? यदि मन में पाप है तो आप गारंटी कितनी बढ़ा दो, क्या अन्तर आता है गारंटी बढ़ाने से? आप देते हो क्या, आपने दिया है क्या गारंटी बढ़ाकर? कागज में छपवाकर आप वाहवाही लूटना चाहते हो, ऐसी वाहवाही नहीं लूटी जा सकती। श्रीमान्, जो इन्होंने प्रगति प्रतिवेदन में दिया है, पृष्ठ 12 पर है, वह मैं पढ़कर बताना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल लेंगे, आप कहां से बोल रहे हो? बोलो-बोलो आप। आपको प्रोम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि वे स्वयं ही होशियार हैं, आप कहां से कर रहे हो।

श्री मदन दिलावर : इन्होंने कहा है कि हम सबका कल्याण करेंगे और हमने

(श्री मदन दिलावर)

इनको खूब सारा पैसा बढ़ा दिया है, गारंटी बढ़ा दी है। लेकिन आपको मैं बताऊं, अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए इन्होंने कहा कि हमने 10 करोड़ की गारंटी दी है। 10 करोड़ रुपये की गारंटी दे दी और 515 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 232 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी कर दीं। इनसे पूछो, 10 करोड़ रुपये की गारंटी तो दी, लेकिन दो करोड़ 32 लाख रुपये का ही क्यों अनुमोदन करवा रहे हो? 232 लाख रुपये की ही क्यों स्वीकृति जारी की? वितरण किया क्या? जीरो। फिर तो आप 100 करोड़ की ही गारंटी कर देंगे, उसका क्या अर्थ रहेगा? हमारी राजस्थान की जनता को या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को बेवकूफ समझते हो क्या कि हमारे किताबों में लिख देने से वे मान जाएंगे। आज कांग्रेस के एक महासचिव आये थे, यहां उन्होंने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। तुमने जितने पाप कर लिये है, जनता भूल गई है, जनता बड़ी भुलक्कड़ है। ये शब्द, राजस्थान की जनता के लिए भुलक्कड़ कहना, अपमानजनक है। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, स्वच्छकार आपने जो चार साल में पाप किये हैं उनको छह महीने में भूल जाएंगे। क्या इसलिए इन्होंने कहा कि वह तो भूल जाएंगे, भुलक्कड़ हैं। तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। अब कर लो। क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। यही हाल अनुसूचित जाति का है, यही हाल स्वच्छकारों का है।

और श्रीमान्, एक योजना और है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, जनजाति स्वरोजगार योजना। इस योजना का उद्देश्य तो क्या था कि राजस्थान के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन परिवारों को, इच्छुक बेरोजगार सदस्यों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हश्र क्या हुआ है? जहां 1998-99 में लक्ष्य 70,000 था, वहां उपलब्धि हुई है। 70098, क्योंकि माननीय भैरोंसिंहजी सरकार थी न लेकिन 1999-2000 में हाल क्या हुआ? 85,000 का लक्ष्य रखा, उपलब्धि 68,000 2000-2001 में फिर 85,000 का लक्ष्य रखा, उपलब्धि है 61,172 क्या करने जा रहे हैं आप लोग? ये आंकड़े किताबों में क्यों छपवा रहे हो? जनता को बेवकूफ समझ रहे हो, बार-बार छपवा रहे हो। 85,000-85,000 जब आपने एक बार देख लिया कि 85,000 का लक्ष्य हमसे पूरा नहीं होता तो कम कर देते, भाई...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या हो गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी तो भूमिका बांधी है। (व्यवधान) अभी तो भूमिका बांधी है।

श्री उपाध्यक्ष : 20 मिनट हो गये है। अब भूमिका बांधी है, 20 मिनट हो गये हैं, कोई टाइम का खयाल तो रखना पड़ेगा।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, मैं आगे बताना चाहता हूं, 2002-2003 में स्थिति...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कोई नेता नहीं हैं, दूसरों को समय मिलता है उतना ही उनको मिलेगा। ये कोई विपक्ष के नेता हैं क्या? भूमिका बांधी है तो भूमिका खतम हो गई, अब विराजो।

श्री सांवर लाल : ये आज के मुख्य वक्ता हैं।

श्री मदन दिलावर : खेतसिंहजी राठौड़ साहब, मुझे तो माफ करें। (व्यवधान)

मैं आंकड़े बता रहा हूं, 2002-2003 में उन्होंने कहा कि हम अनुसूचित जनजाति के लोगों को 200 आटो रिक्शा देंगे। दिये कितने? 12, इन्होंने कहा उन्नत भैंसें देंगे 1500, दी कितनी? 821 और इन्होंने कहा, कृषि यंत्र वितरण करेंगे 8000 को, दिये कितने? 192, श्रीमान्, कियोस्क योजना के लिए कहा कि 1400 लोगों को देंगे, 300 लोगों को पकड़ाये हैं। यह अनुसूचित जनजाति के लोगों की बात है। यह है अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण की बात, यह सरकार है श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर : मुझे माफ करें सर। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आवासीय विद्यालय की परिकल्पना की थी और मुझे निर्देश दिये थे कि आवासीय विद्यालय बनाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करो। 250 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट तैयार करके जर्मनी से सहायता लेने की कोशिश की, दो आवासीय विद्यालय राजस्थान सरकार के बजट से बनवाये। दो सौ पचास करोड़ रुपये की सहायता वहां से लेकर राजस्थान भर के हर जिला मुख्यालय या हर जिले में हमने आवासीय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की। वह इसलिए की श्रीमान् कि सामान्य विद्यालय में बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें सब प्रकार की सुसज्जित व्यवस्थाएं पब्लिक स्कूलों की तरह देकर अनुसूचित जाति के बच्चों का उत्थान करेंगे। उसके रिजल्ट कैसे रहे? क्या बात कर रहे हैं, श्रीमान् ऐसे गर्दन मत करो आप।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। You have to conclude.

श्री मदन दिलावर : मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं निवेदन यह कर रहा था, श्रीमन्, कि जब वे विद्यालय चले, अटरू का एक उदाहरण देता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के समय जो विद्यालय चले, बोर्ड की परीक्षा में मैरिट में बच्चे आये।

(श्री मदन दिलावर)

उस विद्यालय की बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले किसी भी बच्चे ने 65 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किये, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। संस्कारित, लेकिन इस सरकार को कष्ट हुआ, इस सरकार के आने के बाद जो वहां संस्कारित अध्यापक थे, गुरुजन थे उनका ट्रांसफर। मैंने पूछने का प्रयास किया कि क्यों किया। बोले ये ठीक नहीं है। मैंने कहा, ठीक कैसे नहीं हैं, रिजल्ट्स के आधार पर देखिये न। बोले, रिजल्ट से क्या होता है, ये ठीक नहीं है। आज स्थिति क्या हो गई है? कोई भी बच्चा साठ प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त नहीं कर पा रहा है और रिजल्ट रह गया है कहीं पचास प्रतिशत, कहीं साठ प्रतिशत, सत्तर प्रतिशत। जहां राजस्थान की बोर्ड की परीक्षाओं में मैरिट में बच्चे आया करते थे, वहां आज स्थिति यह हो गई है उन आवासीय विद्यालयों की कि उन आवासीय विद्यालयों का कचरा बना दिया है। क्या सरकार इसीलिए आई थी कि अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ इस प्रकार का अत्याचार करेंगे, इस प्रकार का अन्याय करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के बच्चे प्रतिभावान हैं जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं लेकिन आर्थिक अभाव के कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने कहा था कि जो गरीब होंगे ऐसे अनुसूचित जाति के सब बच्चों को कोचिंग का खर्चा हाई रैपुटेड संस्थान में जो लगता होगा, सारे का सारा समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी, बोले।

श्री मदन दिलावर : एक बच्चे के ऊपर पन्द्रह हजार रुपये से लेकर चालीस हजार रुपये तक भी खर्च होता था तो राजस्थान सरकार वहन करती थी। उसके कारण से सैकड़ों डाक्टर बने, सैकड़ों इंजीनियर बने, कई अच्छे-अच्छे पदों पर गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री अमरारामजी।

श्री मदन दिलावर : आज स्थिति यह हो गई कि उसको बन्द कर दिया है। गरीब लोग अपना अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिभावान होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इस सरकार ने इसको बन्द करके उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। यही नहीं, श्रीमन्...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज।

श्री मदन दिलावर : गाड़िया लुहार जैसों के ऊपर इन्होंने हथौड़ा चलाया।

(श्री मदन दिलावर)

गाड़िया लुहारों के ऊपर तक हथौड़ा चलाया। गाड़िया लुहार दर-दर भटकते फिरते हैं, उनको पांच हजार रुपये की मकान बनाने के लिए सहायता दी जाती थी। समाज कल्याण कहता है कि इसको खतम कर देते हैं और उनको बी.पी.एल. मान लेते हैं और पंचायती राज की संस्था उनको मकान जैसे इन्दिरा आवास में देती है वैसे दे देगीं। गाड़िया लुहार का बी.पी.एल. में नाम कहीं देखा है आपने, कोई लिखता है? पंचायत के कोरम में प्रभावशाली लोग या उस गांव का निवासी होता है तो उसका लिखा जाता है, वे तो उस गांव के निवासी भी नहीं माने जाते बेचारें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सहायता देती थी उस सहायता इन लोगों ने बन्द करके बहुत बड़ा अत्याचार किया है। यही नहीं, श्रीमन्...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। श्री अमरारामजी। प्लीज, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। अंकित नहीं होगा अब। माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आधा घंटा हो गया इन्हें। बिराजिए प्लीज। नो, प्लीज नहीं अमरारामजी, आप बोलिये।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। अंकित नहीं हो, बिराजिए आप। बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-33 और 30 पर चर्चा हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है, आप बिराजिए। अंकित नहीं होगा अब। बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दिलावर साहब का कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। काफी समय हो गया, बार-बार कहने के बाद भी आप बिराजते नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं पार्लियामेंटरी मिनिस्टर हूं, मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि आप या तो शांति से बैठ जाइये, वरना दूसरी कार्यवाही का फिर इंतजाम करें आपके लिए। आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीट सिट डाउन।

एक माननीय सदस्य : मेंटल डाक्टर की जरूरत तो पागल को होती है...

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह तो आपको एहसास हो गया कि मेंटल डाक्टर की जरूरत तो है। यह तो एहसास हो गया आपको।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-33 और 30 समाज कल्याण और जनजाति विकास के लिए चर्चा हो रही है। राजस्थान में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। आप बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी, बोलिये, आप बोले। आप बोलेंगे, वह रुकेंगे।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों और समाज में कमजोर और दलित वर्ग के कल्याण के लिए मांग संख्या-33 और 30 पर चर्चा हो रही है, मैं सबसे ज्यादा राजस्थान में जो पीड़ित हैं...

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज, बिराजिए। बिराजिए प्लीज। बिराजिए, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय अमरारामजी। माननीय सदस्य, बिराजें, कोई सीमा होती है। बिराजिए प्लीज। अब बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा का सवाल है, समाज कल्याण विभाग लगातार 47 के बाद जो राजस्थान...

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मदन दिलावरजी हमेशा बाधा डालते हैं कार्य में, इनको हाउस से बाहर निकाला जाए, इनको सस्पैण्ड किया जाए। जब तक असेम्बली चल रही है तब तक इनको सस्पैण्ड कर दिया जाय।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री मोहन लाल मोदी : महान जनता ने तो भेजा है पर आपके कारनामे देखकर...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी जनता दु:खी है इसलिए आपको वापस बुला रही है, आप वहां कोटा ही पधारो।

श्री मदन दिलावर : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान के दलित वर्ग और आदिवासियों पर सन् 1952 से लेकर आज तक राजस्थान की सरकार के बजट का जो पैसा खर्च हुआ है, हम दलित और आदिवासियों को... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब बिराजो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : अनुमति दे दो, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। I have called him.

श्री मदन दिलावर : XXX (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब बोलो, बोलो। (व्यवधान) पांच मिनट में खतम कर दो, केवल पांच मिनट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 11.47 हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दे दी, अनुमति दे दी। (व्यवधान) यह आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, उपाध्यक्ष हमारे भी हैं। इन्होंने अनुमति प्रदान कर दी, कृपापूर्वक प्रदान की है, हां।

श्री खेतसिंह राठौड़ : निवेदन हम भी कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इनको एक्स्ट्रा समय दिला रहे हैं तो उनके समय में से वह काट लीजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : काट लो, काट लो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एग्रीड। बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, मैं छोटी-छोटी बातें बताउंगा तो शायद आप समझेंगे भी नहीं। मैं निवेदन यह कर रहा था कि कोटा में संस्थान चलता है जो अनाथ बच्चों को पालने की बात करते हैं, निराश्रित महिलाओं की बात करते हैं। इमानुअल संस्थान एक वहां चलती है और उसमें यह है कि कोई भी अनाथ बच्चा आएगा तो किशोर कल्याण बोर्ड के आदेश के बाद वहां आएगा। लेकिन किशोर कल्याण बोर्ड को पूछा ही नहीं गया और वहां बच्चे भर्ती करते गये। बच्चे कहां से आये? बच्चे वहां से आये, श्रीमान्, बच्चों को अपहरण करके लाया गया, बच्चों को बहला-फुसला कर लाया गया, मां-बाप को धोखा देकर लाया गया। वहां पुलिस थानों में रिपोर्ट्स दर्ज हुई, जांच हुई। आसाम गये लोग और बिहार गई, वहां जांच हुई। जांच में दोषी पाये गये, लेकिन तत्कालीन समाज कल्याण मंत्रीजी जो अभी उप मुख्य मंत्री हैं, वह जवाब देते हैं कि इसका राजस्थान सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। राजस्थान सरकार से लेना-देना नहीं है? कोई इस प्रकार से चाहता है बच्चों का अनाथालय के नाम से चलाए? किशोर कल्याण बोर्ड की बाध्यता है कि उनके थ्रू ले सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं लेंगे। जांच में दोषी पाये गये, यह जांच रिपोर्ट मेरे पास है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप इंटरवीन करके बोल लेना, इनको बोल लेने दो। बार-बार आप खड़े होंगे तो फिर डिबेट चलेगी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, मैं तो यह बात कहना चाहता हूं कि मैंने यह बात नहीं कही।

श्री उपाध्यक्ष : बोल लेना बाद में।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैंने यह कहा कि समाज कल्याण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उनको समाप्त कर लेने दो न।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, वह राज की बात कर रहे थे, समाज कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री मदन दिलावर : समाज कल्याण मंत्रालय राज में नहीं आता क्या? समाज कल्याण मंत्रालय राज में आता है। तो मेरा निवेदन यह था, मैं निवेदन यह कर रहा था, आरोप यह लगा रहा था...

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने ध्यानाकर्षण किया था और उसमें पूरा जवाब दे दिया तो भी उनको पता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे, जवाब देंगे न, फिर क्या बात है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : वो तो दूंगा ही इनको।

श्री उपाध्यक्ष : फिर क्या बात है? आप जवाब देंगे न उनको?

श्री छोगाराम बाकोलिया : लेकिन इनको पता नहीं। पहले की बात करते हैं उसके बाद तो इनको बहुत अच्छी तरह से...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : जवाब सुनने के मौके पर तो भाग जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इनको पाबंद करें कि जवाब सुन कर जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : जो बिहार से बच्चे लाये गये न, ये पुलिस खड़ी है...

श्री छोगाराम बाकोलिया : ये तो हमारे पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने कह दिया कि ये +++ है और +++ को जवाब देने से पहले पार्लियामेंटरी मिनिस्टर साहब से पूछना पड़ेगा। ये हिंगी में शिलान्यास करके आये रेजीडेंशल स्कूल का और उसके बाद पांच फीट पानी के अन्दर आ गया। अब बताओ ये किस जगह पर तो शिलान्यास करके आये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे न तो। आपको मौका मिलेगा।

श्री मदन दिलावर : ऐसा है, आपसे ज्यादा समझदार हूं। मैंने आपकी तरह रिश्वत नहीं खायी है, छोगारामजी। आपकी तरह रिश्वत नहीं खायी है मैंने।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय उपाध्यक्षजी, ये मंत्री इसलिए बोलने लग गये क्योंकि इनकी समाज वाले खिंचाई करने लग गये। यह उठ-उठ कर जवाब दे रहे हैं न, इनकी समाज वाले खिंचाई कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं यह।

श्री मदन दिलावर : चोरी और सीना जोरी। श्रीमान्, बिहार से जो बच्चे लाये गये, पुलिस ने बरामद किया, वहां से निकले। मणिपुर के मुख्य मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि हमारे यहां से बच्चे चुराकर लाये गये हैं। हमने पुलिस को दिया, लेकिन समाज कल्याण ने कोई कार्यवाही नहीं की। वहां के डिप्टी डाइरेक्टर की रिपोर्ट है, यहां छोटे-से कमरे में बहुत सारे बच्चों को रखा जाता है। यहां भोजन की व्यवस्था नहीं, ठीक प्रकार की व्यवस्था नहीं। कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। बीमारियों के शिकार हो रहे है। बहुत सारा पैसा लिया जा रहा है। लेकिन यह है कौन? थॉमस सारे कृत्य कर रहा है। खंडित भारत का नक्शा छापकर अनाथालय के नाम पर चंदा उगाहने वाला जो भारत को अपमानित करे, खण्डित नक्शा छापे और यह सरकार उसका कुछ नहीं करे, ऐसा लगता है कि इस सरकार ने उसके सामने घुटने टेक दिये हैं। सरकार उसकी गिरवी हो गयी है। सरकार बिक चुकी है। बाल रश्मि सोसायटी की बात कर लो, यहां मैंने कहा था कि इसकी मान्यता समाप्त करो। मेरे आर्डर थे फाइल पर जब मैं मंत्री था, 76 लाख रुपये की वसूली होनी चाहिए थी। समाज कल्याण विभाग के 76 लाख रुपये खाने के बाद भी उस संस्था से वसूली नहीं। कौन सी दोस्ती हो गयी थी, बनवारी लालजी, छोगारामजी? एलिस गर्ग है जो संस्था चलाती है, आज तक उससे 76 लाख रुपये क्यों नहीं वसूल किये जा रहे हैं? राजस्थान की जनता का जो इस प्रकार का धन है, गरीब लोगों के कल्याण के लिए था, इस प्रकार से हड़पने के लिए दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बिराजिये अब आप। माननीय श्री अमरारामजी। ऐसे रखोगे तो सब हो जाएगा अच्छा, नहीं दुःख पाओगे।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-33 व 30 समाज कल्याण के बाद सन् 1952 से लेकर आज तक जनजाति के विकास और राजस्थान की मुख्य धारा में उनको शामिल करने के लिए राजस्थान की सरकार के हर बजट में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद आज चर्चा में अहम सवाल इस बात का है कि 55-56 साल की आजादी के बाद उन दलित पीड़ित और आदिवासी लोगों को राजस्थान की मुख्य धारा में ला पाने में हम कहां तक सफल हो पाये हैं और अगर सफल नहीं हुए हैं तो इसके क्या कारण हैं। उन कारणों पर हमें निश्चित रूप से विचार करना

(श्री अमराराम)

चाहिए क्योंकि 55 साल की आजादी और जनतंत्र की स्थापना के बाद भी राजस्थान में दलित की जिन्होंने सदियों से समाज का उत्पीड़न भोगा है, हालत वो ही है। अपने सम्मान को लेकर अगर आज भी दलित का दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने की बात करता है तो उसको उतार दिया जाता है। राजस्थान के किसी गांव और शहर में मन्दिर में प्रवेश करने की बात अगर यह घोषित करके करता है कि वो दलित है और मन्दिर में प्रवेश करेगा तो उसके प्रवेश पर उस पर मार पड़ती है, प्रवेश को रोका जाता है। इसी राजस्थान में किसी भी तालाब में पशु नहा सकता है, लेकिन अगर दलित की महिला चकवाड़ा के तालाब में नहाती है तो उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना होता है। इस अत्याचार के खिलाफ अगर कुछ लोग इकट्ठा होकर इसका प्रतिवाद करने की कोशिश करते हैं तो उसको दबाने का काम किया जाता है और सरकार मूकदर्शक बनी रहती है। न केवल मूकदर्शक बनी रहती है बल्कि सरकार उस पर इंतजाम करने के लिए आगे नहीं आती है। आज राजस्थान में जिस तरह की दलितों पर अत्याचार की बाढ़ है लगता है यह सरकार की मंशा नहीं रही। सबसे भयंकर काण्ड राजस्थान में कुम्हेर काण्ड हुआ वहां दलितों को जिन्दा जलाया गया। सरकारें बदल गयीं लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट आज तक जनता के सामने खुलासा नहीं की गयी। इसका मेन कारण यही है कि हम केवल वोटों की गिनती करते रहे। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन दलितों को सम्मान दिलाने में, समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में हम आज तक सफल नहीं हो सके हैं। जब हम वोट लेने की बात करें तो हिन्दू–हिन्दू सब एक लेकिन मेरा निवेदन है कि दलितों पर आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, इसी हिन्दू धर्म के उच्च वर्ग के लोग होते हैं। जब वोट का सवाल आता है तो हिन्दू–हिन्दू के एक होने का नारा हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए साथी बड़े जोर–जोर से लगाते हैं कि यह देश धर्म का नाता है। आपने गऊ को भी छोड़ दिया, आपने मन्दिर को भी छोड़ दिया लेकिन जब वोट का सवाल आता है तो सब हिन्दुओं के एक होने की बात करते हैं। लेकिन जब दलित अपना हक मांगता है, जब बराबरी की बात करता है तो किसी दूसरे धर्म के लोग उन पर अत्याचार करने वाले नहीं होते, वो इसी हिन्दू धर्म के मानने वाले होते हैं। मुझे अफसोस है कि इन दलितों का जहां सवाल आता है राजस्थान में दोनों राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक साथ खड़ी हुई मिलती हैं–चाहे वो घोड़ी का सवाल हो, चाहे तालाब का सवाल हो, चाहे कुम्हेर का सवाल हो। राजस्थान में

(श्री अमराराम)

भारतीय जनता पार्टी का भी शासन आठ साल तक रहा, कांग्रेस का शासन पहले था और आज है, चार साल के बाद कौन सी बाध्यताएं हैं, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी कुम्हेर काण्ड की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से क्यों कतराती है? वो क्यों पूर्ण नहीं हो रही है? इसलिए जहां इस बात का सवाल आता है, दोनों मिल कर उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ा सवाल है, केवल इन योजनाओं से हम आदिवासी और दलित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके आर्थिक सवालों को हम नहीं छुएं। आज राजस्थान का खेत मजदूर 90 दलितों से है, आदिवासियों से है। क्या हम 55 साल की आजादी में इस विधान सभा के इतिहास में उनके लिए कोई कानून बना पाये? सबसे गरीब जो दलित हैं, आदिवासी है, जो जमीदार के खेत में पसीना बहा कर मजदूरी करता है, 90 जिसकी संख्या है–10 प्रतिशत अपर कास्ट से भी हैं, क्या हम उनको कानूनी हक दे पाये, कोई सामाजिक सुरक्षा दे पाये? क्या हम उनको हक दिलाने के लिए कानून बनाने को तैयार हैं? उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हाड़ौती में आज जिसको हाली के रूप में मजदूर रखा जाता है, वो बंधुआ मजदूर की स्थिति में है। एक साल में जब उसको हाली के रूप में रखेंगे तो परिवार चलाने में एक साल में जितना कर्जा उसके ऊपर हो जाएगा, अगर दूसरे के कहीं जाने के लिए कोशिश करेगा, वो नहीं जा सकता अगर ले जाना चाहता है तो वो पैसा उस किसान को देकर फिर ले जा सकता है। आज उसकी बंधुआ मजदूर की स्थिति है, चाहे वो हाड़ौती है, चाहे राजस्थान के दूसरे इलाके हैं। लेकिन उसकी व्यवस्था के लिए हम तैयार नहीं हैं। उसकी स्थिति तब तक सही नहीं होगी जब तक कि उसे कानून हक देकर सामाजिक सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराएंगे। केवल बी.पी.एल. परिवार में नहीं होगा, जब तक कि खेत में काम करने वाला मजदूर है उसको कानूनी संरक्षण नहीं होगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए उसके 60 साल के बाद उसकी शारीरिक क्षमता मेहनत करने की नहीं होगी, तब उसकी पेंशन की सरकार व्यवस्था करें। कुछ पैसा जिसके खेत पर काम करता है उससे लिया जाए और कानून में संरक्षण दिया जाए कि 60 साल की उम्र के बाद में वो अपना जीवन किस तरह से बिता सकता है।

(12.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि राजस्थान में खेत में सीरी के रूप में 70 से 80 प्रतिशत संख्या आदिवासी और दलितों की है। अकाल पड़ता है, अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, राजस्थान की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर 10 महीने तक

(श्री अमराराम)

फौज तैनात रही, उस शेयर क्रोपर की फसलें नष्ट हुई। मुझे कहते हुए अफसोस है कि राजस्थान की सरकार ने उनको मुआवजे के लिये चौथा और पांचवां हिस्सा उस शेयर क्रोपर का था, उस का प्रपोजल बनाकर हिन्दुस्तान की सरकार के सामने नहीं भेजा। जो किसान खातेदार था उसको मुआवजा मिल गया। लेकिन राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में वह खेत मजदूर या सीरी जिसकी चौथे या पांचवें हिस्से की फसल जमीदार के खेत में पड़ी थी, उसके एक नये पैसे का प्रपोजल राजस्थान की सरकार ने देश की सरकार के सामने नहीं रखा। उसका नतीजा है कि 50 करोड़ के करीब रुपये का मुआवजा खेत के मालिकों को तो मिल गया, लेकिन चौथा और पांचवां हिस्सा जो शेयर क्रोपर के रूप में दलित का था उसको एक नया पैसा आज तक नहीं मिला। सरकार चलाने वालों के दिमाग में वह चीज नहीं है। पूरे 6 महीने तक खेत में पसीना बहाकर और मेहनत करके फसल पैदा करता है मजदूर, लेकिन उस जमीन के मालिक की मर्जी है कि फसल आने पर वह उसको दुत्कार दे, निकाल दे। उसके लिये हम कोई भी कानून बनाने के लिये आज तक तैयार नहीं है। कोई उसको कानूनी हक नहीं है क्योंकि वह संगठित नहीं है। आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, समाज में उनको बराबरी दिलाना चाहते हैं तो जहां वे मेहनत करते हैं, उनको आर्थिक रूप से सम्बल करने का कानूनी हक दें। उनको सम्बल नहीं करेंगे तब तक हम समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल नहीं कर पाएंगे चाहे हम कितना ही बजट एलोकेशन कर दें। केवल इससे नहीं होगा के हमने पेंशन कितनी दे दी, निश्चित रूप से यह दी जानी चाहिये, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन इससे आगे बढ़ाकर जब तक आर्थिक सम्बलता का काम उसके लिए नहीं किया जाएगा तब तक वह समाज की मुख्य धारा में नहीं आएगा। और न छुआछूत समाप्त होगा और न उसकी बराबरी होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओर सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिये।

जहां तक आदिवासियों का सवाल है, हमारी सरकार ने शक्तावत साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने राजस्थान के उस आदिवासी के लिए जिसकी सबसे बुरी हालत है, राजस्थान के बजट का 8 प्रतिशत हिस्सा सीधा जनजाति क्षेत्र के विकास के लिये, ट्राइबल सब प्लान के लिये देने की सिफारिश की। लेकिन उसके बाद भी हमारे बजट का कितना हिस्सा खर्च हो रहा है? 5.4 प्रतिशत। हमारी सरकार के मंत्रियों की कमेटी की राय 8 प्रतिशत की थी और हम खर्च करें 5.4 प्रतिशत। हम केवल अखबार के माध्यम से आदिवासियों

(श्री अमराराम)

का विकास करना चाहते हैं। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हैं, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो 8 प्रतिशत की घोषणा करने के बाद किस तरह से 2 साल में 5.4 प्रतिशत...

श्री दयाराम परमार (जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं उसकी उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : मेरें को तो जानकारी है।

श्री दयाराम परमार : एक मिनट, आप बैठ जाइए। जानकारी कर लीजिए, आपको क्या तकलीफ है?

श्री अमराराम (धोद) : जानकारी आप करैक्ट कर दीजिए। शक्तावत साहब की कमेटी की रिपोर्ट आने के आद 8 प्रतिशत बजट का खर्चा हुआ है क्या?

श्री दयाराम परमार : एक मिनट, आप इसको क्लीयर समझ लीजिए, परेशान क्यों हो रहे हैं? माननीय शक्तावत साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का इसलिए गठन किया गया था कि महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने की कार्यवाही पहले से जब बी.जे.पी. की सरकार थी तब से शुरू हुई थी। बी.जे.पी. सरकार ने कहा कि 13 विभागों का पैसा ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक मुश्त दे दिया जाए। वह सिफारिश भेजी। बाद में सरकार बदल गई तो हमारी सरकार ने आते ही उसी रास्ते पर चलने की कोशिश की। लेकिन टैक्निकल बात यह है कि एक विभाग का पैसा दूसरे विभाग को ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता कि प्रत्येक विभाग अपनी अपनी मांगें यहां प्रस्तुत करके पास करवाते हैं, तो इर्रिगेशन का पैसा पी.डब्ल्यू.डी. में खर्च कैसे हो जाए। हम चाहते थे कि एक मुश्त रुपया मिले, इसलिए वह कमेटी गठित करके यह विचार किया गया कि किस तरह से रुपया ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया जा सकता है। इस पर कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि वार्षिक योजना में से जो प्रतिशत रुपया तय करना है वह उसमें से उसे हिस्सा दिया जाए ताकि वह विभाग फ्री हो और जिस विभाग में खर्चा करना है वह कर सके। यह कमेटी ने नहीं कहा था कि 8 परसेंट दे देंगे। महाराष्ट्र पैटर्न लागू करना है, यह पहले से चला आ रहा था और उसको ठीक तरह से कानूनी अमलीजामा कैसे पहनाया जाए, इसके लिये कमेटी गठित की थी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मेरा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। मंत्री महोदय जब जवाब दें तब बता दें कि कमेटी ने सिफारिश कर दी कि इकजाई रूप से किस

(श्री अमराराम)

तरह से जा सकता है 8 प्रतिशत, इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद क्या राजस्थान की सरकार ने बजट का 8 प्रतिशत ट्राइबल सब प्लान पर खर्चा किया है क्या?

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आप जवाब देंगे न?

श्री अमराराम (धोद) : इससे सदन गुमराह होता है, यह मैसेज जनता में बराबर चलता रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : जनता में तो आपका जवाब भी जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, चल क्या रहा है...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्रियों के जवाब तो यह सुनते ही नहीं है। आज आप इनको जवाब दिलवाइए तो सही, कम से कम इनके जवाब तो सुने। ये तो भाग जाते हैं।

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को क्लीयर करने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, हर मैम्बर का आप ऐसे जवाब देंगे क्या?

श्री दयाराम परमार : मैं हर मैम्बर का जवाब देना चाहता हूं कि ट्राइबल सब प्लान व्यवस्था और महाराष्ट्र पैटर्न दोनों भिन्न हैं।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि जब भी मंत्री बोलते हैं तो ये उनका जवाब सुनते ही नहीं हैं। इनको कम से कम यह तो पाबन्द करो कि मंत्री बोले जब चुप रहे। चुप ही नहीं होते हैं ये लोग। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा थोड़े ही होता है। मंत्रीजी बोलते हैं तब सुनते ही नहीं है ये जवाब।

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, सब प्लान की व्यवस्था और महाराष्ट्र पैटर्न दोनों भिन्न-भिन्न हैं। सब प्लान व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक विभाग ट्राइबल सब प्लान एरिया में 12.44 प्रतिशत पैसा अतिरिक्त खर्च करेगा। यह आज से नहीं जब से यह डिपार्टमेंट बना है, 1975 से लेकर यह व्यवस्था चली आ रही है। हमने उसको खतम नहीं किया। महाराष्ट्र पैटर्न में व्यवस्था करके ट्राइबल सब प्लान की जो टोटल पापुलेशन है, नॉट ट्राइबल पापुलेशन, उसके आधार पर हमने 8 परसेंट करने का फैसला किया है और उस फैसले के आधार पर आपके डिवीजन का 8 परसेंट है। जो हमें लम्पसम रुपया दिया गया, वह 8 परसेंट जितना बनता था उतना नहीं मिला। सरकार की जो आर्थिक स्थिति थी उस आधार पर डिपार्टमेंट इतना सारा रुपया खर्च करने में भी सक्षम नहीं था, क्योंकि हमारी कोई

(श्री दयाराम परमार)

इंडिपेंडेंट कार्यकारी एजेंसी तो है नहीं। हम तो जो रुपया है वह विभिन्न विभागों को सैंक्शन करके जारी कर देते हैं। इसलिए सब प्लान की व्यवस्था और महाराष्ट्र पैटर्न दोनों को साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कितनी दफा बोलोगे आप, यह बता दो? हर मैम्बर के साथ बोलोगे क्या?

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, इसी बात में गड़बड़ है, विपक्ष के माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता बोलते हैं तो वे इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब देंगे।

श्री दयाराम परमार : कंफ्यूजन करने की जरूरत क्या है? अपने आप में क्लीयर होओ कि दोनों व्यवस्थाओं में क्या हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप नोट कर लीजिए, हरेक मैम्बर बोलेगा सबका जवाब देना पड़ेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, आप बोलोगे न अभी।

श्री दयाराम परमार : आप बाद में बोलो जब बता देना कि क्या गुमराह कर रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो कह रहे हैं कि 1975 से लगातार 12 प्रतिशत खर्चा हुआ, 1975 से न 12 प्रतिशत खर्चा हुआ न 8 प्रतिशत खर्चा हुआ, केवल आप उदाहरण देते रहे। जिन आदिवासियों की आप बात कर रहे हैं, इनके लिये जो कुछ पैसा आपने 5.4 प्रतिशत एलोकेशन किया उसका यूज भी आपने जिनके हाथ में दे रखा है वह ट्राइबल के लिये नहीं हो रहा है। राजस्थान का इतिहास लगातार इस बात का गवाह है। अगर आप आदिवासियों का सही रूप से उत्थान करना चाहते हैं, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप त्रिपुरा की तरह स्वायत्त आदिवासी जिला परिषद् बनाते। जितना पैसा आप अलाट करेंगे उस जिले में चुनी हुई आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद् के पास जाएगा। वह किस तरह से खर्च होगा, वे तय करेंगे और उसको लागू करेंगे। उसके एक-एक नये पैसे का उपयोग होगा। इस देश का, प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ कोई वर्ग है तो वह आदिवासी है। उसके कल्याण के लिये अगर हम सही रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति रखते हैं तो क्यों नहीं त्रिपुरा की तरह ट्राइबल सब प्लान के लिये 8 प्रतिशत हो, चाहे 12 प्रतिशत हो, उस पैसे का एलोकेशन करें ताकि उसका सदुपयोग हो? जब आदिवासियों की स्वायत्त जिला परिषद् का संविधान में प्रोविजन है, उसके अनुसार

(श्री अमराराम)

आप नहीं करेंगे तब तक जो कुछ भी पैसा बजट के माध्यम से जाता है उसका सदुपयोग नहीं होता है। अधिकारियों के हाथ में, ट्राइबल कमिश्नर के हाथ में पैसा जाता है। निश्चित रूप से आपने कमेटी के रूप में जन प्रतिनिधियों-एम.एल.एज. और दूसरे लोगों को भी शामिल कर रखा है, लेकिन प्रमुख रूप से खर्चा कौन करता है? ट्राइबल कमिश्नर करता है। आदिवासियों के विकास में जो पैसा जाता है, उसका सदुपयोग हो, योजना के अनुसार हो, यह वही अच्छी तरह जानता है। आदिवासी लोग चुनकर उसमें आएंगे, वे देखेंगे कि उस पैसे का किस तरह से उपयोग हो। कौनसे कार्य हैं जिनमें सही उपयोग होने से उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति किस तरह से बढ़ सकती है, यह कोई भी ट्राइबल कमिश्नर नहीं जान सकता है। जब तक पैसा खर्च करने का उनको अधिकार नहीं होगा, स्वायत्त परिषद् नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि हम केवल नारे देते रहे, केवल वोट की बात करते रहे, इससे न 55 साल में व्यवस्था सही रही और आने वाले 55 साल में भी हम आदिवासी को मुख्य धारा में शामिल नहीं कर पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि अकाल में सबसे ज्यादा मार उन पर पड़ती है। चाहे भूख से कह दीजिए, चाहे माल न्यूट्रिशन से कह दीजिए, वे मौत के मुंह में जाते हैं। आप देखिए, दलितों पर अत्याचार होता है, सरकार ने पैसा बढ़ाया है कि अगर किसी दलित की हत्या हो जाएगी तो उसको एक लाख रुपया दिया जाएगा। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 38 मारे गये और 10 लाख रुपये आपने दिया है। सवर्ण के द्वारा किसी भी दलित की हत्या हो जाएगी तो एक लाख रुपया मिलेगा, लेकिन आप पिछले दो साल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आज क्या हालत है। दलित महिला के साथ बलात्कार हो जाएगा तो उसकी सहायता के लिए एक लाख रुपये का प्रोविजन किया है। दो साल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कितनी दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई है, क्या उनको एक-एक लाख रुपया मिल गया? क्या वे लोग पकड़े गये? मेरे विधान सभा क्षेत्र लोसल में दो दिन पहले प्रेमपुरा की एक महिला और उसकी 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, दिन दहाड़े जीप में उठाकर ले गये, आज तक वे नहीं पकड़े गए। उनको क्या आर्थिक सहायता दे दी? 13 साल की बच्ची और उसकी भाभी के साथ दिन दहाड़े बलात्कार होता है, मुल्जिम नहीं पकड़े गये। निश्चित रूप से मुल्जिमों को नहीं पकड़ कर इस बात की छूट दी गयी कि अत्याचार करने वालों को इस बात का मौका मिले कि उनके परिवार को

(श्री अमराराम)

दबाया जा सके, समझौते के लिए तैयार किया जा सके, सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार किया जा सके। दलित अत्याचारों में धारा 3 के साथ धारा 4 का, राजस्थान में यह एक्ट लागू होने के बाद एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है राजस्थान में जिसने दलित अत्याचार के मामले को सही रूप से इंवेस्टीगेट करके अत्याचारियों को बचाने का काम नहीं किया? मंत्रीजी, आप उत्तर दें तब बता दें। मुझे अफसोस है, एक जिले में 38 केस हुए और 38 में से 36 में एफ.आर. लग गई। यह एक्ट लागू होने के बाद कोई भी डीवाई.एस.पी. से नीचे पुलिस अधिकारी इसकी तफतीश नहीं कर सकता, जिसमें धारा चार के अन्तर्गत सजा का प्रोविजन है, क्या राजस्थान में पुलिस का एक भी अधिकारी इसके लिए दोषी नहीं पाया गया? लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए। हम उदाहरण दे देते हैं कि अगर पुलिस के अफसर पर कार्यवाही करेंगे तो पुलिस का मनोबल गिर जाएगा। चाहे दलित का मनोबल गिर जाए, वह खड़ा होने लायक नहीं रहे, लेकिन पुलिस का मनोबल बनाए रखना है क्योंकि गैर कानूनी कार्य सत्ता में बैठे हुए लोगों को पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से कराना है। आप एक ही चिन्हित कर दीजिए, क्या आप नहीं कर सकते? 38 में से 36 पर एफ.आर. लगाने वाला इस काम के लिए दोषी नहीं है? क्या धारा 4 के तहत वह सजा पाने का हकदार नहीं है? लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि जो कुछ प्रोविजन किया जाता है वह केवल अखबारों में और कहने के लिए है, न कि उस पीड़ित तक पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय, कुटीर ज्योति योजना, क्या राजस्थान में सबको मिल गया? कुटीर ज्योति योजना में कनेक्शन, गरीब की झोपड़ी में 55 साल की आजादी के बाद एक बल्व जल जाए। जितना टारगेट रखते हैं वह पूरा नहीं होता। दलितों की बस्ती के विद्युतीकरण का चार साल में आप कोई भी एक साल बता दे कि कुटीर ज्योति योजना का एक दफा भी टारगेट पूरा किया हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार दलितों और आदिवासियों के कल्याण करने की केवल घोषणा करती है, इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान दलितों पर होने वाले अत्याचार में देश में नीचे से दूसरे नम्बर पर आता है। सबसे ऊपर राजस्थान और मध्य प्रदेश का नम्बर, इस देश में दलितों पर होने वाले अत्याचारों में राजस्थान का दूसरा नम्बर है, क्यों? बजट में सब कुछ प्रोविजन करने के बाद, उनके कल्याण की, उनको ऊपर उठाने की सब घोषणाएं करने के बाद राजस्थान की इस स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस सबसे बड़ी

(श्री अमराराम)

जिम्मेदार है। राजस्थान में 40 साल तक शासन में बैठे हुए हो गये, वोट लेकर गद्दी पर बैठकर मंत्री का पद सुशोभित करते हैं लेकिन उस गरीब को समाज में बराबरी पर लाने के लिए न सच्चा दिल न राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। भारतीय जनता पार्टी की तो होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए मेरा इस मांग के माध्यम से निवेदन है कि उस समाज के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर आपमें है तो उनके लिए कानून बनाकर उन्हें कानूनी हक दीजिए। जितना पैसा होता है, आदिवासी स्वायत्त परिषद् का गठन करके उनको पैसा खर्च करने का अधिकार दीजिए। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2003-2004 की अनुदान मांग संख्या-33 के समर्थन में मैं अपने विचार रख रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान को आजाद कराने के लिए 28 दिसम्बर, 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना करते समय यह पता नहीं था कि हिन्दुस्तान कब आजाद होगा। कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया तब जाकर हिन्दुस्तान आजाद हुआ। आजाद होने के बाद हिन्दुस्तान को लोकतंत्र के ढांचे में ढालने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकरजी ने संविधान की संरचना की, जिसको पूरे विश्व ने मान्यता प्रदान की। सदियों से शोषित दलित समाज के उत्थान के लिए, उसके शैक्षणिक उत्थान के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकरजी ने संविधान के अन्दर अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए 10 साल के आरक्षण का प्रावधान किया। सबको बराबर का, समानता का अधिकार रहे, उनके समाज के उत्थान के लिए प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरूजी ने फिर उसको 10 साल के लिए आगे बढ़ाया। अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण के लिए कांग्रेस की ही महान अन्तरराष्ट्रीय नेता स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जब देखा कि 10-10 साल का आरक्षण बढ़ाने के बावजूद भी अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उनका सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान नहीं हो पाया तो अन्तरराष्ट्रीय नेता इन्दिरा गांधी ने बड़े पैमाने पर अन्तरराष्ट्रीय सोच के अनुसार अनुसूचित जाति-जनजाति समाज को समानता का अधिकार देने के लिए सन् 1970 में, जो लगातार दलित समाज का शोषण कर रहे थे उन राजे-रजवाड़ों का प्रीवीपर्स समाप्त किया। राजे-रजवाड़ों का राज खतम कर दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

किया। समानता का अधिकार देने के लिए फिर अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को लगातार 10 साल का आरक्षण प्रदान किया गया।

इतना ही नहीं, उसके बाद स्वर्गीय श्री राजीव गांधीजी ने लोकतंत्र में इसकी सहभागिता बनी रहे इसके लिए वार्ड पंच के चुनाव के थ्री-टायर सिस्टम से लेकर जिला परिषद् और पंचायत समिति सदस्य तक अनुसूचित जाति-जनजाति का आरक्षण किया और लोकतंत्र के अन्दर अनुसूचित जाति-जनजाति की भागीदारी बनवायी। इतना ही नहीं, पंचायती राज के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके एस.सी., एस.टी. के लोगों की इसके अन्दर भागीदारी दी। राजीव गांधीजी ने और कांग्रेस पार्टी ने संविधान के अनुसार लोकतंत्र के अन्दर आम जनता को यह एहसास कराया कि महल में रहने वाले व्यक्ति का भी एक वोट लगता है और झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का भी एक वोट लगता है। वोट की बराबरी का हक कांग्रेस पार्टी ने दिया, स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने दिया, 18 साल के नौजवानों को अधिकार राजीव गांधी ने दिया।

इस तमाम परिकल्पना को साकार करते हुए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत जो अनुसूचित जाति, जनजाति के मसीहा हैं, उन्होंने सभी वर्गों के उत्थान के लिये, सबको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये, राजस्थान के अन्दर महिला आयोग का गठन किया, मानवाधिकार आयोग का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का गठन किया। इतना ही नहीं, विकलांग को सहारा देने के लिये, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिये निःशक्तजन आयोग का भी गठन किया। इसी क्रम के अन्दर राजस्थान की लोकप्रिय गहलोत सरकार ने 300 से अधिक कल्याणकारी फैसले करते हुए, राजस्थान के अन्दर प्रशासन शहरों के संग एक अभियान चलाया। अनुसूचित जाति-जनजाति सहित समाज के सभी वर्ग जो उनके अधिकारों से वंचित थे, चाहे वे गरीब व्यक्ति हों, चाहे कच्ची बस्ती के अन्दर निवास करने वाले व्यक्ति हों, उनके लिए 'प्रशासन गांव के संग' और 'प्रशासन शहरों के संग' एक अभियान की शुरूआत की। "प्रशासन शहरों के संग" के अन्दर कच्ची बस्ती में रहने वाले गरीब व्यक्ति को पट्टा देकर उसको स्वामित्व का प्रमाण-पत्र दिया गया। साथ में उसकी धर्म-पत्नी का नाम भी उसमें जोड़ा गया। जो बरसों से उसकी चिन्ता थी कि जो अनियमित रूप से मैं रह रहा हूं, कोई बुलडोजर चलाकर कहीं यह मकान ध्वस्त नहीं कर दे, उसके स्वामित्व का प्रमाण पत्र राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने दिया। उसको मानसिक प्रताड़ना से मुक्त

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

करवाया तो वह राजस्थान की गहलोत सरकार ने करवाया। "प्रशासन शहरों के संग" अभियान में अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निःशुल्क बनाया गया, निःशुल्क वितरित किया गया। गांव के अन्तिम छोर पर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति और शहर के अन्तिम छोर पर रहने वाला गरीब व्यक्ति, जो नागरिक अधिकार पत्र से वंचित थे, 'प्रशासन गांवों के संग' और 'प्रशासन शहरों के संग' का आयोजन करके उनके 40 वर्ष पुराने नामान्तरण भी बकाया थे, उनके नामान्तरण खोले गये, उनके सजरे खोले गये, उनके दाखिल खारिज खोले गये। इतना महत्वपूर्ण पुण्य का काम राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया, गांव के अन्तिम छोर पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति, अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति के हित के अन्दर किया। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की गहलोत सरकार ने वृद्धों के सम्मान के अन्दर पेंशन का फार्म भरवाया और जहां 175 रुपया पेंशन थी उसको बढ़ाकर 200 रुपये किया। 200 रुपये पेंशन करके वृद्धों के सम्मान में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी कदम राजस्थान की गहलोत सरकार ने उठाया। कैम्पों के अन्दर विधवा महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं और विकलांगों के भी पेंशन के फार्म भरे गये। उनको हाथों-हाथ पी.पी.ओ. जारी किये गये, हाथों-हाथ पेंशन भी स्वीकृत की गयी। इतना महत्वपूर्ण काम राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पुनीत काम करते हैं, हम बाबा रामदेवजी का नाम ले लेवें। उन्होंने विभिन्न प्रकार की समाज की कुरीतियों को मिटाया, लोक कल्याणकारी काम किये, इसलिये आज हम बाबा रामदेवजी को लोक देवता कहते हैं। तेजाजी महाराज, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों मिटायीं इसलिये तेजाजी महाराज को हम लोक देवता कहते हैं। हम देवनारायणजी भगवान को लोक देवता कहें। उसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर इतने सारे पुनीत कार्य किये, लोक कल्याणकारी 300 से अधिक फैसले किये, इसलिये राजस्थान की जनता और हम लोग आदरणीय अशोकजी गहलोत को राजस्थान का लोक देवता कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य करके बच्चे को साक्षर हम इसलिये करना चाह रहे हैं कि राजस्थान की लोकप्रिय सरकार के 300 से अधिक कल्याणकारी फैसलों का समुचित लाभ उस बच्चे को या उस परिवार को तब मिलेगा जब उसका बच्चा पढ़-लिखकर साक्षर हो जाएगा। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करते हुए बच्चे का बौद्धिक विकास करते हुए, उसका शारीरिक सौष्ठव करते हुए पूरे राजस्थन के गांवों, मंजरों और ढाणियों के अन्दर जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनके

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

अन्दर बच्चों को राष्ट्रीय पोषाहार योजना के अन्तर्गत मिड-डे मील घुघरी का वितरण किया जा रहा है, लापसी का वितरण किया जा रहा है जिससे इन बच्चों का बौद्धिक विकास हो रहा है और शरीर सौष्ठव हो रहा है ताकि आने वाले समय के लिये राजस्थान के वे बड़े अच्छे नागरिक बन सके, राजस्थान के लोक कल्याणकारी फैसलों के अन्दर उनकी भागीदारी बन सके। इस सोच के साथ में यह महत्वपूर्ण योजना राजस्थान की गहलोत सरकार चला रही है।

जब पढ़-लिखकर बच्चा नौजवान होता है, पैराटीचर के माध्यम से 10 हजार से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया। मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 20-20 दुकानें बनायी गयी हैं। आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में 20-20 लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है। अगर हम ग्राम पंचायत को पूरे राजस्थान के अन्दर जोड़ें तो कम से कम नहीं तो 2 लाख से ज्यादा बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है। शहरों के अन्दर जितने शिक्षित बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार प्रदान करने के लिये लाखों-लाखों गुमटियों का आबंटन किया गया है और आज राजस्थान के अन्दर चाहे शिक्षित बेरोजगार हों, गुमटियों का उनको पूरा लाभ मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर, सरकारें तो बहुत बनी हैं और आगे भी बनती रहेंगी, लेकिन वर्तमान राजस्थान की गहलोत सरकार ने पहली बार जीवन रक्षा की गारंटी दी है। हिन्दुस्तान के अन्दर 26 से ज्यादा प्रान्त हैं, यह योजना और कहीं नहीं है। जहां जीवन रक्षा की गारंटी राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने दी है, इसके माध्यम से 23 लाख मेडिकेयर रिलीफ कार्ड बांटे गये। उनकी जितनी भी रोजमर्रा की दवाइयां हैं, इस कार्ड के माध्यम से उनको निःशुल्क मिल रही हैं। चयनित परिवार का आदमी किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित हो, चाहे उसे अपने गुर्दे का प्रत्यारोपण कराना हो, चाहे वह टी.बी. का रोगी हो, चाहे व कैंसर का रोगी हो, चाहे उसका वाल्व बदलना हो, चाहे उसके हार्ट का बाइ-पास सर्जरी करानी हो, रुपये एक लाख लगे या 5 लाख लगे, राजस्थान की गहलोत सरकार उसकी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था करती है। इतना महत्वपूर्ण, इतना क्रान्तिकारी कदम उसके जीवन की रक्षा की गारंटी देते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता के लिये उठाया। जो व्यक्ति चयनित परिवार की परिभाषा में नहीं आता है लेकिन निर्धन परिवार है, जिसकी सालाना आय 24 हजार से कम है, वह चाहे किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित हो, उस व्यक्ति को भी मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से राजस्थान की

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

गहलोत सरकार 40 प्रतिशत की सहायता राशि मुहैया कराती है। इतना महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा की हम बात करते हैं उसमें सभी वर्गों के व्यक्ति शामिल हैं। गांव के अन्तिम छोर पर बैठा हुआ किसान जो खेत की मेड़ पर बैठा काम कर रहा है, उस व्यक्ति के यदि पूली का काम करते हुए एक अंगुली कट जाए तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 15 सौ रुपये आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। यदि खुदा न ख्वास्त पूली के अन्दर उसकी दो अंगुली कट जाएं, तो राजस्थन की गहलोत सरकार उसको 3 हजार रुपये मुआवजे के प्रदान करती है। आकस्मिक रूप से यदि उसका हाथ कट जाए, राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 6 हजार रुपये आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। उस किसान की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए राजस्थान के अन्दर तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 10 हजार रुपये आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। कोई किसान अपने खेत में काम करता हुआ, चाहे दवाई छिड़कता हुआ, चाहे अपने कुएं को बनाते होते हुए उसका कुआं घंस जाए, चाहे कृषि उपज मण्डी तक अपनी फसल को ले जाते हुए और लाते हुए यदि उसकी आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको 35 हजार रुपये मुआवजा देती है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा इंटरवीन कर रहा हूं। माननीय बाबूलालजी, यह जो सारे किसानों की योजना आप कह रहे हैं, ये तो शेखावत साहब की सरकार में मंजूर हो गयीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इंटरवीन क्यों कर रहे हैं, यह बताओ पहले?

श्री हीरासिंह चौहान : मैं इंटरवीन नहीं कर रहा हूं, यह तो पहले से कानून लागू है, वही लागू कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। आप बोलेंगे, आप मना कर देना, जब बोलो।

श्री हीरासिंह चौहान : यह गहलोत सरकार की उपलब्धि है क्या? नया कानून लागू किया है कोई?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो जब बोल लेना।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आप कह देना आपने किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो जब कह देना कि हमने किया। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर किसी भी किसान व्यक्ति की अगर अज्ञात वाहन से टक्कर हो जाए तो राजस्थान की गहलोत सरकार उसको तोषण निधि

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

के माध्यम से 25 हजार रुपये का आर्थिक मुआवजा देती है। इतना महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। सहकारी क्षेत्र के अन्दर जो सुगम क्रेडिट कार्ड बांटे गये हैं, कोई भी किसान व्यक्ति किसी भी पास वाली बैंक में जाकर उसके चारे के ऊपर या छोटीं-मोटीं जरूरत के सामाजिक कोई भी कार्य हों, उसके ऊपर वह जाकर पचास हजार रुपये तक का लोन ले सकता है। इतना महत्वपूर्ण काम राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के अन्दर छात्रावासों के भवन का निर्माण कार्य राजस्थान की गहलोत सरकार ने करवाया। गैर सरकारी 100 छात्रावासों के निर्माण का अनुदान भी वर्तमान बजट के अन्दर प्रदान करने का महत्वपूर्ण कदम अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के लिए उठाया गया। विकलांग दम्पती के विवाह के ऊपर जो पांच हजार रुपये की राशि थी उसको बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया। यह भी महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। उपाध्यक्ष महोदय, विश्व खाद्य परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र ने अपनी बाल विकास परियोजना हेतु निःशुल्क पोषाहार बन्द कर दिया उसके बावजूद भी राजस्थान की गहलोत सरकार अपने बलबूते पर अबोध बालक और कमजोर महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के कृषकों के 2486 कृषि कुओं को गहरा कराने का काम राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। उनके एनीकटों, वाटरशैड के निर्माण कार्य भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने स्वीकृत किये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच सौ से अधिक डीजल और विद्युत पम्प सैट क्रय करने के लिए उस पर अनुदान भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया, राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1800 अनुसूचित जाति के परिवारों के घरों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण का कार्य भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए 13 छात्रावासों का निर्माण भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है।

श्री उपाध्यक्ष : ये सीकर के सब माननीय सदस्य, कृपा करो हम पर। सीकर जिले की मीटिंग नहीं है, यह विधान सभा की मीटिंग है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चयनित परिवार के शिक्षित बेरोजगारों के लिए जहां मासिक भत्ता 300 रुपये किया है, इस बारे में मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको थोड़ा-सा और संशोधन कर दें कि अनुसूचित जाति, जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को भी भत्ता दिया जाए। यह

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

थोड़ा इसमें संशोधन और कर दें, मेरा निवेदन है आपके मार्फत कि अनुसूचित जाति व जनजाति के बेरोजगारों को भी मासिक भत्ता देने का प्रावधान किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मदरसों में शिक्षा का आधुनिकीकरण किया गया। कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां वक्फ सम्पत्तियों की देख-रेख हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। यह तमाम सामाजिक सुरक्षा की बात राजस्थान की गहलोत सरकार ने की है। महिला आयोग का गठन किया गया है। उसके अन्दर आप देखिये कि जहां कोई अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुआवजा मात्र पांच हजार मिलता था। राजस्थान की गहलोत सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए, महिला को सम्बल प्रदान करने के लिए, नारी के सम्मान के लिए, उस मुआवजे को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया। यह भी महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। महिलाएं जो आंगनबाड़ी के अन्दर मानदेय में काम करती थीं, उनका मानदेय पांच सौ रुपये से बढ़ाकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक हजार रुपये किया है और इससे महिला को सम्बल प्रदान किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी साथिन महिलाएं काम कर रही हैं उनका भी मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया और उसको संवैधानिक दर्जा राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया। साथ ही साथ यहां पर पांच सौ मदरसे खोलने का प्रावधान भी रखा गया। पांच सौ ही पैराटीचर्स उसमें लगाने का प्रावधान किया गया। मदरसों के अन्दर हिन्दी और गणित के विषय को अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही साथ हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए दो लाख रुपये का बीमे का भी प्रावधान राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां हम आरक्षण की बात करते हैं। पी.ई.टी. पी.एम.टी. के अन्दर जो आरक्षण 6 परसेंट और 8 परसेंट था...

श्री उपाध्यक्ष : इतना ही बहुत है, माननीय सदस्य, अब...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उसको दुगना करके राजस्थान की गहलोत सरकार ने 6 से 12 परसेंट और 8 से 16 परसेंट किया। ओ.बी.सी. के अन्दर 21 परसेंट आरक्षण किया। छात्रवृत्ति 300 रुपये थी उसको बढ़ाकर 675 रुपये किया। कई

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

छात्रावास खोले गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने सारे महत्वपूर्ण फैसले, लोक कल्याणकारी फैसले अनुसूचित जाति, जनजाति और तमाम वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने किये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां मजदूरी चालीस रुपये थी उसको पहले 44 रुपये और फिर 44 से भी आज 60 रुपये किया, इससे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को बड़ी ही राहत मिली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अन्दर किताबें खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण जो केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता था, माननीय मंत्रीजी, यह आजकल बन्द हो गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी पुनः मांग कर इसको चालू कराया जाए। राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति के समाज के अन्दर केन्द्र सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है कि उन्होंने इस योजना को बन्द कर दिया है। जब केन्द्र के अन्दर कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी तब यह योजना लागू थी, लेकिन जब से यह एन.डी.ए. की गवर्नमेंट आई है इस ब्याज को बन्द कर दिया गया । यह अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के खिलाफ फैसला किया गया। इसके लिए केन्द्र सरकार से आप मांग रखे। माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा सुझाव के रूप में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल मीणा। (अनुपस्थित) श्री नन्दलाल मीणा। प्लीज बिराजिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सुझाव के रूप में, उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारे सुझाव ही हैं, और क्या दिया फिर? आदेश थोड़े ही है, सुझाव ही है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 85वां संविधान संशोधन 16-4, 17-4-01 को लागू...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको थोड़ा लागू किया जाए। माननीय मंत्रीजी, यहां 60 हजार का जो एस.सी., एस.टी. का बैकलाग है उसको भरा जाए। एस.सी. आयोग का गठन किया गया है लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ, एस.सी. की वर्तमान आबादी के अनुपात के अन्दर हमारा आरक्षण कम पड़ रहा है, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को पचास परसेंट किया जाए। माननीय मंत्रीजी, आप सक्षम हैं, इसमें बहुत जोर-जोर से मांग उठाकर राजस्थान की वर्तमान आबादी के अनुपात में हमें आरक्षण दिलाया जाए।

श्री मदन दिलावर : यह क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : संत रविदासजी को, जहां केन्द्र सरकार उनकी ज़यन्ती दिवस मना रही है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय मंत्रीजी, उसके ऊपर आप थोड़ा-सा अवकाश घोषित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बाबूलालजी।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : राजस्थान में अनुसूचित जाति का मुख्य धन्धा चर्म उद्योग है उसको अपने यहां कर मुक्त किया जाए। चर्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ मैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बाबूलालजी, प्लीज आप, बिराजिए अब।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : एस.सी., एस.टी. का जो अत्याचार निवारण कानून हैं उसको और प्रभावी बनाया जाए। राजस्थान के अन्दर पहली बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपमानित करने वालों को उम्र कैद का महत्वपूर्ण फैसला, इससे हमारा आज न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है, इसको प्रभावी रूप से लागू किया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि इसको प्रभावी रूप से चालू करने के लिए पुलिस के द्वारा बिना अनुसंधान के, सीधे चालान पेश किया जाए क्योंकि अनुसंधान के समय उस अनुसूचित जाति के आदमी को दबा दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके अन्दर बिना अनुसंधान के ही सीधा चालान पेश किया जाए। जहां अपने स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत...

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलालजी।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : इस योजना के अन्तर्गत जो पचास परसेंट की राशि अनुसूचित जाति, जनजाति के वार्डों में लगाई जाती है, उसका भी भौतिक सत्यापन करवाया जाए कि वास्तव में वह काम अनुसूचित जाति, जनजाति की बस्तियों में हो रहा है या नहीं हो रहा है। माडा योजना के अन्तर्गत जो राशि है, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : साथ ही साथ मैस भत्ते की जो बढ़ोतरी है उसको आपने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलालजी, बिराजिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय मंत्रीजी, मैस भत्ता जो 975 है उसको बढ़ाकर कम से कम 2500 रुपये किया जाए ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति के

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

जो छात्र अध्ययनरत हैं उनको उसमें उनका बौद्धिक विकास हो सके, उनका शरीर स्वस्थ हो सके। उस पर विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। नहीं, आप बिराजिये। पहले बोलें उनका सबका ही आपने निपटा दिया, बिराजिये। बिराजिये प्लीज। पहले बोलते न, कौन रोक रहा था आपको? बिराजिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने सारे महत्वपूर्ण फैसल राजस्थान की गहलोत सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति समाज और सभी वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए किये, उसके लिए गहलोत सरकार के प्रति आभार और आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या–30 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग पर सदन में चर्चा चल रही है। इस चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए मैं सदन के सामने पिछले साढ़े चार वर्षों में शासन में बैठे लोगों के द्वारा जनजाति उप योजना क्षेत्र के साथ किस तरह से आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक खिलवाड़ किया गया है, उसको चित्रण करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1974–75 में जब राजस्थान में ट्राइबल सब प्लान एरिया बना उसके साथ ही संविधान की अनुसूची पांच के अन्तर्गत यह प्रावधान भी था कि जिन राज्यों में शिड्यूल्ड एरिया होगा उस शिड्यूल्ड एरिया में आने वाले विधायकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज सेवी संगठनों के द्वारा एक जनजाति परामर्शदात्री सहकारी समिति का गठन होगा। जनजाति परामर्शदात्री समिति उस विभाग की जड़ होती है। संविधान में यह प्रावधान किया गया कि उप योजना क्षेत्र में आने वाले दो तिहाई विधायक इसके सदस्य होंगे और राजनीति से ऊपर उठकर होंगे। इसके अतिरिक्त जनजाति विकास विभाग का मंत्री इस प्रभारी मंत्री होगा और वर्ष में कम से कम दो बार जनजाति परामर्शदात्री समिति की बैठक निश्चित रूप से होगी। इन वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, क्या कदम उठाये जाने हैं, क्या अनुसंधान के आधार पर और योजनाएं इस इलाके में लागू करनी हैं, इसके बारे में विचार विमर्श होता है। वर्ष 1998 के बाद, सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार राज्यपाल महोदय ने जो इस जनजाति परामर्शदात्री समिति के संरक्षक हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं माउंट आबू में, जो मैं आपको उद्धरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कहा है जनजाति क्षेत्रों में वनों की उपज पर जनजातियां सदियों से निर्भर रही हैं।

(श्री नन्दलाल मीणा)

महुआ के फूल, तेंदु पत्ता, जलाने की लकड़ी, जलाशयों में मछली आदि का उपयोग इनकी आजीविका के लिए, इनके लिये सदैव महत्वपूर्ण साधन रहा है। विगत वर्षों में विभिन्न वैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण जनजाति लोगों को इन संसाधनों के उपयोग में कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं। विभिन्न श्रेणी के माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस के लिये किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, कहां कानून में संशोधन किया जाए एवं कहां प्रशासनिक दिशा-निर्देशों में परिवर्तन किया जाए, जिससे जनजाति परिवारों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाया जा सके-संविधान पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये जब संशोधन किया गया था तो अनुसूचित क्षेत्र की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान के साथ लागू करने की व्यवस्था की गयी थी। दो वर्ष पूर्व जब राजस्थान विधान सभा में इस बाबत अधिनियम पारित हुआ तो उनके द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं के निराकरण की विशेष व्यवस्था की गयी थी। परन्तु मुझे जानकारी मिली है कि उस संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिये अभी तक आवश्यक नियम नहीं बनाये जा सके हैं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्षजी, महामहिम महोदय को उद्धरण किया जा रहा है। कृपया, जो कुछ महामहिम ने कहा है वह सही है, गलत है, इस पर माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं क्या?

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परामर्शदात्री समिति के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं,...

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ? एक मिनट। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने राज्य की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : राज्य नहीं, शिड्यूल्ड एरिया के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह : आप सुन तो लो। आप महामहिम के शब्दों को यहां उद्धृत कर रहे हैं, तो क्या सदन के माननीय सदस्यगणों के लिये वह खुल गया कि जो माननीय महामहिम ने कहा है वह गलत है? कोई कह सकता है गलत कहा, कोई कह सकता है सही कहा है। वे जो उद्धृत शब्द हैं या जो उनके विचार हैं, उसको डिबेट करने का विषय बनाया जा सकता है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट का विषय थोड़े ही बना रहे हैं, यह तो जो अखबारों में आया, वह पढ़ रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : वही तो है न। इसलिए कोई दूसरे माननीय सदस्यों को यह अधिकार होगा कि जो कुछ यहां कहा गया है, अखबारों में कहा गया है, माननीय महामहिम के माध्यम से कहा गया है, वह गलत कहा है, यह सही नहीं कहा? यह ओब्जर्वेशन सही नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : परामर्शदात्री समिति के सम्बन्ध में कहा है।

श्री शिवनाथ सिंह : इस प्रकार की बात को कहना माननीय सदस्यों के लिये छूट मिलेगी क्या?

श्री नन्दलाल मीणा : आपको, साहब इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। आप तो तकनीकी बात कहना चाहते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में क्या समाधान हो, किस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिये, इसकी ओर आप इंगित नहीं करना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब कहते हैं-"मैं परामर्शदात्री समिति के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे भी इस कानून को देखें और जनजाति क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिये किस प्रकार से नियम ज्यादा उपयुक्त होंगे, इसके बाबत शीघ्र सुझाव प्रस्तुत करें तथा मैं विभागीय मंत्रीजी से अपेक्षा करता हूं कि वह पंचायती राज मंत्री व मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करें एवं जनजाति परामर्शदात्री परिषद् द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखकर यथाशीघ्र नियम प्रचलित करा लेने की व्यवस्था करें।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 जून, 2001 को माउंट आबू में महामहिम राज्यपाल महोदय ने ये डायरेक्शन राज्य सरकार को और परामर्शदात्री समिति को दिये थे। मैं मंत्री महोदय से भी जानना चाहता हूं कि जब आप जवाब दें तब उसमें यह स्पष्ट करें कि महामहिम राज्यपाल महोदय के निर्देशों की आज तारीख तक किस स्तर पर पालना की जा चुकी है और नहीं की है तो उसके लिये कौन गुनहगार है। क्या आप हैं या आपके मुख्य मंत्रीजी हैं? या केवल ये ढिंढोरा पीटते रहे कि हम आदिवासियों के हमदर्द हैं? आगे, उपाध्यक्ष महोदय, एक शब्द और कहा है-"राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में खनिज सम्पत्तियों का विपुल भण्डार है। खनिज सम्पत्तियों का दोहन भी हो रहा है जिसके लिये वैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित है। क्या इस व्यवस्था के अधीन अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संविधान की भावना के अनुरूप आर्थिक विकास का अवसर प्राप्त हो रहा है? यदि नहीं तो प्रशासनिक व वैधानिक व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन की आवश्यकता है। आगे गम्भीरता से उन्होंने कहा है कि गत वर्ष जुलाई में राष्ट्रपति महोदय ने राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया था उसमें मैंने राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिये पूर्व वर्षों की

(श्री नन्दलाल मीणा)

व्यवस्था को संशोधित कर महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने की बात पुरजोर शब्दों में कही थी। विभाग द्वारा जो प्रतिवेदन मुझे उपलब्ध कराया गया है उसमें यह देखकर मुझे निराशा हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "निराशा" शब्द का उपयोग किया। गत वर्ष कोई बजट प्रावधान नहीं हुआ था। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के बजट में भी 320 करोड़ रुपये की तुलना में केवल 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मैं विभागीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि वे तत्काल इस बाबत मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करें एवं महाराष्ट्र प्रणाली प्रभावी ढंग से लागू हो, यह सुनिश्चित करावें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र प्रणाली लागू होने के साथ ही परामर्शदात्री परिषद् का दायित्व और बढ़ जाता है। विकास की गतिविधियों पर ठोस चर्चा एवं योजना के क्रियान्वयन आदि में परिषद् का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मुझे आशा है कि समायोजित रूप से चिन्तन कर अच्छी योजनाएं तैयार कर सकेंगे।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने परामर्शदात्री समिति के सामने अपने यह उद्‌गार व्यक्त किये थे कि राजस्थान की सरकार किस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास में उपेक्षा बरत रही है। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद पांच के अनुसार हर साल दो बार परामर्शदात्री समिति बैठनी चाहिये। सिद्धांततः सोशल इकोनोमिक सर्वे के आधार पर, मनोवैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सर्वे करता है उदयपुर में, उसके आधार पर कैसी योजनाओं की आवश्यकता है उनका निर्धारण जनजाति परामर्शदात्री समिति करती है। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि 1998 के बाद निर्धारित समय पर जनजाति परामर्शदात्री समिति की बैठकें नहीं हुई और अगर बैठकें हुई भी तो केवल औपचारिकता मात्र की थीं। अगर मान लो किसी मीटिंग में गम्भीरता ली गयी तो विभाग के अधिकारियों ने उनकी गम्भीरता को नहीं माना। जो कुछ भी निर्णय लिये थे समिति ने, उसके एक-दो उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उन्होंने किस रूप में कार्यवाही की? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शेष रहे अविद्युतीकृत सभी गांवों को दसवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकृत किये जाने हेतु एक कार्य योजना तैयार कर जनजाति विकास विभाग को प्रस्तुत की जाए। कार्य योजना में यह स्पष्ट लिखा जाए कि किन-किन गांवों को विद्युतीकृत विद्युत निगम स्वयं खर्चे पर करेगा तथा किन-किन गांवों के विद्युतीकरण हेतु जनजाति क्षेत्र विकास विभाग से राशि की आवश्यकता होगी। उप योजना क्षेत्रों में

(श्री नन्दलाल मीणा)

अधिकांश गांव बिखरे हुए अवस्थित हैं, अतः प्रस्ताव तैयार करते समय इस तथ्य का ध्यान रखा जाए कि गांव की समस्त आबादी को विद्युत उपलब्ध हो। उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही क्या की? कार्यवाही यह की है, पालना रिपोर्ट में लिखा है, कि अनुसूचित क्षेत्र में शेष अविद्युतीकृत गांवों को दसवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को विभाग के पत्रांक दिनांक 6.4.2002 द्वारा लिखा गया है। इसकी प्रति मुख्य अभियन्ता, उदयपुर को भी दी गयी है। पुनः 27.6.2002 को और 3.8.2002 को स्मरण पत्र जारी किये गये हैं। जिस प्रकार मुख्य मंत्री महोदय अकाल राहत के लिये केन्द्र सरकार को पत्र लिखते हैं उसी तरह जनजाति विकास विभाग के अधिकारी भी जनजाति की समस्याओं के समाधान के लिये सम्बन्धित विभाग को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की इतिश्री कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है, यह 19 अगस्त, 2002 को बैठक हुई थी उसका है-परिषद् की पूर्व बैठक में अनुसूचित क्षेत्र में पूर्ण नशाबंदी किये जाने बाबत निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय की क्रियान्विति हेतु शासन स्तर से प्रयास किये जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, अनुपालना में उत्तर यह मिला है कि अनुसूचित क्षेत्र के पूर्ण नशाबंदी किये जाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। राज्य सरकार से निर्णय प्राप्त होना शेष बताया है। विभाग द्वारा आबकारी विभाग को स्मरण पत्र और पुनः स्मरण पत्र, यही है। शासन स्तर पर अनुसूचित क्षेत्र में पूर्ण नशाबंदी किये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया था। आयुक्त, आबकारी विभाग के पत्र क्रमांक अगस्त, 2002, अनुसूचित जनजाति द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पुनः पत्र लिखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कई बिन्दु हैं जिनमें अनुपालना में केवल यह कहा गया है कि सम्बन्धित विभाग को स्मरण पत्र भेजा गया है, सम्बन्धित विभाग को रिमाइंडर दिया गया है। मतलब, जनजाति पदामर्शदात्री समिति की ग्राह्यता पर आज यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि इस समिति का उपयोग किया है। अगर इस समिति का उपयोग नहीं है तो संविधान का खुला उल्लंघन, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार,...हां फर्माइये, साहब।

श्री दयाराम परमार : माननीय सदस्य जब आप मंत्री थे और चेयरमैन थे और हमने बांसवाड़ा में परामर्शदात्री समिति में भी बैठ कर यह फैसला किया था कि नशाबंदी होना है, फिर आपके वक्त में क्यों बन्द कर दिया?

श्री नन्दलाल मीणा : हमारे बाद फिर आप आ गये हो न? उसमें क्या हो गया हमने निर्णय लिया था, आपने साढ़े चार वर्ष तक क्या किया?

श्री दयाराम परमार : आपको अपनी इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि परामर्शदात्री समिति सरकार को परामर्श दे सकती है, अपना फैसला लेकर एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इसका प्रतिफल क्या हो रहा है? आज सारे शिड्यूल्ड एरिया में कच्ची शराब निकाली जा रही है, उसमें यूरिया खाद डाला जा रहा है, बबूल की जड़ें डाली जा रही हैं, बैटरी के सैल डाले जा रहे हैं। उन लोगों की शकल आप कभी जालौर पधारते होंगे तो आपने देखी होगी। या तो वहां पर खुला कर दीजिये। मैंने तो स्वागत किया था उस दिन जब राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने यहां घोषणा की थी कि रजवाड़ों की बनने वाली जो शराब है उसको राजस्थान छूट देना चाहता है। उदयपुर की आशा बहुत बढ़िया बनती है। आपको मालूम है कि नहीं है? हां तो इस तरह की व्यवस्था करो न वहां। आप नशाबंदी लागू नहीं करने देना चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों के चंगुल में गांव-गांव में गैंग बनी हुई है। गांव का कोई भी गरीब आदमी वार-त्यौहार पर कच्ची शराब निकाल कर अपने मेहमानों की मनुहार करता है तो एक्साइज के डंडे, पुलिस के डंडों के अलावा उस ठेकेदार के डंडे भी उस पर पड़ते हैं। वह नहीं कर सकता है ऐसा। इस तरह से एक सामाजिक शिकंजे में उस सारे इलाके को इस नशाबंदी लागू नहीं होने की वजह से कर रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो महाराष्ट्र पैटर्न है, अभी मंत्री महोदय बता रहे थे कि महाराष्ट्र पैटर्न अलग है और ट्रायबल सब प्लान एरिया अलग है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि मंत्री महोदय इस प्रकार का कथन कैसे कर रहे हैं। 1976 से बराबर, मैंने बजट भाषण में भी आपके सामने निवेदन किया था कि महाराष्ट्र पैटर्न राजस्थान में लागू किया जाए, इसके लिए कई संगोष्ठियां हुई हैं, कई सेमीनार हुई हैं। कई मंत्रियों के, कई अधिकारियों के कई राज्यों के दौरे हुए हैं, मैं भी गया हूं। उसके बाद महाराष्ट्र पैटर्न जैसे आप बता रहे हो, उसमें तय यह था, पहले के बजट सत्र में भी मैंने कहा था कि आबादी के आधार पर पैसा होना चाहिए। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा आश्चर्य है कि महाराष्ट्र पैटर्न राजस्थान में लागू किया गया उसके बाद महाराष्ट्र पैटर्न की किस प्रकार इन्होंने धज्जियां उड़ायी हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र पैटर्न लागू होने के बाद 13 महकमे महत्वपूर्ण हैं, इन्होंने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र पैटर्न में राज्य मद का 8 प्रतिशत

(श्री नन्दलाल मीणा)

पैसा शिड्यूल्ड और ट्रायबल सब-प्लान एरिया के लिए ईयरमार्क किया जाएगा। परन्तु ये आंकड़े बनाते हैं कि 1998-99 में ट्रायबल सब-प्लान एरिया में 7.69 प्रतिशत का आबंटन किया। उपाध्यक्ष महोदय, खर्चा कितना हुआ, यह बाद की बात है। 1999-2000 में 7.18, 2000-2001 में 5.57, 2001-2002 में 4.80, 2002-2003 में 2.70 और 2003-2004 में प्रावधान है 2.76 करोड़ रुपये। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया, राजस्थान में उस दिन से महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने से पहले जो प्रावधान राजस्थान के बजट से ट्रायबल सब-प्लान एरिया के लिए होता था, बराबर घटता चला गया। इसका एक उदाहरण है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में वन और विद्युत बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनके आधार पर उनका विकास सम्भव है। वन विभाग में 1998-99 में 14.88 प्रतिशत का प्रावधान था जो 2000-2001 में 6.36 प्रतिशत हो गया, 2001-2002 में 6.31 प्रतिशत रखा गया, 2002-2003 में संशोधित 1.50 और आज की तारीख में 2003-2004 में वन विभाग पर .0095 प्रतिशत। आप कल तक तो यह कहते थे कि वन विभाग आदिवासियों का एक जीवन का ढांचा है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आपने लगातार इस महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने के बाद जो बजट प्रावधान में कटौती की है वह इस बात का सबूत है कि आदिवासियों को जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए उकसाया जा रहा है। उकसाया जा रहा है ताकि उन पर फर्जी मुकदमे बना कर उनको जेलों में ठूंसा जाए, उनको यातनाएं सहनी पड़ें दण्ड भुगतने के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बिजली है, आज की तारीख में आप यहां सदन में पधारते हो तो बगैर लिफ्ट तो आ ही नहीं सकते हो। कुछ लोगों को तो शौक हो गया लिफ्ट में बैठने का। जब मंत्री महोदय गांव में जाते हैं, इनके घर में तो बिजली पहुंच गयी है। लेकिन शिड्यूल्ड एरिया की स्थिति क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, वह आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। विद्युत विस्तार 1999-2000 में 4.93 प्रतिशत का था, 2000-2001 में 0 परसेंट, 2001-2002 में 0 परसेंट, 2002-2003 में 0 परसेंट और आज भी 0 परसेंट। एक भी पैसा जनजाति उप योजना क्षेत्र के लिए जनजाति विकास विभाग ने प्रावधान नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं आदिवासी क्षेत्रों में पहाड़ियों पर दूरदराज में एकल घर रहते हैं, अपने खेतों में घर बनाते हैं। मान लो, अगर वह कोटड़ा से गुजरात की सीमा में जाता है, पहाड़ों पर कच्चे मकान बने हुए हैं, उन झोपड़ियों पर भी

(श्री नन्दलाल मीणा)

दीये चल रहे हैं और राजस्थान की सीमा पर अंधेरा है। पहले हमारे शासन में आदिवासियों के जो कुएं पर 300 रुपये में कनेक्शन हो रहा था, इसकी डिमांड राशि जनजाति विकास विभाग जमा कराता था। वह भी बन्द कर दिया आज। इसका नतीजा यह है...

श्री नाथूराम अहारी : 300 में तो हम कह रहे थे।

श्री नन्दलाल मीणा : आज कौनसा बुखार हो गया आपको, अब क्यों बन्द कर दिया?

श्री नाथूराम अहारी : कहां बन्द किया है?

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड ट्राइब में मीणा, भील, गरासिया, डामोर, सहरिया और माडा क्षेत्र के लोग भी आते हैं। माडा क्षेत्र के आदिवासी जो अपने आपको मीणा कहते हैं वे आर्थिक दृष्टि से थोड़े सम्पन्न हैं। स्वाभाविक है कि मेवाड़ का इतिहास और जयपुर के इतिहास में फर्क है। मेवाड़ का इतिहास शूरवीरों का इतिहास है। उन्होंने घास की रोटी खाने के बावजूद भी गुलामी स्वीकार नहीं की और उसी का सम्बन्ध वहां के आदिवासी और महाराणा से है। तो आज स्वाभाविक है, कुछ पहाड़ी इलाकों में जोत कम है। जोत कम या जोत ज्यादा है या पढ़-लिखकर ज्यादा हो गये तो इसकी व्यवस्था, इसका समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्केल नम्बर एक से लेकर छह तक 45 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए और 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए शिड्यूल्ड एरिया के लिए किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, वार्ड ब्याय, पशु विभाग के

(13.00 बजे)

पशुधन सहायक आयुर्वेद के नर्स कमाउण्डर कनिष्ठ ग्रेड एवं शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षक/अनुदेशक ग्रेड-थर्ड तथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि अभी डेढ़ महीने से स्टेच्यू सर्किल पर एस.टी. के आयुर्वेद कम्पाउण्डर धरने पर बैठे हुए हैं। 45 प्रतिशत आरक्षण एस.टी. एरिये के लिए आयुर्वेद का आलरेडी है, स्केल नम्बर एक से लेकर छह तक है, परन्तु अब तक वहां किसी को नियुक्ति नहीं दी गयी तो गरीब आदिवासी बच्चे जिनको जनजाति विकास विभाग ने प्रशिक्षण देने का खर्चा उठाया, उनको छात्रवृत्तियां दीं...

श्री राधेश्याम गंगानगर (आयुर्वेद राज्य मंत्री) : ट्राइब्स का बैकलाग था

(श्री नन्दलाल मीणा)

उसको भर दिया गया है, शायद यह आपकी जानकारी में नहीं है, और अनुपात से ज्यादा ले लिये गये हैं। यह पहला मौका है जब से भारत आजाद हुआ है।

श्री नन्दलाल मीणा : परसों एस.सी. और एस.टी. कर्मचारी संघ की बैठक हुई थी उन्होंने यह बताया है कि साठ हजार एस.टी. और एस.सी. का बैकलाग है, राधेश्यामजी गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपने आयुर्वेद की बात की है उसका मैंने उत्तर दिया है आपको।

श्री नन्दलाल मीणा : आयुर्वेद का कोई जवाब नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड एरिया में जो भर्तियां हुई हैं उनमें बहुत बड़ी विसंगति है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिला पूरा, चित्तौड़गढ़ जिले का प्रतापगढ़ उपखण्ड और उदयपुर का धरियावाद, सलूम्बर, सराड़ा, खैरवाड़ा, कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुन्दा, फलासिया, इत्यादि सारा इलाका है और बाकी नान ट्राइबल सब प्लान एरिया में है, वहां का 45 प्रतिशत आरक्षण किस आधार पर तय किया जाए जो अब तक नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय, यदि आपने कर लिया है तो मुझे आप बताइये कि पुलिस विभाग में 1998-99 के बाद जो भर्ती हुई थी उसमें 45 प्रतिशत के आरक्षण की पालना हुई या नहीं हुई? तो फिर आप टुकर-टुकर क्या देख रहे हो? इसके बजाय तो इस्तीफा देकर चलो, वहां चुनाव में समय नजदीक आ गया है उसकी तैयारी करेंगे। झण्डी और बण्डी पहनने से काम नहीं चलने वाला है। झण्डियां लगेंगी और बण्डियां उत्तरेंगी यदि सही ढंग से काम करोगे तो बची रह सकती हैं। (व्यवधान) आपकी भी बण्डी उतरेगी, आप चुप रहो। यह प्लाटों का मामला नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आयुर्वेद को भेजना पड़ेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज की तारीख में शिक्षा के क्षेत्र में जो विस्तार ट्राइबल सब प्लान एरिये में हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि संतोषप्रद है। 1977 में भी मुझे जनजाति विकास विभाग देखने का मौका मिला था। जब इलाके में घूमता था तो कम से कम दो-दो, तीन-तीन किलो दरखास्तें स्कूल खोलने के लिए आती थीं। काम के बदले अनाज योजना के माध्यम से स्कूल भवन बने। गुलाब चन्दजी कटारिया और शेखावत साहब के निर्देशन में हर पंचायत मुख्यालय पर मिडल स्कूल्स उपलब्ध करवाये गये। उसके बाद छात्रावासों की स्थिति जो आज है...(व्यवधान) चिकित्सा में तो पूछो ही मत, बेड़ा पार कर दिया इन्होंने। कुछ ही पंचायत मुख्यालय छूटे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में जो आज की तारीख में

(श्री नन्दलाल मीणा)

शिक्षा में फर्क है, स्त्री शिक्षा और पुरुष शिक्षा, मुझे बड़ी शंका इस बात की है कि दस साल के बाद आदिवासी समाज में शिक्षा की दृष्टि से असमानता होगी और शिक्षा की असमानता के कारण सामाजिक ढांचा चरमरा जाएगा। लड़कियों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि धरियावाद तहसील में आश्रम छात्रावास में 305 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनमें से केवल 70 छात्राएं पढ़ती हैं। सवाईमाधोपुर और यहां पर क्या हो रहा है? जैसे किरोड़ी लालजी ने दूसरी शादी कर ली, आपने भी दूसरी शादी कर ली, नाथूरामजी ने तीसरी शादी कर ली...(व्यवधान) यही तो कह रहा हूं मैं। इसका कारण यह नहीं है।

श्री शंकर लाल अहारी : मैंने नहीं की है।

श्री नन्दलाल मीणा : आप तो आप ही हैं।

श्री श्रवण कुमार : आप वहां सुधार करें। आप पढ़े-लिखे नेता हो। छोटी लड़कियों की शादी कर देते हैं, सुधारो आप। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : मैं इसीलिए कह रहा हूं। आने वाले समय में यह स्थिति मिलेगी।

श्री श्रवण कुमार : माननीय पूर्व मंत्रीजी, आपके वहां समाज में असमानता है, छोटी लड़कियों की शादी कर देते हैं इसलिए सुधार करो आप। उसके बाद समानता आएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रवण कुमारजी, इनका आपसी मामला है, आप काहे को बीच में पड़ रहे हो?

श्री नन्दलाल मीणा : मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि जितने छात्रावास छात्रों के लिए हैं उसके अनुपात में छात्राओं के लिए नहीं है। साढ़े चार वर्ष में तो आपने एक भी नहीं खोला है और जो सोलह छात्रावास मैंने खोले थे उनका आपने साढ़े चार वर्ष में भवन भी तैयार नहीं करवाया। इसके लिए तो आपको धन्यवाद, परन्तु भविष्य में अगर आप खोल सकते हैं छह महीने में, छह महीने तो हैं नहीं, तीन महीने ही बाकी हैं, उसके बाद तो प्रतिबन्ध लग जाएगा। (व्यवधान) खोल दिए तो इस अनुपात में खोलो कि बालिकाएं अधिक से अधिक पढ़ें, वरना सवाईमाधोपुर साइड में बचपन में शादी हो जाती है। लड़का पढ़ता रहता है, लड़की अनपढ़ होती है। वह घर में गोबर का और रसोई का काम करती है और लड़के को पता लगता है कि जयपुर में हालत ठीक है; यहां लव मैरिज कर लेता है। (व्यवधान) मंत्री महोदय नहीं कर सकते क्या? (व्यवधान) कर सकने की बात कह रहा हूं मैं तो। आरोप थोड़े ही लगा रहा हूं। ऐसी स्थिति है। एक और ऐसी योजना है।

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट बात कह दी आपने।

श्री नन्दलाल मीणा : लास्ट है, साहब। मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलते हो इसीलिए बुलवा रहा हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं तो मिथ्या बातें करता ही नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ट्राइबल सब प्लान एरिया में आदिवासी बच्चों को स्वरोजगार के लिए जो योजना चलायी थी मैंने, इन्होंने सब बन्द कर दीं। आज की तारीख में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, जयपुर से लेकर चले जाइये अहमदाबाद तक, मुम्बई तक, इस नेशनल हाई-वे पर हर जगह ढाबे हैं, उदयपुर में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, हमने कोशिश की थी वहां पर कि आठवीं पास, नवीं पास, दसवीं पास को तिमाही प्रशिक्षण देकर छोटे-छोटे ढाबे पर आराम से नौकरी मिल सकती है। रोजगार की आवश्यकता है इन लोगों को। ऐसे प्रशिक्षण शिविर आप लोगों ने बन्द कर दिये।

श्री दयाराम परमार : नहीं बन्द किये।

श्री नन्दलाल मीणा : कितनी संख्या बढ़ायी? बीस थे, तीस किये क्या?

श्री दयाराम परमार : बीस हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : बीस तो हमने की थी, तीस की क्या आपने?

श्री दयाराम परमार : नहीं।

श्री नन्दलाल मीणा : कुछ नहीं बढ़ाया। उपाध्यक्ष महोदय, नर्सिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम बांसवाड़ा में चल रहा था उसको बन्द कर दिया गया। धात्री कल्प प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा था उसको बन्द कर दिया गया। कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र बन्द कर दिया गया। डूंगरपुर में स्वीडिश और इंटरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी (सीडा) के द्वारा जो संस्थाएं चलायी जा रही थीं भूमि विकास परियोजना की, उनको भी बन्द कर दिया गया। इस तरह से कई योजनाएं बन्द कर दी गयीं। जो आई.टी.आई. का प्रशिक्षण केन्द्र था कोटड़ा का, मंत्री महोदय, आपको पता है, शिक्षा का क्या स्तर है कोटड़ा में? आज की तारीख में कोटड़ा सबसे ज्यादा अकाल से प्रभावित है। कोटड़ा में आदिवासियों को प्रशिक्षण देने के लिए आई.टी.आई. खोला था उसके भी इन्होंने ताला लगा दिया। चार वर्ष से आई.टी.आई. बन्द है और कारण क्या बताया? कि लड़के उपलब्ध नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक बार तो इन्होंने यहां तक बता दिया कि चपरासी के लिए जनजाति के योग्य व्यक्ति नहीं मिले। चपरासी के लिए भी योग्यता जनजाति का 55 वर्ष की आजादी के बाद क्वालिफाई नहीं करता है तो आपको और हमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मंत्री महोदय। इस तरीके का जवाब विभाग के द्वारा लिखा हुआ आता है, यह हम सबके लिए शर्मनाक है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले कौन डूबेगा? आप या ये?

श्री नन्दलाल मीणा : पहले वह डूबेंगे क्योंकि हमारा तो आठ वर्ष का टाइम है और इनका 45 वर्ष का टाइम है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं, इस आदिवासी इलाके में लगभग 10-15 हजार आदिवासी कृषक जंगलात की जमीन पर काबिज हैं। 1990-91 में एक समिति का गठन किया था उसमें मैं भी मैम्बर था, हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी मैम्बर थे। हमने दिशा-निर्देश तय किये थे कि आदिवासी क्षेत्र में जो लोग भूमि पर काबिज हैं उनको बेदखल नहीं किया जाए, उनका नियमन किया जाए। परन्तु राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछले चार वर्षों में राजस्थान में वन भूमि पर काबिज आदिवासियों का पक्ष भारत सरकार के सामने प्रबलता से प्रस्तुत नहीं किया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया कि जंगलात की जमीन पर जो काबिज हैं उनको बेदखल किया जाए। मंत्री महोदय, यह कहना नहीं चाहिए कि जनजाति सहकारी निगम में मच्छियां क्या भाव बिक रही हैं, गोंद क्या भाव बिक रहा है, उसका विपणन क्या हो रहा है। उसको छोड़ो, सलाहकार समिति में वे मुद्दे लो आज की तारीख में 55 लाख राजस्थान के आदिवासी जिनसे प्रभावित हो रहे हैं। उसके बजाय एजेंडा आपके सामने रख देते हैं कि जयसंमद झील में चाइना मच्छी डाली जाए या कौनसी दूसरी डाली जाए। कैम्प की मीटिंग जयसमंद झील पर रखी जाए या कहीं और रखी जाए। इस तरह की प्रवृत्ति के बजाय इस जंगलात की समस्या के बारे में, मंत्री महोदय, मेरा व्यक्तिगत आग्रह है। मैंने भी काफी प्रयास किया है, आपको भी गम्भीरता से इसका प्रयास करना होगा, वरना इतिहास पुनरावृत्ति नहीं करने देगा और जब आप जाओगे तो जिस प्रकार से फुटबाल की किकें पड़ती हैं उसी प्रकार से आपके और हमारे होंगी। इसलिए इससे निपटने की कोशिश करो। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री दयाराम परमार (जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, फ़ोरेस्ट में जो कब्जे की बातें हैं, जो आदेश हुए थे उसके अन्तर्गत यह था कि जिनके रिकार्डेड कब्जे हैं उनको रैगुलराइज करने के लिए सिफारिश की जाए। अगर आपने उसको गम्भीरता से देखा हो तो तीस और चालीस प्रतिशत लोगों का रिकार्डेड कब्जा है, बाकी के वर्षों से लोग वहां जमे हुए हैं उनका साठ परसेंट लोगों का किसी भी तरह का रिकार्डेड कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर चालीस परसेंट लोगों को रैगुलराइज कर दिया तो साठ परसेंट लोगों को वहां जंगल से निकालने की कार्यवाही हो जाएगी। तब आपका और हमारा फिर ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए

(श्री दयाराम परमार)

जो बात हम उठा रहे हैं उसे उठाना चाहिए, लेकिन यह नहीं कि वहां पर जो ज़ंगल में बसे हैं, चालीस प्रतिशत लोगों को तो रैगुलराइज कर दिया जाए और अन्य लोगों को उठाने की कार्यवाही। इस कदम को उठाने के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाए, इस पर हमें सोच कर हर जगह इस कदम को उठाना चाहिए, यही मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मधु दाधीच।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री महोदय को इसकी पूरी जानकारी नहीं है या करने की कोशिश नहीं की। इसमें यह था, अगर उसके पास कोई डाकूमेंट मिल जाए तो वह उसके लिए बहुत बड़ा प्रूफ बनेगा। हमने जिलावाइज कमेटी बनाई थी, मौके पर जाकर कमेटी अगर यह वैरीफाई करती है कि इनके कब्जे वहां के चाहे तो कुआं है चाहे पेड़ है, यह कहते हैं कि अस्सी के पहले के कब्जे हैं तो उसको भी रैगुलराइज किया जा सकता है। आपके ध्यान में अधूरी बात है और इसके आधार पर हुआ है।

श्री दयाराम परमार : माननीय विपक्ष के नेता, मेरे को आपसे बहुत ज्यादा जानकारी है इसलिए कि मैं खुद जंगल में बसा हुआ हूं। आप यह कह रहे हो कि वहां मौके पर जितने हमारे तहसील में कब्जे थे, सब जगह मैं मीटिंगों में गया हूं लेकिन फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास जो गाइड लाइन दी हुई है, रिकार्डेड कब्जे से बाहर हम नहीं जा सकते हैं। अब वे रिकार्डेड से बाहर नहीं जा सकते तो दूसरे की सिफारिश करके कहां से लें? (व्यवधान) इसलिए आपको वह रिकार्ड देखना चाहिए। आप उदयपुर शहर में रहते हो और मेरे से कहते हो कि आपको जंगल की जानकारी नहीं है। मेरे से ज्यादा जानकारी आपको जंगल की नहीं हो सकती है और आदिवासियों की समस्या की जानकारी भी आपको नहीं हो सकती है। आप कभी-कभी गलत बयान कर जाते हैं। जो आदमी जंगल में रहता है, मेरा घर देखा है आपने, मैं जंगल में रहता हूं और उस जंगल में रहने वाले आदमी को कह दो कि आपको जंगल की जानकारी नहीं है, ऐसे बयान मत करो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप जंगल में रहते जरूर हैं, पर आप दस-बीस किलोमीटर में घूमे होंगे और मैं पूरे 200 किलोमीटर घूमा हूं।

श्री दयाराम परमार : नहीं, नहीं, यह फिर गलत है आपकी...(व्यवधान) आप कहें, दस-बीस किलोमीटर तो मैं घूमा और आपने पूरा जिला घूम लिया, यह बहुत गलत फर्मा रहे हैं आप।

श्री नन्दलाल मीणा : और वह भी रात-रात में घूमे होंगे आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय के दिमाग में केवल गहतफहमी है। एक दिन आप और मैं दोनों कार में बैठे जाते हैं और इस ट्राइबल एरिये में घूमते हैं, अगर लोग नाम से आपको पहचान लें या मुझे पहचान लें तो बता देना कि मैं उस एरिये में घूमा हूं।

श्री दयाराम परमार : यह आपको बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं ट्राइबल एरिया का लीडर हूं। यूं समझ रहे हो तो यह भ्रम आपके दिमाग से निकाल दीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : खैरवाड़ा के पास कोई जानता ही नहीं है।

श्री दयाराम परमार : अगर इसका ज्यादा आपको घमण्ड है तो उसका मतदान करवा लीजिए ट्राइबल एरिया में ट्राइबलों से। अगर आपका वोट मेरे से एक भी ज्यादा आ जाए, राजनीति में संन्यास ले लूंगा। इसकी व्यवस्था कराओ, मतदान करा दो और एक वोट मेरे से ज्यादा आ गया तो मैं राजनीति में संन्यास ले लूंगा, कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चलो, अबके बुला ही दूंगा मैं।

श्री दयाराम परमार : इस तरह से धमकी देकर नेता बनना चाहो तो नहीं बनने देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे पास यह सारा रिकार्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुद्दे पर आइए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं। इसके पहले भी हमने अपनी सरकार के समय में इस कमेटी के द्वारा सारे केस बनवाये थे, मौके की रिपोर्ट के आधार पर, जिनके कब्जे अस्सी के पहले प्रमाणित हुए वह केस बनाकर ऐसे पांच हजार केस केन्द्र सरकार को भेजे थे। कमेटी ने जाकर मौके पर देखकर वैरीफाई जिसका किया वे सारे केस गये और उसमें से लगभग आधे केस फाइनल होकर भी आये। कृपा करके आप अपने विभाग से यह जानकारी कर लेना कि पिछली सरकार के समय में मौके के आधार पर कितने केस रैगुलराइज हुए जिनको यह माना कि इनका कब्जा पुराना है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। श्रीमती मधु दाधीच।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे। इसके बाद आप बोलेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : बोलेंगे क्या साहब, हमें राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रगति प्रतिवेदन नहीं मिला है, उसके वगैर हम कैसे उन तथ्यों के ऊपर आएंगे?

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह तो कम से कम आप मदद कीजिए कि इसके ऊपर आज 33 और 30 पर चर्चा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। सैक्रेटेरिएट में आया नहीं तो कहां से उपलब्ध कराएं?

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो कमजोरी है न विधान सभा सचिवालय की।

श्री उपाध्यक्ष : है जो है।

श्री देवीसिंह भाटी : किसको सुनाएं यह दास्तां?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा को लाचार मत बनाओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मधु दाधीच। गवर्नमेंट को डाइरेक्शन देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधान सभा के अन्दर प्रगति प्रतिवेदन नहीं आएगा तो कहां आएगा? माननीय सदस्य ने सही बात उठाई है। आप इस विधान सभा को बनाना क्या चाहते हो, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : विधान सभा को विधान सभा बनाना चाहते हैं। बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक तरफ तो विधायकों की परीक्षा हो रही है यहां और दूसरी तरफ यहां प्रगति प्रतिवेदन नहीं आते।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मधु दाधीच, बोलिये।

श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-30 एवं 33 पर पूरे सदन के अन्दर चर्चा हो रही है। जब हिन्दुस्तान की आजादी का संघर्ष किया जा रहा था उस समय भी कांग्रेस ने जो अपने सिद्धान्त प्रतिपादित किये थे उसमें प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा के दायित्व का निर्वहन करते हुए समाजवादी समाज की परिकल्पना का सिद्धान्त सामने रखते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया उसके अन्दर भी किस प्रकार से सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, कर्तव्यों के साथ-साथ अधिकारों की बात कहते हुए संविधान की रचना की गयी। जैसे-जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, पूरे देश के विकास की बात आयी। प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक वर्ग का और प्रत्येक नागरिक का सम्पूर्ण रूप से विकास हो

(13.17 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

यही पंचवर्षीय योजनाओं का मूल मकसद रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना उसके बाद वार्षिक योजनाओं के माध्यम से जैसा कि हमारे साथी ने यहां बताया था इन्दिराजी ने सम्पूर्ण राष्ट्र और उसके प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार का अस्तित्व, उसके अन्दर एक सीलिंग कानून भी लगाया था, प्रीवीपर्स की बात भी आयी

(श्रीमती मधु दाधीच)

थी, मजबूती से उसको लागू किया था। देश को एक दिशा दी थी। उन्हीं सिद्धान्तों को सामने रखते हुए राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व के अन्दर जब से कामकाज सम्भाला, इन्हीं सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणत किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के मापदण्डों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो, उस के तहत महिला आयोग का गठन किया गया, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गयी, मुख्य मंत्री रोजगार योजनाएं संचालित की गयीं। नि:शक्तजनों के लिए आयोग की स्थापना की गयी, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग का गठन किया गया। इन आयोगों के माध्यम से कितने ही लोगों को सहायता प्राप्त हुई।

पूरे राजस्थान के अन्दर एक गरीब वर्ग का व्यक्ति, बी.पी.एल. परिवार का सदस्य या कम आय वर्ग का सदस्य जो एक असाध्य रोग से पीड़ित हो, यदि उसका हृदय का वाल्व खराब हो गया है या कोई बहुत ही असाध्य रोग हो गया है जिसके ऊपर उसको लाखों रुपया खर्च करना है तो यह कल्पना कर ली जाती थी कि उसकी मौत निश्चित है। लेकिन मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना के बाद कितने ही लोगों का इस प्रकार से इलाज किया गया, उनको जीवनदान प्रदान किया गया। नि:शक्तजन आयोग के माध्यम से हमारे क्षेत्र में भी अनेक कितने लोगों को ट्राय-साइकिल्स दी गयीं, सहायता प्रदान की गयी।

हम जो यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की बात करते हैं तो सम्पूर्ण मांग के अन्दर माडा, बिखरी जातियां और सहरिया जाति भी आती हैं। अभी बात हो रही थी कि गाड़ियां लुहारों के लिये कुछ नहीं किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र की अरनिया जोशी ग्राम पंचायत में, मड्डा में और चित्तौड़ में अहिंसा नगर हाईवे के ऊपर बसा हुआ है, जिसमें गाड़िया लुहारों के जितने भी परिवारजन हैं उनको मुफ्त पट्टे और मकान बनाने के लिये सहयोग दिया गया है। वहां गाड़िया लुहारों की एक कालोनी है, अरनिया जोशी में गाड़िया लुहारों को मुफ्त पट्टे देकर बसाया गया। मड्डा हाईवे के अन्दर...

श्री नन्दलाल मीणा : मैडम, गाड़िया लुहारों के छात्रावास का क्या हुआ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्रीमती मधु दाधीच : इस प्रकार उनको बसाकर सहायता दी गयी। जो हमेशा गाड़ी लेकर घूमते रहते थे, मेवाड़ के अन्दर उनको जीवन बसर करने के लिये जमीनें प्रदान की गयीं। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गयी, उनको

(श्रीमती मधु दाधीच)

सहायता और अनुदान प्रदान किये गये कि वे अपना जीवनयापन कर सकें।

वर्तमान सरकार ने महिला रिजर्वेशन में 30 परसेंट की बात कही है, महिलाओं को उसके ऊपर गर्व है। उसके अन्तर्गत विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता देकर चेतना प्रदान की गयी कि उनकी सुरक्षा करने के लिये सरकार हर कदम पर उनके साथ है।

ट्राइबल एरिया डवलपमेंट और माडा जैसा कि माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि जिन क्षेत्रों में अच्छी भूमि है उन्हें माडा में लिया गया है। आपका एरिया टाडा में आता है, मेरा माडा में आता है, वर्तमान सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाकर मेरे माडा क्षेत्र की 9 पंचायतों में जमीन का अलाटमेंट करके उनको जीवन का सहारा दिया।

अकाल को विकास में बदलने का जो नारा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दिया उसके अन्दर प्रतिदिन अकाल राहत के माध्यम से अधिकांश आदिवासी पंचायतों में काम चालू हुए। सियाखेड़ी तालाब, अम्बावली में, काला पानी तालाब, जम्मू तलाई में कार्य प्रारम्भ किये गये। रोजगार के साथ साथ उनकी शक्ति का सहयोग लेकर ऐसी निधियां, धरोहर पूरे राज्य प्रदान की गयीं। आदिवासी अंचल में जो पानी व्यर्थ बहकर चला जाता था, उस पानी को वहीं संचित करके किस प्रकार वे काश्त कर सकते हैं, अपना जीवन सफल बना सकते हैं, ऐसी धरोहर प्रदान की गयी।

जनजाति क्षेत्र के अन्दर आज सबसे ज्यादा देनदारियां हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा कार्य किये गये हैं और वह कांग्रेस के खाते में आता है। माही बजाज सागर परियोजना, जाखम परियोजना कांग्रेस की देन है। बांसवाड़ा क्षेत्र में माही डैम, जाखम परियोजना कांग्रेस की देन है। वहां पानी संचित करके बड़े बांध बनाकर वे लोग भी खेती की मूलधारा में जुड़ें, अच्छी तरह से अपना विकास कर सकें, उन्नत कृषि को अपना सकें, यह मूलधारा का सोपान कांग्रेस के माध्यम से किया गया। वर्तमान सरकार ने जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 2003 तक 19.13 लाख रुपये व्यय किये, 232 डीजल पम्प सैट्स का इनके बीच में वितरण किया। 2003-2004 में भी इस पर 33.75 लाख रुपये व्यय किये जाने हैं, 350 डीजल पम्प सैट्स का वितरण किया जाना है। निश्चित ही इसकी प्रशंसा की जानी चाहिये। जनजाति क्षेत्रों के लिये 2003-2004 में 5993.92 लाख का प्रावधान किया गया। सम्पूर्ण जनजाति क्षेत्र के अन्दर, माडा के अन्तर्गत सहरिया जाति और बिखरी हुई जातियों के विकास के लिये एक संकल्प प्रतिपादित किया है उसमें छात्रावासों और पिछड़े क्षेत्र के लोगों

(श्रीमती मधु दाधीच)

के लिये एक बड़ी अनूठी योजना हमारे यहां चल रही है। प्रतिभावान छात्रों को आर.ए.एस. की तैयारी के लिये, डिग्री की तैयारी के लिये कोचिंग इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। चित्तौड़ में भी चल रहा है, उसमें छात्राएं भी आ रही हैं। निश्चित ही हम उसका स्वागत करते हैं।

जनजाति क्षेत्र में मूल समस्या बिजली की है। वर्तमान सरकार ने मजरों के विद्युतीकरण के नाम से ट्राइबल सैक्टर के द्वारा बिजली कम्पनी को पैसे प्रदान किये हैं। मेरे यहां हुआ, सियाखेड़ी में हुआ है, कालाकोट में हुआ है, मजरों का विद्युतीकरण किया है। आदिवासी क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे छोटे मजरे जो दूर-दूर तक बसे हुए रहते हैं, उन्होंने कभी बिजली नहीं देखी, उनमें बिजली पहुंचाकर विद्युतीकरण किया है, आदिवासीजन निश्चित इस सरकार का धन्यवाद मानते हैं।

चार साल तक राजस्थान सरकार ने अकाल से जूझते हुए भी यह संकल्प रखा कि विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाए, उसी रूप में आज हमारे माडा क्षेत्र के अन्दर आदिवासीजनों के लिये सड़कों के माध्यम से, एनीकट्स के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उन क्षेत्रों का विकास करने का प्रयास किया है। आदिवासीजन निश्चित ही आन्तरिक हृदय से स्वागत करते हैं।

राजीव गांधी पाठशाला-आदिवासी अंचल के छोटे छोटे मजरों के अन्दर शिक्षा को किस प्रकार हम प्रसारित कर सकें। आदिवासी जो दूर अंचल में फैले रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, पठारों में रहते हैं, शिक्षा उनके पास छूकर भी नहीं गयी थी, राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से शिक्षा का हमने प्रसार किया। आदिवासी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया, उनके बच्चों में शिक्षा पहुंची। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा सहयोगी योजना के माध्यम से शिक्षा के साथ उनको जोड़ने का हमने प्रयास किया। यह एक दूरगामी सोच है, दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है कि उनके बीच में शिक्षा प्रसारित कर हम उन लोगों को शिक्षित कर भविष्य में समाज के साथ जोड़ सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के लिये एक मांग करने जा रही हूं। मेरे क्षेत्र की 9 पंचायतें टाडा में तो नहीं आती लेकिन माडा में आती हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर बहुत विकास किया है। माडा क्षेत्र में पानी बड़े बड़े नालों, पठारी नालों में व्यर्थ में बहकर आगे बढ़ जाता है, हम चाहते हैं कि आदिवासी अंचल का ही विकास हो और वहां उन पठारी नालों को रोक करके हम एनीकट्स बना सकें। जिन्हें अभी अलाटमेंट हुआ है, उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमीनों का अलाटमेंट हुआ, वे किसी तरह से उस जमीन की पैदावार का फायदा ले

(श्रीमती मधु दाधीच)

सकेंगे। यदि उनका पानी उनके पास में होगा। इसमें आंभाझर एनीकट, जम्बू तलाई एनीकट, चंडी माता एनीकट, और जो फारेस्ट के अन्दर तो कहलाता है लेकिन आदिवासियों की गंगा काफी लम्बे समय से कहा जाता है पंडेरिया बांध, उसका प्रारूप तैयार करके उसका निर्माण करके आदिवासियों के लिए उनकी गंगा उन्हें प्रदान करके सहयोग प्रदान करेंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवीसिंहजी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : आपका धन्यवाद।

श्री सभापति : पहले ही दे दिया?

श्री देवीसिंह भाटी : थोड़ा संकट तो हो गया, मैंने निवेदन कर दिया था। आज हम मांग संख्या-30 और 33 पर चर्चा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बहस हो तो हमारे सामने तथ्य आते हैं।

श्री सभापति : आप तो बिना तथ्य के ही बहुत रोचक कर देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बात को सही तरीके से रखा जा सकता था।

सभापति महोदय, समाज के कल्याण की बात हमारे भारतीय समाज में बहुत सुन्दर तरीके से संविधान निर्माताओं ने जनता के सामने रखी। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। मैं न तो किसी के खिलाफ व्यक्तिगत, न कोई वर्ग, न कोई राजनीतिक पार्टी के खिलाफ ऐसी बात रखना चाहता। कुछ बात है तो बात तो कहनी चाहिए, वह मैं प्रयास करूंगा। कृपया कोई इसे अन्यथा ना ले।

यह बात सही है कि आरक्षण की व्यवस्था के समय स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात रखी थी कि ऐसे जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा में आप अवसर प्रदान करेंगे। विद्यालय हों, पाठ्य पुस्तकों हों, उनके रहने के लिए हास्टल हों। जब वह पढ़-लिख ले तो निश्चित रूप से वह दूसरे के सामने आकर, बराबर आकर खड़ा हो जाएगा। वह नहीं किया गया। किया यह गया कि जिस राजनीतिक दल को राज में आना था, वर्षों तक कायम रहे इसके लिए एक व्यवस्था कर दी कि हम हरिजन और आदिवासी के लिए राजनीतिक क्षेत्र, राजकीय सेवा और शिक्षा में भी आरक्षण करते हैं। मैं मानता हूं कि यह बहुत जरूरी था कि पहले दस-बीस वर्ष तक राजनीतिक क्षेत्रों में, राजनीति पदों पर आरक्षण की व्यवस्था करते, पर हर क्षेत्र में किया। सत्ताधारी दल ने यह सोच लिया कि यह जो हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है इसका असर तो थोड़े

(श्री देवीसिंह भाटी)

दिन ही रहेगा, वोट बैंक डवलप करो और उसके कारण एक प्रकार से हरिजनों को और आदिवासियों को बंधुआ मजदूर की तरह बांध कर रख लिया जो न बोल सके। उसे चुनाव के समय काम में लो और उसके बाद में एक किनारे डाल दो। उसी का परिणाम है कि हम आज 50 वर्ष बाद भी देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में एस.सी., एस.टी. का आरक्षण है लेकिन कुछेक लोग ही इसका प्रसाद खा रहे हैं, बाकी वही दूसरे आदमी का मैला झाड़ू का प्रयोग करते हुए सर पर ढोता है। वही दयनीय स्थिति में जीवन-यापन कर रहा है। यह प्रश्न उठता है हमारे सामने, जब हम अलग-अलग कमरों में बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, निजी चर्चा करते हैं, कि इसमें बदलाव होना चाहिए। बार-बार एक व्यक्ति विशेष को और उसके परिवार को भी लाभ क्यों मिले? इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। कहते सब हैं, पर जहां बाहर आकर कहना हो तब हम चुप हो जाते हैं क्योंकि वोट का सवाल खड़ा हो जाता है। मेरा अनुरोध इतना ही है कि जो बात है उसको हमें साफ मन से सबके सामने, इस व्यवस्था के सामने लाना चाहिए। विचार होगा, मंथन होगा, बहस होगी और उससे हम सही परिणति पर, सही स्थिति पर पहुंचेंगे।

आज मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हरिजन वर्ग की क्या स्थिति बनी है। जैसा मैंने बताया, कुछ ही लोग इस राजनीतिक क्षेत्र, राजकीय सेवा और शिक्षा के सारे प्रसाद को ले रहे हैं। इसे ताईद किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2000-2001 के प्रतिवेदन ने इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है। यह पेज नम्बर 25 पर इन्होंने बताया है, 1999 में जो परीक्षाएं हुई हैं उसके बारे में है। अनुसूचित जाति के कुल 307 अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक 37.13 प्रतिशत जयपुर जिले के निवासी थे। पूरे राजस्थान में से जयपुर के 37 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जनजाति के कुल 232 अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक 77.16 प्रतिशत जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर जिले के निवासी थे। अब इसी में और आगे बताया है, हरिजन वर्ग के लिए मुख्य राजकीय सेवाओं में जातिगत योगदान का विश्लेषण यह दर्शाता है कि अनुसूचित जाति के बलाई, खटीक, बैरवा, रैगर, मेघवाल, जाटव, चमार, कोली जाति का प्रतिनिधित्व 80 प्रतिशत रहा है। यह स्थिति बताती है कि इस हरिजन में कौन है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति हम मानते आये हैं, देखते हैं और आज भी है, वह जो वाल्मीकि, वह जो स्वच्छकार, वह जो मेहतर है, जो दूसरों का मैला ढोता है, उसका कहीं भी स्थान आज के दिन नहीं बन पाया है पचास साल में। क्या एक प्रयास नहीं हो सकता है कि इनके लिए हम अलग से व्यवस्था करें? जिनको यह अवसर नहीं मिल रहा है क्या उनके

(श्री देवीसिंह भाटी)

लिए हम आगे विभाजन इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं कि बिलकुल कमजोर हैं उनका हिस्सा अलग कर दें? उससे थोड़ा ठीक है उसका हिस्सा अलग कर दें? उससे थोड़ा ठीक है उसका हिस्सा अलग कर दें?

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सभापति महोदय, मैला ढोने की कुप्रथा को राजस्थान में गहलोत सरकार ने बन्द करवा दिया है। उस पर नियम भी लागू हो गया है। माननीय सदस्य को मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, वरिष्ठ सहयोगी हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया है। नायक जाति है, उसका कहीं मेम्बर नहीं। आज सांसी, कंजर, हिन्दू ढोली का कहीं भी अवसर नहीं आ रहा है। इनको अवसर कैसे मिलेगा? पचास साल में तो हम नहीं दे पाये। क्या कोई आने वाले 200 साल के बाद में गारंटी तो लेता है? जो अपने पैर मजबूत कर लेंगे इस राजनीतिक, राजकीय सेवा और शिक्षा में, तो वे इसके बाद में इस हालत में हो जाएंगे कि दूसरों को उसके ऊपर नजर तक नहीं डालने देंगे। हिस्सा पांती कहां लेने देंगे? क्या इसके ऊपर हमें विचार नहीं करना चाहिए? मंत्री महोदय, अगर आप कुछ सोचते हैं तो इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। यह व्यवस्था तो कर ही सकते हैं कि एक व्यक्ति को जब लाभ मिल गया हो राजकीय सेवा, शिक्षा के अन्दर था डाक्टर, इंजीनियर बन जाए या राजनीतिक क्षेत्र में आकर वह उस रिजर्व सीट पर अवसर ले ले तो उसकी पत्नी और उसकी औलाद पर पाबंदी लगे। मेरी बात गलत हो तो कृपया बीच में मुझे टोक सकते हैं, पर नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वह अवसर हमें मिल गया न, इसलिए हम ही लेते रहे। यदि यह कर दिया जाए, तो इसमें काफी कुछ सुधार हो सकता है। आज ऐसी एक क्लास खड़ी हो गयी है, हम सब देखते हैं और चर्चा करते हैं कि फलां वह आई.ए.एस. अधिकारी है, फलां वह आई.पी.एस. है, फलां वह नेता हैं, फलां वह डाक्टर है, उसी एक ही परिवार में से, एक बाप की औलाद में से तीन-तीन, चार-चार वरिष्ठ अधिकारी हैं। यह कौनसी क्लास खड़ी हो रही है? आज स्थिति यह बन गई है कि जो इस क्लास में ऊंचे स्तर पर पहुंच गये हैं वे अपने बराबर अपने दूसरे भाई को नहीं बैठने देते, उसके साथ खाना, उठना, बैठना पसन्द नहीं करते। यह कौनसी नई क्लास खड़ी कर रहे हैं? इस पर आप अगर विचार करें तो निश्चित तौर पर इस वर्ग का भला हो सकता है। नहीं तो आने वाले समय में हम किसी भी स्थिति में इन लोगों को बराबर आने का अवसर प्रदान नहीं कर पाएंगे।

(श्री देवीसिंह भाटी)

सभापति महोदय, और यही स्थिति आदिवासी क्षेत्रों की है। आदिवासियों ने मानव जीवन तो धारण कर लिया पर वे वन्य जीवों की तरह आज भी जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें अवसर दिया गया है संविधान के तहत राजकीय सेवा, शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में निश्चित तौर पर उनके अपने क्षेत्र हैं, संख्या बल है, सीटें उनकी हैं, आरक्षण का लाभ मिल रहा है लेकिन राजकीय सेवा के अन्दर, शिक्षा के अन्दर, ऋण के अन्दर, और जो भी अवसर हैं, वह प्रसाद कोई और ही खा रहा है।

सभापति महोदय, जैसा मैंने बताया, यह पी.एस.सी. की रिपोर्ट है, उसी में उल्लेख है। जैसा मैंने पहले कहा था, मैं रिपीट करना चाहूंगा, कि अनुसूचित जनजाति के कुल 232 अभ्यर्थी, 77.16 प्रतिशत कुछेक जिलों के जो मैंने बताये थे उसमें हिस्सा जा रहा है और आगे इन्होंने बताया है कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 1999 की परीक्षा में जो बैठे थे-226 उसमें आये मीणा जाति के, 4 आये भील, 1 आया नायक, 1 धानका अब यह क्या दर्शाता है? आंकड़े हमारे सामने हैं, वस्तुस्थिति हमारे सामने है तो इसमें कहां भेद है? हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। कम से कम जिसके लिए यह हिस्सा है उसकी कभी तो उसमें हिस्सा पांती हो। वह भी अवसर प्राप्त करे, वह बराबर आकर खड़ा हो। उसके सारे अवसर खतम? आप इसमें दो भाग कर दीजिए, चाहे आप क्षेत्रवार कर दीजिए, कि दक्षिण प्रदेश में रहता है उसका हिस्सा इतना है, 50 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, जनसंख्या के आधार पर दूसरे जो क्षेत्र हैं उनके लिए अलग हिस्सा हो जाए। गलत है इसमें? यह भी कोई बात करता नहीं। अगर हम यह कर दें तो निश्चित तौर पर वह आदिवासी जिसके लिए अलग से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं से जो भौतिक उपलब्धि आप गिनाते हैं, इससे लाभ नहीं होगा, उसको सम्मानित जिन्दगी जीने का अवसर तो दो। मात्र कर दिया कि एक से छह के बीच में, चपरासी कोई दूसरा नहीं बनेगा, कम्पाउण्डर नहीं बनेगा। दूसरे अवसर भी तो उसके लिए किये गये हैं, वे भी तो अवसर उसे मिले। लेकिन वह भी नहीं।

मैं अभी देखकर आया, आवासीय हास्टल बना हुआ है आसपुर में, बहुत बड़ा हास्टल बना है, पता नहीं कितने रुपए लगाए हैं। अब उसके अन्दर आपने कह दिया कि विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होते तो वह अवसर दूसरे क्षेत्र के लोग ले रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान के अन्दर आपने यह व्यवस्था की है, उन आदिवासी लोगों के लिए और पूर्वी जिलों के लोग वहां आकर इसका लाभ उठा रहे हैं। अब कोई बहुत कमजोर है, दूसरा थोड़ा सक्षम आ

(श्री देवीसिंह भाटी)

जाता है तो उसको न जीने देता है, न बोलने देता है, न बराबर बैठने देता है। इसके लिए कोई व्यवस्था हो जाए। मंत्री महोदय, अभी सलूम्बर के अन्दर आदिवासी वर्ग के लिए पैट्रोल पम्प की वांट्स निकली, उसमें भी दूसरे क्षेत्र वाले ले गये। यह तो आपकी जानकारी में है? यह क्या हो रहा है? वहां कोई भी वह अवसर नहीं ले सकता? नहीं दौड़ सकता दूसरा बराबर, कोई स्प्रिंटर हो। वह धीरे-धीरे खड़ा हो सकता है, उसका अवसर इस प्रकार से मत छीनने दो। अगर इस पर भी कुछ चर्चा कर लें, मंत्री महोदय, चर्चा तो चलाओ, आज तो कोई फैसला होने वाला नहीं है, बात खुली हो, होने दीजिए।

अब दूसरी स्थिति विकट हो गई है। कृपया इसको अन्यथा न लें आदिवासी भाई। अभी हम गये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में। हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, चितंक हैं, समाज सुधारक हैं, बहुत सोच समझकर किया होगा, लेकिन इस बात के ऊपर विचार तो करते कि भूरिया कमीशन की आपने रिपोर्ट लागू की। मंत्री महोदय, डूंगरपुर में 65 प्रतिशत आदिवासी, बाकी गैर आदिवासी, बांसवाड़ा में 74 प्रतिशत आदिवासी, बाकी गैर आदिवासी, लेकिन जिन्दगी भर अब कोई भी गैर आदिवासी वहां पर सरपंच भी नहीं बन सकेगा। यह कैसी व्यवस्था है? क्या यह देश हमारा नहीं है? (व्यवधान) एक मिनट, मुझे बोलने दो। एक मिनट मुझे पूरा करने दो। अधूरा बीच में नहीं, प्लीज। प्लीज मैं कम्प्लीट कर दूं। मैं इस पैराग्राफ को पूरा कर दूं।

श्री दयाराम परमार : मैं इसका स्पष्टीकरण दे दूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, अभी तो इंटरवीन करने वाली कोई बात इन्होंने कही नहीं। बाद में कह देना आप।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं इसमें थोड़ा सा खुलासा कर दूं, आप इसमें कीजिए, आदिवासियों के लिए हम चाहते हैं कि अवसर मिले, सरपंच वह बने, प्रधान वह बने, प्रमुख वह बने, लेकिन...

श्री दयाराम परमार : माननीय सभापति महोदय,...

श्री देवीसिंह भाटी : ठहरो, बीच में नहीं। बीच में नहीं प्लीज। मंत्री महोदय, मुझे कम्प्लीट करने दीजिए।

श्री दयाराम परमार : मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : यह कोई बात थोड़े ही हुई। नो, नो, नो। मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, मुझे पूरा करने दीजिए बात, उसके बाद आप बोल लेना।

सभापति महोदय, मेरा इतना ही अनुरोध है कि संख्या के आधार पर संविधान के तहत यह है कि सबको समान

(श्री देवीसिंह भाटी)

अधिकार, अवसर मिले इस देश के अन्दर जो भी नागरिक हैं। इन दोनों जिलों में करीब पांच-पांच प्रतिशत हरिजन हैं, उनका कोई हिस्सा नहीं। इन पदों के ऊपर ओ.बी.सी. के लिए हमने व्यवस्था की, ओ.बी.सी. के लिए कोई हिस्सा नहीं। इसमें और जो दूसरे वर्ग हैं, उनका भी कोई लेना-देना नहीं है। यह सही है कि वहां वार्ड पंच रोटेशन से वे बन सकते हैं, पंच पंचायत समिति के डाइरेक्टर बन सकते हैं लेकिन यह व्यवस्था है इस धरती की। हमें अपने आदमी के ऊपर विश्वास रहता है, हमारे समाज का जो आदमी बैठा है, हमारी कोई व्यथा हो, पीड़ा हो, न्याय नहीं मिल रहा हो तो उसको हम जाकर कह सकते हैं कि सरपंच साहब, हमारी पैरवी करके हमें थोड़ा न्याय तो दिलाने की कोशिश करो। इन पदों के ऊपर उसका कोई पैरोकार नहीं, इससे तो हमारा पाकिस्तान ठीक है कि जो वहां पर अमरकोट है, वहां एम.एल.ए., एम.पी. और हिन्दू मिनिस्टर हैं। फीजी और मारीशस के अन्दर हिन्दुस्तानी प्रधानमंत्री है लेकिन इस देश में सरपंच नहीं बन सकते डूंगरपुर और बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में। साहब, कुछ हिस्सा तो होना चाहिए। बाई रोटेशन तय करो। इसमें यदि कोई गलत बात मैंने कही हो तो कृपया आप फर्मा दें।

श्री सभापति : आपने खतम कर लिया क्या?

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, नहीं। बीच-बीच में खड़े हो रहे थे इसलिए। मैं खड़ा हूं।

श्री दयाराम परमार : एक मिनट, बीच में कुछ मुझे क्लीयर करना था।

श्री देवीसिंह भाटी : नो, नो, सभापति महोदय जैसा फर्माएंगे।

श्री दयाराम परमार : एक मिनट, मैं निवेदन कर दूं, साहब?

श्री सभापति : हां, फर्माओ आप।

श्री दयाराम परमार : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो फर्मा रहे हैं वह बात बिलकुल सही है, लेकिन भूरिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने जो संविधान अमेंडमेंट करके भेजा, उस समय उसमें यह शर्त थी कि एक साल तक, इस तारीख तक पूरा हो जाने के बाद में यह जैसा है वैसा का वैसा इफेक्टेड हो जाएगा। बीच में तब आप लोग सरकार में थे, उस अमेंडमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया और नहीं हुआ। हम सरकार में आये तब वह तारीख पूरी हो गई। हमारे सामने उसको जैसा था वैसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बात को जैसा आप कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। जितनी भी संख्या में हैं हमारे भाई, चाहे वे किसी भी जाति के हैं, हम उनके बीच में रहते हैं। मैंने उस समय यह विरोध किया था कि हमारा आपसी भाईचारा है, उसको बिगाड़ने के

(श्री दयाराम परमार)

लिए इस तरह से लागू किया जा रहा है तो हमें इसका विरोध करना चाहिए। तत्कालीन पंचायती राज मंत्री सी.पी. जोशीजी ने कहा कि तारीख निकल गयी, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भाइयों ने कहा कि हाई कोर्ट में चले जाएं।

श्री देवीसिंह भाटी : वह बात सही है। वह विवाद कहां है?

श्री दयाराम परमार : तो हमारा उसमें...

श्री देवीसिंह भाटी : इस विवाद का अपन अभी कोई फैसला करने वाले नहीं है।

श्री दयाराम परमार : अभी यह कहीं से अमेंडमेंट होकर आता है तो, गुजरात सरकार ने समय रहते हुए उनके प्रस्ताव को जिस तरह से ट्राइबल पापुलेशन थी उसके आधार पर लागू किया।

श्री देवीसिंह भाटी : प्रकृति ने हमें बुद्धि और बोलने के लिए जबान दी है, हम जो महसूस करते हैं We should express ourselves. हम अपनी बात नहीं करेंगे, जैसा महसूस करेंगे? कोई आज फैसला नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा महसूस किया है, मैंने शुरू में कहा कि हमारे उच्च पदों पर बैठे नेता, समाज सुधारक, नीतिगत निर्णय लेने वाले अच्छे लोगों ने यह फैसला किया, गलत नहीं है। लेकिन उसमें एक बिन्दू है, जिसका मेरे खयाल में आप भी विरोध नहीं करेंगे। जैसी आपने भावना व्यक्त की है, यही बात मैं कह रहा हूं कि अगर उचित प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर, चाहे बाइ रोटेशन हो, तो इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी में आगे मैं फिर दुबारा एक बात कह रहा हूं। मैं किसी भी जाति, वर्ग, राजनैतिक पार्टी के विरुद्ध मेरे विचार प्रकट नहीं करना चाहता, मैं बात में बात कहूंगा, मैं अपने तरीके से कहूंगा।

श्री सभापति : यह बार-बार आप कह रहे हो न, यह शंका पैदा करती है।

श्री देवीसिंह भाटी : पहले से यह बात यहां चल रही थी कि आपको यह पता नहीं...(व्यवधान) ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, इसी प्रकार हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, समाज सुधारकों ने, चिन्तकों ने पिछड़े वर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से मण्डल आयोग के तहत आरक्षण की व्यवस्था की, बहुत सुन्दर किया। पहली बार ऐसे जो मजदूर पेशा वर्ग थे, जो अपने पेट की कमाई के लिए रात और दिन लगे रहते थे-माली, खाती, कुम्हार, नाई, दर्जी, सुनार, लुहार, रैबारी, इनके लिए यह व्यवस्था की, बहुत अच्छा किया। सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपने उस नाम से किया, ठीक है, पर अब इसमें बाधाएं इतनी डाल दी

(श्री देवीसिंह भाटी)

हैं कि एस.सी. के लिए आरक्षण एस.टी. के लिए आरक्षण, ओ.बी.सी. का 49 परसेंट आपने कर दिया। और यह भी है कि अभी केन्द्र में नयी सरकार बनी थी तब भी राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि हम इसमें 10 से 15 प्रतिशत आरक्षण का परसेंटेज और बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। केन्द्र सरकार की तरफ से कहा, यह भी होगा। हमारा यह कहना है कि जो उपेक्षित वर्ग है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्दिरा साहनी के केस में कहा था कि जो गरीब होगा वह निश्चित तौर पर पिछड़ा होगा। आर्थिक आधार पर नहीं कहा, लेकिन जो गरीब होगा, जो मजदूरी के लिए भटक रहा है, जो रिक्शा पुलर है, जो पत्थर तोड़ने वाला है, जो लैण्डलेस लेबर है वो गरीब है। जाति के ऊपर कहीं भी हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, यह एक सुविधा है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए जाति के आधार पर कर दिया। वो वर्ग जो मजदूरी के लिए भटक रहा है क्या वो इसका पात्र नहीं होना चाहिए? अब इसमें मैं अगर सीधी बात करता हूं, आज यदि जरूरतमंद भले ही ब्राहण है, राजपूत है, वैश्य है, कायस्थ है, हिन्दू सिंधी है, अरोड़ा खत्री है, पठान है, शेख है, बोहरा है क्या वो जरूरतमंद जो मजदूरी के लिए भटक रहा है वो इसका पात्र नहीं होगा? लेकिन हमने ऐसा बांधकर रख दिया है कि राजनैतिक पदों के ऊपर भी उसका प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है। राजकीय सेवा और शिक्षा में भी और तो और, इनके अलावा हमने अकाल राहत कार्यों में भी आरक्षण लागू कर दिया। अकाल राहत कार्यों पर कौन लगेगा? पहले एस.सी., एस.टी., फिर ओ.बी.सी. तब कहीं मस्टररोल पर सिर पर मिट्टी ढोने में नम्बर आता है। यह दयनीय स्थिति क्यों ला रहे हैं? हमने हर शहर और कस्बे में आजकल देखा है सुबह-सुबह मजदूरों की मण्डी लगती है। 10-15 किलोमीटर के दायरे से गांवों से लोग आते हैं मजदूरी लगने के लिए। आधों को मजदूरी मिलती है और आधे वापस चले जाते हैं। क्या स्थिति लाना चाहते हैं?

इस गरीबी के कारण से आंध्र, उड़ीसा में मां-बाप अपने कलेजे के टुकड़े को बेचने लग गये हैं 20-20, 50-50 हजार में कि एक बच्चे को बेच दूं तो बाकी परिवार तो पालन-पोषण कर लूं। यह स्थिति क्यों होने जा रही है और क्यों होने दे रहे हैं? क्या जो जरूरतमंद हैं उनको इस आरक्षण के लाभ का अवसर नहीं मिलना चाहिए? देवीसिंह भाटी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे भी इसमें प्रावधान है क्रीमीलेयर का, लेकिन मेरे समाज में जो मजदूरी के लिए भटक रहा है, क्या वह अपने बच्चों को शिक्षा

(श्री देवीसिंह भाटी)

दिला सकता है? जो गुजरात गया, पंजाब गया उसके लिए क्या व्यवस्था नहीं हो? मेरा इसमें निवेदन यह है कि इस पर विचार करना चाहिए। इसमें नीतिगत फैसला हमारी दो बड़ी राजनैतिक पार्टियां हैं कांग्रेस और बी.जे.पी., उन्होंने भी कर लिया। अभी हाल ही में यू.पी. में विधान सभा के चुनाव हुए थे, उसमें दोनों ने अपने अपने घोषणा-पत्र में यह लागू करने का वादा किया है। राजनाथ सिंह मुख्य मंत्री थे, उन्होंने तो लागू कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। लेकिन जब दोनों राजनैतिक पार्टियों का यह सोच है, वादा है देश की जनता को, तो यह राजस्थान में लागू क्यों नहीं किया? क्या वे राजनैतिक पार्टियां यहां अलग अस्तित्व रखती हैं? मेरा अनुरोध है कि उन्होंने यू.पी. में निर्णय लिया है तो यहां भी निश्चित तौर पर लागू किया जाना चाहिए। यहां भी हमारे प्रदेश के दो बड़े नेता अलग-अलग पार्टियों के हैं, कांग्रेस के हमारी सरकार के अशोक गहलोतजी मुख्य मंत्री हैं, हम साढ़े तीन साल से सड़कों के ऊपर लाखों की संख्या में लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन तब नहीं बोले। लेकिन अब शायद चुनाव नजदीक देखकर उन्होंने भी अपने होंठ खोल दिये कि ऐसे उपेक्षित वर्ग को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले तो कोई एतराज नहीं। ठीक बात है, लेकिन फैसला केन्द्र करे, क्योंकि इसमें राजनीतिक का एक अलग पुट है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आप कराओ तो करा दो फैसला, नहीं तो हम करा देंगे जल्दी।

श्री देवीसिंह भाटी : जी, जी, बहुत अच्छा, हम तो आपकी आस पर बैठे हैं। इसी प्रकार से बी.जे.पी. की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे, उन्होंने भी यह बात कही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले तो इसमें हमें एतराज नहीं है। जब दोनों ही राजनैतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता यह बात मानते हैं तब निर्णय करने में कहां दिक्कत आ रही है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा।

श्री अमराराम (धोद) : एतराज तो है नहीं, लागू करेंगे नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : हां, यह बात है। एतराज तो है नहीं, लागू करेंगे नहीं।

डा. करण सिंह यादव : भाटी साहब, वसुंधराजी ने अब कहा है, अशोक गहलोत तो पिछले चार साल से यह बात कह रहे हैं, पांच साल से कह रहे हैं कि इकोनोमिक क्राइटेरिया के आधार पर 10 परसेंट आरक्षण हो। लेकिन यह लागू तो केन्द्र सरकार ही करेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : नो, नो। यहां राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है वह काहे के लिए है? यह उसके लिए है। खैर, एक अलग बात है, केन्द्र करे

(श्री देवीसिंह भाटी)

या ये करें। केन्द्र का आयोग अलग है, यहां के लिए राज्य आयोग अलग बना हुआ है।

डा. करण सिंह यादव : सोशली और इकोनोमिकली बैकवर्ड की बात है यह। इकोनोमिक बैकवर्ड की बात जब तक ऊपर पार्लियामेंट तय नहीं करती कोई सरकार नहीं कर सकती।

श्री देवीसिंह भाटी : वह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। यह इन्दिरा साहनी के केस के अन्दर स्पष्ट किया हुआ है, इसमें कही भी कोई भेद नहीं। उन्होंने माना है कि जो रिक्शा पुलर होगा, जो पत्थर तोड़ने वाला होगा, जो भूमिहीन मजदूर होगा वो निश्चित तौर पर गरीब है और गरीब है उसको आर्थिक क्षेत्र में आप मान सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने इन्दिरा साहनी के केस में बिलकुल स्पष्ट कहा है। तो इसमें मैं निवेदन यह करना चाह रहा था...

श्री हरिसिंह (महुवा) : जो संवैधानिक प्रावधान है वह तीन तरह के आरक्षण की बात करता है-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संविधान फ्रेमर्स ने जब संविधान बनाया था तो यह अनुसूची उसी समय जोड़ दी थी। उसके बाद में टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होते रहे। उसके साथ ही यह प्रावधान किया कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनके लिए आयोग का गठन करके उनको चिन्हित किया जाए और उनको भी आरक्षण दिया जाए। उसका भी एक इतिहास आपके पास है कि कब-कब क्या हुआ। अब संविधान में जब तक यह संशोधन न हो कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए शब्द के साथ में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सम्मिलित किया जाए तब तक यह कैसे सम्भव है? यह काम केन्द्र सरकार का है, इसमें पार्लियामेंट में कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : यह नहीं है। संविधान में संशोधन की इसमें आवश्यकता नहीं है। जब यह माना है, सामाजिक रूप से जो व्याख्या की है-पिछड़ा कौन होता है? जो गरीब होता है। जो आज सम्पन्न हो गया, किसी भी जाति का हो, वह सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं माना जाता। इसलिए सामाजिक रूप से वही पिछड़ा होगा जो गरीब है, जो मजदूर है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उसमें वर्ग शब्द है।

श्री देवीसिंह भाटी : हां, वर्ग।

श्री हरिसिंह (महुवा) : और वर्ग को हमारे यहां डिफाइन कर दिया जाति के रूप में।

श्री देवीसिंह भाटी : वर्ग कौन? वर्ग वह जो मजदूरी करने वाला है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वर्ग को जाति के रूप में डिफाइन करके ही सूची बनी है। वर्ग पूरी जाति को किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पास जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है उसकी सिफारिश करवाकर आप तो ले आएं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे देखेंगे। आप तो अपनी मंशा साफ करो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : तो वह कैसे सम्भव है? आर्थिक आधार कैसे उसको दें जब तक संविधान में अमेंडमेंट न हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह प्रश्न का जवाब दिया है आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह दोमुंही बात करते हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह मैंने प्रश्न लगाया था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको तो नुकसान हो रहा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : बता रहा हूं न, यह प्रश्न लगाया था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप ही की प्रतिक्रियास्वरूप तो यह सब हो गया है, आप क्या बात कर रहे हो?

श्री धर्मपाल चौधरी : राजपूतों और ब्राह्मणों के आरक्षण के बारे में समाज कल्याण विभाग में राजपूत एवं ब्राह्मणों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु आवेदन किया हुआ है? यदि हां, तो कब? तो इसमें जवाब आया, जी हां। गौड़ ब्राह्मण/ब्राह्मणों का प्रार्थना-पत्र उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु आयोग को दिनांक 22.9.1993 को प्राप्त हुआ था।

(14.00 बजे)

ब्राह्मणों व विभिन्न उप जातियों के विभिन्न संगठनों, विभिन्न दलों से प्राप्त हुए हैं। राजपूतों और यात्रियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु आयोग को दिनांक 8.8.1994 को प्राप्त हुआ था। राजपूतों के, अन्य उप जातियों के ज्ञापन विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न दलों से प्राप्त हुए हैं। क्या सरकार राजपूत एवं ब्राह्मणों को आरक्षण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? राजपूत एवं ब्राह्मण जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने का विषय राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग का है और आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार करना होगा, यह आपका जवाब है, यह केन्द्र सरकार का जवाब नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पिछड़ा वर्ग आयोग विचार कर सकता है क्या?

श्री धर्मपाल चौधरी : 1993-94 से पेंडिंग है। इसका निर्णय केन्द्र सरकार करेगी तो कर देंगे। केन्द्र सरकार अगर कर देगी तो कर देंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आयोग विचार कर सकता है क्या? (व्यवधान) इस पर आयोग विचार कर ही नहीं सकता जब तक कि संवैधानिक इसमें अमेंडमेंट नहीं होगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह आप ही का जवाब है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अमेंडमेंट की जरूरत है।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, यह जवाब किस बात का है?

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : प्रतिवेदन है तो उसको आयोग कौन सा रिकमंड करने वाला है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, इसमें कोई विवाद नहीं है। यह जिस तरह से अपना काम करता है...

श्री छोगाराम बाकोलिया : सभापति महोदय, यह प्रश्न का जवाब जो बता रहे हैं वह तो सिर्फ प्रश्न के अन्दर यह पूछा गया था कि आपके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दिया उसका क्या प्रोसेस किया गया है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, इस विवाद में क्यों पड़ रहे हैं आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपने खुद ने बताया है लम्बित है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने खुद ने बोला है।

एक माननीय सदस्य : आपने यह पूछा नहीं, इसको पढ़ लो पहले।

श्री छोगाराम बाकोलिया : जो जवाब दिया है बिलकुल सही दिया है, उसके प्रार्थना पत्र पर बिलकुल उसका उल्लेख है आपके प्रश्न के उत्तर में जो आपने पढ़कर बताया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जवाब है, सभापति महोदय, राजपूत और ब्राह्मण जाति वर्ग को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने का विषय राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है। (व्यवधान) आयोग की रिपोर्ट में, हां, समय पर विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करो न फिर, क्यों नहीं करते आप? दोमुंही बात मत करो आप। आप केन्द्र सरकार के बहाने से नहीं करना चाहते। (व्यवधान) आप रोज यहां भाषण देते हो कि गुर्जरों को एस.सी. में शामिल करो, आप वह दे रहे हो न? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह विचाराधीन है, सभापति महोदय। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : लेकिन यहां पर यह कहा कि केन्द्र सरकार करेगी।

श्री सांवर लाल : फिर आप हटाओ न, कब तक रखोगे वहां पर? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : कर दो, कौन मना करता है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह तो आयोग अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : माननीय, पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण का क्राइटेरिया कभी तय करता है क्या? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यदि आपने उस समय पढ़ा इसको। (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : क्राइटेरिया कैसे होने देगा? क्राइटेरिया तो संविधान में तय हुआ है। (व्यवधान) राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण के क्राइटेरिया को नहीं बदल सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री धर्मपाल चौधरी : कैंसिल करो फिर। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, अगर आयोग के दायरे में नहीं है तो फिर विचार भी नहीं हो सकता। (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : आधार ही नहीं है तो आधार कैसे बदल देगा? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य राठौड़ साहब, इसमें कोई विवाद नहीं है कि स्टेट का जो आयोग है वह एक इंडिपेंडेंट बाडी है। आपने अपनी बात रख दी, आप बिराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कुछ पढ़ते हो नहीं। (व्यवधान) सभापति महोदय, इन बुद्धिमान मंत्री से हमें बचाओ, इनको कुछ पता ही नहीं है। ए.बी.सी.डी. पता नहीं है और भाषण देना चालू कर दिया। (व्यवधान) आपने उत्तर खुद दिया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : बुद्धि का ज्यादा इनका वह हो रहा है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आपको इतना उत्तेजित होने की जरूरत क्या है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, रिजर्वेशन में डिजर्व नहीं करते हो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, निवेदन है आपसे, क्यों तूल दे रहे हो बात को? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ज्यादा बनते हो। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : गणेशजी की बुद्धि आपके ऊपर ही आ गई क्या? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य, बुद्धिमत्ता का आपने ही ले रखा है क्या ठेका? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सवाल का जवाब आपने ही दिया विधान सभा में। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई विवाद नहीं है, आयोग अपना काम करता है, केन्द्र सरकार अपना काम करती है, संविधान अपना काम करता है। तो आप सुन तो लें, क्या दिक्कत है? आपने अपनी बात कही, विभिन्न संगठनों ने अपने व्हिप दिये। उस पर कार्यवाही अपने हिसाब से होती रहेगी इसलिए इसमें कोई विवाद है ही नहीं, आप अपनी बात कहें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सरकार ने खुद ने कहा कि उसके पास विचाराधीन है, दोनों जातियों को आरक्षण देने के लिए। इतनी-सी बात है। अब ये बीच में कह रहे हैं और चीफ व्हिप साहब सदन को गुमराह कर रहे हैं कि सारा का सारा मामला केन्द्र सरकार का है।

श्री सभापति : हां, विचाराधीन है, ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो यह बात कह दें न। यह कह दें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : 93 और 94 के हैं।

श्री सभापति : जो जिसके जिम्मे है वह अपना काम करेगा, कोई विवाद नहीं है। आप अपनी बात को आगे बढ़ा दें।

श्री सांवर लाल : दो साल से लगातार आन्दोलन हो रहे हैं। सभापति महोदय, आयोग की भी कोई समय सीमा तो होगी, किस भरोसे विचाराधीन है? (व्यवधान) यदि आयोग के क्षेत्राधिकारी में नहीं है तो आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री सभापति : आपका भी नाम बोलने वालों में है, माननीय बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 27 तारीख को भंवरलालजी शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण आकर जब राजस्थान की विधान सभा को घेरेगा, उसके बाद राजपूत आकर कहेगा उसके बाद फैसला करेगी सरकार, हां, विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : 27 अप्रैल को हमारी जोधपुर में चेतावनी रैली है। सभापति महोदय, दो लाख की भीड़ होगी, दो लाख की भीड़ होगी जोधपुर में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप, भंवरलालजी, चेतावनी किसको देना चाहते हो, यह बता दो जरा? आप अशोक गहलोत की सरकार को चेतावनी दे रहे हो?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अब सुनिये, केन्द्र सरकार को, राज्य सरकार को दोनों को ही चेतावनी दे रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : अब तो चेतो।

श्री सभापति : हर वर्ग के अपने अधिकार हैं प्रोटेक्ट करने के। अपनी बात करने का, रैली निकालने का सब को

(श्री सभापति)

अधिकार है इसलिए, माननीय सदस्य डाक्टर साहब, इनको पूरा करने दो।

डा. करण सिंह यादव : मैं तो एक मिनट कहूंगा, सभापति महोदय, देश में सरकार इनकी पार्टी की है, उन्होंने लगा दिया क्या? यहां पर आरक्षण करवा दिया क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, हमने लगा दिया था।

श्री सभापति : कोई विवाद नहीं है इसमें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं यही निवेदन कर रहा था, इसमें बहस का कहीं कोई विवाद नहीं है। बात यह है कि सब हम यहां आये हैं, जो भी समाज की व्यथा है, जो आवश्यकता है, वह बात हम यहां रखें, उसके ऊपर चर्चा हो, बहस हो तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हम नतीजे पर पहुंचेंगे। या तो उसको टर्न डाउन कर देंगे या उस पर उचित निर्णय लेंगे, यही बात मैं रखने के लिए शुरू से कोशिश कर रहा हूं।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री देवीसिंह भाटी : जिस प्रकार से हरिजन वर्ग के लिए आपने आरक्षण कर रखा है, मैंने मांग रखी उसमें उचित अधिकार उसको जो उपेक्षित है, जिसके लिए प्रावधान है उसके लिए अगर दो सूची बन जाएं तो, साहब, वह भी जो जरूरतमंद है, चाहे मेहत्तर है, चाहे नायक है, चाहे मोची है, कंजर है, सांसी है वह अपना हिस्सा ले सकेगा। इसी हिसाब से आदिवासी का जो आरक्षण है उसके अन्दर भी मंत्री महोदय, यह आपका दायित्व ज्यादा बनता है।

श्री सभापति : क्यों छेड़ते हो उनको?

श्री देवीसिंह भाटी : जी, ठीक है, ठीक है। आदिवासी वर्ग के लिए भी उचित होगा कि जो अभी मिल रहा है उनको मिले। एक का भी विथड्रा करने का, कैंसिल करने का न तो हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वहां उसमें भी उचित बंटवारा हो जाए। इसी हिसाब से ओ.बी.सी. के अन्दर जो उपेक्षित वर्ग है, जो जरूरतमंद है, जो मजदूरी पेशा वर्ग है उसको हिस्सा मिले और ओ.बी.सी. के भी दो भाग हो जाएं। हरियाणा में जो व्यवस्था कर रखी है जो मण्डल आयोग की अपनी सूची है, मण्डल आयोग के तहत जिनको आरक्षण मिला उनकी सूची अलग, उनका आरक्षण अलग, बाद में जिनको दिया उनका हिस्सा अलग। आंध प्रदेश में भी यह व्यवस्था है, अन्य प्रदेशों में भी है। वह यहां पर भी कर दी जाए। सब को मिले, जो जरूरतमंद हैं। बाकी शिवनाथ सिंहजी को और देवीसिंह भाटी को नहीं चाहिए, न मिलेगा। लेकिन हमारे समाज में जो जरूरतमंद है, उसे इसमें बराबर हिस्सा मिले। जब हम नहीं सुनेंगे, सभापति

(श्री देवीसिंह भाटी)

महोदय, लोग अपनी बात कहने के लिए फिर सड़कों पर आते हैं और फिर दबाव में जब चुनाव नजदीक होता है तब हम जल्दबाजी में उचित-अनुचित निर्णय कर लेते हैं, टुकड़ा फेंकते हैं। यह आदत ठीक नहीं है।

श्री सभापति : दूसरी डिमाण्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है उस पर भी प्रकाश डालिये। दो डिमाण्ड हैं आज।

श्री देवीसिंह भाटी : जी। मैंने तो एक में ही सुलटा दिया सारा, सभापति महोदय। मैं चाहता हूं कि अभी तक शांति से यह विषय हमारे प्रदेश के सामने, इस सरकार और व्यवस्था के सामने चल रहा है, समय पर निर्णय ले लीजिए। भूखा आदमी जो जरूरतमंद है, सुबह मण्डियों में आकर खड़ा होता है, वह जो अपने बच्चों को बेच रहा है वह ज्यादा दिन बरदाश्त नहीं करेगा। जब उसका कोई ब्रेन वॉश करेगा तो वह ब्रेन वाशिंग में बन्दूक हाथ में ले लेगा, इस समाज में अव्यवस्था फैलेगी। उसका परिणाम हम देख चुके हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नार्थ ईस्ट क्षेत्र हो। आखिर वह जो गरीबी है वह बरदाश्त उससे नहीं होगी, इसलिए समानता के इस समाज में सबको अवसर मिले जो जरूरतमंद है। वह नहीं किया तो निश्चित तौर पर मैं आपको सामाजिक न्याय मंच की तरफ से और आगाह कर दूं, यह पीड़ा लेकर, यह परचम चाहे आदिवासी का है। चाहे हरिजन का है, चाहे ओ.बी.सी. का है, चाहे उपेक्षित वर्ग का है, ये लेकर पूरे प्रदेश में घूमेंगे। मेरा तो यह सिद्धांत है, सभापति महोदय, कि पहले आग लगाओ, आग लगाओगे तभी फायर ब्रिगेड आएगी। आग लगाओगे ही नहीं तो फायर ब्रिगेड कहां से आएगी? इसलिए कृपया आग लगाने का अवसर मत प्रदान करो, फायर ब्रिगेड को और कहीं काम में लो। यही मैं निवेदन करना चाहता था।

श्री सभापति : बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, आज शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के विषय में हाउस में चर्चा की जा रही है और हाउस का यह हाल है कि बिलकुल ठंडा पड़ा है यह हाउस। मंत्री देखो कितने मौजूद हैं यहां पर। ये एस.सी. एस.टी. के प्रति कितने जागरूक हैं, जवाबदेह हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कितने बैठे हैं यहां पर, इसी से यह पता चल रहा है कि हम लोग इस वर्ग के प्रति कितने गम्भीर हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी कई माननीय सदस्यों के विचार सुनें, यहां पर बैठा बैठा सुन रहा था। सत्ता पक्ष के विधायक बोले हैं, सब ने बड़ी बड़ी, भूरि-भूरि प्रशंसा गहलोत साहब की, इस कांग्रेस की सरकार की की। मगर इन्होंने आइना नहीं दिखाया। आइना कभी झूठ

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

नहीं बोलता, आइने में जो आप देखते हैं वही दिखता है। इनको दिख तो रहा है मगर ये बताने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि 6–8 महीने बाद चुनाव हैं, इन सबको अपने-अपने टिकटों की चिंता लगी हुई है कि हमारा टिकट न कट जाए। मगर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अपने समाज के हितों की रक्षा के लिए भी नहीं बोल सकते, सच्चाई नहीं बोल सकते तो आपकी पार्टी आपका टिकट काटेगी या नहीं काटेगी मगर जनता जरूर आपका टिकट काट देगी।

समाज कल्याण विभाग पर चर्चा हो रही है, माननीय मंत्रीजी, इस समाज कल्याण विभाग का नाम समाज कल्याण की जगह भ्रष्टाचार विभाग कर दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी इस प्रदेश की जनता पर। आपने एस.सी., एस.टी. के लिए जो छात्रावास खोल रहे हैं उनके अन्दर क्या व्यवस्थाएं हैं? समाज कल्याण विभाग की तरफ से उनको क्या वहां पर सुविधाएं मिलती हैं? मुझे बहुत दुःख और पीड़ा के साथ यह बताना पड़ रहा है सदन के अन्दर कि कोई भी सरकार आये, चाहे वह भा.ज.पा. की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वोटों के नाम पर तो शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब हमारा है, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं, घोषणा पत्र में करते हैं मगर उसकी क्रियान्विति उसके अनुरूप नहीं करते।

एस.सी., एस.टी. के छात्रावास प्रत्येक जिले में हैं, प्रत्येक उप खण्ड में हैं, छोटे छोटे कस्बों में भी खोल रखे हैं मगर उनकी हालत क्या है, हमने किसी ने भी गम्भीरता से जानने की कोशिश नहीं की। आज गरीब, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड टाइब का बच्चा पढ़ने के लिए वहां जाता है तो उसको सोने के लिए पलंग नहीं है, लाइट नहीं है, पंखे नहीं हैं। और छात्रावासों की व्यवस्था कर रखी है। जो समाज कल्याण विभाग में इतना बजट आता है वह कहां जाता है? मंत्रीजी, आपने खाने की व्यवस्था कर रखी है, आपने कभी खुद जाकर देखा कि वो खाना कैसा खाते हैं, किस तरह का उनको खाना मिल रहा है? आपने इसकी कभी जरूरत नहीं समझी होगी। मुझे बड़ा दुःख हो रहा है यह कहते हुए कि आप भी आरक्षित वर्ग से आते हैं मगर कभी आपने उनकी पीड़ा जानने की कोशिश नहीं की, मंत्रीजी कि किस ढंग से वो खा रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है। खाने के अन्दर आपने शिड्यूल तय कर रखा है कि सवेरे यह डाइट देंगे, दोपहर को यह डाइट देंगे, रात को उनको खाने में यह देंगे, एक सप्ताह के अन्दर उनको स्पेशल डाइट की व्यवस्था करेंगे। वे व्यवस्थाएं कहां जाती है, यह आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैंने खुद मेरे दौसा जिले के

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

अन्दर देखा है, मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जाकर देखा है कि क्या क्या व्यवस्थाएं आपने कर रखी हैं। वहां पर व्यवस्था के नाम पर आपकी नगण्य व्यवस्था है। खाने के अन्दर आप उनको ऐसा खाना देते हैं कि कोई जानवर भी उसको खाना पसंद नहीं करता, ऐसी व्यवस्था आपने उन अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए कर रखी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि झूठी घोषणाएं करना बन्द करिये और वास्तविकता में आइये, प्रैक्टिकल एप्रोच में आइये, प्रैक्टिकल फार्म में आइये आप। झूठी बातें करने से आप कोई एस.सी., एस.टी. के लोगों का भला करने वाले नहीं हो। आपने कभी जाकर देखा है छात्रावासों में जाकर कि 60 की वहां पर संख्या है तो मौजूद कितने मिलेंगे? 20 या 30, आपका बजट उठ रहा है 60 बच्चों का, 20 बच्चे उसके अन्दर हैं। बाकी 40 बच्चों का पैसा आप खर्च कर रहे हो वह कहां जा रहा है, इसको देखने की भी मंत्रीजी ने कभी जरूरत नहीं समझी। आप कहते हो कि कांग्रेस गवर्नमेंट शिड्यूल्ड कास्ट की बड़ी हितैषी है, मैं तो कहता हूं, आप बताइये कि आप जो यहां मंत्रिमण्डल के सदस्य बैठे हैं, आपके साथ कितना अन्याय हुआ है? आप क्या योग्य नहीं है? आपको बना दिया समाज कल्याण, खेल, जेल, लाटरी मंत्री, क्या होम मिनिस्टर आपको नहीं बना सकते? जब जब भी भैरोंसिंह शेखावत साहब शासन में रहे तब तब उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट का होम मिनिस्टर बनाया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सभापति महोदय, मैं इनको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था राज्य सरकार ने की है, विधायकों को हास्टल के अध्यक्ष के रूप में मानकर उनकी सारी व्यवस्था करने का उनको अधिकार दिया गया है, इसके बाद में भी राज्य सरकार पर आप डाल रहे हो कि आपने किया या नहीं किया। आप क्या कर रहे हो? आपका खुद का क्षेत्र है, खुद ही उसको एग्जामिन करके उसकी रिपोर्ट बनाकर दीजिये, उस पर एक्शन होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने उन अध्यक्षों को प्रशासनिक अधिकार क्या दिये हैं हम भी विधायक हैं, प्रशासनिक अधिकार कुछ दिये हैं क्या? मात्र सलाहकार समिति है उसका अध्यक्ष बना रखा है। साल के अन्दर दो बार मीटिंग होती है, मीटिंग सुपरिंटेंडेंट बुलाता है। यह सारी की सारी अव्यवस्था को छिपाने के लिए उन पर डाल रहे हैं कि विधायक वहां के अध्यक्ष हैं। सभापति महोदय, आप भी गुढ़ा में बिराजते हैं, आप गुढ़ा में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बता दें कि कितनी बार मीटिंग हुई? ये बिना मतलब की बात कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। उप मुख्य मंत्री हुए उन्होंने भाषण पिला दिया कि विधायकों को हमने अध्यक्ष बना दिया। सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया है, प्रशासनिक नियंत्रण उनके पास नहीं है, सुपरिंटेंडेंट चाहेगा जब मीटिंग होगी। एक विधायक लिखकर दे दे और उसके कहने से मीटिंग हो जाए तो आप मुझे बता देना।

श्री सभापति : माननीय नन्दलालजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, मैं एस.सी., एस.टी. के हितों की बात सुन रहा हूं और उनकी बात ही कर रहा हूं। आज प्रत्येक विभाग में एस.सी., एस.टी. का बैकलॉग ऐसा का ऐसा पड़ा है जैसा ये छोड़कर गये थे। आप कहते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, ये कहते हैं कि आपने यह कर दिया। इन्होंने काम नहीं किया तभी तो ये 33 की संख्या में यहां पर बैठे हैं। आप काम नहीं कर रहे हो तो आपकी क्या हालत होने वाली है, मैं तो नहीं कह सकता, मगर हालत बद से बदतर हो गई है आपकी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एस.सी, एस.टी. के एसोसियेट प्रोफेसर का पिछले 20 सालों से बैकलॉग है, इस कारण से इन्होंने उसके ऊपर कभी विचार ही नहीं किया कि एस.सी., एस.टी. के जो 92 पद रिक्त पड़े हुए हैं उनको भरने की कोई व्यवस्था करें। 20 वर्षों से एस.सी, एस.टी. जिनके हितों की रक्षा की बात करते हैं, एसोसियेट प्रोफेसर के जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पद पड़े हैं, गम्भीरता से विचार करके उनको भरने की व्यवस्था करते, क्या आपने सोचा? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया। कोई पंजाब का मामला था उसके अन्दर एक इंटरिम आर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का। इस हिन्दुस्तान के किसी राज्य ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने एस.सी., एस.टी. के आई.पी.एस. अधिकारियों को सबको रिवर्ट कर दिया। रिवर्ट कर दिया। जो आई.पी.एस. हुए थे उनको वापस आर.पी.एस. बना दिया। बैकलाग भरने की बात करते हैं, बैकलाग भरते नहीं हैं। कोई भी कानून, नियम आ जाए एस.सी., एस.टी. के लिए, उसको तुरन्त लागू करते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं, यह मेरी समझ के बाहर की बात है।

सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि एस.सी., एस.टी. के नाम पर बड़े-बड़े दम भरने वाली यह सरकार है, आपको ध्यान होगा कि कुम्हेर में एक काण्ड हुआ था उसमें 18 जाटवों को जिंदा जला दिया गया था। पुलिस के एस.पी. की मौजूदगी में जिंदा जला दिया गया था। उस एस.पी. को शिड्यूल्ड कास्ट के आदमियों को जलाने

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

का पारितोषिक क्या मिला? कि उनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से इस सरकार ने सम्मानित करा दिया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एस.सी., एस.टी. के लोगों को इस प्रदेश के अन्दर? आप उनके रक्षक हैं या उनके भक्षक हैं? भक्षक से भी कोई और शब्द हो जो संसदीय हो तो उसको इसमें जोड़ लें। उस अधिकारी को इसी सरकार ने पुलिस पदक से सम्मानित किया है।

सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि दलितों के ऊपर अत्याचार होने में हिन्दुस्तान में राजस्थान प्रथम नम्बर पर आया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो, दिल्ली से कोई रिपोर्ट आती है उसके अन्दर यह कहा है कि हिन्दुस्तान में अगर सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो वह राजस्थान है। उसका जीता जागता उदाहरण अभी कुछ समय पहले हुआ कि डिप्टी सी.एम. साहब के एरिये के अन्दर एक दलित को घोड़ी से उतार दिया। 48 घंटे बाद सरकार तब चेती जब अखबार में आ गया कि ऐसा एक दलित के साथ हो गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आप दलितों की पीड़ा को वोटों की राजनीति के हिसाब से उठाना चाहते हैं या वास्तव में उनकी मदद करना चाहते हैं? वहां पर जो सी.ओ. लग रहा था, 10 घंटे बाद उससे बात हुई तो वह कहता है, मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई काण्ड हो गया। डिप्टी सी.एम. साहब ने टेलीफोन करके होम मिनिस्टर साहब को बोल दिया कि ऐसा काण्ड हो गया, आप इस पर तुरन्त कार्यवाही कीजिये। कार्यवाही नहीं हुई। 48 घंटे बाद कार्यवाही हो रही है, तब जबकि अखबार में छप गया। इस वजह से कार्यवाही हुई, कितनी बुरी बात है। अगर दलितों को वास्तव में आप मदद करना चाहते हैं तो किसी दलित को या एस.सी. एस.टी. के आदमी को होम मिनिस्टर लगाइये न। तब तो इस तरह की बात हो। आपके इस प्रदेश में होम मिनिस्टर यह कहते हैं अलवर में कि एस.सी. एस.टी. एक जी का जंजला बन गये। फिर इन एस.सी. एस.टी. वालों के साथ में एट्रोसिटीज निवारण के नियम बना रखे हैं, प्रिवेंशन एक्ट बना रखा है वे कैसे फोलो होंगे? जब स्टेट के होम मिनिस्टर यह बोल रहे हैं कि एस.सी. एस.टी. एक जी का जंजाल बन गये तो अधिकारी को तो यह मैसेज वैसे ही चला गया। वे यह कहते हैं कि अधिकांश मामले झूठे होते हैं। इस सदन के अन्दर उन्होंने बोला कि अधिकांश मामले झूठे दर्ज होते हैं, तो सभापति महोदय, उससे क्या मैसेज जाएगा अधिकारियों के अन्दर? वे पहले ही एफ.आर. के अन्दर विश्वास रखते हैं, पूरे के पूरे उसके अन्दर एफ.आर. लगा देते हैं। होम मिनिस्टर स्टेट के यह

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

कह रहे हैं तो फिर क्या न्याय करेंगे हमारे साथ, सभापति महोदय? इस तरह की व्यवस्था है।

मैं एक उदाहरण कोट करना चाहता हूं इस अवसर पर, सभापति महोदय, क्योंकि उस डीवाई.एस.पी. के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी हाउस के अन्दर मुख्य मंत्री थे शिवचरणजी माथुर और आज वे हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत होम मिनिस्टर थे उस समय। ऐसा एक मामला अलवर में हो गया था, उस समय होम मिनिस्टर साहब ने उस सी.ओ. को सस्पैंड कर दिया था। उसके खिलाफ कार्यवाही हुई तो लोगों के अन्दर थोड़ा भय व्याप्त हुआ कि अगर इस तरह से हम कार्यवाही करेंगे, इस तरह से अत्याचार करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। पर उसके बाद लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आपने रिपोर्ट दर्ज करा ली, रिपोर्ट दर्ज होने से क्या फांसी लगा दोगे क्या? किसी ने अत्याचार किये हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है। उनकी जमानत हो गई, वे छूट गये। उस अधिकारी ने नेग्लीजेंसी की है जिसने अपनी ड्यूटी सही ढंग से परफोर्म नहीं की, उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? तब तो आप होम मिनिस्टर थे, मुख्य मंत्रीजी, तब आपने सस्पैंड कर दिया था, आज तो आप खुद मुख्य मंत्री हैं, आपने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? क्योंकि आपकी मंशा मुझे ठीक नजर नहीं आ रही है, सरकार की मंशा ठीक नजर नहीं आ रही है। पता नहीं, किसके प्रभाव के अन्दर उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही कर देते तो मेरा यह मानना है कि आइन्दा कोई भी अधिकारी नेग्लीजेंसी नहीं करता। बड़े अजीब वायके उसमें हो रहे हैं।

आप कहते हैं तो एस.सी., एस.टी. के क्षेत्र के अन्दर लोगों के साथ अब न्याय होगा कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं है, पर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी मेहरबानी की है कि एस.सी. के आदमी को होम सैक्रेटरी लगा दिया। होम सैक्रेटरी लगा दिया आपने, बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान कर दिया, एस.सी. के लोगों के ऊपर। मगर उस होम सैक्रेटरी के दफ्तर में जाकर आई.पी.एस. के अधिकारी ने उनकी बेइज्जती कर दी, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : केवल होम मिनिस्टर ही नहीं, डिप्टी सी.एम. भी बनाया है। होम मिनिस्टर ही नहीं बनाया है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : तभी तो उनके क्षेत्र में घोड़ी से उतारा जा रहा है, पिट रहे हैं लोग-बाग। बड़ी मेहरबानी कर दी आपने।

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह सब कुछ आपकी प्लानिंग होगी, मुझे लग रहा है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : डिप्टी सी.एम. बना दिया और उनके क्षेत्र के अन्दर घोड़ी से उतारा जा रहा है। (व्यवधान) ऐसा है, मंत्रीजी, अगर आपने अपने समाज के साथ न्याय नहीं किया, समाज कभी आपको माफ नहीं करेगा, मैं बता देता हूं, आपको। आप राजी मत हो, 6-8 महीने बाद चुनाव हैं, आपको वोट मांगने जाना है चुनाव के अन्दर। अगर आपने अपने समाज का भला नहीं हुआ, आज टिकट भी समाज के बेस पर मिलने लग गये हैं, मालूम है आपको? अगर अपने समाज के लोगों को नाराज कर दिया, आप वहां पर जो मंत्री बने बैठे हो, बाहर आपको विधान सभा के गेट के ऊपर पास की लाइन में लगना पड़ेगा, मैं बता देता हूं आपको। मैं कइयों को देखता हूं बाहर, मंत्रियों को लाइन में लगे हुए, आपके भी ये हाल हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप तो बहुत समझदार आदमी हैं और सब जानते हैं कि मैं तीन बार चुनकर आया हूं, सब का साथ मेरे साथ है। नहीं, नहीं, आप बोलिये भले ही, आराम से बोलिये, मैं तो आपका भी सहयोग करूंगा। नहीं, मैं तो आपका भी सहयोग करूंगा, सबका सहयोग करने वाला हूं। नहीं, समाज का भी कल्याण करूंगा। आप सबका कल्याण करेंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, अब जो बातें कर रहे हैं न, समाज का करो, मेरा तो मत करो। मेरा मत करो, आप तो समाज का कल्याण करो, मैं तो समाज के लिए निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, होम सैक्रेटरी को जाकर दफ्तर के अन्दर उनकी बेइज्जती कर दी और बेइज्जती करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की सरकार ने, आप क्या न्याय की बात कर रहे हैं? सरकार में कौन एस.सी. एस.टी. के लोगों के साथ न्याय करेंगे? जब आई.ए.एस. अधिकारी के साथ में इस तरह का होता है तो गांव में रहने वाले, ढाणियों में रहने वाले और छोटे कस्बों के अन्दर रहने वाले एस.सी., एस.टी. के आदमियों के साथ क्या होता होगा? इसकी तो कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि उनकी क्या हालत रही होगी।

सभापति महोदय, आपने बड़ी कल्याणकारी योजनाएं एस.सी., एस.टी. के लोगों के लिए की हैं, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एस.सी., एस.टी. के जो विकलांग लोग हैं उनके लिए कोई डबल प्रोत्साहन की योजना आप कुछ करें, जैसे बसों के अन्दर उनको परमिट करें, उनको छोटे मोटे सरकारी लाभ मिल सकें उनको देने की व्यवस्था करें तो वे आपका

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

गुणगान करेंगे। आज तो आप समाज कल्याण कल्याण मंत्री हो, आज तो अपने हाथ से कुछ कर जाओगे, कल का पता नहीं है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे तो बहुत पीड़ा है कि एस.सी. एस.टी. के लोगों के साथ कांग्रेस की सरकार में न्याय नहीं होता है। मैं शुरू से सुना करता था, मेरे पिताजी भी कांग्रेस में रहे, बाद में इनको छोड़कर गये, कांग्रेस से मोह उनका भंग हुआ। मेरा मोह भंग नहीं, मैं कांग्रेस में ही था, पर अब मेरा मोह भी भंग होने जा रहा है। इसलिए होने जा रहा है कि जब कांग्रेस के राज के अन्दर एस.सी. एस.टी. के लोगों के साथ में अगर न्याय नहीं होगा तो फिर हमें न्याय करने की आशा और किसी से भी नहीं करनी चाहिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : करेंगे, करेंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं करेंगे तो सुनो तो सही आप मेरी। करोगे तब करोगे, अभी तो इनको करने दो। अभी तो ये करने वाले हैं। जब आप आओगे, तब आप भी कर देना। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, इनकी खानदान तो जनसंघी है, आप पता नहीं कैसे बाहर निकल गये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरे पिताजी जगजीवन रामजी के साथ रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जगजीवनरामजी कैसे थे, उनको दुनिया जानती है।

श्री मदन दिलावर : अभी तो +++ करवाने दो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं तो न आपके साथ हूं, न उनके साथ हूं। मैं तो न्याय की बात कर रहा हूं। सुनो तो सुनो, नहीं सुनो तो मत सुनो।

श्री रोहिताश्व कुमार : इनके पिताजी ने सारे बेटों को एम.एल.ए. के रूप में, एम.पी. के रूप में पैदा किया है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं तो समाज के हित की बात कर रहा हूं। आप हमारे समाज के हित की, एस.सी. एस.टी. के भले की बात करोगे, हम आपके साथ हैं। अगर नहीं करेंगे, हम इनके साथ है। आज ये बैठे हैं न्याय करने के लिए, ये कर दें। कल आप आ जाओगे, आप कर देना, तो समाज भी आपके साथ हो जाएगा।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। समाप्त कीजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर दूं?

श्री सभापति : हां, अच्छा रहेगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने फर्माया, ठीक है, बैठ जाता हूं। मगर एक बात है जो एस.सी., एस.टी. की है, कोई भी नहीं सुनना चाहता, पता नहीं क्यों? यह पता नहीं, क्यों?

श्री सभापति : वह कहो न फिर आप। वह बात कहो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आज आजाद हुए 55 वर्ष हो गये, सत्ता में आप लोग हमारे पीछे आ जाते हैं, कल एक मंत्रीजी ने कह दिया कि हमें एस.सी. के लोगों की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? हम किसी से कमजोर पड़ते हैं क्या?

श्री सभापति : ऐसे प्रकरणों को आप मत लाइये। यहां जो बात स्पष्ट हो चुकी है, आप तो एस.सी. एस.टी. की बात कहो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : स्पष्ट नहीं हुई है। एक्सपंज नहीं हुई है, एक्सपंज नहीं हुई है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...एस.सी. के लोग हमारी मेहरबानी पर जिंदा हैं, घोर आपत्तिजनक है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। नन्दलालजी, समाप्त करो। हो गया?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने फर्मा दिया, मैं बैठ गया, साहब। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ये तो ब्राह्मण आरक्षण की बात करेंगे, समाज कल्याण से क्या लेना-देना है इनको? (व्यवधान) ये तो ब्राह्मण आरक्षण की बात करेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो आरक्षण मांगो ब्राह्मणों के लिए।

श्री सभापति : हां, करेंगे, अच्छा है।

श्री मदन दिलावर : ये कल तो इस बात का विरोध कर रहे थे, जिस समय पुस्तक बांट रहा था, कि गौ-मांस खाना चाहिए हिन्दुओं को। मैं इस बात को कह रहा था, ये गलत पुस्तक बांट रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो ये उस पुस्तक का समर्थन कर रहे थे कि यह पुस्तक ठीक है।

श्री सभापति : अब तो आप बिराज जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मुझे मेरे इन साथी मित्रों की बुद्धि पर तरस आता है...

श्री मदन दिलावर : +++ दिखते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और मन में एक क्षोभ भी उत्पन्न होता है...

श्री मदन दिलावर : +++

श्री राजेन्द्र पारीक : कि जिस वृहत् समाज से चुनकर हम यहां पर आते हैं, हमने अपने आपको जातियों में, वर्गों में और एक सीमित दायरे में ऐसे कैद कर लिया है जैसे किसी खुशबू को कैद किया गया हो। होना तो यह चाहिए कि राजस्थान विधान सभा के इस प्रांगण में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पारीक साहब, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, आप मेरे मित्र भी हो, परन्तु सीकर की रैली में आप क्या कर रहे थे? वह एक जाति की रैली नहीं थी? आप ब्राह्मण महा सभा के अन्दर जाते हो तब आपका चेहरा दूसरा होता है और यहां आपका चेहरा दूसरा है। यहां दूसरों पर आरोप लगा रहे हो कि वे छोटी-छोटी जातियों में कैद हो गये।

श्री धर्मपाल चौधरी : वहां यह कह रहे थे कि ब्राह्मण ब्राह्मण को वोट देगा...

श्री अमराराम (धोद) : राठौड़ साहब वही कर रहे थे जो आप दिवराला में कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं जाता हूं, राजपूत सभा की बैठक में जाता हूं और यह कहता हूं कि राजपूतों को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इनकी तरह दोहरा चेहरा नहीं रखता।

श्री धर्मपाल चौधरी : और दोहरा चेहरा वाजिब नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : आप, राठौड़ साहब, यह भी कहते हैं, दिवराला में भी गये थे, कि सती होनी चाहिए। आज भी कहें खड़े होकर कि सती होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सती की बात नहीं थी, वहां तो एट्रोसिटी के खिलाफ लड़ रहे थे।

(14.30 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति,पदासीन)

श्री धर्मपाल चौधरी : सती की बात नहीं कही।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सती की पूजा तो अपने यहां होती आई है हिन्दुओं में कोई नई बात है क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप समर्थक हो क्या?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : बिराजिए, प्रताप सिंहजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पूजा होती आई है, यह कह रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरे मित्र अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति मुझे माध्यम बना कर कह रहे हैं। मैं इन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इन्होंने इस काबिल समझा कि जो कुछ यह सोच रहे हैं उसी की अभिव्यक्ति मैं दूं। यकीनन हम जाति विशेष के हैं, हम एक जाति विशेष से चुन कर आते हैं और मुझे यह कहते हुए, माननीय सभापति महोदय, संकोच भी नहीं है कि आज राजनीति में जिस तरह से जाति का बोलबाला हुआ है उसे कोई नहीं नकार सकता। यदि कोई नकारता है तो उसकी हालत उस कबूतर जैसी है जो बिल्ली को देखते हुए भी यह महसूस कर रहा है अपनी आंख बंद करके कि मुझे बिल्ली नहीं देख रही है। आज चूंकि हम राजनीति के क्षेत्र से आते हैं इसलिए हम राजनीति की बात ज्यादा करेंगे। आज राजनीति में भले ही टिकट का बंटवारा हो...

श्री धर्मपाल चौधरी : माइक आन करो, माइक। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब यह तो दायित्व उसका है जो उसको पहले ही कर देना चाहिए। लेकिन मुझे यह लगता है कि वह आप लोगों से मिला हुआ है। (व्यवधान) महादेव सिंहजी का चालू है और मैं चाहता हूं कि राजेन्द्र पारीक का चालू हो, लेकिन मुझे यह साफ-साफ लग रहा है कि वह आप लोगों से मिला हुआ है और आप मुझे उधर धकेलना चाह रहे हैं। अब तो मुझे आपकी भावनाओं का आदर करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे साथियों की इच्छानुसार मैं महादेव सिंहजी की कुर्सी से बोल रहा हूं यदि आप मुझे आज्ञा दें तो, क्योंकि मेरी कुर्सी का माइक चालू नहीं है।

श्री सभापति : फर्माइये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण...

श्री रोहिताश्व कुमार : चालू हो गया आपका।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मुझे न्याय तो दिलवाइये आप। मैं यदि अपने भाषण के दौरान इधर से उधर जाता रहूंगा तो मेरी बात कब कह पाऊंगा? फिर आपकी घंटी बजेगी, मुझे बैठना पड़ेगा।

सामाजिक सुरक्षा को एक वृहत स्वरूप में हमें लेना पड़ेगा। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा कि जो भी कल्याणकारी सरकार होगी उसका प्रथम दायित्व है कि वह जाति, वर्ग भेद इन सब से ऊपर उठ कर सामाजिक कल्याण और सामाजिक समरसता की बात करे। इस मामले में राजस्थान में आज का नहीं,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बल्कि कांग्रेस का अपना इतिहास है कि जब कभी भी सामाजिक समरसता की बात आई है तो कांग्रेस ने अपने आप को हमेशा ही अग्रणी रखा है। चूंकि समय सीमित है .इसलिए मैं अपने आप को सीमित रखूंगा।

राजस्थान की वर्तमान सरकार ने सामजिक समरसता और उससे उत्पन्न होने वाली जो विसंगतियां हैं उनमें चाहे किसी आयोग के माध्यम से हो, या ऐसे-ऐसे फण्ड्स जनरेट करके उनके माध्यम से, हमेशा ही उस व्यक्ति को जो पीड़ित है, जो दलित है, जो शोषित है, जिसे सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, उसे हर तरह से अपनी तरफ से वह सारी की सारी सुरक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश की है जिसकी उसको अति आवश्यक है। इस मामले में विशेष रूप से जब हम देखते हैं तो, माननीय सभापति महोदय, एक पीड़ित जो ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज कराना उसके लिए नितांत असम्भव है, उस व्यक्ति को जब राजस्थान की सरकार के माध्यम से इतना बड़ा अमाउंट जिसकी कभी किसी ने शायद परिकल्पना भी न की होगी, मैंने पहले भी सारी विधान सभाओं को देखा है, मात्र दस हजार और पांच हजार रुपये देकर सरकार अपना दायित्व पूरा करती थी, आज उस पीड़ित पेशेंट के लिए एक लाख रुपये का बजट प्रोवीजन है। किसी बीमारी विशेष में तो उसको एक लाख रुपये से लेकर पूरा का पूरा अमाउंट, यदि वह बी.पी.एल. फैमिली का है तो पूरा का पूरा अमाउंट और यदि वह चयनित नहीं है तब भी उसको खूब अमाउंट देकर उस पीड़ा से मुक्त करने की एक कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं इसके लिए मेरे प्रतिपक्ष में बैठे हुए जो माननीय सदस्य हैं उनको भी राजस्थान के मुख्य मंत्री की इस भावना की, उनकी इस संवेदनशीलता की कद्र करनी होगी जो मानवीय संवेदना का जीता-जागता प्रमाण है। माननीय सभापति महोदय, उस पीड़ित के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि उसका जीवन कैसे बचे। गरीब औरत जब अपने पति को मरते हुए देखती है तब उसके मन में बार-बार उस व्यक्ति का चेहरा घूमता है जो उसको बचाने के लिए आगे आएगा। इस मामले में राजस्थान की सरकार ने अपनी अहम अग्रणी भूमिका निभा कर सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण का जो एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है उसके लिए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, विकलांग व्यक्ति के प्रति सदाशयता दिखाते हुए राजस्थान के वर्तमान विकलांग आयोग ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। विभिन्न नौकरियों में या विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी निभा कर एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जिससे विकलांग व्यक्ति भी अपने आप

(श्री राजेन्द्र पारीक)

को सुरक्षित ही महसूस नहीं करता बल्कि उसको एक सम्बल मिल गया और वह अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में अग्रसर पाता है।

माननीय सभापति महोदय, हम सामाजिक प्राणी हैं और ऐसे मौके पर मैं यदि यह बात यहां सदन में नहीं करूंगा तो मैं समझता हूं कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन करने में कम रहा। हम बात भले ही कितनी भी करें, हम भयमुक्त होकर नहीं कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं है। कहीं तुझे फूंक न दे तुम्हारा अंदाज जुनू, बागवां देख गुलिस्तां को जहन्नुम न बना। पिछले पांच वर्षों में जिस तरह से सामाजिक समरसता को तार-तार किया है, हमने जार-जार रोने को मजबूर किया है, सभापति महोदय, अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य जब किसी दूल्हे को घोड़ी से उतारे जाने की बात कर रहे थे, अभी माननीय नन्दलालजी बंशीवाल द्वारा जब इस तरह की बात की जा रही थी सदन में, मन हमारा भी आहत होता है, हम भी सामाजिक प्राणी हैं, एक इन्सान हैं और इन्सानी भावनाओं को रखते हैं, उसकी अभिव्यक्ति रखते हैं। मन में पीड़ा का एहसास होता है कि उस व्यक्ति को भी पूरा अधिकार है, वह भले ही दलित हो, शोषित हो। कुछ भी हो, उसे भी यह अधिकार है कि वह घोड़ी पर बैठे। लेकिन इस सारी सोच को कलंकित और दूषित करने वाले लोग कौन हैं?

श्री मदन दिलावर : आप इटली से बंधे हो इसलिए आप बोल नहीं सकते। इतना सारा संकट, अनाचार, अत्याचार अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर होने के बाद आप इटली से बंधे हैं इसलिए आप बोल नहीं सकते।

श्री सभापति : माननीय मदनजी। हां, चालू रखिये, पारीक साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : पारीक साहब, एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, एक शेर मैं भी अर्ज कर दूं आपकी इजाजत हो तो।

श्री सभापति : क्या जच गई आपके, किस खुशी में?

मोहम्मद माहिर आजाद : एक शेर सुनाने दीजिये, साहब, मौज़ूं है।

श्री सभापति : यह शेर-शायरी का टाइम, माननीय...

मोहम्मद माहिर आजाद : छुपा लिया भी जो सर फूलों में तो पांव जले, न जाने कितने जहन्नुम हैं इस चमन के तले।

श्री सभापति : बिराजें अब आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मेरे मित्र विधायक ने जो कुछ कहा, मैं उन्हें इस रूप में जवाब देना मुनासिब समझता हूं, आप भी अपने किये

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पर कुछ गौर करें, हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी।

माननीय सभापति महोदय, जिस महत्वपूर्ण और एक संवेदनशील इश्यू पर हम आज यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उसको कितने हल्केपन से हम ले रहे हैं इसका तो साफ, स्पष्ट उदाहरण आपकी आंखों के सामने है। आज जो हालात बने हैं, मैं चर्चा, माननीय सभापति महोदय, उस पर कर रहा था...

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस की संवेदनशीलता देखिये। एस.सी., एस.टी. के ऊपर चर्चा हो रही है और कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं, यह गम्भीरता है।

श्री सभापति : माननीय मदनजी दिलावर, सहयोग कीजिये। बिना मतलब इंटरवीन मत कीजिये, प्लीज।

श्री मदन दिलावर : सॉरी, साहब।

श्री सभापति : There was no occasion for intervention. पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मेरे मित्र चूंकि आरक्षित वर्ग से आते हैं इसलिए इन्हें भी यह अधिकार मिला हुआ है कि यह जब चाहे जिसके कालिख मल दें और जब चाहे खड़े होकर केवल उस आवरण में कि जब इनके खिलाफ यदि कोई कुछ बोलता है तो यह कह कर अपने आप का बचाव करते हैं कि...

श्री सभापति : पारीक साहब, प्लीज आप अपनी बात कहिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : हम दलित हैं इसलिए हमें यह कहा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यदि इसी तरह से मुझे इंटरवीन किया गया तो मैं क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन कर दूं कि मेरे पास भी वे सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल मुझे करना आता है। केवल आपको ही यह अधिकार मिल गया दलित होने के नाते कि आप जब चाहे किसी के प्रति अपना आक्रोश उगल दें, यह नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह वह तलवार है जो दुधारी है और दोनों तरफ वार करती है। यह न केवल सामने वाले को आहत करती है बल्कि आपको भी आहत करने के लिए यह स्वतंत्र है। इसलिए अपने शब्दों पर लगाम दें और कुछ कहने से पहले आप यह सोचे कि जो कुछ शब्द आप किसी दूसरे को कह रहें हैं, यदि इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आपके प्रति किया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा।

माननीय सभापति महोदय, हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की। मैंने निवेदन किया कि इसको हमें वृहत रूप में लेना पड़ेगा और वृहत रूप में जब हम लेंगे तो उन सब कारणों को भी खोजना पड़ेगा कि

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आज ये हालात क्यों बने, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो इस पर आज हम चर्चा करने को मजबूर हुए हैं, यह सारा का सारा परिदृश्य आज हमारी आंखों के सामने उपस्थित हुआ है। सभापति महोदय, यह किसी एक दिन की परिणति नहीं है, एक लम्बा इतिहास है इसके पीछे। एक लम्बा अन्तराल इसके पीछे पड़ा हुआ है जिसने धीरे-धीरे हमारे सामाजिक समरसता के ताने-बाने को जीर्ण-शीर्ण कर डाला। आज भय लगता है एक यहां इस सभा में उपस्थित होकर मुंह से कुछ ऐसा शब्द न निकाल दें जिस पर हमें कोई ब्लेम कर दे, हमें कोई यह कह कर दण्डित कर दे कि तुमनें किसी जाति विशेष के खिलाफ अपने कुछ शब्दों का उद्गार व्यक्त कर दिया...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 8 सालों को छोड़ दे तो कांग्रेस का शासन रहा है इस राजस्थान में, जीर्ण-शीर्ण किसने किया इस राजस्थान को यह बताएं?

श्री सभापति : क्या आपसे बैठा नहीं जा रहा है? कोई कारण नहीं है, मदनजी, कोई कारण नहीं है बात करने का। उनको बात करने दो न अपनी। यों बार-बार उठ कर खड़ा होकर व्यवधान पैदा करना, I think. this is not proper.

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आपके समय ही तो बरथूला का काण्ड हुआ था और यह तारीफ कर रहे हैं, साहब।

श्री सभापति : न-न। माननीय पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो कुछ ऐसे मेरे मित्र व्यवधान बन कर उपस्थित होते हैं। जिस समाज में ऐसे विधायक चुन कर आते हैं उस समाज को दुश्मनों की आवश्यकता नहीं होती है, उसका सारा का सारा काम ऐसे विधायक अपने-आप पूरा कर देते हैं। जब हम बात सामाजिक समरसता की कर रहे हैं तो मुझे सुनना चाहिए, मुझे सुनना होगा।

माननीय सभापति महोदय, हम मात्र यह कह कर कि हम चंद जातियों या जाति विशेष या वर्ग विशेष के लोग हैं, उनके सामाजिक कल्याण की बात करें, उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात करें, जबकि किसी भी कल्याणकारी सरकार का यह प्रथम दायित्व है। उसके शासन में रहने वाला हर व्यक्ति जो दलित है, शोषित है-वो किसी समाज का हो, किसी वर्ग विशेष का हो, किसी जाति विशेष का हो, उसे यह अधिकार है कि वो अपनी सरकार के समक्ष अपने दु:ख अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति दे और उस अभिव्यक्ति के माध्यम से जो कुछ भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार को अपना प्रतिवेदन दे, अपनी आवश्यकताओं को महसूस कराएं। यह सब जब हम देखते हैं तो यह स्पष्ट महसूस होता है और मैं इसके लिए

(श्री राजेन्द्र पारीक)

राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं है कि आज हम यहां पर आरक्षण जैसे मुद्दे को अपने शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं देंगे तो फिर कहां देंगे? पूरा का पूरा समाज जल रहा है, पूरा का पूरा राजस्थान इससे जल रहा है अभी मेरे मित्र देवीसिंहजी भाटी इस पर अपनी अभिव्यक्ति दे रहे थे। कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप यहां पर लगाये गये। लेकिन मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से इस सामाजिक सुरक्षा के ताने-बाने को कैसे संरक्षित किया जाए, सामाजिक समरसता को हम कैसे बनाकर रखे, इसके लिए उनके मन में भी पीड़ा थी, उनके मन में भी इस बात का एहसास था कि समाज का वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे राजपूत हो, वैश्य हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, उसको सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने एक आधार चुना, एक साइंटिफिक मैथड चुना। वह साइंटिफिक मैथड हैं कि वो किसी भी समाज का है लेकिन यदि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसे भी अधिकार है कि अन्य लोगों के बराबर, अन्य लोगों के समकक्ष बैठ कर वो भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे, वो भी अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, अपने बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण के लिए उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए वो भी वो सारे के सारे अधिकार प्राप्त करे जो बाकी लोगों को प्राप्त हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमारी कुछ सीमाएं हैं।

मन में जरा इस बात का एहसास, सभापति महोदय, कोई करे कि एक गरीब मां वो भले ही किसी भी जाति की है, वह विधवा मां अपने पुत्र को पालने के लिए कुलीन घरों में जाकर कुछ करती है, अपनी आय अर्जित करती है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देती है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उस बच्चे को कालेज में दाखिला लेने के लिए जाना पड़ता है, जब किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग कालेज में उसको जाना पड़ता है, दाखिला लेने के लिए जब वो प्रवेश की कोशिश करता है तब उसको यह कह कर पीड़ित किया जाता है कि तुम योग्यता में तो अव्वल हो लेकिन तुम कुलीन हो। कुलीन होने के नाते यदि वो वहां पर अपने अधिकारों से वंचित रहता है तो हम किस सामाजिक समरसता की बात करते हैं? हमारा सर शर्मसार हो जाता है ऐसे हालात को देख कर उस वक्त आवश्यकता पड़ती है आर्थिक संरक्षण की, उस वक्त आवश्यकता पड़ती है सामाजिक संरक्षण की और वो वक्त की मांग है, वक्त का तकाजा है। विधवा मां

(श्री राजेन्द्र पारीक)

के बेटे का आर्थिक आधार यदि मजबूत नहीं है, वो कुलीन है तो कुलीन है, लेकिन सरकार का यह दायित्व बनता है कि उसको वो सारे के सारे अधिकार दिलवाएं। यही आज आरक्षण की महती आवश्यकता है। हम केवल यह कह कर चुप बैठ जाएं कि यहां आपके आयोग ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी, तो मैं प्रतिपक्ष में बैठे हुए मेरे माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्रीजी जब राजस्थान में आकर बाकी घोषणाएं कर सकते हैं तो आज इस घोषणा के लिए उनको कौन रोक रहा है? जब तमिलनाडु में बैठ कर हम 50% के बजाय 75% और 80% आरक्षण की बात कर सकते हैं तो आज क्या बाध्यता है कि राजस्थान की सरकार इसको लागू नहीं करे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिशें पहले कर रखी थीं, उन्होंने तो यह कहा कि अगर हमारा शासन बनेगा तो इन सिफारिशों का क्रियान्वयन हम करेंगे और उन्होंने वादा निभाया। अब जिन लोगों के आरक्षण की पैरवी आप कर रहे हैं उनकी जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से अभिशंसा नहीं होगी तब तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की लगाम आपकी सरकार के हाथ में है।

श्री धर्मपाल चौधरी : लगाम को सम्भालो।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट आपसे निवेदन करूं कि यह एक दुरुह कार्य है। मैं तो आह्वान करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी, "ये अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले। किरीट दास नहीं है किसी का, जो चाहे अपना ले। जीवन उसका बना युधिष्ठिर जो इससे डरता है या उसका जो चरणरोप निर्भय होकर लड़ता है।" मैं तो यह भी आह्वान करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, लेकिन प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य बीच-बीच में इंटरवीन करके यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि भाजपानीत सरकार तो यह आरक्षण देना चाहती है। उनको रोक कौन रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि संविधान में यदि संशोधन की आवश्यकता पड़ रही है तो संविधान में संशोधन करना होगा। 49% से हमें यदि 75% करने की आवश्यकता है तो हमें वो करना होगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पारीक साहब, हिन्दुस्तान में सबसे पहले पंचातयों को कौन सी सरकार ने आरक्षण दिया?

श्री राजेन्द्र पारीक : कांग्रेस की सरकार ने किया है और माननीय राजीव गांधी ने...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : भैरोंसिंहजी की सरकार ने दिया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : वो आरक्षण देकर हम सबको नवाजा। माननीय सभापति महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है वो चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सिंधी हो, मुसलमान हो, वो किसी भी जाति विशेष का हो, हमें यह देखना होगा कि उसका सामाजिक ढांचा जो चरमरा रहा है उसका हम कैसे आबद्ध करें। इसके लिए हमें सामाजिक समरसता के ताने-बाने को मजबूत करना होगा और उसको मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस पीड़ित को कैसे भी सारे लोगों के समान कर दें, जो उसका अधिकार बनता है। इसके लिए राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री का आह्वान करते हुए मैं इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि आपके मन में राजस्थान के आरक्षण के प्रति जो आर्थिक आधार आपने चुना है यह बिलकुल सही आर्थिक आधार है। 50% के ऊपर बाकी जो ज्ञातियां जो बची हुई हैं उनमें समस्त वो जातियां जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनको भी आरक्षित करके इस सारे अधिकार से उनको नवाजें ताकि हमारी सामाजिक समरसता का ताना-बाना जो धीरे-धीरे क्षीण हो रहा है वो बना रह सके।

यह तो, माननीय सभापति महोदय, आप भी समझते हैं कि हम उन ऋषि-मुनियों की संतान हैं जिन्होंने हमें वसुधैव कुटुम्बकम् का नारा दिया है। जिन्होंने इतने विशाल हृदय से हमें यह संदेश दिया कि इस ब्रह्माण्ड में रहने वाला हर व्यक्ति...

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट। सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं बीच में इंटरवीन करके सिर्फ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आरक्षण के विषय में बहुत बड़ी भ्रान्ति है, माननीय मंत्रीजी को स्पष्ट करना चाहिए था। न तो पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण दे सकता है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिफारिश कर सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कोई सिफारिश नहीं कर सकता क्योंकि एजुकेशनल संविधान में लिखा है शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए। राजपूत और ब्राह्मण कभी भी सांस्कृतिक और...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, इसीलिए मैंने संविधान में संशोधन की बात की है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पारीक साहब, मेरी बात सुनिये। सभापति महोदय, यह वास्तविकता है कि आज की तारीख में संविधान में संशोधन अगर सम्माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी और सम्माननीय श्रीमती सोनिया गांधीजी ये दोनों नेता चाहे तो उसी क्षण हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, दो तिहाई बहुमत इन दोनों के पास है। सभापति महोदय, यह दोनों की लिप सर्विस है, ये कोई आरक्षण नहीं करना चाहते हैं। आप कहां आरक्षण करना चाहते हैं? अगर आपकी निष्ठा...

श्री सभापति : ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वाद-विवाद कर रहे हैं, व्यासजी, इनको करने दीजिये। लैट दैम स्पीक। आप कह रहे हैं जो सही है, पर बिराजिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं तो वास्तविक स्थिति तो बताएं।

श्री सभापति : अब ये कहेंगे आगे वकालात करेंगे। आप, पारीक साहब, चालू रखिये प्लीज़।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। संविधान के अन्दर आप संशोधन कीजिये और शैक्षणिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन की जगह आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाइये, यह अपने-आप हो जाएगा।

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय सभापति महोदय, सोनियाजी क्यों नहीं अटलजी के पास जाती?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये कोई बात नहीं हुई। वो क्यों नहीं बुलाते हैं? क्यों नहीं बुलाते अटलजी। वो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बुलाते? यह कोई बात हुई क्या? वह अपोजिशन की लीडर हैं, वह इंवाइट कर सकते हैं। रोज बुलाते हैं देश की समस्याओं के लिये, प्राइम मिनिस्टर का फर्ज बनता है बुलाकर बात करें उनसे, क्या दिक्कत है?

श्री सभापति : व्यासजी, बिराजिए। ऐसा है, व्यासजी ने संविधान में व्यवस्था की व्याख्या की है, जहां तक मुझे जानकारी है वह बिलकुल सही बोल रहे हैं। पारीक साहब, आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मैंने भी यही निवेदन किया था कि संविधान में संशोधन किये बिना यह सम्भव नहीं है। इसीलिए बार बार मेरा आपसे यह आग्रह है कि संविधान में संशोधन करने के लिये हमें अपनी ओर से अपना एक प्रस्ताव रखना चाहिये। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : सभापति महोदय, 160 में से 6 जने बैठे हैं कांग्रेस के, अब ये क्या तो सामाजिक न्याय देंगे? समाज कल्याण रोज दुहाई देता है कि हम गरीब के रक्षक हैं...

श्री सभापति : संख्या तो कम है, सत्ता पक्ष तो कम है लेकिन हाउस का कोरम पूरा है। आप बिराजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : कोरम की बात नहीं है, यह सत्ता पक्ष जो हरिजन का वोट मांग कर, शिड्यूल्ड ट्राइब का ठेकेदार बना डोलता है कि हम इनके रक्षक हैं, ये ऐसे रक्षक हैं कि 160 में से 6 बैठे हैं।

श्री सभापति : बिराजिए, धर्मपालजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हम लोग नहीं बैठे हों तो कोरम की घंटी अभी बजानी पड़े आपको।

श्री धर्मपाल चौधरी : अभी बज जाएं कोरम की घंटी इनकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु हम गरीब के हितैषी हैं, हम चाहते हैं यहां हरिजन की बात हो, पिछड़े की बात हो, उनको न्याय मिले।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, आप चाहो तो अभी घंटी बज सकती है। इनके भरोसे तो घंटी रुकेगी नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी : अभी हम दिख रहे हैं सारे बी.जे.पी. वाले, इनकी घंटी बजी बजायी है।

श्री सभापति : अब भी नहीं रुकेगी। माननीय वरिष्ठ मंत्रीजी बैठे हैं, इनको चिंता है। पारीक साहब, आप चालू रखिए।

श्री सांवर लाल : आप चाहो तो अभी बजा दें, नहीं 8 महीने बाद तो घंटी बजनी ही है इनकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी करवा दें, अभी बजवा दें। चलो, चलो।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने तो देश को तोड़ने की ठान रखी है, यह विधान सभा का प्रांगण तो इनके लिये बहुत छोटा है। पूरे देश को जिस तरह से इन्होंने आग लगा दी, आज पाकिस्तान से या किसी दूसरे मुल्क से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस मुल्क में इस तरह के आचरण वाले लोग रहेंगे उस देश को दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है, अपने आप वह विखंडित होगा, अपने आप उसकी सामाजिक समरसता का ताना-बाना छिन्न भिन्न होगा।

(गणपूर्ति घंटी)

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतकजी, अभी भी कोरम पूरा नहीं हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, यह थोड़े ही होता है? चाहकर घंटी बजवाई, यह कोई तरीका नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र पारीक : बताइए, यह कोई इनका आचरण हुआ? यह आचरण खेदजनक है, यह कोई आचरण हुआ इनका?

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको कह कर जा रहे हैं कि कोरम की घंटी, मतलब यहां एस.टी., एस.सी. के मामलों पर चर्चा हो रही है...

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, इससे ज्यादा खेदजनक कोई बात नहीं हो सकती।

श्री सभापति : मैं कोरम के अभाव में सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं। मुख्य सचेतकजी आप गिन सकते हैं कोरम को, मैं सदन को 15 मिनट के लिये कोरम के अभाव में स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.52 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित हुई)

(पुनःसमवेत होने पर)

(15.07 बजे)

(श्री देवन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सदन में गणपूर्ति

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ भी सदन में हुआ वैसा कभी भी नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज सदन में...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सारे कांग्रेसी पेपर देने गये। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आज हाउस में इतना बड़ा काण्ड हो गया...(व्यवधान) सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

डा. महेश जोशी : बिना कोरम की घंटी बजाए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : इतनी महत्वपूर्ण मांग थी और कांग्रेस के इतने लोग थे वे पेपर दे रहे थे। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कितने गम्भीर है शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अभी आपको यह सब देखने के लिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : सदन को बच्चों का खेल बनाकर रख दिया। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : बच्चों का खेल नहीं है। पेपर होने जा रहे थे...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : शर्म आनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : हाउस में कोरम की घंटी बजी ही नहीं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : क्या बच्चों का खेल है। मुख्य सचेतक नहीं, मुख्य मंत्री नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। अंकित नहीं हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। पांच माननीय सदस्यों को...(व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। माननीय प्रताप सिंहजी, आपसे मेरा निवेदन है प्लीज आप बिराजिए। (व्यवधान) हाउस एडजोर्न क्यों हुआ? कोरम की घंटी बजनी चाहिए थी। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने घंटी बजाई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने घंटी यह बजाई है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं बिना कोरम के हाउस चला सकता था क्या? (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिना कोरम के मैं एक मिनट भी हाउस चला सकता था क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोरम की घंटी यहां है, कोरम की घंटी सैक्रेटरी बजाते हैं। यह घंटी कोरम की नहीं है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : बिना कोरम के हाउस चला सकता था क्या? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है, मैंने घंटी बजायी है। (व्यवधान) सचेतकजी आये हैं और बुलाने गये हैं। तीन मिनट तक मैंने इंतजार किया है, कोई व्यवस्था बता दीजिए बिना कोरम के हाउस चलाने की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री रोहिताश्व कुमार : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज, बहुत हो गया, आप बिराजिये। (व्यवधान) माननीय पारीक साहब, बोलिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

डा. के. सी. चौधरी : XXX

श्री संजीव कुमार : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये प्लीज, आप आसन को मजबूत मत कीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है, आप बिराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप बिराजिये, पाइंट आफ आर्डर जब मैं कहूं तब आप बोलना। बिराजिये, प्लीज आप पहले बैठिये। मैं अलाउ करूं तब बोलना, आप पहले बैठिये।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। आपका क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि बिना कोरम के हाउस चल सकता है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिना कोरम के हाउस नहीं चल सकता है। बिराजिये। बिना कोरम के हाउस नहीं चल सकता है। लेकिन कोरम के अभाव में घंटी बजती है कोरम की और कोरम की घंटी बजने के बाद यदि हाउस में कोरम नहीं हो तो हाउस एडजोर्न होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने यह घंटी बजायी, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रोहिताश्व कुमार : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये, माननीय सदस्य, अननेसेसरी आर्ग्यू कर रहे हैं, बिराजिये। यह घंटी बजाते हैं, घंटी यहां से बजाते हैं। (व्यवधान) डिवीजन के टाइम नहीं, कोरम के टाइम भी बजाते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आपका यह भी कहना सही है, लेकिन मैंने 3 बार घंटी बजायी है। कोई था ही नहीं, और माननीय मुख्य सचेतकजी आये हैं हाउस में, उस समय मैम्बर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, खतम करो।

श्री नाथूराम : XXX

डा. के. सी. चौधरी : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये प्लीज, आसन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आसन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न प्लीज। आपको प्रताड़ित कर रहा हूं आप बिराजो।

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। पारीक साहब, आप बोलिये। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : पारीक साहब, बोलिये।

डा. महेश जोशी : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : जोशीजी, प्लीज।

मांग संख्या–33 व 30 पर विचार

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान सरकार बड़ी संवेदनशील है और उसका हर कदम हर उस पीड़ित व्यक्ति को राहत पहुंचाने के लिये है-ये कुछ ऐसी बातें थीं जिन पर हम सदन में चर्चा कर रहे थे। सामाजिक समरसता के छिन्न-भिन्न होने के इस वातावरण के लिये मैं किसी एक दिन को दोषी नहीं मानता। यह तो गनीमत है कि जिस मुल्क में हम सांस लेते हैं इस मुल्क में जीव-निर्जीव सब वस्तुओं को देवतुल्य माना जाता है। जहां पानी, पत्थर, पेड़, पशु-पक्षी, मानव की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, इन सबको जहां देवतुल्य माना जाता है ऐसे में कोई लाख कोशिश करे, हमारी सामाजिक समरसता के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न नहीं किया जा सकता है। जो कुछ भी प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य इस समरसता को समाप्त करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं उनके लिये मेरी ये चन्द लाइनें हैं :-

खुली छतों के दीये कब के बुझ गये होते
कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है॥

हमारे इस राष्ट्र की मूल भावना हमें एक रहने का संकल्प देती है, हमें सामाजिक समरसता को कायम रखने का सन्देश देती है। हमें भ्रातृत्व भाव को पैदा करने का संदेश देती है, पीड़ित मानवता के प्रति एक-दूसरे के समर्पण का भाव पैदा करने को कहती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम लाख कोशिश करें, हम लाख त्रिशूल बांटें, हम लाख चाकू और छुर्रे बांटे, इस सामाजिक समरसता के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न नहीं किया जा सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि ये उठकर इस सदन से बाहर जाकर कोरम का यह वातावरण पैदा नहीं करते तो मुझे निश्चित रूप से ताज्जुब होता। ये उठकर चले गये, मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ।

श्री मदन दिलावर : आज पूरे देश में...(व्यवधान) यदि इस देश में राष्ट्रद्रोही पैदा हो गये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : क्योंकि समाज को तोड़ने का काम ये करने में लगे हुए हैं। अब इसमें यह...कैसे भी सामाजिक समरसता को मजबूत रखकर...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : गला खराब हो जाएगा, होने की सम्भावना है, आप ज्यादा मत बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा यह तय कर लिया है कि कैसे हम इस राष्ट्र की समरसता को छिन्न-भिन्न करें, कैसे इस राष्ट्र के साम्प्रदायिक सौहार्द को हम बिगाड़ें, ऐसे लोगों को कांग्रेस को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की सरकार

(श्री राजेन्द्र पारीक)

को, माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को कि जब जब ऐसे मौके आये हैं, जब जब राजस्थान के साम्प्रदायिक सौहार्द के ऊपर किसी ने हल्की-सी आंख भी उठायी तो उन्होंने दृढ़ निश्चयात्मक स्वर में अपने अधिकारियों को यह संदेश दे दिया कि यदि किसी भी रूप में सामाजिक समरसता और साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बिगड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। यही निश्चय और संकल्प था जिसने गुजरात जैसे भीषण दंगों के बावजूद भी राजस्थान को सुरक्षित और संरक्षित रखा। यही एक वह संदेश है...

श्री मदन दिलावर : गंगापुर सिटी में 3 हिन्दुओं की हत्या की, इस सरकार ने यह किया है, 3 निर्दोष लोगों की गंगापुर सिटी में हत्या की है।

एक माननीय सदस्य : ये लीडर के कंट्रोल में नहीं है।

श्री मदन दिलावर : मैं कोई दबने वाला नहीं हूं, ऐसे दबने वाला नहीं हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : प्रतिपक्ष के नेता महोदय के कंट्रोल में नहीं हैं यह माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : आप बिराजो, स्प्रिंग लगी हुई है क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक : बैठिये आप।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने यह महसूस किया और राजस्थान के वे भाई जो दूर-दराज विदेशों में बैठे हुए हैं, उन्हें यहां पर आमंत्रित किया, उनका सम्मान किया, उनमें भ्रातृत्व भाव पैदा किया। उनको एक संदेश दिया कि तुम इस धरती के बेटे हो, इस धरती का अन्न जल खाकर तुम बड़े हुए, तुम्हारा कुछ उत्तरदायित्व बनता है। उनमें अपनेपन का कुछ भाव पैदा किया। तब प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग हम पर खिल्ली उड़ा रहे थे थे कि क्या बुलाया है तुमने इन लोगों को। लेकिन इसे एक अनुकरणीय उदाहरण मान कर भारत सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बाहर के लोगों को बुलाकर चर्चा की। उस चर्चा में हिन्दुस्तान के गृह मंत्री को जब किसी एक महिला ने उठकर पूछा कि हमारी सुरक्षा का क्या होगा, उनके सामने जब साम्प्रदायिकता का, उस ताण्डवता का जिक्र किया तो उनकी आंखें शर्मसार हो गयी। कांग्रेस की सरकार दृढ़ संकल्पित है कि हमें किसी भी तरह इस सामाजिक समरसता को बनाये रखना है। आज जो हालत बनी है, मैं किसी एक दिन का दोष नहीं मानता। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि उन व्यक्तियों को जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो आर्थिक रूप से शोषित हैं, मेरा आपके माध्यम से इस पूरे सदन से अनुरोध है कि आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा तो हम कर रहे हैं, जब सामाजिक सुरक्षा और समरसता की हम बात कर रहे हैं, जब हम कल्याण की बात कर रहे हैं तब हमें उनके कल्याण

(श्री राजेन्द्र पारीक)

के बारे में भी सोचना होगा जो पीड़ित हैं। उसके लिए मेरा आपसे एक आग्रह है कि यदि भारत के संविधान में यह संशोधन करना पड़े कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जाए तो यह संकल्प पारित किया जाना चाहिए। बाकी सारी जातियां जो किसी भी रूप से और आर्थिक आधार पर पिछड़ी हुई हैं, उनको भी इस मुल्क में जीने का अधिकार है। उनको दोयम दर्जा जीने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते। वे इस मुल्क को दोयम दर्जे के नागरिक नहीं हैं, वे इस मुल्क के नागरिक हैं। उन्हें अधिकार है कि वे भी अपने मुल्क में रहते हुए समानता का अधिकार प्राप्त करें और सारे के सारे वे साधन प्राप्त करें जो उनका हक बनता है। इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना होगा, 49 परसेंट से बढ़ाकर इसको 75 परसेंट तक करना होगा, 80 परसेंट तक ले जाना होगा और उन बाकी सभी जातियों को जिनमें ब्राह्मण, राजपूत और जितने भी अन्य मुस्लिम हों, सिन्धी हों, ईसाई हों, कोई भी हो उन सबको हमें उसमें सम्मिलित करना होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इन लोगों पर लगाम कसते हुए जो यहां का वातावरण बिगाड़ने पर तुले हुए थे, मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो मांग है समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, जनजाति विकास, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में कई राज व्यवस्थाएं रही हैं। अंग्रेजों ने भी यहां पर राज किया, उस समय वे अपने कल्याण में ज्यादा लगे हुए थे, देश और समाज के कल्याण में नहीं थे। जब हिन्दुस्तान के लोगों को लगा कि ये अपना ही कल्याण कर रहे हैं, जनता के कल्याण की कोई योजना इनके पास नहीं है, देश के कल्याण की योजना नहीं है तब इस देश में आन्दोलन हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों को भगाया, उसके बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान में ये प्रावधान किये गये कि इस देश के जो नागरिक गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, उनका कल्याण किया जाएगा। 1952 से जनतांत्रिक सरकारों का गठन शुरू हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजा के द्वारा वार्ड मैम्बर से लगाकर पार्लियामेंट मैम्बर तक का चुनाव शुरू हुआ तो लोगों को यह लगने लगा कि जो सरकार हम बनाते हैं वह सरकार अंग्रेजों से बेहतर होगी। वह इस देश की बहबूदी के लिए काम करेगी। शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, सामुदायिक विकास के लिए, लोगों को रोजी-रोटी उपलब्ध कराने के लिए काम करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप

(श्री सांवर लाल)

जानते हैं कि इस देश में प्रजातंत्र में पार्टी व्यवस्था थी और जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधीजी ने तो कहा था कि इस पार्टी को खतम कर दो, इसका मकसद खतम हो गया। कांग्रेस का मकसद देश को आजाद कराना था। पर चूंकि उस जमाने में जो सत्ता में आना चाहते थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस की पहचान गांव और ढाणी में हो गई, इसको हम खतम नहीं कर सकते। अगर यह खतम हो गई तो हमारा आधार खतम हो जाएगा। इस देश में अगर गांव से गरीब किसान एम.एल.ए., एम.पी. बनेंगे तो हम कहां जाएंगे? उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे से कह सकता हूं कि सन् 1970-75 तक जो भी सरकारें रही हैं दिल्ली में, चाहे अंग्रेजी में गुटर-गूं करने वाले हों, उन लोगों को टिकट गले में बांधकर भेज दिये और ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बने जो इस देश का कल्याण करने की जगह भट्टा बैठाने में लग गये।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी उस सरकार के बाद में कुछ व्यवस्थाएं चैंज हुई हैं। अभी माननीय सदस्य जो बात कर रहे थे मण्डल कमीशन की, उस मण्डल कमीशन का भी गठन उसके बाद में शुरू हुआ। हिन्दुस्तान के खजाने का पहली बार 40 प्रतिशत रुपया हिन्दुस्तान के गांवों के अन्दर जाने लगा तो उसका श्रेय जनता पार्टी की सरकार को और चौधरी चरण सिंह को है जिन्होंने वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहते हुए अपने 40 परसेंट पैसे को हिन्दुस्तान के गांवों के अन्दर भेजा। जब राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत थे उस जमाने में गांव-गांव का कल्याण हुआ, हर गरीब का कल्याण हुआ। अन्त्योदय अन्न योजना चालू हुई और गांव-गांव के अन्दर लोगों के जो मजदूरी करते थे, घरों के अन्दर गेहूं की बोरियों की लाइन लग गई थी। लोग सोचते थे कि वास्तव में प्रजातंत्र तो अब आया है। मैं दावे से कह सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर 1977 में व्यवस्था नहीं बदलती तो ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इनके आधे एम.एल.ए. जो आज बैठे हुए हैं मूंछें तानकर, वे नहीं आते और ऐसी व्यवस्था रहती कि इस देश में वही राज करेगा जो यह कहेगा कि लाल मिर्च महंगी हो गई तो लाल मिर्च ही बोओ। यह व्यवस्था चैंज नहीं होती। पर जनता है, जनतंत्र है और आज तो हालत यह है कि जनता काफ़ी जागरूक हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर जनता का काम नहीं होता है तो जनता फटाफट उसका पर्चा देने के लिए तैयार रहती है। कई योजनाएं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण में हर वर्ग, हर जाति, सबका

(श्री सांवर लाल)

कल्याण अगर होगा, हर धर्म को मानने वालों को अगर अपनी स्वतंत्रता होगी तब तो हमारा समाज मजबूत होगा जो देश की मजबूती के लिए काम करेगा समाज की सुरक्षा होगी। हमारे देश की रक्षा भी अगर कमजोर रही तो हम चाहे समाज को कितना ही मजबूत कर लें, दूसरे आतंककारी देश से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हम कितनी भी बेहतर कर ले, उसमें हम जनता को राहत नहीं दे सकते हैं। आज इराक की जो हालात हो रही है, अमरीका इतना पावरफुल है कि इराक के ऊपर आक्रमण कर रहा है। इराक में चाहे कोई भी शासक हो, वह शासक अपने यहां पर सुरक्षा देने की हालत में नहीं है उस जनता को, उसकी हालत खराब हो रही है। पर मैं हमारे प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आते ही जो चालीस वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया वह परमाणु विस्फोट करके पोकरण में यह साबित कर दिया कि हमारे देश की जनता की सुरक्षा हम करेंगे और देश की सुरक्षा भी करेंगे। इस देश की तरफ अगर किसी ने देखने की कोशिश की तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

डा. के. सी. चौधरी : पहला परमाणु विस्फोट, माननीय सदस्य, कब हुआ था?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सबसे पहले इन्दिरा गांधी ने किया था।

श्री रघुवीर मीणा : सबसे पहले इन्दिरा गांधी ने किया था।

श्री सांवर लाल : स्वर्गीय इन्दिराजी का हम सम्मान करते हैं, आप बिराज जाइये। सम्मान के साथ-साथ उनका इतिहास भी पढ़ लो यहां पर हिन्दुस्तान के जवान शहीद हुए थे वह जमीन वापस उन देशों को सम्भला दी, जहां पर हमारा सैनिक पहुंचा था।

डा. के. सी. चौधरी : लेकिन आपने तो करगिल में अपनी ही जमीन पर...(व्यवधान)

श्री रघुवीर मीणा : करगिल में क्या हुआ? वहां पर...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी लड़ाई इन्होंने लड़ी होगी वह...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : अपनी ही जमीन पर लड़ाई लड़ी है, माननीय सदस्य, वहां पर करगिल में। करगिल में निर्दोष लोगों को मरवा दिया।

श्री नगराज : करगिल में क्या किया आपने, यह बता दो? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह करगिल की बात आ गई।

श्री रघुवीर मीणा : करगिल को इनको दिखता ही नहीं है, क्या हुआ पता नहीं है।

श्री सांवर लाल : करगिल में क्या हुआ, आप लोगों की गिनती में...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आप आपस में ही लड़ते रहे और उधर अपनी जमीन पर कब्जा हो गया, यह हुआ था, दिल्ली सरकार आपस में लड़ती रही।

श्री धर्मपाल चौधरी : बनिये तो कोई लड़े ही नहीं। कोई एक बनिया शहीद नहीं हुआ। बैठ जाइये आप।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें फख्र है कि इस देश में ऐसी बिरादरियां हैं इस देश ने एक जवान पैदा किये हैं, चाहे करगिल हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे बांग्लादेश की लड़ाई हो, यहां पर चां-चूं करने वाले तो बहुत हैं पर सेना में अपने लड़कों को भेजें तो इनको मालूम पड़ता कि क्या हालत होती है। जो शहीद होते हैं इस देश के लिए वे गांव के किसानों के लड़के होते हैं- चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे अहीर हो, इनकी संख्या ज्यादा मिलेगी आपको। आप इतिहास उठाकर देख लो, करगिल के आंकड़े लेकर देख लो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत शहीद हुए हैं इस देश के अन्दर। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप पूछते करगिल में क्या हुआ?

श्री सांवर लाल : मैं बताना चाह रहा हूं। करगिल हुआ जो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि करगिल में हिन्दुस्तान जीता मैं प्रधानमंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं पर गांव में पता नहीं चलता था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो समाज कल्याण पर बोलो।

श्री सांवर लाल : यह समाज का कल्याण ही हो रहा है। देश का कल्याण होगा जब होगा।

एक माननीय सदस्य : ताबूतों में पैसे खा रहे हैं।

डा. के. सी. चौधरी : यह करगिल के कहां से आ गये? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि यह बहुत विस्तृत...

डा. के. सी. चौधरी : यह तो करगिल के ताबूतों में पैसे खा गये। ताबूत चोर सरकार तो इनकी दिल्ली की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री सांवर लाल : समाज का कल्याण नहीं है। केवल समाज कल्याण विभाग की योजनाओं पर ही डिस्कस करना समाज कल्याण नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कई जवान शहीद हो गये...(व्यवधान)

श्री नगराज : वह तो ताबूत कल्याण था इनका। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : वर्ल्ड-बार में भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री नगराज : वह तो वहां पर ताबूत...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्व-युद्ध में भी हिन्दुस्तान के जवान शहीद हुए हैं, करगिल में भी हुए हैं, बांग्लादेश की लड़ाई में भी हुए हैं। पर मां-बाप को केवल चिट्ठी और तार मिलता था कि आपका लड़का फलां लड़ाई में शहीद हो गया, उसकी शक्ल नहीं देख सकते थे। चाहे कितने ही लगे पैसे राज के खजाने से, हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री के हम एहसानमंद हैं कि आज शहीद कहीं पर होगा, उस जवान का, शहीद का सर उस गांव में पहुंचेगा और राजकीय सम्मान के साथ उसकी अन्त्येष्टि की जाएगी। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : वहां पर क्या हुआ? कफन में भी दलाली खा गये।

डा. के. सी. चौधरी : ताबूत में पैसे खा गये। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : कफन में दलाली खा गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कफन में दलाली खा गये। ताबूतों की ही तो बात कर रहे हैं न साहब?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये। आप बोल लेना आपको बोलना है जो। आपका कहना सही नहीं है क्या?

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली की बात करेंगे लेकिन सन् 1952 से कितने घोटाले किये, आपको पता ही नहीं है। काहे +++ कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : राजस्थान के घोटाले चालू हो गये तो गिनती में नहीं आएंगे।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन करगिल शहीद के आश्रितों को माननीय प्रधानमंत्रीजी ने पैट्रोल पम्प का आबंटन करके एक सम्बल प्रदान किया है, यह इस हिन्दुस्तान की जनता के लिए स्वाभिमान की बात है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह तो 1971 में भी हुआ था। 1971 के शहीदों को दिये, 1965 के शहीदों को दिये, 1962 के शहीदों को दिये, यह कोई नई बात नहीं है। आप प्रधानमंत्री के साथ-साथ राजस्थान के मुख्य मंत्री को और धन्यवाद दे दो।

श्री सांवर लाल : आप खड़े नहीं होते तो मैं दे देता। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : जिन्होंने शहीदों की विधवाओं को स्वयं जाकर सम्मान पेश किया। राजस्थान का कोई मुख्य मंत्री ऐसा नहीं है जो जनता के

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

साथ भागीदार न हुआ हो। उनके सम्मान में गये हैं। आप राजस्थान के मुख्य मंत्री को भी धन्यवाद दे दें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : शहीदों के लिये जनता का पैसा पड़ा है अभी भी। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : शहीदों की अर्थी को कन्धा भी दिया है। (व्यवधान) विशेष पैकेज की घोषणा भी की है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : उड़ीसा और गुजरात का पैसा गवर्नमेंट के पास है। जनता का पैसा जमा पड़ा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धर्मपालजी, बिराजिये।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही बात कहने वाला था, पर हमको समझ में नहीं आता, आपको कैसे वहम हो गया कि मैं मुख्य मंत्रीजी का नाम नहीं लेता। आपकी मानसिकता बड़ी संकीर्ण है इसलिए आपको लगता है कि जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही प्रोफेसर सांवर लाल बोलेगा। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी का भी सम्मान करता हूं कि उन्होंने भी उनका सम्मान करवाने की कोशिश की है। जितनी राजकीय सहायता देने का उनका सामर्थ्य था, दिया पर जितना पैसा और कहीं से आया, उसका भी हिसाब-किताब आप बता दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल गवर्नर साहब का प्रोग्राम था पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। सरकार की जवाबदेही होती है कि जो जनता के बीच में वादे करे उन वादों के हिसाब से काम करे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समाज कल्याण पर बहस चल रही है, किस पर चल रही है, साहब?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाज कल्याण। गवर्नर के एड्रेस पर थोड़े ही बोल रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री नगराज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय से हटकर बोल रहे हैं यह।

श्री सांवर लाल : आप किसी विषय विशेषज्ञ को बुला लीजिये।, अगर मैं समाज कल्याण के अलावा कोई बात बोल रहा होऊं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इनकी तैयारी तो है नहीं, साहब, पढ़कर तो आये नहीं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : कल गवर्नर साहब ने, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की सरकार जनता के बीच में वादा करती है वह क्या निभाएगी, जो कमिटमेंट मेरे से किया वही नहीं निभा सकती। मुझे कोई आशा नहीं

(श्री सांवर लाल)

है ऐसी सरकार से। और क्या लानत हो सकती है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब यह कहते हैं समाज कल्याण पर बोलो। अब समाज कल्याण...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह तो पढ़कर आये नहीं।

श्री सांवर लाल : नहीं-नहीं, पढ़कर तो बहुत आया हूं। बिना पढ़े ही इतना नालेज है कि आपकी कांग्रेस पार्टी बोल नहीं सकती। कई चर्चाएं हुईं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण का मतलब हर वर्ग को ऊपर उठाना, गरीब को ऊपर उठाना। ये सारी बातें माननीय भाटी साहब ने भी कहीं। आदिवासी एरिया भी है, अपने यहां पर रेगिस्तानी एरिया भी है। तरह तरह की बिरादरियां हैं। यहां पर हिन्दुस्तान के अन्दर असमानता रही है, इस बात से मना नहीं कर सकते। एस.सी., एस.टी. का आरक्षण भी इसीलिए किया गया था कि एस.सी. एस.टी. जातियों के लोग दबे हुए हैं। जिनको अवसर नहीं मिले उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलें। उनको स्कालरशिप मिले, उनको पढ़ाने-लिखाने के लिये व्यवस्था हो। वे बच्चे अगर शहरों में जाएं तो किराये के मकान उनको नहीं मिलते हैं, उनकी मकान किराया देने की क्षमता नहीं है इसलिए वहां पर छात्रावासों का भी निर्माण किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कहूंगा तो समाज कल्याण मंत्रीजी उछल जाएंगे कि हमने इतने छात्रावास खोल दिये। छात्रावास इनके बस की बात नहीं है, पैसा भारत सरकार का आता है। 25 प्रतिशत इनको मिलाना पड़ता है, वह भी राजस्थान में मिलाने की स्थिति में नहीं है। एम.एल.एज. को चिट्ठियां लिखते हैं 25 प्रतिशत मिला दीजिये, समाज कल्याण का छात्रावास खोल देंगे। इससे ज्यादा बुरी हालत नहीं हो सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर में, यहां ताम्बीजी नहीं हैं, उनके एरिये में एक गांव पड़ता है वहां पर एक समाज कल्याण छात्रावास का हमारे जमाने के अन्दर, जब मैं मंत्री था मैंने शिलान्यास किया। हमारे टाइम में शिलान्यास हुआ। उसके बाद सरकार बदल गयी। जनता ने बदल दी। उन्होंने आज तक उस छात्रावास को नहीं बनने दिया। इससे क्या एस.सी., एस.टी. के छात्रों का कल्याण हो जाएगा? यह केवल इनका ईगो था कि एस.सी., एस.टी. का करेंगे तो हम करेंगे। आप कर देते पांच साल के अन्दर। क्या कर दिया आपने? अभी मंत्रीजी खड़े होकर कहेंगे, एम.एल.ए. को अध्यक्ष बना दिया। किसका अध्यक्ष बना दिया? आपने तो अपने कल्याण के अलावा कुछ किया नहीं। आप यातायात मंत्री थे, आपको झण्डी और लाल बत्ती मिली हुई है। जिला प्रमुख को मिली नहीं। इनकी लड़की जिला प्रमुख बन गयी तो

(श्री सांवर लाल)

आदेश निकाल दिया, जिला प्रमुख लाल बत्ती इस्तेमाल करेंगे। क्यों, उसके बिना चल नहीं पा रहे थे? आपने 200 एम.एल.ए. हैं ये बिना लाल बत्ती के चल लेंगे, वे नहीं चलेंगे, क्योंकि इनको तो अपनी बच्ची का कल्याण करना था कि मेरा बाप और मैं दोनों लाल बत्ती में घूम रहे हैं, बाकी एस.सी., एस.टी. मर जाए। आज इतने वर्ष हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1950 से यह व्यवस्था बनी हुई है, मैं चाहता हूं सामाजिक न्याय तब होगा जब हर व्यक्ति को अवसर मिलेगा। चाहे वह एस.सी. का हो, एस.टी. का हो, ओ.बी.सी. का हो, सामान्य जाति का हो। आज देश को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। देश में अच्छे डाक्टर पैदा करने की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर पैदा करने की जरूरत है। अच्छे सैनिक हमारी सेना के अन्दर जाए। उनकी 17 बार नाप-जोख होती है, उनको दौड़ाते हैं, उसके बाद कहते हैं, फिट होगा कि नहीं होगा। बाकी नौकरियों में यह व्यवस्था नहीं है। आज साइंस के मामले में हम पीछे हैं, टैक्नोलोजी के मामले में हम पीछे हैं, और दूसरे जितने भी उद्यम हैं उनमें काफी पीछे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो 50 वर्ष पहले आरक्षण हुआ है, उसकी भी समीक्षा की जानी चाहिये। कितने रिजल्ट हमें मिलें? संविधान में व्यवस्था करते समय स्वर्गीय अम्बेडकर साहब का सोचना था कि हम हमारे हर वर्ग का, समाज के हर लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। वह कल्याण किस स्तर तक हुआ, कितना हमको इसमें फायदा मिला नहीं मिला, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, योजनाएं तो बहुत हैं। योजनाएं भारत सरकार की ये 300-350, किताबें पढ़ नहीं सकता हूं, इसमें महिलाओं के लिये, किसानों के लिये, गरीबों के लिये, हर वर्ग के लिये योजना बना रखी है। इन योजनाओं की क्रियान्विति जिस प्रकार से होनी चाहिये, वह नहीं हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी अकाल पर चर्चा हुई थी, यह समाज कल्याण नहीं है। आज लोग रोजगार के लिये भटकते फिर रहे हैं। जानवर चारे और पानी के अभाव में भूखे मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकते। 30 लाख टन गेहूं भारत सरकार ने आबंटित कर दिया, उसके बावजूद भी लोगों को नहीं दे रहे हैं। आज ए.पी.एल. को देंगे। आज बी.पी.एल. और ए.पी.एल. में कोई फर्क नहीं है। जिनके घर में दस जानवर हैं उनकी सामाजिक व्यवस्था बिलकुल खतम हो गयी। कांग्रेस के राज में लगातार पांच साल से यह व्यवस्था खराब हो रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यहां लोग-बाग शहरों

(श्री सांवर लाल)

के अन्दर घूमते रहते हैं, सुबह मण्डी लगती है, मण्डी में 10 प्रतिशत लोगों को रोजगार देते हैं बाकी भाग जाते हैं। प्राइवेट काम कम चल रहे हैं। इसलिए सरकार को उनके बारे में व्यवस्था करनी चाहिये कि जो लोग रोजगार के अभाव में मर रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। यह व्यवस्था अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से उपयोगी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आरक्षण की बात आयी। चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, गरीब हर जाति के अन्दर है। चाहे वैश्य हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे मुसलमान हो गरीब को अवसर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे व्यवस्था चलेगी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असन्तोष होना स्वाभाविक है। आज मंत्रीजी कहेंगे, मण्डल आयोग स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है, पर गवर्नमेंट के पास कुछ तो कहने के लिये है कि फैसला आपको छह साल में करना है, दस साल में करना है? आज राजस्थान के लोग आन्दोलित हैं। विधान सभा पर आएंगे। हर जिले में आन्दोलन हो रहे हैं और आप कह देंगे विचाराधीन है। तो आयोग इतना अनियंत्रण में हो गया कि राजस्थान जल जाए वह रिपोर्ट आपको दे नहीं? उनके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं, इसके बारे में टिप्पणी करे नहीं? और आप यहां विधान सभा में खड़े होकर लोगों को गुमराह करें, यह कतई उचित नहीं है। इसलिए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी कि जो भी हो, इस प्रकरण का निस्तारण कराओ। राजस्थान की जनता जो आन्दोलित हो रही है, उसके बारे में उसको कुछ सांत्वना मिले कि वास्तव में लोक कल्याणकारी हमारी सरकार है और हमारे बारे में विचार कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा मैं और बालूंगा महिला बाल विकास पर, यह तो समाज कल्याण में ही है।

श्री उपाध्यक्ष : जरूरी है बोलना?

श्री सांवर लाल : अब डिपार्टमेंट तो कई होते हैं। समाज कल्याण में तालाब-नाड़ी बनाओगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इधर बोलो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : समाज कल्याण नहीं। रोड बनाओगे समाज कल्याण नहीं, स्कूल बनाओगे समाज कल्याण नहीं। समाज कल्याण में सब चीज है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतनी देर से नहीं बोले, अब तो बोलो।

डा. के. सी. चौधरी : आपको एम.एल.ए. बनाया, यह भी समाज कल्याण है।

श्री सांवर लाल : बहुतों का कल्याण हो गया। आपके बनने से जितना जनता को नुकसान हुआ, उसका दस गुना मेरे बनने से फायदा है लोगों को।

(श्री सांवर लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, पहले आई.सी.डी.एस. के अन्दर डिप्टी डायरेक्टर बनता था वह आर.ए.एस. कैडर का अधिकारी बनता था। अब इस सरकार के आने के बाद में महिला बाल विकास और ग्रामीण विकास अभिकरण के दोनों पद समाप्त करके स्वयंसेवी संस्थाओं को अध्यक्ष बना दिया। वह स्वयंसेवी संस्था का अध्यक्ष भी है, महिला बाल विकास का भी अध्यक्ष है। अध्यक्ष होने के नाते जो भी योजना चलती है, उस दिन जसकौरजी का प्रकरण आया तब तो बड़े फुदक-फुदक रहे थे कि केन्द्रीय मंत्री हैं, उन्होंने संगठन बना रखा था, वह तो काम कर नहीं रही है। और इन्होंने ऐसी महिलाओं को बनाया जो स्वयंसेवी संस्थाओं के संगठन की अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर भी बैठी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारा काम इनके माध्यम से हो रहा है। महिला बाल विकास का। अब उसमें कितना न्याय होगा, यह आप कल्पना कर सकते हैं। और तो और, उनकी इतनी ताकत है कि उनके कहने से जो दूसरे अधिकारी हैं उन अधिकारियों के स्थानान्तरण हो जाते हैं। श्रीमती खर्शीदा खान जोधपुर में कार्यरत थी, इसके पास सारे पावर्स थे कि जो लगे उनकी तनखाह मेरे दस्तखतों से होगी, काम ठीक करें। इसको ट्रांसफर करवा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामसिंहजी पूर्व मंत्री हैं, उनको लिखना पड़ा मुख्य मंत्रीजी को। मेरी जानकारी में आया कि श्रीमती खुर्शीदा खान, परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. लूणी-जोधपुर का स्थानान्तरण कुछ गैर-जिम्मेदार अधिकारियों की निराधार व झूठी शिकायतों पर लूणी से अन्यत्र किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि श्रीमती खान गत दो वर्षों से ईमानदारी और निष्ठा से लूणी क्षेत्र से कार्यरत हैं, मैं इनके कार्य से संतुष्ट हूं। मुझे आश्चर्य है कि मेरी जानकारी के बिना किस स्तर पर मेरे क्षेत्र के अधिकारी का स्थानान्तरण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अकाल की स्थिति में पोषाहार कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए लूणी क्षेत्र से श्रीमती खान को हटाया जाना राजकीय हित में नहीं है। इसके बावजूद इनको हटा दिया गया, करौली लगा दिया। मुख्य मंत्रीजी से, सबसे गुहार करने के बाद, सत्ता पक्ष के सब लोगों के बावजूद भी स्वयंसेवी संस्था की संगठन की मुखिया है वह इतनी ताकतवर है कि इनकी किसी की नहीं चली। अगली को हाई कोर्ट में जाना पड़ा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वह वहां पर यथावत है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। केवल अपने आदमियों को बैठा दो, वो सरकार की योजनाएं बने, उनके चूना लगाते रहे, गांवों में पोषाहार का लाभ बच्चियों को, महिलाओं को मिले नहीं, यह कतई उचित नहीं है।

(श्री सांवर लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इनकी भ्रष्टाचार की इतनी शिकायतें हैं कि अगर एक-एक बताएं तो हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जिस उद्देश्य ये यह समाज कल्याण का महकमा है, अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा तो जो लाभ हम पीड़ित लोगों को पहुंचाना चाहते हैं वह नहीं पहुंचेगा। इसलिए सरकार को पूरे तरीके से सतर्क होकर मानिटरिंग करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हफीज मोहम्मद।

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम ऐसे वर्ग की चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से पिछड़ा और प्रताड़ित रहा है। लेकिन आजादी के बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने, डाक्टर अम्बेडकर साहब ने इस पिछड़े वर्ग की सुध लेने के लिए हमारे विधान में इनको कई प्रकार की रियायतें दीं, नौकरियों में, शिक्षा में रिजर्वेशन दिया जिससे आज यह वर्ग पिछले 50 साल में अच्छी स्थिति में आया है।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजस्थान सरकार में आजादी के पूर्व जहां एक भी आई.ए.एस., आई.पी.एस. आर.ए.एस. और बड़े-बड़े अधिकारी कमजोर वर्ग में से नहीं आते थे, आजादी के बाद रिजर्वेशन के कारण इस वर्ग को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है और आज हम गौरव से कह सकते हैं कि हमारे राज्य में बड़े-बड़े, ऊंचे-ऊंचे पदों पर हमारे कमजोर तबके के भाई-बहन आकर उन पदों को सुशोभित कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता कई माननीय सदस्यों ने समाज कल्याण के द्वारा किये गये कार्यों पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में हमारे इस कमजोर वर्ग को जो सुविधाएं मिली हैं, आज कई लोगों को, कई राजनीतिक पार्टियों को वे सुविधाएं अखर रही हैं। वह चाहते हैं कि रिजर्वेशन बहुत हो गया, किसी तरह से भी अब इसको खतम किया जाना चाहिए। लेकिन मेरी मान्यता है कि जब तक कमजोर वर्ग के लोग बराबर उच्च वर्ग के लोगों के पास नहीं आते हैं तब तक इस देश में यह रिजर्वेशन रहना चाहिए ताकि कमजोर लोगों को आगे आने में अधिक से अधिक सुविधाएं मिले।

मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने चार-साढ़े चार साल पहले ज्यों ही राजस्थान को नेतृत्व दिया, उन्होंने अपनी योजनाओं में कई तरह की महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, इससे आज हमारा यह कमजोर वर्ग आगे आने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जो छात्र 400 रुपये महीने में बराबर इस गरीबी में दो वक्त का खाना

(श्री हफीज मोहम्मद)

नहीं खा पाते थे, उनकी अपनी मजबूरी थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करीब 675 रुपये प्रति माह कर हास्टल में रहने वाले उन छात्रों को जो सुविधाएं दी हैं उससे हम भली प्रकार से परिचित हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे विरोधी पक्ष के भाई यह कह रहे हैं कि छात्रों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमने हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। विधान सभा क्षेत्र में वहां के विधायक को, प्रधान को, वहां के समाज कल्याण अधिकारी को और सरपंच को सारे छात्रावासों का काम-काज देखने के लिए कि कमेटी के माध्यम से वे काम करें, इसकी सुविधाएं दी हैं। इसके अलावा गरीब विधवाएं हैं उनके बच्चों की शादी-ब्याह के लिए राज्य सरकार 5000 रुपये तक की उनको मदद करती है। यहां तक कि महिलाओं की डिलीवरी के लिए भी सरकार मदद करती है। गरीबों की पेंशन पिछले आठ साल से 100 रुपये प्रति माह थी, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस बात को समझते हुए 200 रुपये प्रति माह की है उन गरीब महिलाओं को, गरीब व्यक्तिओं को जो बिलकुल कमजोर तबकों के थे। मुझे आज यह कहते हुए गर्व है कि पहले जहां राजस्थान में 20 लाख रुपये पेंशन के माध्यम से बंटते थे आज राज्य में करीब 200 करोड़ रुपये गरीब व्यक्तियों को, महिलाओं, वृद्धों को पेंशन के रूप में देकर उनको रोजगार का एक साधन दे रहे हैं। इसी प्रकार स्कूलों में, कालेजों में इनके लिए रिजर्वेशन को बढ़ाया है ताकि गरीब तबके के भाई-बहन आगे बढ़ने में सफल हो सकें। लेकिन आज जहां-जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं आती हैं कि हमारे कमजोर तबके के भाई खुशी के मौके पर, शादी-ब्याह में घोड़ी पर बारात ले जाएं और कुछ असामाजिक तत्व उनको घोड़ी से उतारे, उनके साथ मारपीट करें, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आजादी के 55 साल बाद भी गरीब तबके के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाए, यह इस देश के लिए, इस राज्य के लिए अच्छा नहीं है।

इस मौके पर मैं इन कल्याण योजनाओं की हिमायत करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार भी जो हमने बजट में प्रावधान रखा है गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें कमी पड़े तो और देना चाहिए और इस पैसे का सदुपयोग हो, इसके लिए बराबर निगरानी रहे। यही बात कहता हुआ मैं आपकी इस मांग का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमल कटारा।

(अनुपस्थित) श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान : वह आ गये, उन्हीं को अलाउ कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कर रहे हैं मना थोड़े ही कियां। बुला रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ है। बोलने दो उनको, बोलने में तकलीफ नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, आप बड़े अच्छे प्लेजेंट मूड में हो।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों, क्या हुआ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बहुत खुशी हुई मुझे आपको रिलैक्स देख कर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज परीक्षा आप की भी हो गयी, भीलवाड़ा जिले की हो गयी, उपाध्यक्ष महोदय, आप पास हो गये दिखते हो। वह परीक्षा चल रही हैं न, साहब, हमें खुशी है आप पास हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। मैं पास, आप अपनी चिंता करो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में आपनें व्यवस्था दी थी, अमेरिका ने इराक पर युद्ध करने के बाद...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार से निवेदन किया, वह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज सर्वदलीय बैठक हो रही है वहां पार्लियामेंट में प्रधानमंत्रीजी की।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, राजस्थान के नागरिकों की।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान के सम्बन्ध में भी वहां चर्चा हो रही है। उसके बाद गवर्नमेंट सीज्ड है सिचुएशन से। आज की इस मीटिंग के बाद क्या आता है उसके बाद आप से बात करेंगे। बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : सवाल इतना ही था कि मुख्य मंत्रीजी केन्द्र सरकार से इसकी स्थिति क्या है...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। यह ऐसा सरल मामला नहीं है, बहुत सेंसिटिव मामला है, माननीय सदस्य, समझिये इस बात को।

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान के हजारों लोग खाड़ी में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, हैं। राजस्थान सरकार भी इससे चिंतित है, भारत सरकार भी इससे चिंतित है। आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी है, उसके बाद क्या सिचुएशन डवलप होती है, सरकार ने भी अपनी तरफ से जो कुछ कहना था कहा है।

श्री अमराराम (धोद) : सर्वदलीय बैठक होने के बाद तो मुख्य मंत्रीजी पता करके हाउस को...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। इसको इतना लाइटली मत लीजिये। प्लीज। यह इतना आसान मामला नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मुख्य मंत्रीजी तो कापियां जांच रहे हैं, कहां इराक...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, कनक मलजी।

श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या–30 और 33 के बारे में चर्चा हो रही है। सभी माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के बारे में अपना-अपना मत प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले समाज कल्याण और टी.ए.डी. द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास और आश्रम छात्रावास और आश्रम छात्रावासों के बारे में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जो बातें कही गयी हैं मैं उनका पुनः दुहराव नहीं करूंगा परन्तु जनजाति क्षेत्र उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत जो छात्रावास हैं, आप और हम सब जानते हैं, अपने-अपने क्षेत्रों के अन्दर कि आज वहां के छात्रावासों की व्यवस्था कैसी है। छात्रावासों की व्यवस्था ठीक नहीं होने से जनजाति के छात्र, अनुसूचित जनजाति के छात्र बहुत ही परेशान हैं। वहां का वार्डन समय पर हास्टल में उपस्थित नहीं रहता है। छात्र शनिवार और रविवार को अपने घर भाग जाते हैं या फिर पिक्चर देखने चले जाते हैं। वार्डन के अभाव में बालक अस्त व्यस्त रहते हैं जिसके कारण से उनकी शिक्षा के ऊपर बहुत असर पड़ता है और उसके कारण से कई बालक फेल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम सब इसके बारे में चिन्तन करें तो मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ी बात होगी। यदि इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि छात्रावासों के कारण बालकों की पढ़ाई नहीं होती तो मैं सोचता हूं कि छात्र अधिक से अधिक पढ़ेंगे और पढ़ लिखकर आगे बढ़ेंगे। इससे आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र में एक अच्छा उदाहरण पेश हो सकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के अन्दर छात्रावासों की स्थिति के बारे में वर्णन करना चाहूंगा। सागवाड़ा के अन्दर छात्रावास है उसके दरवाजे को बच्चे तोड़ कर ले गये। चार-चार दिन, आठ आठ दिन वहां का वार्डन उपस्थित नहीं रहता। चीकलिया दूर-दराज का क्षेत्र है वहां पर भी ऐसी स्थिति है, वहां पर भी बड़ी परेशानी है। दूर-दराज में कोई जाना नहीं चाहता। आज हैरानी यह है कि हमने शिक्षा के बारे में चर्चा कर ली और अब हम छात्रावासों के बारे में चर्चा कर रहे हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति जहां पर उसका स्थानान्तरण किया जाता है वहां वह जाता ही नहीं है एक-एक महीने, दो-दो महीने और नहीं तो किसी को जिम्मेदारी देकर चला जाता है। उसके बाद कैसी परिस्थिति होगी वहां के छात्रावास की, उसके खाने की व्यवस्था कैसी होगी, उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी होगी, यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। माननीय मंत्री महोदय, इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता से पूर्व हम जनजाति के बारे में विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि

(श्री कनकमल कटारा)

पूर्व में मुखिया हुआ करता था, मुखिया पूरे गांव का निर्णय करता था और उसके अनुसार उसकी व्यवस्था और परिवार की व्यवस्था चलती थी। ब्रिटिश सरकार के समय स्वतंत्रता के पूर्व जनजाति के क्षेत्र के सन्दर्भ में अलग ही नीति अपनायी गयी कि तकनीकी क्षेत्र में बेहतर प्रशासन, शांति और व्यवस्था कायम रखी जा सके। लेकिन ऐसा जनजाति के विकास के उद्देश्य से नहीं किया गया। जिस जनजाति के जमींदार समृद्ध नहीं थे उनके खिलाफ पहाड़ों की उग्रता बढ़ जाने के परिणामस्वरूप राजमहल की पहाड़ियां, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में अप्रत्यक्ष शासन नीति अपनायी गयी। उन्हें बन्दूक की नोक पर दबाने का प्रयास किया गया। उनको तबाह किया गया, परेशान किया गया।

(15.53 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

उस समय तत्कालीन कलक्टर आगस्ट क्लीवलैंड ने अपनी कुशलता से गांव के मुखियाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया और उन्हें पेंशन दी जाने लगी। उससे राजस्व इकट्ठा करने को कहा गया। साथ ही कुछ प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार भी दिये गये। यह नीति देश के कई क्षेत्रों में अपनायी गयी। इस तरह तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने वास्तव में किसी का कल्याण या विकास या उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उस समय कोई संस्थान भी हुआ करता था, जैसे ईसाई मिशनरीज की हम बात करेंगे, कोई ऐसा वर्ग होगा जिसके अन्दर ईसाई मिशनरीज जाकर काम नहीं करता। आदिवासी क्षेत्र में गरीब की परिस्थिति और उसकी मजबूरी को समझकर उस क्षेत्र में सेवा का भाव लेकर गये। अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई की बात की, रोटी, कपड़ा और मकान की बात की। व्यवस्था की बात तो समझ में आती है, लेकिन इसके बदले में उनका भाव क्या था, उसको ईसाई मिशनरी जान सकता है, हिन्दू धर्म का परिवर्तन करके ईसाई बनाना। आज आप बांसवाड़ा के अन्दर देखिए, अधिकतर लोग आदिवासी नंगी पहाड़ियों में अकेले रहते हैं। ऐसे ही खैरवाड़ा के अन्दर, ऐसे ही सागवाड़ा और आसपुर क्षेत्र हैं। ईसाई मिशनरीज का जाल आज दिन तक फैला हुआ है। आदिवासी भाइयों को रोटी, कपड़ा और मकान के नाम से समाज के अन्दर टूटने जैसी स्थिति पैदा कर दी है। दो वर्ग कायम हो गये हैं, यह परिस्थिति आज है। उसकी मजबूरियों का फायदा लिया जा रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वह आर्थिक स्थिति में ऊपर उठा हुआ नहीं है। वह अशिक्षित है और उसको आर्थिक स्थिति से मजबूत करने का काम हमने नहीं किया। हम संसद और विधान सभाओं के अन्दर सभी

(श्री कनकमल कटारा)

माननीय सदस्य इस बात का बखान करते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजातियों का हमको उत्थान करना चाहिए। कानून कायदे सब बना दिये। समाज बिना कहे आपको वोट देता है। पचास साल के अन्दर अधिकतर कांग्रेस पार्टी का राज रहा, पचास साल के बाद आज की स्थिति में यह माने कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा मुस्लिम वर्ग के वोट हमारे हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज दिन तक जो वर्ग जनजाति क्षेत्र में रह रहा है वह ईमानदारी और स्वाभिमान से रह रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ईमानदारी से रहते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं। वे ईमानदारी से वोट देते हैं पर इसके लिए हमने क्या किया? हमने आज क्या खोया और क्या पाया स्वर्ण जयन्ती के ऊपर, इसका मनन करें। स्वतंत्रता के बाद आज दिन तक कितना खोया और कितना पाया है उसके बारे में हम सब जन प्रतिनिधि विचार करें तो आंखों में आंसू आने लगते हैं।

जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उस क्षेत्र की जनता का रुख आपने देखा होगा, सभी माननीय सदस्य और मंत्रीगण वहां पर पधारे थे। आपने देखा होगा किस स्थिति में वहां चुनाव हुए। माननीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब पधारे थे उस समय उन्होंने घोषणा की थी, उनके उद्गार थे। मुख्य मंत्री गहलोत ने मंगलवार को निठा में आयोजित विराट समारोह में व्यक्त किये। इससे पूर्व गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के उत्थान के लिए पूरे मन से जुटी हुई है और इन प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए जनजाति क्षेत्र में चालीस करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। कहां की जाएगी, यह वर्णन किया है। मुख्य मंत्री ने उद्गार व्यक्त किये इसमें कहा है कि निठा से नौ किलोमीटर दूर बोरेश्वर शिवालय के समीप भीखा भाई सागवाड़ा-माही नहर के निर्माण कार्य शुभारम्भ किया। उन्होंने भीखा भाई के नामकरण पट्टिका का अनावरण किया। वैदिक मंत्रों से पूजा अर्चना कर भीखा भाई सागवाड़ा नहर का कार्य प्रांरम्भ किया। निठा में आयोजित समारोह में माननीय गुलाब सिंहजी, गृह मंत्री, डा. कमला, मंत्री और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डा. सी. पी. जोशी और अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सागवाड़ा की माही नहर और सागवाड़ा के महाविद्यालय के नाम पर पचास साल तक चलता रहा कि हम माही नहर लाएंगे, हम माही नहर लाएंगे पर लागू कब हुआ? 1984-85 में स्वर्गीय माननीय भीखा भाई सदन में थे, उन्होंने इस प्रश्न को रखा कि इस

(श्री कनकमल कटारा)

क्षेत्र में हरिदेव जोशीजी ने हरित क्रांति ला दी। दोनों की लड़ाई में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आदिवासी एरिए में आदिवासी भाई परेशान हुआ और वहां विकास का कोई काम नहीं हुआ। वहां का क्षेत्र देखिए, वहां की परिस्थिति है, घर के चारों तरफ कांटे लगाकर गुजरात चले गये। आप सभी माननीय सदस्य वहां पधारे थे, उसके अन्दर देखा कि वहां की परिस्थिति क्या है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए माही नहर की बात कही थी। (व्यवधान) मेरी बात सुनिए। आप तो बांसवाड़ा में बैठे हैं इसलिए बांसवाड़ा की बात ही ध्यान में आएगी, आप उस क्षेत्र में नहीं पधारे। आप शायद आसपुर क्षेत्र में आये थे उप चुनाव से पूर्व, अभी आप उस क्षेत्र में नहीं पधारे। माननीय परमार साहब और माननीय शंकर लालजी बोल रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा है, इनके क्षेत्र की बात है।

माही नहर की बात कही, माही नहर के बारे में आज बजट में कोई प्रस्ताव नहीं है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का करोड़ों रुपये का बजट है लेकिन उप योजना क्षेत्र

(16.00 बजे)

का नाम चाहते हैं कि आदिवासियों का हम भला करना चाहते है। एकमात्र चुनाव जीतने के लिए वहां शिलान्यास कर दिया, ढाई हजार श्रमिक दो महीने के लिए लगा दिये और माही नहर का काम आज ठप्प। कोई काम नहीं चल रहा है। अकाल राहत के अन्दर भी कोई काम नहीं चल रहा है। इसके अलावा भी...

श्री मदन दिलावर : इतनी ओछी हरकत करेगी, हमको पता नहीं था।

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री कनकमल कटारा : अब वह बंद हो गयी। वह शिलान्यास किया धरा का धरा रह गया। दूसरी घोषणा आप देख लीजिए, दूसरी घोषणा क्या थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सागवाड़ा क्षेत्र में पेयजल अभावग्रस्त पन्द्रह गांवों को पेयजल पहुंचाने के लिए लोडेसर बांध से पानी मुहैया कराने के लिए योजना के लिए दस करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने की घोषणा की। पचास साल में दस करोड़। यहां तो कभी की नहीं, कोई बात ही नहीं। आज की तारीख में वहां पर पानी की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर भी शिलान्यास किया, आज दिन तक उसका कोई पता नहीं है। क्या स्थिति है वहां? जोखपुर में, हमारे बड़गी में, हमारे चीकली क्षेत्र में जहां जहां पानी की बात की वहां पर हैण्ड पम्प भी नहीं, पाइप भी नहीं। हम गये वहां, आपस में लड़ाई-झगड़े और पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी होने से वहां पर मुकदमें भी

(श्री कनकमल कटारा)

दर्ज हुए। जोखपुर गांव के अन्दर तो यह स्थिति भी पैदा हो गयी और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हुई।

ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा गांव बिलड़ा है, आश्चर्य की बात, उस क्षेत्र में पेयजल के लिए मैंने अतारांकित प्रश्न भी लगाया था। मैं राज्य सभा का मैम्बर था 1994 से 2000 तक रहा। मैंने इसलिए कहा, सभी से निवेदन किया था कि राजस्थान के अन्दर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर यह पूरा उप योजना क्षेत्र है, वहां पर गरीब जनजाति क्षेत्र के अन्दर सब लोग रहते हैं, सभी वर्गों के लोग रहते हैं इसलिए मैं पूरी राशि उधर ही व्यय करूंगा। तो मैंने प्रत्येक गांव में पेयजल की और हैण्ड पम्प की व्यवस्था की। मेरे गांव के अन्दर माही का किनारा और माही में जब पानी आता है उस समय पानी के अन्दर इतने कीटाणु और इतना गंदा पानी रहता है कि हम पी नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा कोई साधन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने सात-आठ लाख रुपया स्वीकृत किया था, तीन साल हो गये। मैंने जो योजना स्वीकृत की थी, वहां पर टंकी बन गयी, पाइप लाइन लग गयी, पाइप लाइन सैट हो गयी, वहां ट्यूबवैल खुद गया लेकिन इसलिए कि मेरा गांव था, तीन साल तक अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। कलक्टर से भी बात की, कोई ध्यान नहीं दिया। अभी प्रश्न लगाया तब जाकर मेरे यहां कुछ पानी छोड़ा। उसके कारण से पानी पी सके, तीन साल तक हम पानी नहीं पी सके। योजना में पूरा पैसा देने के बाद, टंकी बनने के बाद, पाइप लाइन छोड़ देने के बाद यह स्थिति हमारे जनजाति क्षेत्र के अन्दर है। इसके कारण से हम सबको चिन्ता करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मैं और कई बात कहना चाहता हूं। मैंने माही नहर की बात की, अगर उस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना है, हम सब ध्यान दें इस बात के लिए आदिवासी क्षेत्र में माही नहर का पानी, 125 किलोमीटर जगपुरा में कुआं तक इसकी दूरी है और उसके अन्दर राशि स्वीकृत की जाती है। वहां के सभी जनजाति और गरीब तबके के लोग जो गुजरात में कमाने जाते हैं, उनके साथ में घटनाएं होती हैं, तो इसको सुनकर बड़ी तकलीफ होती है कि क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। कोई न कोई घटना होती रहती है गुजरात के अन्दर, उसके अन्दर बड़ी परेशानी होती है। उसके कारण से वहां गरीब तबके के व्यक्ति की हालत बड़ी खराब है। अभी गुजरात में जो हुआ था, वहां पर जितने भी आदिवासी भाई गये थे उनके लिए आने-जाने की व्यवस्था, बस की व्यवस्था कुछ नहीं की और एक वर्ग विशेष के लिए तीन-तीन, चार-चार

(श्री कनकमल कटारा)

लाख रुपये की व्यवस्था की गयी और उनको ठहराया भी गया। आदिवासी भाई वहां अपने बच्चों को कांख में दबाकर पैदल चलकर आये, लेकिन इसके बारे में चिन्ता वहां किसी ने नहीं की।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मूल विकास अगर करना है, क्योंकि वहां पढ़े-लिखे ज्यादा नहीं, सब अधिकतर काश्तकार हैं, खेती करना चाहते हैं, इसलिए माही नहर का पानी वहां आता है तो अधिकतर लोग दूसरे राज्यों में न जाकर उसी क्षेत्र में इस काम को कर सकते हैं, अपनी खेती कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के अन्दर पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय शेखावत साहब, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी और शिक्षा मंत्री गुलाब चन्दजी कटारिया, आप भी सब वहां पधारे होंगे लेकिन इन्होंने विशेष कर उसी क्षेत्र में दौरा बनाया था। उन्होंने देखा कि वास्तव में यहां शिक्षा के अभाव के कारण सरकार की नीतियों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लम्बे समय से मांग है, महाविद्यालय होना चाहिए सागवाड़ा के अन्दर। एक जिले के अन्दर उस समय स्थिति थी कि एक महाविद्यालय था। कन्या महाविद्यालय आदरणीय ललित किशोर चतुर्वेदी और शेखावत साहब के राज में यहां स्थापित हुआ। लेकिन सागवाड़ा की मांग थी क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सागवाड़ा पड़ता है, जनजाति क्षेत्र में तमाम वर्ग के लोग डूंगरपुर या बांसवाड़ा परीक्षा देने जाते हैं, अगर यहां बीच में कालेज हो जाता है तो बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी। बच्चे भी परेशान नहीं होंगे और उनको भी सुविधा हो जाएगी। अन्यथा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जाते हैं तो परीक्षा के टाइम में एक-एक हजार रुपया किराया लगता है। कई बच्चे तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, हायर सैकण्डरी करके। इसके बाद कह देते हैं, नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, वे जा नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में मांग के अनुसार वहां कालेज दिया, हम उनके बहुत-बहुत आभारी हैं। परन्तु राज कांग्रेस पार्टी का है, हम सोच रहे थे अगर भवन बनाने के लिए राशि दी जाए, माननीय परमार साहब से निवेदन करना चाहता हूं। मैं इतनी बात इसीलिए कह रहा हूं कि वहां का गरीब क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कोई पैसा नहीं दे सकता। कोई लखपति नहीं है, कोई मिलें नहीं चल रही हैं। इसलिए उस क्षेत्र के महाविद्यालय के कमरों के लिए मैंने 15-20 लाख रुपये स्वीकृत किये थे। पांच-छह कमरे बने हुए हैं, दस लाख की

(श्री कनकमल कटारा)

बाउण्ड्रीवाल हुई है, तमाम वर्ग के लोग वहां पर आते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन कक्षा कक्षों के अभाव के कारण से वहां महाविद्यालय में बड़ी हैरानी है। वहां पर व्याख्याताओं की कमी है उसके कारण से भी बड़ी परेशानी है। इसलिए उस उप योजना क्षेत्र के अन्दर हम हमदर्द बने और उसके अन्दर सभी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि कक्षा कक्षाओं के लिए भी आप राशि स्वीकृत करें आपके मद से।

मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय जनजाति मंत्रीजी, आप विद्युतीकरण के लिए राशि दे जनजाति क्षेत्र में। जनजाति का स्वभाव है कि वे अपनी अहमियत से, ईमानदारी से, स्वाभिमान से जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए वहां आदमी स्वतंत्रतापूर्वक अलग रहता है, छितरी बस्तियों में रहता है। अपनी भौगोलिक परिस्थितियां, खेत, पानी जिस ढंग के हैं उस ढंग से रहता है। पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए नियम, कानून, कायदे सब बने हैं, लेकिन आपके नार्म्स में नहीं आते। आपसे भी कई बार चर्चा हुई, माननीय नन्दलालजी मीणा साहब ने भी बहुत सारे क्षेत्र में पैसा दिया होगा छितरी बस्तियों में नियम कानून बनाकर एक बार जनजाति क्षेत्र के अन्दर भी हमको राशि दी जाए ताकि वहां विद्युतीकरण करके उन लोगों को कनेक्शन दिये जाएं। वहां बिजली का लाभ दे सकते हैं लेकिन अभी परिस्थिति यह है कि जेठाणा के अन्दर हमारा एक गांव पड़ता है, एक हखरू भाई भगत करके है, जब उसका तीन हजार का बिल आया तो एक खेत गिरवी रखा उसने 1500 रुपये में और जब दूसरा बिल आया तब 1500 दूसरे कैसे चुकाने हैं, दूसरा खेत मैं गिरवी रखूं कि नहीं रखूं। मेरे पास आया कि कटारा साहब, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा कि ऐसा करो कि अब यह तीन हजार का बिल आएगा, दो लट्टू जलते हैं, यह कैसे हुआ मैं परख करूंगा। लेकिन इसमें मीटर की खराबी थी, कुछ तो कम हुआ। 2500 रुपये हुआ लेकिन इतने तो भरने ही पड़ेंगे। तो आखिर में उसने एक ही बात कही कि मैं बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता कि मेरे पास में पैसा नहीं है। उसने कहा कि मेरे बाप-दादा चिमनी से पढ़ाई करते थे, घर में चिमनी के प्रकाश में रहते थे तो अब मैं कनेक्शन कटवाकर चिमनी से ही वापस अपनी जिन्दगी गुजारूंगा ताकि मेरे बच्चे कर्जे के अन्दर नहीं डूबे। यह हालत उस क्षेत्र के अन्दर चाहे वह बांसवाड़ा का घाटोल क्षेत्र हो, बागीदौरा का हो, पीपलखूंट का हो, सागवाड़ा का, डूंगरपुर का हो। कोई भी क्षेत्र, दूर-दराज में चले जाएं, यह हैरानी उसी क्षेत्र के अन्दर है। विद्युतीकरण के लिए पैसा जैसे ओकरी क्षेत्र में बोरखेड़ा

(श्री कनकमल कटारा)

में दस लाख रुपया दिया, तीन साल हो गये, पोल लाकर रख दिये हैं लेकिन उन पोल को खड़ा करने की फुर्सत विद्युत विभाग को नहीं है। उसकी कोई जानकारी नहीं, उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल करके कोई पूछने वाला नहीं, यह परिस्थिति वहां पर है। वहां के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी भाई कैसे जीता होगा, हम सब इसका चिन्तन करें।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, अभी महाराष्ट्र पैटर्न की बात आई थी, माननीय मंत्रीजी का दुःख है कि महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत राशि दूसरे विभाग को न देकर जनजाति क्षेत्र में उसके मद से उसके अन्दर ही दिया जाए, तब तो उसका सुधार हो सकता है। अन्यथा अन्य विभागों में इसका पैसा दिया जाता है तो इससे जनजाति और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं हो सकेगा। मैंने दुःख व्यक्त किया उसके कारण से इनको बाद में दस करोड़ रुपया मजबूरी से बड़े लड़-झगड़ कर देना पड़ा। मंत्रीजी को झगड़ा भी करना पड़ा। इस पैटर्न को लागू जैसा आपने किया उसका पूरा वर्णन तो नहीं करता, लेकिन कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अन्दर इस पैटर्न के आधार पर सड़क निर्माण सिंचित क्षेत्र और अन्याय जो विकास है, वह किया जाए।

एक गम्भीर विषय अभी सामने आया था, आरक्षण की बात आयी। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, उप योजना क्षेत्र के अन्दर 50 प्रतिशत से ऊपर आदिवासी भाई रहते हैं, अनुसूचित जाति के भाई रहते हैं, उनके आरक्षण की बात समझ में आती है। अभी भाटी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। सीधी बात कहने में कभी बड़ी तकलीफ हो जाती है। हम हमारे क्षेत्र में चुनकर आते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां हैं, मैं एक ही वर्ग, कोई अलग बात नहीं कहना चाहता हूं। उत्तरी राजस्थान में उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत कुल भील वर्ग हैं जो लम्बे समय से बड़े पीड़ित होते हुए आ रहे हैं। अभी पूरे राजस्थान में आर.ए.एस. अफसर कहे तो मात्र दो और आई.ए.एस. कहे तो एक, इने-गिने हैं। इसके अलावा इस वर्ग से कोई आर.ए.एस., आई.ए.एस. अफसर नहीं है। प्रशासनिक सेवा के अन्दर उनको आरक्षण मिले। सरकारी नौकरियों में जो 12 परसेंट आरक्षण मिलता है उसमें से भी 6 प्रतिशत उप योजना क्षेत्र में जो गरीब वर्ग के हैं, माननीय भाटी साहब ने जैसा कहा, उसके अन्दर बंटवारा हो जाए तो मैं सोचता हूं आधी समस्या दूर हो जाएगी। जैसा नहर के लिये बताया ऐसा मैं आरक्षण के लिये बता रहा हूं कि उस भील वर्ग के, गरीब तबके के आदमी को मिले। हम चिन्ता सब करते हैं लेकिन इस बात को लागू करना चाहिये जिससे उस क्षेत्र के आदिवासी भाइयों को लाभ मिल सके। इसके लिये बांसवाड़ा में भी अन्याय संगठनों ने...

श्री सभापति : माननीय कनकमलजी, अब समाप्त कीजिये आप। माननीय श्री अमीन खान।

श्री कनकमल कटारा : बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्याय संगठनों ने भी इस विषय को उठाया। अभी भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी के कुछ प्रतिनिधि यहां पर आये, उन्होंने तमाम माननीय सदस्यों को यह ज्ञापन का कागज दिया। उसके अन्दर जो शब्द लिखे हैं उसको पढ़कर बड़ा आश्चर्य, हैरानी होगी कि इतने लम्बे समय बाद भी इस वर्ग की जो स्थिति है उस बारे में हम सोच नहीं पाए। मैं मांग करता हूं कि इसके अन्दर सोचे।

उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आपने अभी सड़कों का हाल देखा। मैंने कहा है कि आपने कुछ प्रयास किया है और कुछ सड़कों का मिसिंग रोड का काम चालू है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में डूंगरसरण पड़ता है, सीमलवाड़ा पड़ता है, बड़गासा, कोचरिया, अम्बाड़ा जो गुजरात से सटा हुआ है और दादसेलागढ़ी, वहां नावं में बैठकर लोग वोट डालने आते हैं, वहां आज भी सड़क नहीं है। कुआ से डूंगरसरण सड़क आज भी अधूरी है। रामसर से केसरिया पुल जो बना है उसके बीच में गाड़िया–कसारिया होते हुए सड़क है, बस नहीं चालू कर पा रहे हैं। 20-20 किलोमीटर पैदल चल कर चीकली और कुआ लोग आते हैं और चाय–पानी का सामान खरीद कर ले जाते हैं। वहां कोई सरकारी बस भी नहीं चलती, ऐसी स्थिति में वहां कोई आना नहीं चाहता। चिकित्सा की दृष्टि से, सड़क की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से कहो, बड़ी हैरानी इस उप योजना क्षेत्र में है।

शिक्षा में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जसेला में एक रामसर गांव है, वहां टटारा फैला है, अभी राजीव गांधी पाठशाला की बात कही, बहुत प्रसन्न हुए, सब बात हो गयी। रामसर गांव पूरा नया बसा है क्योंकि कटाणा से लोग दूसरे स्थान पर बसे हैं। दो साल से राजीव गांधी स्कूल स्वीकृत है। मैं चुनाव प्रचार में और उसके बाद भी वहां गया। वहां एक महिला दो साल से नौकरी करती है, लेकिन वहां आज राजीव गांधी विद्यालय का भवन नहीं है। दो साल से वहां के आदिवासी भाई परेशान हैं। अपने बच्चों को, परिवार को बाहर निकालकर उन बच्चों को घर में पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही नादिया, माली, सज्जनपुरा में है। सज्जनपुरा में हम तो सोच रहे थे कि हमारा स्वागत करेंगे। नादिया, माली, सज्जनपुरा में हम जीतकर आये हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं, साड़ी से इस तरह की झोपड़ी बनाकर। मैंने कहा इतना करने की क्या आवश्यकता है? बोले, आपके स्वागत के लिये तो है ही बात, लेकिन हमारे यहां विद्यालय का भवन नहीं है, इस कारण हम साड़ियों से ऐसा छप्पर बनाकर बैठे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : प्रबन्ध करो आप। सभापति महोदय, यह अभाव अभियोग मंत्री हैं।

श्री सांवर लाल : अभाव अभियोग मंत्री हैं। सभापति महोदय, बड़ी समस्या है, घर में स्कूल चल रहा है, कुछ तो सुनवाई करिये। मंत्री महोदय, कुछ तो बोलो।

श्री देवीसिंह भाटी : रामस्वरूपजी, कुछ तो बोलो। मेरे वीर हनुमान, मुख तो खोलो।

श्री सभापति : माननीय सांवर लालजी।

श्री अमराराम (धोद) : मुख खोलो। मुख खोलो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : तब जोर-जोर से बोलते थे।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिये। माननीय अमीन खानजी, आप शुरू कीजिये। माननीय कनकमलजी, बिराजिये आप।

श्री कनकमल कटारा : आदिवासी क्षेत्र में खानें हैं और बड़े बड़े लखपति, करोड़पति को स्वीकृत की हैं...

श्री सांवर लाल : और यह कह रहे हैं बिना अधिकारी के कर दी, बिना पावर के पावर नहीं है क्या? बोलो न खड़े होकर।

श्री कनकमल कटारा : खैरवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में किसी आदिवासी को माइन्स का पट्टा नहीं दिया जा रहा है। वन भूमि पर वन के कब्जे काबिज हैं लेकिन इनको पट्टे का हक नहीं दिया जा रहा है। आज लम्बे समय से उसकी लड़ाई चल रही है लेकिन उस स्थिति में...

श्री सभापति : माननीय कनकमलजी, बिराजिये अब आप। बहुत बोल लिये आप। माननीय अमीन खानजी, शुरू कीजिये।

श्री कनकमल कटारा : आदिवासी क्षेत्र में कोई आदिवासी को नहीं देखा जा रहा है इसलिये आपसे मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में आप निश्चित रूप से ध्यान दें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने रामस्वरूपजी को इस शर्त पर मंत्री बनाया है क्या कि वह सदन में खड़े होकर कभी भी नहीं बोलेंगे?

श्री सभापति : वह समय आएगा तब बोल लेंगे। आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : समय उनका तो निकलने वाला है...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : समय तो जा रहा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह शर्त तो इनके साथ में प्रतिपक्ष ने रखी जब ये आंदोलित हुए, यहां आकर नारे लगाये कि

(श्री हरिसिंह)

मुख्य मंत्रीजी, रामस्वरूपजी को मंत्री बनाओ। अब पता नहीं अन्दर क्या सांठ-गांठ है इनकी। इनका कहना मान लिया, रामस्वरूपजी को मंत्री बना दिया, अब इनकी कोई सांठ-गांठ होगी।

श्री सभापति : यह तो आपकी सिफारिश के ऊपर बने हैं। आप लोगों की सिफारिश पर बनाया है।

श्री अमराराम (धोद) : इस शर्त पर बनाया है क्योंकि रामस्वरूपजी कभी भी सदन में खड़े होकर जबान नहीं निकालेंगे? मुख्य मंत्रीजी ने यह शर्त तो नहीं लगायी है?

श्री देवीसिंह भाटी : लेकिन बोलने तो दो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, नहीं यह तो रामस्वरूपजी और प्रतिपक्ष की कोई सांठ-गांठ नजर आ रही है।

श्री अमराराम (धोद) : मुख्य मंत्रीजी ने तो कोई पाबन्दी नहीं लगायी?

श्री हरिसिंह (महुवा) : मुख्य मंत्रीजी ने तो इनको पावर दी, मुझे ऐसा लगता है कि इनको पाबन्दी आपने लगायी है। माननीय दिलावर साहब को ज्यादा छूट दे दी और इन पर लगा दी पाबन्दी।

श्रीमती शांति पहाड़िया : सभापति महोदय, आज के जमाने में कहीं ऐसा नहीं है कि साड़ी लगाकर कोई रहता हो। आज कल तो...(व्यवधान) ऐसी कोई बात नहीं है। हां, कोई पिछड़ा इलाका ऐसा रह गया हो, वह तो मैंने देखा नहीं। पूरे राजस्थान में घूमी हूं, मैंने तो कहीं ऐसा नहीं देखा कि अपनी साड़ी तान कर रह रहे हैं, या कोई तिरपाल तानकर रह रहा है। पूरे राजस्थान में सब जगह मैं घूमी हूं। हो सकता है कोई कोने में ऐसी समस्या हो, वह हमको मालूम नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है राजस्थान के अन्दर।

श्री सभापति : माननीय शांति पहाड़ियाजी, आप बिराजिये। अमीन खानजी, शुरू कीजिये।

श्रीमती शांति पहाड़िया : राजस्थान में इन्दिरा आवास में बहुत सारे मकान बने हैं, जगह जगह ढाणियां बनती जा रही हैं। गवर्नमेंट ने भी बनाये हैं। और आज कल तो लोग पक्के मकान बनाने लगे हैं। पहले फूस के और क्या क्या बनते थे, ऐसे अब मैंने नहीं देखे। अब तो पहले का यदि गारे का मकान है तो उसको सही ढंग से बना रहे हैं। जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में तो लोग दिल्ली की नकल कर रहे हैं। मकानों की कमी नहीं है। यह पता नहीं कौनसे में रह कर आये हैं, यह हमको मालूम नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण की मांग पर मैं अपने विचार संक्षेप

(श्री अमीन खान)

में रखना चाहता हूं। मुझे यह देखने में आया है कि अपने ईमान और दिल की याददाश्ती से, दिमाग से सच न बोल करके किसी को अच्छा बनाने के लिये, किसी को बुरा साबित करने के लिये असत्य बोलना लोगों ने अपनी एक काबिलियत समझ ली है। सच्चाई की तरफ बोलना भी जायज है और गुनाह नहीं है। जैसे कुछ भाई बोल लेते हैं कि देश की 55 साल की आजादी के बाद में अभी तक सामाजिक सुरक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग में, अनुसूचित जाति, जनजाति में अभी तक कोई परिवर्तन कुछ नहीं आया है। राजस्थान में किसी भी पुलिस थाने में, किसी भी जिले में जिला कलक्टर से लेकर सुपरिंटेंडेंट तक, डी.आई.जी. से लेकर आई.जी. तक जो अमला पुलिस का होता था, उसमें उस जमाने में पिछड़े वर्ग का सिपाही भी इना-गिना मिलता था। आज इस जमाने में डी.आई.जी., आई.जी., अनेक डिस्ट्रिक्ट में सुपरिंटेंडेंट पुलिस, डिवीजनल कमिश्नर और होम कमिश्नर के ओहदे तक के लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से आये हैं। इसका मतलब यह है कि 55 साल की आजादी में पिछड़े हुए, दबे हुए, गुलाम तबके के लिए कुछ न कुछ तो हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन इंसान की तमन्ना है कि चाहे किसी के लिए कितनी भी अच्छी हो, जब तक उसकी मौत नहीं आती है तब तक धापती तो किसी की नहीं है और वह यही कहते हुए मरता है कि मेरे को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इसके सिवाय इस दुनिया में होशियार आदमी ने कुछ सीखा ही नहीं है। ऐसा मैं महसूस करता हूं कि बहुत कुछ मिला है।

हमने वह भी जमाना देखा है कि हमारे गांव के अन्दर ब्याह-शादी होते थे, एक हजार आदमी-औरतों का खाना बनता था, सवर्ण जाति के लोग पूरा खाना खा लेते थे उसके बाद में एलान होता था कि कोई आदमी भूख-प्यासा हो तो पता करो, नहीं तो अब बारी आ गयी है किसी मेघवाल, भील को खाना दिया जाएगा। तसल्ली होती थी कि अब कोई सवर्ण जाति में से भूखा नहीं रहा अब किसी मेघवाल, भील को खाना दे दो। अगर मान लो, कोई आदमी जंगल में, कांकड़ में भेड़-बकरी चराता हुआ देरी से पहुंचता था तो वह उसके घर का खाना खाये बिना चला जाता था कि मेरे बिना एक भांडी को खाना खिला दिया, अब इस भोज में खाना मेरा अपमान है। वह भी जमाना हमने देखा है।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ। यह अनुसूचित जाति और सवर्ण जाति में भेद डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे।

श्री सभापति : माननीय मदन दिलावर, बिराजें।

श्री मदन दिलावर : इस हिन्दुस्तान की धरती पर ऐसा कभी नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, ऐसा बाड़मेर और जैसलमेर में होता रहा है।

श्री सभापति : आप अपनी बात कह चुके हैं, आप उनको अपनी बात कहने दीजिये, माननीय दिलावर साहब।

श्री मदन दिलावर : यह केवल अनुसूचित जाति और सवर्ण जाति यानि हिन्दु में भेद डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, आप अपनी बात कह चुके हैं, उनको अपनी बात कहने दीजिये।

श्री मदन दिलावर : यह अच्छी बात नहीं है। यह अपनी बात नहीं कह रहे हैं, यह समाज में भेद डालने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय दिलावरजी का अंकित नहीं हो। आप बोलते रहे, अंकित नहीं होगा।

श्री अमीन खान : हम बीच में कभी किसी के नहीं बोलते हैं। सभापति महोदय, यह भी सच है कि अनुसूचित जाति, जनजाति...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय सदस्य का कहने का मतलब यह है कि 50 साल पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है। अब नहीं होता है, यह वह कह रहे हैं। पहले होता था, अब सब समान हैं, साथ में ही खाते हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, अब तो मदरसों में आई.एस.आई. के एजेंट पैदा होते हैं, यह तो होता है?

श्री अमीन खान : आई.एस.आई. एजेंट आप पकड़ा दें तो सच है। नहीं तो आपको एक वर्ग विशेष से जलन है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : माननीय मदन दिलावर साहब, आप बैठें।

श्री अमीन खान : इस देश के मुसलमानों ने वफादारी और कुर्बानी दी है। और जो अंग्रेजों से छुट्टी की सिफारिश करते थे वे देश के वफादार नहीं माने जाएंगे।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमीन खान : आप यह जो वफादारी का ठेका लेकर बोलते हो, यह ठेका किसी को नहीं है। मुल्क में हर वर्ग के आदमी वफादार रहे हैं, हर वर्ग में गद्दार साबित हुए हैं। आप वर्गवार मत बोलिये। मेरा यह निवेदन है कि हमने वह भी जमाना देखा। हम सवर्ण जाति के लोगों की ब्याह-शादी में जाते थे तो हमें भी बर्तन नहीं मिलता था। राजपूत

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमीन खान)

और मुसलमान किसी ब्राह्मण के घर पर जाते थे तो हमारे लिए पीतल का पावटा अलग रखा जाता था, यह बात गलत नहीं है। लेकिन हम आज जिंदा हैं, हमें भी वही के वही ब्राह्मण, वही के वही जैन, मुसलमान, राजपूत या अन्य वर्ग भी अपनी वही थाली देता है। कहने का अर्थ यह है कि एक जमाना रहा था, जमाने में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। उसमें सुधार आया है और समाज में बराबर रहने का सबको पूरा हक मिल गया है, हम यह महसूस करते हैं। यह केवल एस.सी., एस.टी. का सवाल नहीं है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमीन खान : सवर्ण लोगों में भी है। आप तो यह कहते हो, हमने तो वह जमाना भी देखा है कि गांव के सार्वजनिक कुएं पर जब पानी के लिए बैल की जोत होती थी तो हर जाति के आदमी को चरस को हाथ लगाने का राइट नहीं था। यह बात असत्य नहीं है। लेकिन आज किसी भी जाति के लोग, किसी भी वर्ग के लोगों की जहां भी ऐसी आदत थी, ऐसा व्यवहार था, वह खतम हो चुका है और अब कोई किसी से छुआछूत नहीं करता है। जो दबे हुए आदमी थे वे भी अच्छी इज्जतदार और सम्माननीय पोस्टों पर बैठे हैं। सबको अधिकार मिल गया है और काफी सुधार हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सच्चाई छुपाने की क्या जरूरत है। देवीसिंहजी को पूछ ले, क्या हमको किसी ब्राह्मण या जैन के घर में शादी होती थी तो स्टील की थाली देते थे वह कोई गुनाह नहीं है, उस जमाने में ऐसा होता था। आज हमें वे मना नहीं करते। वे जिस थाली में खाते हैं उसमें हमें भी देते हैं। नहीं तो हमको भी नहीं देते थे, वह जमाना था और सभी को मालूम है। किसी को पोलिटिकल स्टंट की तरह भाषण देना हो तो भले ही दे, लेकिन सच्चाई यह है कि 55 सालों में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत लोगों को अवसर मिला है और उसके जरिये लोगों ने तरक्की की है। उसमें राजस्थान में भी तरक्की की है, हर जिले के लोगों ने तरक्की की है।

पहले पानी के अबारों में लोगों को पानी पीना पड़ता था, आज अबारों में किसी को पानी नहीं पीना पड़ता है। राजस्थान के कई गांवों में नारू वाले का इतना जहर फैल गया था कि जहां बरसात के मौसम में लोगों के पैरों में खराबी हो जाती थी, कई लोग लंगड़े हो गये, कइयों के हाथों में खराबी हो गयी, किसी का गला खराब हो गया और कई लोगों की मौत भी हुई। आज सरकार की काफी जलप्रदाय योजनाओं के जरिये साफ पानी गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जा रहा है जिसमें नारू, वाले

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमीन खान)

को बताने वाले को इनाम देने के लिए तैयार हैं। आज कहां हैं? पहले चेचक की बीमारी थी उस बीमारी को लोग माता के नाम से पूजा करते थे। उसमें गधे की लीद को मिट्टी की ठेकरी में पानी डाल कर उस मरीज को देखने के लिए आदमी आता था, उसमें पैर डालकर आगे जाता था, यह एक रिवाज था। यह एक पाखंडी व्यवस्था थी, आज वह कहां है? तो बहुत परिवर्तन आया है, और इसमें शासन चाहे आपका रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो सभी ने यह प्रयास किया कि हर इंसान को समान रूप से इज्जत मिले, बराबरी का दर्जा मिले। यह किस तरह से किया? यह बात तो सच है कि देश की आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी कांग्रेस की रही। देश की आजादी के बाद में सामाजिक सुरक्षा का जो इंतजाम किया, कायदे-कानून बने, नियम बने, उसमें भी कांग्रेस का रोल ज्यादा है, आपका रोल कम है। वह कोई हिसाब करने की जरूरत नहीं है। आपका वक्त और कांग्रेस का वक्त रिकार्ड पर है, गिन लो, किसका ज्यादा रहा है, किसका कम रहा है। जिसको ज्यादा वक्त मिला है उन्होंने ज्यादा सेवा की है, जिसको कम वक्त मिला उसने कम सेवा की है। लेकिन कोशिश हरेक ने यही की है कि समाज का उत्थान हो।

सभापति महोदय, मैं सरकार को इतना ही लास्ट में कहना चाहता हूं कि सीमावर्ती जिलों में छात्रावास हैं, समाज कल्याण के उन छात्रावासों में...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट, माफ करना, फिर महात्मा गांधी ने क्यों कहा था कि कांग्रेस को आजादी के बाद खतम कर दो?

श्री सभापति : माननीय प्रताप सिंहजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, जब से सदन में चर्चा शुरू हुई है तब से यह बराबर इंटरवीन कर रहे हैं, आप इन पर लगाम नहीं लगा सकते?

श्री सभापति : कनक्लूड करिये, अमीन खानजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह जब की बात कर रहे हैं, तब, माननीय सदस्य, आप धरती पर पैदा ही नहीं हुए थे। यह आपके जन्म से पहले की बात है, कहां उछल-उछल कर बीच में बात कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप अभी- अभी कौनसे अजायबघर से पधारे?

श्री अमीन खान : इन छात्रावासों में जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं मेरा समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन है कि इनकी स्कालरशिप बढ़ायी जानी चाहिए। उनको जो खाना मिले इसमें भी कुछ सुधार किया जाना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां समाज कल्याण के छात्रावास हैं उनमें सुपरिंटेंडेंट के काफी पद खाली हैं, इनकी

(श्री अमीन खान)

भी भर्ती करनी चाहिए। रेगिस्तानी और सीमावर्ती इलाकों के छात्रावासों में जहां गरीबों के बच्चे अधिक संख्या में आते हैं, उनको पढ़ने का और समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले, सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अन्दर 70-75 साल के जो आदमी हैं, गरीब हैं। हमारे इलाके में बारानी जमीन की कमी है लेकिन ग्वार, बाजरे की खेती और बरसात की खेती जो होती है, उस खेती वाला 200 बीघा वाला आदमी भी अत्यन्त गरीब है। चार साल से लगातार बरसात नहीं हुई, जिसके घर में 70 साल की औरत है और 75 साल का आदमी है उनसे धंधा तो होता नहीं है, मजदूरी पर भी लगाओ तो उनसे होती नहीं है, ऐसे लोगों को पेंशन कर देनी चाहिए और उनको कम से कम 250 रुपये महीने की पेंशन मिले। सामाजिक सुरक्षा के तहत समाज कल्याण विभाग को पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे सभी लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए।

अन्त में मेरा यही कहना है कि सामाजिक सुरक्षा और समाज में समान दर्जा किसी जाति के नाम पर होता है, यह कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस को न्याय मान लो तो भले ही न्याय उसको कहा जाता है जिसके घर में रोटी खाने की मजबूरी है, कपड़ा मिलने की मजबूरी है, अच्छा मकान मिलने तक की उम्मीद नहीं है, अच्छे बरतन जिसके घर में नहीं हैं, चाहे वह किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, वह इस देश का नागरिक है और उसको समान दर्जा नहीं है तो वह धर्म और जाति किसी से भी पैदा हुआ हो, उसका गुनाह नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना न्यायोचित होगा।

सभापति महोदय, इतनी ही बात कहकर मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली जिलों में सिंधी मुसलमानों की संख्या अधिक है और इनका धंधा मात्र भेड़-बकरी चराने का है। भेड़-बकरियों के पीछे उनको एक-दो महीने भी घर में रहने का कभी अवसर नहीं मिलता है। करौली में, सवाईमाधोपुर में, अलवर में, हरियाणा में, दिल्ली में मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र तक घूमते रहते हैं। घुमक्कड़ गाड़िया लुहार, इनसे हमारी कौम भी कम नहीं है, उनके जैसे हमारी कौम के लिए भी कुछ न कुछ सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के तहत सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि अच्छे इन्सान के दर्जे में इन लोगों को भी आने का अवसर मिले। सभापति महोदय, वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री हीरासिंहजी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण में जनजाति क्षेत्र के विकास की मांग पर वाद-विवाद हो रहा है। सभापति महोदय, जिस समय देश आज़ाद हो रहा था, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश की सामाजिक स्थिति को देखते हुए संविधान का निर्माण किया, उसमें यह बात उनके जेहन में विशेष रूप से रही कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है, उसके उत्थान के लिए, उसके जीवन को ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। 1946 में जब संविधान सभा बैठी और 1950 तक इसका अध्ययन करके जब देश का विधान बनाया तो धारा 338 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए धारा 340 में यह प्रावधान किया गया। अन्य पिछड़ी जातियां भी हैं इस देश में, उनके उत्थान के लिए भी संविधान में यह व्यवस्था की गई। संविधान की व्यवस्थाओं के अन्दर यह व्यवस्था भी की गयी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने-अपने राज्यों में कौन-कौन, उसकी लैंग्वेज यह है- एजुकेशल और सोशली बैकवर्ड कौन-कौन हैं, उनको चिन्हित करके, आरक्षण देने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, पण्डित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में सबसे पहले काका कालेलकर आयोग बैठा उस आयोग ने 1957 में अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की। लेकिन दुर्भाग्य था कि जिस प्रकार की रिपोर्ट काका कालेलकर ने पार्लियामेंट में पेश की, उसका समर्थन उस समय पार्लियामेंट के माननीय सदस्यगण द्वारा न मिलने के कारण से वह रद्दी की टोकरी में डाल दी गयी। सभापति महोदय, मैं तत्कालीन सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने संविधान की भावना के अनुसार 14 अगस्त, 1961 को एक अध्यादेश जारी किया। उस अध्यादेश की भाषा यह थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ-साथ प्रत्येक राज्य सरकार में संविधान की धारा 340 के तहत अधिकार निहित किया गया कि वे अपने-अपने राज्यों के अन्य पिछड़ी जातियों के लोग हैं, वर्ग हैं, ग्रुप हैं उनको चिन्हित करें और चिन्हित करके उनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, यह भी आपके नालेज में लाना चाहूंगा कि ब्रिटिश शासनकाल में जिसको आज हम मद्रास कहते हैं, तमिलनाडु में 1927 में कम्पार्टमेंटल रिजर्वेशन वहां से लागू हो रखा था। और हमारे यहां क्या हुआ? 1961 से लेकर 1976 तक कांग्रेस का शासन था हिन्दुस्तान में सारे राज्यों ने अपने अपने यहां ओ.बी.सी. को आरक्षण देने

(श्री हीरासिंह चौहान)

की व्यवस्था चालू कर दी, लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य रहा कि राजस्थान में 16 नवम्बर, 1992 को सुप्रीम कोर्ट की फुल बैच का फैसला जब तक नहीं आया तब तक यहां पर आरक्षण लागू नहीं किया गया। कहते हैं मण्डल-कमण्डल, यह तो वी.पी. सिंहजी के समय सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में रिजर्वेशन का था उनका तो। मण्डल आयोग बैठाया गया सन् 1978 में, उसने 31 दिसम्बर, 1980 को अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी थी। दुर्भाग्य रहा कि 1980 में वापस कांग्रेस का शासन दिल्ली में आया और 1989 तक वह रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में डाले रखी, उस समय तक कोई निर्णय नहीं किया। उसके बाद केन्द्र में वी.पी. सिंहजी ने आरक्षण के जो मापदण्ड बनाये थे, उनके अनुसार किया। 16 अगस्त, 1992 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यह डाइरेक्शन दिया गया कि विदिन सिक्स मन्थ्स इसको लागू किया जाए। उसके बाद हमारे यहां अगस्त और सितम्बर में अन्य पिछड़ी जातियां जो मण्डल आयोग द्वारा चिन्हित की गई थीं, उनकी सूची जारी की गई और उसके बाद में यह आरक्षण की व्यवस्था राजस्थान प्रदेश में लागू की गई। दुर्भाग्य रहा हमारा। कर्पूरी ठाकुर कब थे मुख्य मंत्री बिहार के, 54 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। शुरू से लेकर आज दिन तक, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, हम भी आपको कई ज्ञापन दे चुके हैं। आज भी तमिलनाडु में 70 प्रतिशत रिजर्वेशन है, कर्नाटक में 79 प्रतिशत रिजर्वेशन है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने आपके हाथ-पैर नहीं बांधे हैं, 50 प्रतिशत की कोई बाइंडिंग नहीं है, आप अकारण ही उस बाइंडिंग को मान रहे हैं। तमिलनाडु की मुख्य मंत्री जय ललिता तो और उससे ऊपर ले जाना चाहती हैं, 79 प्रतिशत से ऊपर जाना चाहती हैं। आपकी मन स्थिति साफ नहीं है। जिस प्रकार से पहले इसी राजस्थान विधान सभा में आने वाले हमारे साथी या मंत्रीगण ने दवाब डालकर ओ.बी.सी. को आरक्षण...

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सेंट परसेंट आरक्षण चाहते हो क्या आप?

श्री हीरासिंह चौहान : सेंट परसेंट नहीं चाहते हैं। आप सामाजिक सुरक्षा करना चाहते हो, व्यासजी, अपलिफ्ट करना चाहते हो, आप लोगों ने जीवनभर मलाई खूब खाई, कई वर्षों तक। कुछ लोगों का राइट बनता है जिनका गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई प्रतिशत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट व्यवस्था की हुई है, अगर पापुलर गवर्नमेंट चाहती है, किसी वर्ग विशेष का ठीक परसेंटेज राज्य में सरकारी नौकरियों में नहीं है तो स्पेशल डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट करके भी इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नौकरियां हैं कहां? काहे का रिजर्वेशन मांग रहे हो आप?

श्री हीरासिंह चौहान : निकलती हैं रात-दिन वेकेंसी। व्यासजी, लगातार वेकेंसी निकल रही हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप रोजाना यहां खड़े होकर कहते हो, पांच साल से तो नौकरी सरकार दे नहीं रही।

श्री हीरासिंह चौहान : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हम जिस सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा में सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति का किस प्रकार उत्थान किया जा सकता है। अभी भाटीजी कह रहे थे, मैं उनके पक्ष का हूं। भाटीजी, बिराजो, मैं बोल रहा हूं। कुछ कह रहे हैं क्या आप? (व्यवधान) अभी देवीसिंहजी भाटी साहब बोल रहे थे, आपको और हमको चिन्ता करनी चाहिए। हमारा दक्षिणी राजस्थान, हमारा पूर्वी राजस्थान, किनको आरक्षण मिलना चाहिए? आज हम उनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। कौनसे एस.टी. हैं, किस प्रकार के एस.टी. हैं, किसका सामाजिक स्तर कितना ऊंचा है- They are getting the benefits all the fruits of the reservation. न तो गरीब के नुमाइंदे बोलते हैं। और आज हो क्या रहा है? स्थिति क्या बन रही है? एक-एक परिवार में से 5-5, 7-7 आदमी। हम आंख मूंदकर सारी स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई माकूल व्यवस्था हम नहीं कर सकते, क्या सामाजिक सुरक्षा करेंगे आप और हम? किस प्रकार समाज को डवलप करोगे? दलितों को, पिछड़ों को किस प्रकार उठाना चाहते हैं? आंख मूंदकर सारी चीज हम देख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उस स्थिति से हम बिलकुल अलग जा रहे हैं और उस स्थिति को लागू नहीं करते।

इसी प्रकार मण्डल कमीशन के अनुसार जो-जो जातियां ओ.बी.सी. में शामिल थीं, उन जातियों के बाद कई और जातियां, समृद्ध किसान जातियां भी इस ओ.बी.सी. की लिस्ट में शामिल हुई। होनी चाहिए, मैं भी इस बात को मानता हूं। और मैं तो 1951 में, आप तो अब कह रहे हो, 1951 में जब मैं तीसरी, चौथी में स्टडी करता था उस समय से हमने बेनिफिट उठाये हैं। उस समय रावत जाति ओ.बी.सी. में थी और 1957-58 में मैंने स्कालरशिप इसी ओ.बी.सी. के आरक्षण से प्राप्त की है। लेकिन इसके बाद आप लोगों ने चिन्ता नहीं की। चिन्ता नहीं करने के कारण से ओ.बी.सी. को जो बेनिफिट मिलने चाहिए वे नहीं मिले। अब क्या हो रहा है? अब आपने कितनी जातियां शामिल कर दीं? आपने यह प्रगति प्रतिवेदन दिया है, उसमें लास्ट में बताया

(श्री हीरासिंह चौहान)

है ओ.बी.सी. में there are 82 casts. 82 जातियां इसमें शामिल कर दीं। क्या यह मांग करना वाजिब नहीं है कि कौन अति पिछड़ा है, कौन पिछड़ा है? डिवीजन कर दिया। और डिवीजन करना पड़ेगा अन्त में। जो अति पिछड़ा है, जो मण्डल आयोग में पहले आये हुए हैं, परसेंटेज कर दीजिए। आज कुछ जातियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब आरक्षण का फायदा वे उठाती हैं और जो मूल जातियां थीं, ओ.बी.सी. के अन्दर शामिल हुई, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। माननीय सभापति महोदय, हमने तो ज्ञापन दिया है स्पेशल ज्ञापन देकर मांग की है कि इस प्रकार आप दो–तीन कैटेगरी कीजिए। इच्छाशक्ति चाहिए। यू.पी. में किया है राजनाथ सिंहजी ने। हमें वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यह नहीं देखना है, हमको तो समाज में न्याय करना है। (व्यवधान) हमको तो न्याय देना है। न्याय देने के लिए इस प्रकार व्यवस्था हमको करनी चाहिए और इच्छाशक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। जो भी अन्य जातियां रह गई हैं, आरक्षित होनी चाहिए, जिनकी सामाजिक स्थिति तो ठीक है लेकिन आर्थिक स्थिति अगर ठीक प्रकार की नहीं है। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। आरक्षण को बिलकुल खतम कर दो, हम तो इस राय के भी बन रहे हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कुछ लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : सवाल यह है कि आप बोलते क्यों नहीं? सवाल यह है कि जो आप महसूस कर रहे हो वह आप सड़क के ऊपर व्यक्त करो। चुप रहोगे तो यही होगा। यह क्या कि खतम कर दो। खतम कैसे हो जाएगा?

श्री हीरासिंह चौहान : व्यवस्था तो सुन्दर करनी पड़ेगी। यह पीड़ा है, यह पीड़ा मैंने बतायी है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने समाज के उत्थान के, पिछड़ों के उत्थान के लिए जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। और जब लोगों की मांग आती है, व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो उस परिवर्तन को भी सरकार को स्वीकार करना चाहिए। अभी वर्तमान में तो हमारे ओ.बी.सी. के माननीय मुख्य मंत्री हैं अशोकजी गहलोत साहब, उनसे मैंने बहुत पहले मांग की। करण सिंह यादव साहब भी थे, मैंने कहा, और सारे स्टेट हैं, पारीक साहब, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र सब में ओ.बी.सी. का अलग मंत्री है एक अलग विभाग है, लेकिन राजस्थान में लगातार मांग के बावजूद भी, आज एस.सी. और एस.टी. के पास भी बहुत बड़ा काम है, उनको देखने के लिए सारी व्यवस्था लागू करते हैं, लेकिन कम से कम इसका एक अलग मंत्रालय बनना चाहिए, मंत्री अलग बनाकर इस काम को दुरुस्ती से देखें।

(श्री हीरासिंह चौहान)

आपने पहले घोषणा की थी कि हम ओ.बी.सी. के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए एक आयोग बनाएंगे। आयोग की क्या दशा है, माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी? राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, आपने 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की और हुआ क्या है? अब तक यह रिजल्ट है, मैं बताना चाहता हूं, कितना पैसा दिया-कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र में। 35 लाख 72 हजार रुपये। कितने आदमियों को लाभान्वित किया? पूरे राजस्थान में ओ.बी.सी. के 80 व्यक्तियों को। लघु व्यवसाय क्षेत्र में 107.55 लाख और ऋण देकर 242 लोगों को लाभान्वित किया। सेवा क्षेत्र में 87.27 लाख लाभान्वित हुए 189, परिवहन क्षेत्र में 1.58 लाभन्वित हुए चार व्यक्ति। 29.5.2000 को आपने आयोग का गठन कर दिया, गठन के बाद आज की तारीख तक आपने कुल 232.12 लाख रुपये खर्च किये और कुल 515 व्यक्तियों को लाभान्वित किया है। यह इसकी प्रोगेस है। वित्त निगम बनाकर सस्ते ब्याज पर, 4 या 5 प्रतिशत पर, कोई मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है, उसका इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट के बावजूद भी आपने यहां राजस्थान स्तर पर तो बना दिया, लेकिन जिले में इसकी कोई खैर-खबर लेने वाला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में तो यह एजेंसी नहीं है। एजेंसी आपने निश्चित की है, लेकिन उस एजेंसी के पास पैसा नहीं है, वह कहां से पैसा दे? इसलिए आप कोई घोषणा करते हो तो घोषणा को अमल में लाएं? जिस प्रकार ओ.बी.सी. के लोगों को आप सस्ते ब्याज पर 4 या 5 प्रतिशत से जिस भी व्यवस्था के लिए पैसा देना चाहते हैं, ईमानदारी से दीजिए। जिस तरह की घोषणा है, 10 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। और मिल कहां से रहा है? यह सारा पैसा आपको नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली से मिल रहा है।

श्री हबीबुर्रहमान : ये नार्म्स देखे आपने? ये जो नार्म्स हैं यही तो बीमारी है, इसीलिए तो लोग नहीं ले रहे।

श्री हीरासिंह चौहान : नार्म्स देखने के लिए आप हो। मैं तो मेरी ओर से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं-Now it is your duty to see all the directions, and what are the rules and regulations. I am not bound to see all the papers. यह सारा देखने की आपकी ड्यूटी है। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नार्म्स पढ़ें आप। नार्म्स पढ़ने में क्या दिक्कत है?

श्री हीरासिंह चौहान : कोशिश करूंगा देखने की। माननीय सभापति महोदय, प्रशासन गांवों के संग अभियान रखा, साल भर पहले ही रखा। मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 15-20 कैम्पों में अपनी तरफ से हाजिरी दर्ज करायी। सभापतिजी, मैंने विधान सभा में पिछले सैशन में एक सवाल पूछा था कि रायपुर विधान सभा क्षेत्र में विधवाओं के कितने पेंशन प्रकरण स्वीकार किये? हमारे विकास अधिकारी या जिला कलक्टर ने उत्तर दिया कि 4 प्रकरण विडोज के पेंशन के स्वीकार किये। वृद्धावस्था के कितने किये? 10 केस मंजूर किये। सोजत में भी मेरा कुछ एरिया पड़ता है, कुछ पंचायतें आती हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा किया। अब फार्म भर लेते हैं, बहुत बड़ा मेला हो जाता है, लेकिन जिस प्रकार कैम्प रख कर आप चाहते हो, आपकी यह सरकारी मशीनरी काम करना चाहती है? काम नहीं करना चाहती। ईमानदारी से आज भी कई लूले-लंगड़े हैं, आपने आठ साल की उम्र रख रखी है आठ साल के बाद आप उनको कुछ बेनिफिट देना चाहते हो, पैसे की मासिक व्यवस्था करना चाहते हो। बीसों ऐसे अपंग हैं, विकलांग हैं जो इस प्रोविजन का फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन जो आपकी एजेंसीज हैं या जिनको आपने डाइरेक्शन देकर इस कार्य को करने के लिए नियुक्त कर रखा है वे व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार बड़ी संवेदनशील है, पारदर्शी है और राज्य की भी सारी व्यवस्था है लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद भी समाज का दु:खी और पीड़ित व्यक्ति जो सरकार से खजाने से कुछ प्राप्त करने की आशा रखता है, मारा मारा फिरता है। कभी तो डाक्टरों से वह सर्टिफिकेट बनाता है, हड्डी वालों से, कभी फार्म भरता है, कभी फोटो खिंचाता है लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद भी, हमने भी बहुत प्रयास किये, हम भी इस काम में पीछे नहीं रहे हैं, सवाल भी पूछा है, बाकायदा उसकी जांच भी करवाई है, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक सुरक्षा के लिए जिस प्रकार लोगों को फायदा होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ।

माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी दु:ख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि चाहे पैसे वह भारत सरकार भेजे, चाहे मैचिंग ग्रांट आप दो, पिछले दो साल से परिवार कल्याण के लिए जो कमाऊ पूत मरता है, 18 साल से 64 साल के बीच में, राजस्थान भर में सब जगह उनके एप्लीकेशन फार्म्स पड़े हैं, मेरी पंचायत समिति में कम से कम डेढ़ सौ फार्म हैं, पिछले दो साल से जो 10-10 हजार की घोषणा कर रखी है, परिवार का कमाऊ पूत कोई मरता है तो उनके पीछे उनके परिवार वालों को 10-10 हजार रुपये मिलते हैं। पहले तो यह व्यवस्था थी कि दुर्घटना से मरे, लेकिन अब सामान्य मौत से भी चयनित परिवार का मर जाता है,

(श्री हीरासिंह चौहान)

सामान्य मौत से भी यह है। लेकिन पिछले दो साल से ये पैसे कहां रुके हुए हैं, इसकी जांच करवाएं। राजस्थान भर में इस प्रकार से बहुत सारे फार्म्स पंचायत समितियों में पड़े हैं, उन पैसों की व्यवस्था करें, क्योंकि लोग फार्म भरकर बार बार पूछते हैं कि हमारे पैसे का क्या हुआ। हमको यही कहना पड़ता है कि पैसे अभी तक आये नहीं हैं, जानकारी लेंगे। इसलिए, समाज कल्याण मंत्रीजी इसकी खोज खबर कीजिए कि ये पैसे कहां अटके हुए हैं। भारत सरकार ने भेजे हैं या आपके कोई मैचिंग ग्रांट के पैसे इसमें शामिल हों, आप मिलाकर नहीं देना चाहते हों तो इसकी जांच करके जिन परिवारों के इस प्रकार के फार्म्स हैं उनको निपटाने की आप व्यवस्था कराएंगे तो मेरी राय में उन गरीब लोगों को कुछ सहायता मिल सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, अभी आपने वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो व्यवस्था की है, पहले तो आपने किया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए या भारत सरकार के लिए, इन्होंने कहा 55 साल की जो महिला हैं और 58 साल का पुरुष है उसको सौ-सौ हम देंगे। यह घोषणा तो कर दी आपने, लेकिन इस व्यवस्था के बाद जो इसका एक्जीक्यूशन होना चाहिए वह आज दिन तक हो नहीं पा रहा है। इस समाज के जो पीड़ित हैं, दु:खी हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं, जैसा अमीन खानजी ने कहा, एक व्यक्ति हैं, इसको फेमिन में नहीं लगा रहे हैं, जिसकी एज 60 साल के ऊपर होगी उसको श्रमिक कार्ड बनाकर भी नहीं दे रहे हैं, वे रोते-रोते फिर रहे हैं। माननीय सभापतिजी, मांग कर रहे हैं कि न तो हमको फेमिन में लगा रहे हैं और न पेंशन दे रहे हैं और भारत सरकार की एक योजना है अन्नपूर्णा योजना, न उसको अन्नपूर्णा योजना में किसी प्रकार का सहयोग मिल रहा है, इसलिए मैं माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन सब बातों को आप विशेष गौर से अध्ययन करके क्या क्या सोसायटी को फायदा हो सकता है, कितना दिया जा सकता है, इसको देने की व्यवस्था करें। पिछले चुनाव में मेरे साथी विधायक पुष्पेन्द्र सिंहजी बाली के बैठे हैं, इनके चुनाव में मुझे भीमाणा और गौरिया को माडा क्षेत्र है, पांच पंचायतें आई हुई हैं, उस आदिवासी क्षेत्र में मुझे रहने का मौका मिला और मैंने बहुत नजदीक से उन लोगों का अध्ययन किया। माननीय सभापति महोदय, कम से कम 30 या 35 हजार की आबादी होगी, वहां पर एक भी महिला छात्रावास नहीं है, सब कह रहे हैं कि हम हमारी बच्चियों को कहां पढ़ावें।

श्री सभापति : हीरासिंहजी साहब, पुष्पेन्द्र सिंहजी भी आज बोलेंगे, तो उनके क्षेत्र की बात तो उनको कहने दीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : वह डबल कह देंगे। मुझे मालूम नहीं है कि पुष्पेन्द्र

(श्री हीरासिंह चौहान)

सिंहजी बोल रहे हैं, अभी मैंने शुरू कर दिया है। तो एक भी छात्रावास वहां पर नहीं है। दुर्भाग्य यह रहा, माननीय सभापति महोदय, शिक्षाकर्मी के अलावा कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है वहां, आप ताज्जुब करोगे। शिक्षाकर्मी तो 87 में शुरू हुआ है। इसके अलावा वहां पर तीन मिडल स्कूलें जरूर हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 33 एवं 30 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या अनुदान की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या-33 व 30 पर विचार

श्री हीरासिंह चौहान : मैं बहुत जल्दी ही, माननीय सभापति महोदय, अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।

आगजनी से जो नुकसान होता है या फसलों का गेहूं कटा हुआ पड़ा है, ढेर पड़ा है, चारे में कभी आग लग जाती है, अभी तक राज्य सरकार ने अपने नार्म्स चेंज नहीं किये हैं। कभी किसी को 300 रुपये मिलते हैं, कभी 600 रुपये मिलते हैं और नुकसान होता है किसानों को लाखों रुपये का। आपकी जो साइड लाइन है, आपके नार्म्स हैं उसको बढ़ाकर किसानों को जितना नुकसान होता है उसको कम्पनसैट करने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का आगे परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा का यही तो सबसे बड़ा मापदण्ड है कि हर व्यक्ति के प्रति हम कितने ज्यादा जिम्मेदार, उत्तरदायी होकर काम करते हैं। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, हमारे रायपुर मुख्यालय पर एक छात्रावास है समाज कल्याण का और एक बर में है। आज दोनों की बिल्डिंग्स बनी हुई नहीं हैं, किराये पर चल रहे हैं। व्यवस्था के बारे में तो हमारे मदनजी दिलावर साहब कह चुके, मैं बहुत नजदीक से उनको देखने नहीं गया हूं; एक दो बार गया हूं, लेकिन उन छात्रावासों के भवन बनाने की तो व्यवस्था करो, जमीन हम देने के लिए तैयार हैं। बर और रायपुर, अच्छी संख्या में छात्र वहां पर हैं, अपने अध्ययन का फायदा उठा रहे हैं, दो छात्रावास भवन बनाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं।

(श्री हीरासिंह चौहान)

अन्त में, माननीय सभापतिजी, मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार संविधान निर्माताओं की और आज के सोशल रिफार्म्स करने वाले विद्वानों की एक राय बन रही है, जगह-जगह जबरदस्त आन्दोलन हो रहे हैं, सामाजिक समरसता को पैदा करने के लिए वर्गों के जीवन स्तर को जितना ऊपर उठाया जाना चाहिए उसकी तरफ यह आरक्षण की व्यवस्था भी है, इसको संतुलित करने की कोशिश करें और समाज में जिन जिन को सरकार की ओर से आरक्षण देकर जितना ऊपर उठाया जा सकता है उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान बोर्ड की परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाएं सड़क पर पड़ी मिलने से विश्वसनीयता खोने की चिन्ता

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) **:** माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2003 की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं अन्य परीक्षाएं 2891 केन्द्रों से संचालित की जाती हैं जिनमें लगभग 10 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित संग्रहण हेतु प्रदेश के 32 जिलों में लगभग 40 उत्तर पुस्तिकाएं संग्रहण केन्द्र बना रखे हैं। इन संग्रहण केन्द्रों से पूर्व समस्त केन्द्रों की उत्तर पुस्तिकाएं रेलवे के माध्यम से अजमेर बोर्ड कार्यालय तक पहुंचती थी जहां से प्रत्येक दिन सायं साढ़े तीन बजे प्राप्त होने वाले बण्डल को एक पंजिका में संधारण करके रखा जाता है। वर्तमान में 161 रेलवे स्टेशनों से उत्तर पुस्तिकाएं सम्बन्धित केन्द्राधीक्षकों द्वारा परीक्षा के उपरान्त रेलवे पार्सल द्वारा भेजी जाती हैं। क्योंकि इन केन्द्रों से संग्रहण केन्द्र बहुत दूर स्थित होते हैं। दिनांक 21 मार्च को नवज्योति कार्यालय से फोन पर यह समाचार प्राप्त हुआ कि 20 मार्च 2003 की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का एक बण्डल उनके कार्यालय में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जमा कराया गया है। उक्त सूचना मिलते ही सचिव श्री सतीश कुमार गुप्ता तथा उप निदेशक श्री ए.आर. खान को नवज्योति समाचार पत्र के कार्यालय में भेजा गया। दोनों अधिकारियों ने इस बात की तस्दीक की कि नवज्योति कार्यालय में उपलब्ध उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल बाहरवीं कक्षा की अनिवार्य अंग्रेजी का है तथा रामगढ़ शेखावाटी रुइया उच्च माध्यमिक विद्यालय में बैठे परीक्षार्थियों से सम्बन्धित है। उक्त तथ्य का सत्यापन हो जाने के पश्चात् नवज्योति के अधिकारियों को निवेदन किया गया कि छात्र हित को देखते हुए उन्हें यह बण्डल सौंप दिया जाए

(17.00 बजे)

(डा. बी. डी. कल्ला)

ताकि इसे सुरक्षित स्थान पर रख कर आगे की कार्यवाही की जाए। उक्त बण्डल से सम्बन्धित रसीद अभी तक बोर्ड कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इस घटना की प्राथमिकी रिपोर्ट क्लाक टावर पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई जो कि रिपोर्ट संख्या–1027 दिनांक 21 मार्च, 2003 को ही रात्रि को 11.40 बजे दर्ज कर ली गई। बोर्ड स्तर पर इस तथ्य की जांच की जा रही है कि यह बण्डल रेलवे की तहसील से अलग होकर किन परिस्थितियों में नवज्योति कार्यालय तक पहुंचा है। बोर्ड द्वारा संधारित पंजिका में प्राप्त होने वाली उत्तर पुस्तिकाओं के पृष्ठ संख्या–82 व 83 पर उन बण्डलों का उल्लेख है जो रेलवे से प्राप्त किये गये है किन्तु उक्त पंजिका में आर.एस.डब्ल्यू.टी. 7179 नाम प्रश्नाधीन बण्डल का कहीं भी इन्द्राज नहीं है। उक्त उत्तर पुस्तिकाओं से सम्बन्धित बण्डल रेलवे अधिकारियों के रिकार्ड के अनुसार बण्डल संख्या 7179/1 तथा 7179/2 का इन्द्राज है। रेलवे अधिकारियों को 7172/1 की जांच के लिये निवेदन किया जा रहा है। बोर्ड अधिनियम के अध्याय 10 के नियमों के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाएं खो जाने पर परीक्षार्थियों को लाभ देने सम्बन्धी कार्यवाही भी की जा रही है। यदि इस सम्बन्ध में बोर्ड स्तर पर कोई उदासीनता बरती गई है तो सम्बन्धित व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मंत्रीजी, आप 2-3 बात बता दें। एक तो आपने फर्माया कि ये सब उत्तर पुस्तिकाएं रेलवे से वापस, संग्रहण केन्द्रों से अजमेर पहुंचती हैं जबकि ये उत्तर पुस्तिकाएं खाली हैं। यह तो भेजने का प्रश्न है, वापस आने वाला प्रश्न नहीं है, एक तो इसको आप क्लैरिफाई करने का कष्ट करें। दूसरा,...

डा. बी. डी. कल्ला : खाली नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : खाली है, अखबार में भी खाली लिखा है।

डा. बी. डी. कल्ला : मेरे पास जो सूचना आई है, मैंने आपको यह बताया कि 12वीं कक्षा की अनिवार्य विषय अंग्रेजी की है और रामगढ़ शेखावाटी रुइया उच्च माध्यमिक विद्यालय जाने वाले परीक्षार्थियों से सम्बन्धित हैं। कापियां इंटैक्ट हैं 85 विद्यार्थी वहां पर बैठे थे, 85 की 85 कापियां वहां खाली पुस्तिकाएं नहीं हैं, भरी हुई पुस्तिकाएं हैं और वे पुस्तिकाएं इंटैक्ट हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने वहां पर देखा होगा कि इसमें क्या माल है, वैसे ही थोड़ा–सा खोला, पता लगा उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उसने वैसे के वैसे ही उसको इंटैक्ट रखते हुए वहां नवज्योति कार्यालय में पहुंचाया है।

(17.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, आप कह रहे हैं कि उसमें आंसर दिया हुआ है, यह एग्जाम कब हुआ था? क्योंकि 20 तारीख को अजमेर में मिली है तो निश्चित रूप से उसके एक या दो रोज पहले होगा। जो भी ट्रेन का कनेक्शन होगा, उस शिड्यूल के हिसाब से कब यह पर्चा हुआ था और वहां पर रवाना हुआ? दूसरी बात, मंत्रीजी, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सुबह जब मैंने आसन को निवेदन किया उससे पूर्व नवज्योति में समाचार प्रकाशित होने से पहले क्योंकि सायंकाल तक तो आप यहां व्यस्त थे मांगों के सम्बन्ध में, आपको अजमेर में चेयरमैन साहब ने सूचित किया या नहीं किया अपने स्तर पर? 11.40 बजे यह रिपोर्ट दर्ज हुई है, नवज्योति से टेलीफोन कितने बजे आया? किस त्वरित गति से किया गया है? इन परीक्षार्थियों को आप लाभ देने का विचार रखते हैं या नहीं रखते है? कैसे उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे। इसमें तो खाली का लिखा हुआ है, आर यू श्योर? इन्द्राज कब हुआ था, यह बताओ आप?

डा. बी. डी. कल्ला : 20 तारीख को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 20 तारीख को, 20 को तो कैसे मिल गई?

डा. बी. डी. कल्ला : मैंने आपको यह कहा है कि 21 मार्च को नवज्योति कार्यालय से फोन पर यह समाचार प्राप्त हुआ कि 20 मार्च, 2003 को अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का एक बण्डल उनके कार्यालय में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जमा कराया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मंत्रीजी, इम्तिहान कब हुआ था?

डा. बी. डी. कल्ला : 20 तारीख को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : न, न, 20 को कैसे होगा, 20 को तो कापियां ही मिल गई। (व्यवधान) आप बैठो, समझते हैं नहीं, बेकार की बात करते हैं।

डा. बी. डी. कल्ला : 21 को कापियां मिली हैं। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, 20 तारीख को साढ़े सात बजे सवेरे इम्तिहान हुआ है और 21 तारीख की सायंकाल को ये कापियां मिलीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 20 तारीख को सुबह का पर्चा था।

डा. बी. डी. कल्ला : और 21 तारीख को कापियां मिलीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ठीक है। तो यह 20 तारीख को शेखावाटी से ट्रेन से आया था, वहां से कितने बजे कापियां रवाना हुई, कौनसी ट्रेन से आने वाली थीं, यह कुछ जानकारी है. आपको?

डा. बी. डी. कल्ला : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेन आई और सारी चीजों की मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी और किसी कापी में कहीं कोई कुछ

(डा. बी. डी. कल्ला)

नहीं था, एक तरह से इंटैक्ट कापियां मिली हैं 85 की 85.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपकी बात से सहमत हूं, न मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि कोई लापरवाही हुई है। लापरवाही तो हुई है किसी स्तर पर, रेलवे में भी हो सकती है और आपने सब कार्यवाही भी ढंग से की है, वह बिलकुल सही है। सिर्फ मैं तो जानकारी के लिये जानना चाहता हूं, यह बात समझ में आई नहीं कि 20 तारीख को सुबह परीक्षा थी, निश्चित रूप से वह रवाना हुई होगी, अजमेर में आकर पहुंची तो अजमेर से आपके बोर्ड वाले जाकर कलैक्ट करते हैं। इनको कब कलैक्ट करना था, आप तो सीधा–सा यह बताओ? मंत्रीजी, इस स्टेज पर आपके लिये कहना सम्भव नहीं होगा, अनावश्यक रूप से मैं भी प्रश्न पूछकर कोई एम्बेरेसमेंट में नहीं डालना चाहता हूं लेकिन क्या आपका यह इरादा है क्योंकि बड़ा गम्भीर प्रश्न है, बोर्ड में किसी न किसी अधिकारी की कुछ न कुछ तो लापरवाही है, एक तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करके उसके खिलाफ कार्यवाही हो। दूसरा, रेलवे की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब आपके स्तर के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये, रेलवे मंत्रालय में लिखा–पढ़ी होनी चाहिये। तीसरा, यह है कि कनसर्निंग मिनिस्टर आप हैं और इस वक्त सैशन चल रहा है, आपको कब इत्तिला मिली? नवज्योति में प्रकाशन और मेरे यहां जिक्र करने से पहले कल रात को आपको कब इत्तिला मिली?

डा. बी. डी. कल्ला : जैसे ही मैंने अखबार पढ़ा, मैंने टी.सी. व्यासजी से बात की। उन्होंने कहा कि मैं इसकी डिटेल आपको फैक्स के द्वारा भिजवा रहा हूं। आप जानते हैं कि रात को तो मैं स्वयं सवा नौ, साढ़े नौ बजे तक यहां व्यस्त था और जब सवेरे मैंने अखबार पढ़ा, पढ़ते ही व्यासजी ने कहा कि मैंने भी आपको फोन किया था चूंकि आप तैयार हो रहे थे, साढ़े आठ बजे मेरी उनसे बात हो गई थी और बात होने के बाद उन्होंने फैक्स से मुझे समाचार दे दिया। आप कह रहे थे कौनसी ट्रेन थी, यह मीनाक्षी एक्सप्रेस अजमेर पहुंची थी। मीनाक्षी अजमेर 3.45 बजे पहुंचती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या फर्मा रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्लाजी, जब से आप शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर पधारे हैं, पिछली बार भी जितने भी बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हुए...

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड आटोनामस बाडी है, और आपके वक्त में क्या क्या पेपर आउट हुए थे और क्या नहीं हुआ, वह सब मैंने इस विधान सभा को बता दिया है कई

(डा. बी. डी. कल्ला)

बार आपने तो उन लोगों को सस्पैंड तक नहीं किया। मैंने तो उसके बाद कानून में इतनी सख्ती की है कि इन लोगों को जेल भेजने की कार्यवाही की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पहला प्रश्न पत्र 20 तारीख को हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाह रहे हो, प्रश्न क्या है? प्रश्न उन्होंने पूछा है व्हाट इज द क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कहने ही नहीं दे रहो हो, आप बोलने तो दो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोलने दें?

डा. बी. डी. कल्ला : इस पर कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : वाद-विवाद थोड़े ही है कोई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं वाद-विवाद थोड़े ही कर रहा हूं।

डा. बी. डी. कल्ला : सदन में जानकारी मांगी थी, मैंने जानकारी दे दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नो क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को राजस्थान में बोर्ड का पहला पेपर हुआ और 20 तारीख को ही यह हुआ है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह कापी जब आई...

श्री सुरेन्द्र व्यास : इंक्वायरी प्रिजुडिस होगी, लैट हिम डू इट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप खुद अपने उत्तर में कह रहे हैं कि आपके बोर्ड के अधिकारियों के पास रेलवे की रसीद नहीं थी, कापियां पहले डिसपैच हो गई वहां से। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि जब तक उस बिल्टी की रसीद नहीं हो तब तक रेलवे का कोई कर्मचारी लेने जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इस पूरे समय में रसीद वहां नहीं पहुंचने के कारण वहां कोई कर्मचारी गया नहीं और लावारिस पुस्तिकाएं पड़ी रहीं। आप खुद अपने उत्तर में कह रहे हो कि उसको थोड़ा-सा फाड़ा गया और उसके बाद वापस उसको बन्द कर दिया गया। तो क्या यह सही नहीं है कि उनको सबको खोलकर जिस कापी को जैसा कोई बदलना चाहता था उससे बदल नहीं ली गई होगी? इससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा नहीं होता? आप किस तरह की परीक्षा दे रहे हो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा नहीं होगा?

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी पूरी जांच कलक्टर, अजमेर से करवा रहा हूं और कहीं पर भी कोई दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बोर्ड में ऐसे

(डा. बी. डी. कल्ला)

प्रावधान हैं कि यदि वहां पर कोई टैम्परिंग हुई है तो उसका दुबारा इम्तिहान हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह खुद कह चुके हैं कि इस बात को, आप अवाइड कर रहे हो। बात हो गई न।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल है, मीनाक्षी एक्सप्रेस में कौनसे स्टेशन से कापियां भेजी हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो शेखावाटी रामगढ़ से है।

श्री सांवर लाल : शेखावाटी मीनाक्षी चलती ही नहीं है। मीनाक्षी तो जयपुर से चलती है। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : ऐसा है जिला संग्रहण केन्द्र से रवाना होकर आती है।

श्री सांवर लाल : कहां से हुई जयपुर से हुई, फुलेरा से हुई, नरैना से हुई है, यह तो बताओ मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : टैम्परिंग हुई हो या नहीं हुई हो, जब वे कापियां मिली हैं तो वह एग्जामिनेशन तो कैंसिल हो ही गया, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। उसको आप डिफाइन मत करो, वह तो कैंसिल स्वतः हो गया।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रकरण की कलक्टर, अजमेर से जांच करवा ली जाएगी और जांच के परिणाम जो सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उससे मैं सहमत हूं, उसका मैं निवेदन नहीं कर रहा। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जो परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मिली हैं उस परीक्षा का केन्द्र रामगढ़ शेखावाटी का है, अंग्रेजी विषय का जो पर्चा था उस केन्द्र की परीक्षा तो स्वतः निरस्त हो गई, मंत्रीजी।

इसमें आप इफ एण्ड बट मत लगाइए। टैम्परिंग हुई या नहीं हुई, वह जो स्वतः निरस्त हो गई। अब उन परीक्षार्थियों को आप किस प्रकार से राहत देना चाहते हैं? आया दोबारा इम्तिहान कराकर देना चाहते हैं या और कोई फुल प्रोडक्ट देना चाहते हैं, वह थोड़ा-सा अवगत करिये। बाकी वह तो कैंसिल हो गया, इसलिए यह मत कीजिये कि उसको रखेंगे हम।

डा. बी. डी. कल्ला : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से पूर्व खो जाने अथवा उचित समय पर उपलब्ध नहीं होने की सम्भावना में अथवा किसी आकस्मिक विपतित या अन्य किसी कारणों से उनके पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से नष्ट हो जाने अथवा अंकन के योग्य नहीं रहने की स्थिति में अध्यक्ष चाहे तो ऐसे प्रत्येक

(डा. बी. डी. कल्ला)

परीक्षार्थी को यह विकल्प दे सकता है कि वह उस विषय या प्रश्न पत्र की परीक्षा में पुनः प्रविष्ट हो जाए या अन्य सैद्धान्तिक पत्रों में प्राप्त अंकों के अनुपात में उस विषय प्रश्न पत्र में अंक ले लें। पुनः प्रवेश की स्थिति में प्राप्त अंकों को ही अन्तिम माना जाएगा, ये प्रावधान पहले से हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। ऐसे प्रावधान हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, ठीक है, आप दुबारा करा दीजिये, इम्तिहान इनका।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर करण सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, पहले ये उत्तर पुस्तिकाएं एक कलेक्शन सेंटर पर आया करती थीं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले यह व्यवस्था थी कि सारी उत्तर पुस्तिकाओं के लिए अलग अलग कलेक्शन सेंटर होते थे...

श्री सांवर लाल : आप यह भी बताओ, कहां से लोड हुई कापियां? कापी जयपुर से भेजी हैं या फुलेरा से भेजी हैं, कौनसे स्टेशन से भेजी हैं? मंत्रीजी, नरैना से कराई क्या लोड? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। डाक्टर करण सिंहजी, बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने तय कर लिया क्या? +++

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, कहना क्या बाकी रह गया है। बात खतम हो गई, कोई मतलब ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जरूरत ही नहीं है। (व्यवधान) उन्होंने पूछा है, वे सेटिस्फाई हो गये, फिर क्या बात है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सदन की सम्पति है। उपाध्यक्ष महोदय, हम कोई बात पूछ भी नहीं सकते? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह चार सालों में ही प्रश्न पत्र लगातार आउट क्यों हो रहे हैं? प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं, पुस्तिकाएं खो जाती हैं, कल्लाजी के आने के बाद किस प्रकार से बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है और जिस प्रकार से शिक्षा विभाग का...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। डाक्टर करण सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, +++ मैं तो यही कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं है, शोभाजनक हो तो। आई एम हैल्पलैस।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपसे इस तरह की आशा नहीं है। आप तो, +++ आप आराम से भी कह सकते हैं, +++

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो हर चीज में खड़े होने चाहिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हम यह जानना चाहते हैं कि रेलवे से गया था या नहीं? मंत्रीजी, रेलवे स्टेशन तो बता दो। (व्यवधान) रेलवे में गया है या सीधे ट्रक में गया है? यह भी बताओ, कौनसे रेलवे स्टेशन से गया है? (व्यवधान) जयपुर से गया कि नैरना से गया, उसकी कोई लिखित में तो होगी?

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर करण सिंहजी।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, सत्यानाश कर दिया बच्चों का कल्लाजी ने आने के बाद।

मांग संख्या–33 व 30 पर विचार

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामने बैठे हुए मेरे विपक्ष के जो साथी हैं, उनकी डिक्शनरी में सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सेवाएं ये शब्द बिलकुल नये नये जुड़े हैं। ये उन शक्तियों के प्रतीक हैं जिन्होंने जब जब भी यहां पर सामाजिक न्याय की क़ोई बात हुई, या सामाजिक सुरक्षा की बात हुई या देश में जब चाहे वी. पी. सिंहजी का जमाना हो, आरक्षण की नीति लागू करने की बात हुई, आपने देखा होगा कि किन लोगों ने स्टेशन जलाये, किन लोगों ने दिल्ली ने अन्दर लोगों को मरने पर मजबूर किया। यह जो बड़ी खुशी की बात है कि आरक्षण का शब्द जो पहले ऐसा लगता था जैसे छुआछूत, लोग उसके नजदीक नहीं जाते थे, आज हमारे भाजपा के वरिष्ठ... (व्यवधान) वे तो आजकल चैम्पियन हैं सामाजिक सुरक्षा के, सामाजिक न्याय के। उपेक्षित को आरक्षण देने की बात, दलितों को आरक्षण देने की बात, यह बड़ी खुशी की बात है कि यह शब्द आजकल ऐसा पवित्र शब्द हो गया जिसका जाप हर पार्टी, हर व्यक्ति करता है। लेकिन हकीकत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम रीसेंट पास्ट को देखे, पिछले 10 साल को देखे तो देश के अन्दर जहां सब जगह आरक्षण लागू हो गया था, कमीशंस बना दिये गये थे, राजस्थान में आपकी सरकार थी विपक्ष की, और यहां पर लोग आन्दोलनरत थे, कि उन आन्दोलनकारियों को, उनके मेमोरेण्डम को यों करके पटक दिया जाता था कि क्या मण्डल आयोग है और क्या आरक्षण है। यह तो धन्यवाद इस सदन को बार बार दिया जाना चाहिए कि अयोध्या की घटना के बाद में तत्कालीन राज्यपाल शासन में तत्कालीन राज्यपाल महोदय, महामहिम बलीरामजी भगत ने अपनी एक कलम की स्ट्रोक से यहां पर, तब तक आयोग भी नहीं था, कोइ लिस्ट भी नहीं थी उन्होंने आकर इस आरक्षण को यहां लागू किया। यह सही है कि संविधान के 37वें और 74वें संशोधन के अनुरूप जब वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत कर आई तो चुनावी

(डा. करण सिंह यादव)

आरक्षण है, वह जरूर उस पार्टी ने दिया...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह तो मण्डल आयोग वालों को धन्यवाद दो, वह तो चौधरी साहब थे।

डा. करण सिंह यादव : हां, चौधरी साहब को धन्यवाद। संविधान निर्माताओं को धन्यवाद, जिन्होंने इस बात की कल्पना की थी। लेकिन मैं तो उस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि...(व्यवधान) मुण्डावर से आने वाले मेरे मित्र, 1993 से लेकर 1998 तक यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग-बाग सड़कों पर निकले थे, आन्दोलन करते थे, ज्ञापन देते थे और आकर तत्कालीन सरकार के सामने कहते थे कि मण्डल आयोग का मतलब सिर्फ नौकरियों में आरक्षण देना नहीं हैं, मण्डल आयोग का मतलब सिर्फ चुनावी आरक्षण देना नहीं है। मण्डल आयोग की सबसे पहली रिकमण्डेशंस में से है कि हम इन वर्गों के विद्यार्थियों को इस लायक बना सके कि वे नौकरियों के लायक हो सके। मेडिकल कालेज में, इंजीनियरिंग कालेज में, पोलिटैक्निक कालेज में, आई.टी.आई. में। नर्सिंग में आपने जरूर दिया है, आप भी चूंकि उस समय में वी. पी. सिंह के रंग में रंगे हुए थे। कैसे वह फाइल चुपचाप निकल गई, सिवाय नर्सिंग आरक्षण को छोड़कर, एक भी आरक्षण नहीं दिया। यह अशोक गहलोत साहब की सरकार है, यह कांग्रेस की सरकार है, ये चार साल इतिहास में जाएंगे जिस सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण काम किया है कि प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। आप देखिये, कहां 6 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजाति को मेडिकल कालेजेज में, 8 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति को मेडिकल कालेजेज में, इंजीनियरिंग कालेजेज में है और हम कहते कहते... (व्यवधान) भूतपूर्व चिकित्सा मंत्रीजी स्वयं बैठे हैं सामने, उनसे कहते कहते थक गये। वे कहते हैं नहीं, नहीं छोड़िये। (व्यवधान) तब थे, अब तो मना ही है। आगे यह मौका कभी मिलेगा नहीं। उसका कारण है कि राजस्थान की जनता इन सामाजिक सेवाओं का आकलन करेगी। उस समय में वह जानती है कि किन लोगों ने 6 और 8 प्रतिशत को बढ़ाकर 12 से 16 प्रतिशत किया है, किन लोगों ने मेडिकल कालेजेज में और इंजीनियरिंग कालेजेज में आरक्षण किया, किन लोगों ने यूनिवर्सिटी के कालेजेज में आरक्षण किया, किन लोगों ने निःशक्तजनों के लिए राजस्थान में एक नई मुहिम छेड़ी, किन लोगों ने विकलांग और वृद्धों के लिए आरक्षण किया, किन लोगों ने विकलांग और वृद्धों के आरक्षण की सीमा 27 करोड़ से बढ़ाकर 180 करोड़ के लगभग लाकर पहुंचा दी। ये बातें राजस्थान की जनता के सामने हैं। आज जीवन रक्षा कोष से इलाज कराने वाली बातें आम आदमी तक पहुंच गई। यह मेरी समझ में नहीं आता

(डा. करण सिंह यादव)

कि ये बातें पहले क्यों नहीं आई पुरानी सरकार के दिमाग में। क्योंकि उनके मन में कभी गरीब आदमी के प्रति दर्द नहीं था, कभी यह सोच नहीं था कि गांव का गरीब आदमी या गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाला आदमी कैसे अपना इतना बड़ा आपरेशन कराएगा, जिसमें लाख रुपये खर्च होंगे, डेढ़ लाख खर्च होंगे, दो लाख रुपये खर्च होंगे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की हैं। आज कोई भी आदमी, गांव के लोग चलकर आते हैं और पूछते हैं, साहब, सरकार हमारी क्या मदद करेगी? उस मेड़ीकेयर रिलीफ कार्ड को जब अस्पताल में जाकर दिया जाता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें लाख रुपये खर्च हों, डेढ लाख रुपये खर्च हों, तत्काल उसका आपरेशन होता है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डाक्टर साहब, वह पहले नहीं था? मुख्य मंत्री सहायता कोष पहले नहीं था? यह आपने ही बनाया है? यह आपने ही बनाया था? मेडिकल रिलीफ सोसायटी किसने बनाई? मुख्य मंत्री सहायता कोष किसने प्रारम्भ किया?

डा. करण सिंह यादव : नहीं, जीवन रक्षा कोष नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज जीवन रक्षा कोष से 50,000-50,000 रुपये, लाख-लाख रुपये मिलते हैं, आपको पता है क्या, कुछ जानकारी है क्या आपको?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। एक्चुअल को स्वीकार करो।

डा. करण सिंह यादव : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, जीवन रक्षा कोष नहीं था, मुख्य मंत्री सहायता कोष था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता नहीं मिलती थी क्या?

डा. करण सिंह यादव : वह बहुत कम थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी इस सदन में एक अलग छवि है, आप हमेशा साफगोई से सारी बात कहते हैं, आप यह भी कहो कि मुख्य मंत्री सहायता कोष भी था, मेडिकल रिलीफ सोसायटी हमारे सरकार ने की थी, प्रधानमंत्री सहायता कोष भी था। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : उस मुख्य मंत्री सहायता कोष से बहुत कम सहायता मिलती थी। मुख्य मंत्री सहायता कोष से पैसे मिलते थे 2500 रुपये।

डा. करण सिंह यादव : मुख्य मंत्री सहायता कोष था लेकिन जीवन रक्षा कोष नहीं था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इनकी तरफ थोड़े ही हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : उस समय मुख्य मंत्री सहायता कोष से मात्र 2500 रुपये मिलते थे और उसमें आपके मुख्य मंत्रीजी के आगे-पीछे चक्कर काटने पड़ते थे।

डा. करण सिंह यादव : तब बी.पी.एल. की बात नहीं थी। जीवन रक्षा कोष इस सरकार ने चालू किया। उस जमाने में मुख्य मंत्री सहायता कोष था, जीवन रक्षा कोष नहीं था।

श्री राजेन्द्र पारीक : और वे हो जासी, देख लेस्यां, कर देस्यां, यह कहते थे।

श्री श्रवण कुमार : आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ज्यों आविष्कार हुआ तो आवश्यकता बढ़ती गई। आपने कुछ किया लेकिन something is better than nothing. यह भी कह रहे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपका नाम कोई नीचे थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

डा. करण सिंह यादव : मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, निश्चित रूप से मुख्य मंत्री सहायता कोष था लेकिन बहुत लिमिटेड राशि मिली थी। 5,000 रुपये थी पहले सन् 1992 तक और मैं सबसे पहले उसका लाभ लेने वाले लोगों में से एक था। जब राष्ट्रपति से यह आया तो मैंने कोशिश करके उसको 10,000 रुपये करवाया और वह 10,000 ही रही सहायता कोष से आज मुख्य मंत्री सहायता कोष से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाद में 25,000 हो गये।

डा. करण सिंह यादव : 30,000 रुपये एक वाल्व के लिए, 50,000 रुपये दो वाल्व के लिए, गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए पूरे 50,000 रुपये पेसमेकर के लिए 20,000 रुपये और बाई पास सर्जरी के लिए 20,000 रुपये। पहले इतनी राशि नहीं थी। आज सहायता कोष से वे लोग जिनकी 24,000 रुपये सालाना से कम आमदनी है, जो मध्यम वर्गीय लोग-बाग हैं, वे अपने तहसीलदार से सर्टिफिकेट लाकर और मिनिमम 1/3 उसका, करीब 40 प्रतिशत राशि मुख्य मंत्री सहायता कोष से मिल सकती है। वह बात उस समय में नहीं थी। चूरू से आने वाले सम्माननीय सदस्य, इस बात को मानना पड़ेगा। हो सकता है आपके मन में वह बात रही, लेकिन आपकी पार्टी के दिमाग में वह कल्पना नहीं थी कि ये काम भी किये जा सकते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : पार्टी में थी, इनमें नहीं थी।

डा. करण सिंह यादव : नहीं, इनमें थी।

डा. सी. पी. जोशी : पार्टी में थी, इनमें नहीं थी। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : पहले चालीस हजार आप ही लेते थे। चालीस हजार का पहले खर्चा रहा जो आज एक लाख पच्चीस हजार का खर्चा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य, आपके पिछले तीन साल का भाषण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगर उठा कर वापस आज यों का यों पढ़ा जाए तो मैं सोचता हूं कि लगभग अस्सी प्रतिशत वही बातें लगातार आप तीन साल से बोल रहे हैं। कम से कम आप तो पढ़ लिया करें पुराने भाषण को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री सांवर लाल : नहीं, माननीय सदस्य, यह बता दीजिये, प्रधानमंत्रीजी इस कोष में कितना योगदान दिया? आपके मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में प्रधानमंत्रीजी का योगदान कितना है?

डा. सी. पी. जोशी : आप पहली बार सदन में हंस कर बोले हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस कोष में प्रधानमंत्रीजी का योगदान कितना है, यह बता दीजिये आप, आपको जानकारी है तो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वास्तविकता को स्वीकार कर लो, उसमें क्या बात है?

श्री सांवर लाल : प्रधानमंत्रीजी की तरफ से पैसा दिया जाता है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सांसदों के आगे पीछे चक्कर काटते-काटते चप्पल घिस जाती है और उसमें भी यह जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा मिलेगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि इस मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में प्रधानमंत्रीजी का अंशदान कितना है।

श्री श्रवण कुमार : सारा ही प्रधानमंत्रीजी का है। सांवर लालजी, सारा ही प्रधानमंत्रीजी का है, परं प्रधानमंत्रीजी के हम भी तो बच्चे हैं। (व्यवधान) प्रधानमंत्रीजी के बच्चे थोड़े ही हैं जो उनको सेवा करनी है?

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, बोलिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कटारिया साहब, एक बात है, जो आपने कहा न कि पुराने भाषण को भी वह यह याद रखते हैं...

डा. करण सिंह यादव : नहीं, मैं कह रहा हूं साहब, मैंने नहीं किया...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बी.जे.पी. वालों में और कांग्रेस वालों में फर्क ही यही है कि हम जो कहते हैं उसको याद रखते हैं और आप जो कहते हैं उसको साफ रखते हैं।

डा. करण सिंह यादव : और यही नहीं, मैं बहुत अदब से कहना चाहूंगा कि कल के आपके भाषण में भी पहले साल वाला ही था कि हमने सत्येन मैत्री पुरस्कार किया, आपने आठ साल तक काम

(डा. करण सिंह यादव)

कराये हमने नियमों से स्कूल खोले, मैं उस अध्यापक को बैठे करके जिसके नम्बर नहीं आते थे, उसको वहां फेंक देता था। यह सारी वह की वह बात थी, पुराना सेम टेप. था, सर।

श्री राजेन्द्र पारीक : और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके भाषण से लग रहा था ऐसा कि माननीय सदस्य कोई देवलोक से सीधे अवतरित होकर यहां पर आये हैं। आपके भाषण सुन करके यह लग रहा था कि आप यहां मानव वेश में नहीं हैं बल्कि देवलोक से अवतरित हुए हैं। यों लग रहा था आपके भाषण से।

श्री मदन दिलावर : यह प्रेतात्मा कहां भटक रही है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। बहुत हो गया, बैठिये। हो गया न।

श्री श्रवण कुमार : कटारियाजी का जब भाषण सुनते हैं तो जिस तरह हरियाणा वाले कहते हैं ऊंट का जगड़ा कोई भाषण सुन लेता है न, खुद का वोट उसी को डालना पड़ता है। तो कटारियाजी की जब दर्द भरी बातें सुनते हैं न तो हम भी सोचते हैं कि सही बोलते होंगे, यह बात तो जरूर है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

डा. करण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही अर्ज कर रहा था कि महिलाओं का नौकरी का आरक्षण 30 प्रतिशत हमने किया और इस बार के बजट के भाषण में, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विधवाओं और परित्यक्ताओं के लिए जो पांच प्रतिशत अलग आरक्षण किया है, यह भी सामाजिक न्याय की एक बहुत बड़ी कड़ी है जो आप लोग नहीं कर पाये। आज चर्चा करने लग गये कमजोर की, गरीब की, आरक्षण की, कांग्रेस पार्टी और हमारे मुख्य मंत्रीजी का पहले दिन का भाषण समझ लीजिये, इस बात के सदा पक्षधर रहे हैं कि वे लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए यदि संविधान में परिवर्तन किया जाए तो यहां पर भाषण देने की बजाय, माननीय भाटी साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी पार्टी है ऊपर, यहां तो आप कहिये ही, वहां इस संदेश को पहुंचाएं जिससे कि राजपूतों को आरक्षण मिल सकेगा, गरीब और गरीब ब्राह्मण को आरक्षण मिल सकेगा। अशोक गहलोत साहब की सरकार तो इस बात के लिए कटिबद्ध है, इस बात की बात इस सदन में कई बार हो चुकी है। इन हाउस एण्ड आउट साइड द हाउस चीफ मिनिस्टर हैज आलवेज...

श्री देवीसिंह भाटी : हम तो बराबर कहते हैं चाहे राज्य सरकार हो और चाहे केन्द्र सरकार हो, यहां कोई परदा नहीं

(श्री देवीसिंह भाटी)

है। यहां तो खुली कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।

श्री सांवर लाल : पहली बार यादवरहित केबिनेट बनी, इसके लिए तो कर लेते कुछ बातचीत। राजस्थान में इतने काम्पीटेंट, इतने इंटेलिजेंट सर्जन यहां पर बैठे हैं विदाउट पोर्टफोलियो।

डा. करण सिंह यादव : विकलांगों के बारे में आपको बिलकुल ही ध्यान नहीं था लोगों को यही पता नहीं कि निःशक्तजन आयुक्त नाम की कोई पोस्ट होती है। जिस दिन से दामोदर थानवी बनकर आये, उस दिन से विकलांगों के... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उसके बाद क्या हुआ, विकलांगों के साथ क्या अत्याचार हुए? जो पहले राहत मिल रही थी उसको काटा गया। उसके बाद क्या हुआ? केवल मौज-मस्ती की गई। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जब से गहलोत साहब मुख्य मंत्री बने हैं, यह हार्ट की सर्जरी और ये निःशक्तजन सब पैदा कर दिये आपने चार साल में।

श्री मदन दिलावर : आयुक्त के द्वारा केवल मौज-मस्ती की गई, कल्याण की बात कुछ नहीं की गई। सरकार का धन लुटाया गया फालतू में, लेकिन विकलांगों को नहीं मिला।

श्री रघुवीर सिंह : शांति धारीवालजी से डर नहीं लगता आपको?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दो उनको।

डा. करण सिंह यादव : आप कभी उस तीन प्रतिशत आरक्षण की बात नहीं सोच सके जो आज विकलांगों को नौकरियों में मिल रहा है और मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेजेज में मिल रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय से आपके माध्यम से विशेष अनुग्रह है, आग्रह है कि च्यवनप्राश के बजाय इनको ब्रह्म रसायन खिलाया जाए ताकि इनका मानसिक संतुलन बना रहे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहले आपको खाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलिये, बोलिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले उसका वह कर ले परीक्षण, उसके बाद आवश्यकता होगी तो मैं भी खाउंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, हो गया न बहुत, अब तो थोड़ा सीरियस होइये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : सद्दाम हुसैन हो रहे हो आज तो।

डा. करण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, महिला आयोग की स्थापना, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग की स्थापना, अनुसूचित जाति-जनजाति नियम

(डा. करण सिंह यादव)

की जो गारंटी मनी है उसको बढ़ाना, पिछड़ा वर्ग निगम की स्थापना और उसके अन्दर पिछड़ों को दिलाना, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, अल्पसंख्यक निगम की स्थापना, ये ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जो सामाजिक न्याय की दृष्टि में इस सरकार के द्वारा किये गये हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सफाई आयोग।

डा. करण सिंह यादव : सफाई आयोग। अब ये सारी चीजें इनके जमाने में नहीं थीं और आज यही सोच हो रहा है कि यह काम हम क्यों नहीं कर पाये। राजस्थान की जनता देख रही है कि कौन सी सरकार सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूक है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक-दो बातों पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं जरूर दिलाना चाहूंगा कि सरकार की पूरी मंशा के बावजूद कहीं-कहीं आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन में कोताही है। जब अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया तो इस बात की ताकीद की गई कि जो लोग सामान्य मैरिट के हैं, अपनी योग्यता से आते हैं उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। नौकरियों में भी यही बात है, शैक्षणिक संस्थाओं में भी यही बात है। मंत्री महोदय, यह बड़ा क्लीयर था कि जो अपनी योग्यता से आता है उसको सामान्य सूची में लिया जाएगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, यद्यपि वह मेडिकल डिपार्टमेंट की बात है लेकिन सब विभाग आप द्वारा गाइड होते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल कालेजेज में एडमिशन में आज भी अपनी योग्यता से, अपनी वरीयता से आने वाला छात्र जो है उसको रिजवर्ड कैटेगरी में काउंट किया जाता है। यह गलत है। जो लोग अपनी मैरिट से, नब्बे प्रतिशत, अस्सी प्रतिशत, पिच्चासी प्रतिशत का जो लड़का है उसको जनरल मैरिट में काउंट किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपने विभाग की ओर से मेडिकल डिपार्टमेंट में, लॉ डिपार्टमेंट में इस बात को वैट करवाएं। यह सिर्फ मेडिकल कालेजेज में है, इंजीनियरिंग कालेजेज में ऐसा नहीं है।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहूंगा कि हमने निःशक्तजन को तीन प्रतिशत का आरक्षण दिया है। इंजीनियरिंग कालेजेज की जब काउंसलिंग होती है तब तो न डिसएवल्ड चायज को पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और जहां मेडिकल कालेजेज में काउंसलिंग होती है, उनको जनरल कैटेगरी के बाद में बुलाया जाता है। उसका असर यह होता है, जब पहले काउंसलिंग में डिसएवल्ड जाएगा अपने वर्ग का, तो उसको अपने चाइस की सीट मिलेगी। मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब हम डिसएवल्ड आदमी को आरक्षण दे रहे हैं, जो पेरेलाइज्ड है तो उसको चाइस भी देनी

(डा. करण सिंह यादव)

चाहिए अपनी जगह की, अगर आप पहले काउंसलिंग करेंगे तो। जयपुर की इंजीनियरिंग कालेज में जहां उसके पेरेंट्स रखना चाहते हैं, वह जाना चाहेगा। आखिर में जब आप उसको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं तो बची-खुची सीट होगी, जयपुर वाले छात्र को कोटा जाना पड़ेगा, किसी को उदयपुर जाना पड़ेगा। तो यह विसंगति है। इंजीनियरिंग कालेज के अन्दर डिसएवल्ड को पहले बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, मेडिकल कालेजेज में बाद में बुलाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए समान कानून बने और दोनों जगह पर पहले डिसएवल्ड को बुलाया जाए और उनको यह छूट दी जाए एडमिशन के साथ में। जब हम उनके साथ में रियायत दे ही रहे हैं, आरक्षण दे ही रहे हैं तो उनको अपनी चाइस की जगह पर एडमिशन लेने की भी छूट दी जाए।

हमने सोल्जर्स के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण किया, और सामाजिक न्याय का तो बहुत बड़ा दायरा है, अभी तो हम जस्ट निकले ही हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से इंग्लैण्ड में बहुत अरसे रहा हूं, वहां तो अगर किसी महिला के दो या तीन बच्चे हो गये तो सरकार उसके घर पर दो नर्सेज भेजती हैं कि बेचारी अकेले बच्चों को कैसे पालेगी। अगर कोई आदमी अस्थमेटिक है और बाहर निकल कर नहीं जाता तो सरकार का जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो इस बात की व्यवस्था करता है कि यह अस्थमेटिक आदमी है, चल नहीं सकता तो इसको बाग में घुमाने के लिए सरकारी लोग लेकर जाएं। अनएम्प्लायमेंट डोल तो वहां पर कामन बात है। राजस्थान सरकार ने इस बार पहली बार गरीबी रेखा के नीचे चयनित इन वर्गों के दसवीं और बारहवीं पढ़े हुए लोगों के लिए जो तीन सौ रुपये की एक शुरूआत की है, यह प्रयोग सफल रहेगा, निश्चित रूप से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। दूसरे अनएम्प्लाइड लोग हैं उनके अन्दर इसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : सरकार की आमदनी कैसे बढ़ेगी?

श्री मदन दिलावर : सरकार की आमदनी कैसे बढ़ेगी?

डा. करण सिंह यादव : बढ़ेगी न, अगली बार हम सरकार में आएंगे और अच्छा शासन देंगे, टैक्स रियलाइजेशन बढ़िया करेंगे।

श्री मदन दिलावर :...(व्यवधान) मुंगेरी लाल के सपने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आमदनी कैसे बढ़ेगी?

श्री रोहिताश्व कुमार :... (व्यवधान) आपने तीन सौ रुपये रिश्वत के दिये हैं क्या?

डा. करण सिंह यादव : वापस सरकार आएगी न, साहब, इन अच्छी नीतियों को देखते हुए। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : सरकारी आमदनी बढ़ने की बात कर रहे हैं आप। आपने कहा कि आमदनी बढ़ेगी।

श्री रोहिताश्व कुमार :... (व्यवधान) सरकारी धन को रिश्वत के रूप में दिया कि अगली बार आपकी सरकार बने। यह आमदनी बढ़ेगी, इसका क्या तात्पर्य है?

डा. करण सिंह यादव : नहीं-नहीं, अच्छा गवर्नेंस। हमारा टैक्स रेवेन्यू हर साल बढ़ता रहा है पिछले सालों के कम्पेरीजन में।

श्री मदन दिलावर : किससे? (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार :...(व्यवधान) क्या कह रहे हैं आप?

डा. करण सिंह यादव :...(व्यवधान) अच्छी बरसात होगी। इस बार तो अकाल के कारण से रह गये थोड़े-से पीछे, वरना तो आप देखते, कितनी तरक्की पर ले जाते।

श्री मदन दिलावर : बरसात तो भगवान की कृपा से होगी। इस कांग्रेस के आने से तो अकाल ही अकाल पड़ रहा है।

डा. करण सिंह यादव : इस साल नहीं पड़ेगा अकाल, आप निश्चित रहिये।

श्री मदन दिलावर : वो तो आप जा रहे हो इसलिए नहीं पड़ेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं पड़ना चाहिए इस बार।

श्री मदन दिलावर : हां, नहीं पड़ना चाहिए।

डा. करण सिंह यादव : आप लोग सदा यही अकाल का जाप करते रहते हैं, कम से कम ये तो...

श्री हरिसिंह (महुवा) : 33 के 23 रह जाने हैं, यह ध्यान रख लेना। अभी 33 हो, 23 आओगे।

श्री मदन दिलावर : हां, 23 ही आओगे उधर। उधर 23 ही आओगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये मुंगेरी लाल के सपने हैं आपके। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : आपकी बात सही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तो गये काम से। आप तो गये काम से।

श्री रोहिताश्व कुमार : चलो, ऐसे ही करे जाओ। हम तो 23 सही, आप तो करे जाओ यही।

श्री हरिसिंह (महुवा) : राजस्थान में तलाश करो तो जगह नहीं मिलेगी आपको लड़ने को। आप तो गये काम से।

श्री रोहिताश्व कुमार : अगर आपको सीख नहीं लेनी है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सागवाड़ा और बानसूर में आये कि नहीं आये?

श्री धर्मपाल चौधरी : मुख्य सचेतकजी, गलत वहम है ये। वो गये हैं न बांदीकुई और हम ला देते हैं सब जगह से। अब वहां से भी लड़ सकते हैं आपके सामने। कहीं वहम रह जाए आपको।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कहीं भी ऐसी चर्चा होती है तो अपने गांवों में एक कहावत है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब कहीं भी इस तरह की चर्चाएं होती हैं, गांवों में एक कहावत है "कौवों की दुर्शीष से ऊंट मरते हुए नहीं देखे।" यह कहावत है गांवों में।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। व्हाट इज दिस? आप बिराजिये। माननीय सदस्य, आप कोई डिबेट कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? आप राजस्थान की विधान सभा में बैठे हो। व्हाट इज दिस? क्या मतलब है इसका?

श्री राजेन्द्र पारीक : साहब, रोकिये इनको।

श्री उपाध्यक्ष : कोई 23 जना रहा है और कोई 33 जना रहा है, और कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस? सीरियस डिबेट हो रही है, कुछ तो सीरियसनैस रखिये मेहरबानी करके। दोनों बराबर हो, आप भी बराबर हो, आप कौन से रुक रहे हो? वो रुक रहे हैं क्या? वो बोलेंगे तो ये भी बोलेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये देखिये इनको। ये बोलते हैं। ये मुख्य सचेतक कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों बराबर हो। दोनों को निवेदन करूंगा, बी सीरियस।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको तो जगह ही नहीं है, आप भगवान हो गये, ऊपर से अवतरित हो गये। बड़ी-बड़ी मूंछें बना कर यहां बैठ गये। यहां लड़ाएंगे जसवन्त सिंह गुर्जर को और ऐसे झलक नहीं मिलेगी देखने को।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। बिराजिये, माननीय धर्मपालजी, लैट अस बी सीरियस प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये कभी टोपी लगा कर आते हैं, कभी साफा, कभी गंजी खोपड़ी आते हैं। कर देंगे कभी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय हरिसिंहजी। बोलिये, बोलिये।

डा. करण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, मैंने कल भी सदन में चर्चा की थी, कि राजस्थान विश्वविद्यालय में किस तरह से पिछले सालों में आरक्षण की अवहेलना की गयी है। वहां दो-तीन

(डा. करण सिंह यादव)

सौ के करीब अस्थायी शिक्षक हैं उनके नियमितीकरण के लिए सरकार पर तरह-तरह के दबाव आ रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी आर्डिनेंस अगर लाया जाए तो उससे पहले इस बात को निश्चित करें कि उन तीन सौ अस्थायी शिक्षकों में से जो 150 स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बनते हैं पहले उनका नियमितीकरण हो। पहले उनका रिक्रूमेंट प्रोसेस चालू हो उसके बाद में कोई स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से जो पिछले दरवाजे से लोग घुसे हुए हैं उनको नियमित करें।

दूसरा मैं सजेशन देना चाहूंगा कि ये जितनी कांट्रेक्चुअल सर्विसेज हो रही हैं उन सब के अन्दर भी आप एंश्योर करें कि रिजर्वेशन का पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया जाए।

साथ में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाल विकास और महिला विकास मंत्री आदरणीय दीवान साहब के आने के बाद में निश्चित रूप से इस डिपार्टमेंट में हलचल मची हुई है। यह सही है कि खाने में उस पाउडर का बच्चों को स्वाद नहीं था। आपने कुरमुरे और मुरमुरे और अच्छा टेस्टी पोषाहार देने की जो योजना बनायी है, यह बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में अन्दर जितने केन्द्र जितनी जल्दी बन सके, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जितना इम्युनाइजेशन का काम हो या एजुकेशन हो वीमेन की या फैमिली वैलफेयर हो इनसे सम्बन्धित महिला बाल विकास कार्यक्रम, पोषाहार कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी है और सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा दायरा इस बात से कवर-अप होता है। उसकी तरफ आप पूरा ध्यान दे रहे हैं, और निश्चित रूप से उसमें और बढ़ावा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सामाजिक सेवाओं को देखते हुए और राजस्थान में अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, महिला, विकलांग, डिप्राइव्ड क्लासेज के इस सरकार ने जो काम किये हैं उन कामों के बलबूते पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये चुनाव तो जीतेंगे ही, अगला चुनाव पार्लियामेंट का जीतकर केन्द्र में सरकार बनाएंगे और फिर गरीब आदमी के लिए जिस तरह के आरक्षण की आप कल्पना करते हैं, इकोनोमिक आरक्षण की कल्पना आज जो देवीसिंहजी भाटी साहब कर रहे हैं वो कल्पना आपकी साकार करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-30 और 33 पर चर्चा हो रही है उसमें

(श्री कन्हैया लाल)

भाग लेते हुए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सदन को कि अनुसूचित जाति/जनजाति की जो स्थिति हुई है इन पिछले चार सालों में, सोचा यह था लोगों ने कि ये बहुत विकास करेंगे अनुसूचित जाति का, जनजाति का। ये बढ़-बढ़ करके कह रहे हैं कि साहब कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। डाक्टर साहब हमने यह कर दिया, वो कर दिया आने के बाद अभी डाक्टर साहब के ही बयान हैं, डाक्टर साहब ने लिखा था "सत्ता पक्ष ने कहा कि दलितों को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं।" डाक्टर साहब के बयान हैं। डाक्टर साहब ने कहा था यह गत वर्ष। यह कहा था कि दलितों को कोई सुविधा नहीं है। राजस्थान विधान सभा में आज...(व्यवधान) डाक्टर साहब के बयान हैं, इसमें मैं वो नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सत्ता पक्ष के लोगों ने कही हैं ये बातें। अकेले डाक्टर साहब ने नहीं, 5-6 माननीय सदस्यों ने कही हैं ये बातें।

श्री धर्मपाल चौधरी : डाक्टर साहब का तो पढ़ कर सुना दो।

श्री कन्हैया लाल : डाक्टर साहब को सुनाऊं क्या?...(व्यवधान) अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आवश्यक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। नाराजगी जाहिर करते हुए डाक्टर साहब ने आरोप लगाया कि समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की क्षमता कम है और देखरेख के अभाव में उनकी हालत कबूतरखाने जैसी हो रही है। काफी लम्बा-चौड़ा दिया है इन्होंने वैसे। सुझाव हो कुछ भी हो, लेकिन बड़े बड़े हैडिंग्स हैं। सत्तापक्ष ने कहा, दलितों को भी सुविधा नहीं है, किसी दलित को कोई सुविधा नहीं है। और यह वास्तविकता है, यह मैं बताने जा रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार बढ़े हैं। घटे नहीं हैं, बढ़े हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी तरह इन जातियों के लोगों की हत्याएं भी बीते साल के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गयी हैं। आंकड़ों के अनुसार इस साल नवम्बर माह तक अनुसूचित जाति के कुल 47 जनों की हत्या हुई है, जबकि बीते साल इसी अवधि में यह संख्या 43 थी। अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में करीब 23 फीसदी बढ़ोतरी हो गयी है। बीते साल इस अवधि तक अनुसूचित जाति की कुल 119 महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए, 119 मामले दर्ज हुए। इस साल के दौरान यह संख्या 146 हो गयी है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति में बीते साल 11 हत्याएं हुईं और इस साल एक हत्या अधिक हुई। इसी तरह बलात्कार भी इस साल 7.8% ज्यादा हुए हैं। तो, माननीय

(श्री कन्हैया लाल)

डाक्टर साहब, आप कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता आप सब जानते हैं आत्मा से कि हो क्या रहा है इस राज में। पिछले चार साल में जिस प्रकार की ये घटनाएं हुई हैं, आपके सामने पूरे आंकड़े हैं, लेकिन आप लोग सत्ता पक्ष के होने के नाते उनकी बुराई नहीं कर सकते हैं, आप उनके पक्ष में बोलना चाह रहे हैं। दलित अत्याचारों के 60 फीसदी मामलों में कोई कार्यवाही भी नहीं होती यहां पर। इस राज में पिछले चार साल से अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के साथ में कहीं भी अत्याचार हुए हैं उनके खिलाफ पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायी तो 60 प्रतिशत उनके मुकदमों में एफ.आर. दे दी जाती है। अभी माननीय गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने भी यह कहा था कि डी.आई.जी. मधुकर टंडन जिनको माननीय शेखावत साहब के राज में, बी.जे.पी. के राज में बरखास्त किया गया था और पकड़ा नहीं गया था, बाहर चला गया था, कहा था कि डी.आई.जी. मधुकर टंडन की बरखास्तगी की सिफारिश तो कर दी लेकिन पकड़ नहीं पाये। उन्होंने अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ में बलात्कार किया, ऐसे पुलिसकर्मी को आज तक संरक्षण दे रखा है, चार साल में उसको अब तक नहीं पकड़ा गया है। आज अगर कोई गरीबों की चल-अचल सम्पत्ति को...

श्री श्रवण कुमार : वह तो बी.जे.पी. के राज में ही तो गड़बड़ हुआ था। बी.जे.पी. के राज में गड़बड़ हुई थी न। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : बी.जे.पी. के राज में बरखास्त कर दिया था। (व्यवधान) बाहर चला गया, बाहर भाग जाने के बाद में...

श्री परसादी लाल : हमने उसको नौकरी से हटा दिया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : कन्हैया लालजी, बी.जे.पी. के राज में उठा था यह मामला। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : यह पकड़ा जाएगा। (व्यवधान) लेकिन उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यह कहा था।

श्री श्रवण कुमार : वह दिल्ली में था। (व्यवधान) कन्हैया लालजी, वह दिल्ली में रहता है न? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : नौकरी से हटा दिया। (व्यवधान) नौकरी से हटा दिया हमने उसको। क्यों बोलते हो? (व्यवधान) बस्सी को रिजर्व सीट कर दिया और क्या चाहते हो?

श्री कन्हैया लाल : कौनसा मामला कर दिया? बस्सी को रिजर्व कर दिया तो कौनसी बड़ी मेहरबानी कर दी आपने? (व्यवधान) आपने कोई बड़ी मेहरबानी नहीं कर दी मेरे ऊपर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : आपकी सरकार कर रही है यह काम? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कन्हैया लालजी को मालूम है कांग्रेस के राज में काम खूब हुए हैं तभी इनकी जवान...(व्यवधान) आदमी झूठ बोलता है उतना ही फंसता जाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज।

श्री सांवर लाल : पुनर्सीमांकन आयोग अपने आप यह करता है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत सारे काम हुए हैं।

श्री परसादी लाल : प्रोफेसर साहब, आप अपनी सीट से बोले, वहां से मत बोले। भिनाय का क्या हुआ?

श्री कन्हैया लाल : अभी ताजपुर थाने में निवाई के पास में पुलिस चौकी में शिवजी सिंह मिलिट्रीमैन छुट्टियों में आया हुआ था। उस दिन अपने बुआ-फूंफा से मिलकर छुट्टियां बिताकर वापस जा रहा था। पुलिस चौकी के पास में हैण्ड पम्प लगा हुआ था और वहां पर बाल्टी रखी हुई थी, उसने उस भरी हुई बाल्टी को हटाकर पानी पी लिया। उसके पानी पीने के बाद में पुलिस वालों ने उसको धक्के मारे, धक्के मारते रहे, जूते मार-मार कर, लातों से घूसों से मार-मार कर अन्दर ले जाकर पुलिस चौकी में उसको खतम कर दिया। आज तक इस राजस्थान सरकार ने उसको एक प्रतिशत न तो कोई सहायता दी है, न जो मिलिट्री का उसका वजीफा मिलना चाहिए था वह मिला। उसको सरेआम सैकड़ों आदमियों के सामने मारा गया है, उस व्यक्ति की कोई जांच नहीं हुई है और उस तफतीश को दबा दिया गया है। ये सारे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आप कहते हैं कि हम दलितों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे राज में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने कुछ भी इस मामले में कोई सहयोग नहीं किया। आज आप कह रहे हैं कि हमने बांसवाड़ा में वो कर दिया, हमने डूंगरपुर में वो कर दिया। आज देवकी देवी पांच हजार में नीलाम हो गई, पांच हजार में नीलाम कर दिया भूख से मरते हुए लोगों ने। ये यहां डूंगरपुर के लोग हैं। इस प्रकार की घटनाएं, देवीकी देवी भील है उसको कर दिया गया, नन्हें हाथों से रोटी का जुगाड़। आप यह कह रहे हैं कि बारां के अन्दर जो मौतें हुई हैं, आज उसके माता-पिता को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज अकाल के अन्दर उन लोगों को धंधा नहीं मिल रहा है और आप कह रहे थे कि मौतें नहीं हुई हैं, वह तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वैसे ही कह रहे हैं। आपको सारे फोटो सहित मैं बता सकता हूं, छोटे-छोटे बच्चों की उम्र 6 साल है...

श्री दयाराम परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कुछ जानकारी चाहता हूं, देवकी देवी का क्या हो गया, उसका बेचान हो गया? किस जगह बेचान हुआ? किस जाति में ले जाकर बेचान किया?

श्री कन्हैया लाल : मैं अभी देता हूं यह सारा आपको।

श्री दयाराम परमार : ताकि मुझे पता पड़े। माननीय सदस्य, यह हमारे एक समाज को बदनाम करने की नीयत से यहां बोला जाता है सदन में। आदिवासी एरिया में, जो रीति-रिवाज हैं उनकी आपको जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : ये अखबार बोल रहे हैं। अखबार झूठे हैं?

श्री दयाराम परमार : अखबार नहीं, मेरे से बात करो। यह अखबार वाला कोई आपको होगा जो लिख दिया होगा। मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात को पहले सुन ले। पहले मेरी बात को सुन ले।

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय मंत्री महोदय, यदि असत्य है तो इस अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर कराइये। आप यह नहीं कह सकते कि यह असत्य है, प्रूफ दे रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री दयाराम परमार : आप कैसी बात कर रहे हो?

श्री नाथूलाल गुर्जर : फिर भी आप कैसे कह रहे हो? महिलाओं को बेचा गया है।

श्री दयाराम परमार : पहले आप सुन लीजिये मेरी बात।

श्री नाथूलाल गुर्जर : सुन तो रहे हैं, आपको यह दिखा रहे हैं। टेबल कर दें इसको। आप जांच कराओ उसकी। (व्यवधान) आप जांच करवा लो।

एक माननीय सदस्य : डूंगरपुर में भील हो, रहते हो क्या? (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : यदि यह असत्य साबित हो जाए तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर करवाइये।

श्री दयाराम परमार : पहले मेरी बात सुनिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरिया में, टी.एस.पी. में रहने वाले मोटे रूप में भील हैं। उनके सामाजिक रीति रिवाजों की सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है इसलिए कहा कि बेच दी औरत। कौन ले गया? एक आदिवासी की औरत...(व्यवधान)आप सुन ले पहले, बोलो मत। समझते नहीं हो, फिर भी फालतू का आरोप लगाते हो। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : हां, मैं आपको देता हूं, माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) आप नाराज हो रहे हो।

श्री दयाराम परमार : हमारे यहां पर दापा लेने की प्रथा है। 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का हम दापा लेते हैं। लड़की की शादी कराते हैं, तो यह हमारे रीति रिवाज हैं। अगर कोई औरत शादीशुदा है और किसी के साथ चली गई तो पांच हजार रुपये भी उससे वसूल करते हैं, दस हजार रुपये भी वसूल करते हैं, 20 हजार रुपये भी वसूल करते हैं। अब आप यह कह करके कि बेचा गया, बदनाम करना चाहते हो, यह सदन में नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : यह अखबार वालों ने कह दिया...(व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : अगर बेच दिया है तो आपको उसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। आप हमारे पर...(व्यवधान) हम हमारे समाज के रीति रिवाजों को, हमारे समाज के...(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : कन्हैया लालजी, नाते वाली बात तो आपके भी और हमारे सभी के नाते की व्यवस्था है। (व्यवधान) समाज की महिला को बेचा...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में देखिये कि कितने माननीय सदस्य भी नाते लाये हुए हैं। इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य नाते लाये हुए हैं। (व्यवधान) जो बोल रहे थे।

श्रीमती कमला बृजलाल :...किस तरह से बोल रहे हैं ये? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती कमला बृजलाल :...यह एक आदिवासी महिला को बदनाम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बिराजो। माननीय कन्हैया लालजी, इस टापिक को चैंज कर दो आप, दूसरा बोलो।

श्री अमराराम (धोद) : पुनर्विवाह को बुरा मानते हो क्या आप?

श्री उपाध्यक्ष : इस टापिक को चैंज कर दो। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां पर गये। सहरिया है बारां के अन्दर, उसमें वर्तमान में छोटे–छोटे 6 साल तक के बच्चे बच्चियां लकड़ियां लाकर बाजार में बेचकर अपना पेट भर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं। वहां कम से कम इतने अकाल राहत कार्य खोलें जिससे लोगों को मजदूरी मिले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय कन्हैया लालजी, ये जितने पत्ते हाथ में हैं वे सब पढ़ोगे क्या आप?

श्री कन्हैया लाल : सब मैं नहीं पढ़ता, अब नहीं बोलता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजस्थान सरकार यह कह रही है कि इस तरह की व्यवस्था अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए दलितों के लिए की है तो वो आपके सामने सारा नमूना है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि महिला आवासनियां हैं, समाज कल्याण मंत्री महोदय, चंगी-भली आवासनियां कहीं पागल नहीं हो जाएं। मैं कहता हूं कि ऐसी वहां पर पागल हो गई हैं, चंगी-भली जो आवासनियां हैं और जांच अधिकारी भी मौके पर गये हैं। तो ऐसी जगह कम से कम देखभाल तो करे। उनको एक रुपया प्रति दिन का खर्चे के लिए दिया जाता है, उसको बढ़ाया जाए।

जनजाति बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए मंत्री महोदय ने कहा कि जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण खूब कर रहा हूं। आदिवासी एरिया के अन्दर आपने कहा कि हमने हजारों बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया। मंत्री महोदय, आपने गत वर्ष का 18 का टारगेट रखा, 18 में से कितनों का विद्युतीकरण किया? माडा योजना में आपने खाली दो का किया। खाली दो बस्तियों का विद्युतीकरण किया।

उसके बाद आपने 20 का टारगेट रखा और 20 में से 4 का किया। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, आप ऐसे एरिया से आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जहां लोग दूर-दूर रहते हैं। आपने कहा कि जहां 15 या 20 आदमी होंगे वहां बस्तियों का विद्युतीकरण करेंगे। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या राजसमंद को ले लीजिए, आदिवासी जहां पर भी रहते हैं वे लोग मुश्किल से 5-6 लोग एक जगह रहते हैं और सारे बिखरी जातियों के रूप में रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जहां 3 या 5 की संख्या है वहां भी विद्युतीकरण किया जाए। आप जो 18 और 20 का टारगेट रखते हैं, इनके हजारों का टारगेट रखना चाहिए था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली दफा आपने सैकण्डरी स्तर में सुधार करने के लिए छात्रावास में कोचिंग की व्यवस्था की। आपने कोचिंग की व्यवस्था की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन फिर भी इस एरिया की शैक्षणिक दृष्टि से दुर्दशा है, चाहे बांसवाड़ा, डूंगरपुर ले लीजिए या कहीं भी, आर.ए.एस., आई.ए.एस. ले लीजिए, आर.जे.एस. ले लीजिए, कहीं भी, शैक्षणिक दृष्टि से पीछे होने के कारण ये काम्पीटीशन में भी नहीं आ सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री कन्हैया लाल)

शिक्षा की दृष्टि से इस एरिया में विशेष स्कूल की व्यवस्था की जाए जिससे आदिवासियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। पिछड़ा एरिया है और आर्थिक दशा जितनी इनकी दयनीय है, और किसी की नहीं है।

आज यहां पर लाखों खाने आबंटित की गई हैं, अनुसूचित जाति के नाम से, आदिवासियों के नाम से आबंटित की गई हैं लेकिन इन पर किसी भी एक आदिवासी का कब्जा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति के लोगों की सुरक्षा करते हुए जो खाने इनके नाम से आबंटित की गई हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पत्थर निकालने का काम करते हैं, इनको खाने आबंटित होनी चाहिए।

फोरेस्ट की जमीनें जहां पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग रह रहे हैं, आज उसमें यह कह रहे हैं कि जब तक उनका कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा तब तक उनको वहां भूमि अलाट नहीं होगी। मैं कहता हूं आदिवासी लोगों के साथ में कौनसा प्रमाण पत्र होगा? उनका राशन कार्ड भी बन जाता है तो मुश्किल से बनता है, नहीं तो कोई पूछने नहीं जाता है। एक-एक, दो-दो ढाणियां हैं वहां पर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां सदन में प्रस्ताव पारित करना चाहिए और यह प्रस्ताव भेजा जाए सैंट्रल गवर्नमेंट को कि आदिवासी लोग जितने भी हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में इन सभी लोगों को भूमि के पट्टे देने चाहिए ताकि इन लोगों के लिए कम से कम रहने की व्यवस्था हो सके। देश को आजाद हुए 55 साल हो गये लेकिन आज भी इनके रहने की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई। मैं इसके साथ निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : अब साथ ही समाप्त कर दीजिए।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलाग है वह हर विभाग के अन्दर खाली पड़ा है, इसे पूरा करवाया जाए। समाज कल्याण मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि आपके विभाग में भी काफी खाली पड़े हैं, उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करें। मैं इतना ही निवेदन करता हूं, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जनजाति की मांग संख्या-30 और 33 के बारे में चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको उसमें सम्मिलित करता हूं। जनजातियों के लिए सरकार ने जो सुविधा की हैं उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस बार जो व्यवस्था की है वह

(श्री नाथूराम अहारी)

बहुत ही सराहनीय है। हमारी कांग्रेस सरकार ने यहां बैठने के बाद इस बार पेंशन में बढ़ोतरी की, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी की, बिजली के क्षेत्र में बढ़ोतरी की और सिंचाई के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी की है। जस्ट डबल, जैसे पेंशन में 100 रुपये मिलते थे तो 200 रुपये किये। हर क्षेत्र में बढ़ोतरी की है।

रिजर्वेशन के बारे में मेरा यह कहना है कि अभी हमारे उदयपुर डिवीजन में वैसे मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि रिजर्वेशन नहीं के बराबर है। उदयपुर डिवीजन में 70-80 प्रतिशत आदिवासी बसे हुए हैं, इन आदिवासियों में 12 प्रतिशत रिजर्वेशन देना न्यायसंगत नहीं है इसलिए मेरी मांग है कि जहां आबादी ज्यादा है वहां पर उसका अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। हमारे यहां पर आर.ए.एस., आई.ए.एस., आर.एफ.एस. हैं इनमें जो रिजर्वेशन में हैं उसमें से 5 प्रतिशत अलग से देना चाहिए ताकि हमारे वहां के अधिकारी निकल सके, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो मेरी मांग है कि इस तरह से यह व्यवस्था होनी चाहिए।

हमारे आदिवासी एरिया में 5 साल से लगातार अकाल है, जमीन में पानी नहीं है और लोग-बाग बहुत ही परेशानी में हैं, तो मेरी मांग है कि इस बार हर परिवार से एक मजदूर लगाया जाना चाहिए। जो 10 दिन का सप्ताह माना है उसको 15 दिन का किया जाना चाहिए। हर परिवार में एक मजदूर लगाने से परेशानी नहीं होगी। अब परेशानी थोड़ी ज्यादा आने लग गई है। मेरी सरकार से यह मांग है कि एक परिवार से एक सदस्य लगे तो बहुत ही अच्छा होगा।

इसके अलावा हमारे समाज कल्याण के जो छात्रावास हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हैं। उसके निजी भवन नहीं है तो उसके निजी भवन बनने चाहिए। लोग-बाग हैं, बच्चे हैं वे बूचड़खाने की तरह रहते हैं, किराये के भवन में हैं। उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। मैंने सवाईमाधोपुर और इस एरिया में सभापति के हिसाब से दौरा किया तो व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनमें सुधार लाना चाहिए। (व्यवधान) सपोटरा, सवाईमाधोपुर दौर पर गये थे, वहां की इस तरह की हालत है तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अलावा आदिवासी एरिया में ओपन वैल बहुत ही जरूरी है। ओपन वैल खोदने में हमको परेशानी आ रही है क्योंकि मटीरियल नहीं मिलता है, केवल मजदूरी मिलती है। ज्यादा मत दो, लेकिन 30-40 फीट जो कुएं हैं उनमें मटीरियल नहीं मिले तो मजदूर तो काम कर ही नहीं सकता। अन्दर से मलबा निकालना बहुत ही मुश्किल है। उसके क्रेन लगानी पड़ती है तब मलबा निकल

(श्री नाथूराम अहारी)

सकता है। बहुत सख्त पत्थर है। लिमिटेशन ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग ज्यादा से ज्यादा कराई जाए। उस कुएं की जो लागत है वह बहुत ही कम है। पहले तो बहुत ही कम थी, अभी थोड़ी बढ़ाई है। लेकिन मेरा यह कहना है कि ओपन वैल में कम से कम 50 हजार की स्वीकृति मिले तो कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि जल-स्तर बहुत गहरा चला गया है, उसमें पानी की सम्भावना बहुत कम है। मेरी मांग है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके, काश्तकारों को अगर कुओं में मदद मिलेगी और अकाल राहत में मटीरियल और मजदूरी मिलाकर ज्यादा से ज्यादा हम देंगे तो काश्तकारों को काफी फायदा होगा। सबकी यह मांग है कि ओपन वैल हैं उनको दिया जाना चाहिए। हैण्ड पम्प में मामूली-सा पानी आवे वह एक पाइप में ही रहता है, लेकिन कुएं में मामूली-सा पानी आवे तो 24 घंटे आता रहता है। ओपन वैल में इकट्ठा होगा तो जब हैण्ड पम्प खराब हो जाएगा, उसमें पानी नहीं होगा उस समय कुओं से निकालकर वह पानी पी सकता है। इसीलिए मेरी मांग है कि ओपन वैल में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। 50 प्रतिशत मटीरियल और 50 प्रतिशत मजदूरी देंगे तभी यह सम्भव हो सकेगा।

इसके अलावा हमारे यहां काफी पहाड़ी एरिया है, एनीकट बने हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि काफी नहीं है। एनीकट बनेंगे तो हमारे उस एरिया में पानी रुकेगा, बह कर समुद्र में नहीं जाएगा। वहां पानी रुकेगा तो जल स्तर कायम रहेगा इसलिए उसमें भी हमको यह करने की जरूरत है।

(18.00 बजे)

इसके अलावा वन भूमि में आदिवासी सदियों से बसे हुए हैं, उसमें यह नियम बना हुआ है कि अमुक साल तक, अमुक सन् तक उसमें बसे हुए हैं तो उनको खातेदारी हक दिया जाएगा। लेकिन उसमें दर्ज ही नहीं होता है। उसमें पैनल्टी लेकर कब्जा नहीं बताते हैं। वह जहां बसा हुआ है वहां पक्के मकान बने हुए हैं, कुएं बने हुए हैं पहाड़ियां हैं, फलदार पेड़ हैं, जब उनको आबादी किया है तो उसका भौतिक सत्यापन करके उसे उसकी खातेदारी देनी चाहिए। इसके अलावा हमारे डूंगरपुर के आसपास महाराजा साहब ने जमीन वैसे ही दे दी थी, मुआवजे के तौर पर दी थी। बरस निकल गये लेकिन उनकी खातेदारी नहीं हुई, वह भी उनको खातेदारी दी जाए। इसके अलावा यहां जो शहर को पानी दिया जाता है वह डेमिया बांध से दिया जाता है। डेमिया बांध नदी पर है और वह नदी जितने एरिया में गुजरती है उसका सारा पानी सूख जाता है क्योंकि पानी शहर को जाता है। इसलिये

(श्री नाथूराम अहारी)

मेरी मांग है कि जलदाय विभाग की तरफ से अलग से कोई इसकी योजना बननी चाहिए, शहर को पानी के लिये दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता आदिवासियों को देना बहुत ही जरूरी है। अभी आदिवासी एरिये में ट्रेण्ड अध्यापक, ट्रेण्ड कम्पाउण्डर लगे हुए नहीं हैं, ओवर-एज हो गये हैं, उनको लगाया जाए। अभी जो धरना दे रहे हैं वे इसी कारण दे रहे हैं इसलिये मेरी मांग है कि हमारा बैकलाग भरा जाए। हमारे एरिये में जो 12 प्रतिशत का रिजर्वेशन है नौकरियों में, वह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। वैसे तो एक से छह तक की नौकरी में 45 प्रतिशत है लेकिन इससे पूरा नहीं पड़ रहा है, तो मेरी मांग है कि आप वहां बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने की व्यवस्था करें।

इसके अलावा हमारी रोडों की दृष्टि से 8 साल के बी.जे.पी. के शासनकाल में कुछ नहीं किया, बिलकुल नहीं किया, लेकिन अभी काफी कुछ काम किया है। 5 सौ की आबादी वाले गांव और पंचायत हैडक्वार्टर जो जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह की जो भी सड़क योजना है, सिंचाई योजना है, इसको ज्यादा से ज्यादा वहां किया जाए।

इसके अलावा हमारे डूंगरपुर में सोमकागदर का पानी आ सकता है। उसका लेवल सी लेवल से 198 का है, जबकि हमारे डूंगरपुर का 170 का लेवल है तो वह पानी वहां आ सकता है। मेरी मांग है कि सोमकागदर का पानी डूंगरपुर पंचायत समिति को और कुछ आसपुर को दिया जा सकता है तो यह योजना बनाकर इस योजना को लागू किया जाए।

अभी हमारे बी.जे.पी. के साथी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, लेकिन जब ये शासन में थे तो उस समय कुछ नहीं किया। अभी दीवाली के समय अकाल राहत के काम खोले, इतिहास में कभी नहीं खोले गये। भंयकरता को देखते हुए दीवाली से कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। आपके टाइम में 15 जून को काम मंजूर हुआ था और 30 जून को खतम कर दिया था, ऐसे काम भी आपके हुए थे। लेकिन यहां आप इस तरह से दहाड़ते हो कि हमने सब कुछ कर दिया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यहां तक कि कई माननीय सदस्यों की आदत इतनी खराब हो गयी है कि उनको बोलना ही पड़ता है, प्रश्न कोई भी कर दे लेकिन उनको बोलना बहुत जरूरी है। पता नहीं क्या है, इनकी आदत पड़ी है तो। इस तरह की आदतें ठीक नहीं हैं।

इसके अलावा मेरे साथी कन्हैया लालजी ने हमारी सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ बातें कही थीं, मैं उसका

(श्री नाथूराम अहारी)

विरोध करता हूं। यह हमारे समाज का मामला है, इसमें आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हम धीरे-धीरे जो ऐसी कुरीति है उसको दूर करेंगे। आपका नजरिया इस तरह का विरोध करने का ही होता है आप इसे बदले। आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री कन्हैया लाल : आप उसको अदरवाइज ले गये, वापस लेता हूं उसको।

मोहम्मद माहिर आजाद : वापस ले लिये अपने शब्द।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा और जनजाति विकास की जो मांग रखी गयी है, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।

बाली में लगभग 14-15 पंचायतें हैं जहां आज अनुसूचित क्षेत्र के लोग रहते हैं। इन पंचायतों में 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग जनजाति के रहते हैं और उनमें से 12 पंचायतें तो आज माडा में हैं। जब मैं प्रधान था मैंने प्रस्ताव भी भेजे हैं कि 90 प्रतिशत जब कोई एक लोकलिटी या गांव अनुसूचित जनजाति के हैं तो माडा से आप इसको टाडा में दर्ज कराएं इससे इन गांवों को बहुत फायदा होगा। लगभग 2-3 साल के प्रयास के बाद भी अभी तक इस पर पुनर्विचार नहीं हुआ है। कुछ ऐसे गांव सहवाड़ी पंचायत में है पीपला, जो अब पंचायत बन गया है, कुण्डाल, वेडी, सेंदला इनमें आज भी 70 से 80 प्रतिशत जनजाति के लोग रहते हैं लेकिन आज भी ये गांव माडा में दर्ज नहीं हैं। हमने इनकी रिपोर्ट भेज रखी है। आपके वहां से पत्र मिला है, हमने आपको वापस बता दिया है। पर यह आज भी माडा में दर्ज नहीं हुआ है और कोई फायदा नहीं मिल रहा है।

दूसरी बात, पिछले 4 साल से मैं आपके उदयपुर के आफिस में लगातार चक्कर काट रहा हूं। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि मेरे बाली क्षेत्र से लगभग 50 लाख का फण्ड आपके वहां वैसे ही पड़ा हुआ है। विभिन्न योजनाएं हैं जो बन्द पड़ी हुई हैं। हमने मांग की कि योजनाएं जो बन्द हो गयी हैं, ये पैसे आपके पास पड़े हैं तो उसको कोई न कोई आप काम में लाइये। हमने एनीकट के प्रस्ताव भेजे। 3 महीने में हमने एनीकट के प्रस्ताव 2-4 बार चक्कर काटकर आपके आफिस में तैयार किये, लास्ट में यह कहा गया कि स्पीकर यहां नहीं बनेंगे क्योंकि जवाई कैचमेंट में हैं। हमने जब दूसरे प्रस्ताव दिये तो हमारे कम से कम 3 तो प्रोजेक्ट डाइरेक्टर,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

2-3 कलक्टर्स वहां से ट्रांसफर हो गये। लगातार मैं आपके कमिश्नर को 2-3 बार मिला हूं, पर आज दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह पैसा ऐसे के ऐसे आपका पड़ा हुआ है। इस अकाल को देखते हुए और वहां के विकास को देखते हुए अगर इसको आप ध्यान में रखो। मैं समझता हूं कि कई क्षेत्रों में आपके पैसे पड़े हुए होंगे जो किसी पर्टीकुलर स्कीम के पैसे हैं, वे डैड पड़े हैं, अब वह स्कीम काम में नहीं आ रही है, इसको अगर आप डवटेल करके कोई दूसरे काम में, एनीकट या शिक्षा या दूसरी तरफ लें, तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। अभी हीरासिंहजी ने बताया, हमारे आदिवासी क्षेत्र की आबादी लगभग 30-35 हजार है और उसमें आपके 2 छात्रावास हैं एक तो भिमाणा और एक दानवली, मुझे पता नहीं, कौनसा सन् है। मैं तो सोचता हूं कि यह काफी पुरानी बात है, आपके सौ की स्ट्रेंथ तो भिमाणा में है और 50 की स्ट्रेंथ आपके दानवली में है।

श्री दयाराम परमार : सौ है, सौ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : सौ है, वही कह रहा हूं।

श्री दयाराम परमार : दोनों में है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : नहीं है। 50 है एक में और एक में सौ है। और 35 की आबादी जनजाति क्षेत्र की है। मेरा यह निवेदन है कि या तो आप एक नया छात्रावास खोले या इनको बढ़ाया जाए। क्योंकि आज ये लोग काफी गरीब हैं, इनके पास में पढ़ाई के लिये खर्च करने हेतु पैसा नहीं है। यह व्यवस्था जब सरकार दे रही है तो इनको अच्छा फायदा होगा।

दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार आज शिक्षाकर्मी योजना चलाती है उसमें वहां के लोग जो आठवीं पास, दसवीं पास या बी.एड. या एस.टी.सी को लगाते हैं। हमारे यहां इस टाइम 25 स्कूल शिक्षाकर्मी के खोले। चयन करने का जब प्रोसेस आया तो वहां एक तो पढ़े हुए लड़के को लगाते हैं, एक लड़की को लगाते हैं। आज 55 साल की आबादी के बाद में मेरे क्षेत्र में खाली 4 लड़कियां मिलीं जो पढ़ी हुई हैं, 4 स्कूल खुल पाये और 21 स्कूल रद्द हो गये। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां एक महिला छात्रावास खोलना बहुत आवश्यक है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। 55 साल की आजादी में अगर आपके पास 4 स्कूल खुल पाएं क्योंकि वहां खाली 4 लड़कियां उपलब्ध हुई तो मैं समझता हूं कि आज दिन तक इस पर अपन ने कोई गौर नहीं किया है। इस क्षेत्र में कई प्राइमरी स्कूल हैं, कई स्वास्थ्य केन्द्र हैं, लेकिन मैंने वहां प्रधान के रूप में काम किया है, मैंने यह देखा

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

है कि कोई भी इस क्षेत्र में ऊपर जाना पसन्द नहीं करता है। अगर आज भी आप वहां से जानकारी मंगाएं तो यह पाया जाएगा कि आपको हर स्कूल में तीन से ज्यादा टीचर्स नहीं मिलेंगे। या तो उनकी उपस्थिति नहीं होगी या वह पोस्ट खाली है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि जब आप राजीव गांधी स्कूल खोल रहे हैं उनमें वहां के लोकल आदमी को ले रहे हैं तो क्यों नहीं आप प्राइमरी स्कूलों में भी वहां के ही जो लोकल लोग हैं उनका ही चयन करें। बाहर से लोग आते हैं तो वापस अपने क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं और वह एरिया वापस ऐसा का ऐसा खाली रहता है। वह शिक्षा से वंचित रहता है और वे लोग परेशान रहते हैं। आज यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ए.एन.एम. हैं, आपके कम्पाउण्डर्स भी हैं, ये सब पद उन क्षेत्रों के लोगों को ही मिलने चाहिए।

एक हमारे एरिया में जो खेती का मेन काम करते हैं सहारन के मार्फत खेती करते हैं। सहारन एक कैनाल टाइप होती है। उसमें लगभग 200-300 बीघा कम्बाइंड जमीन होती है, मतलब किसी के पास दो बीघा है, किसी के पास चार बीघा है, किसी के पास पांच बीघा है, ऐसे कोई 50 से 100 आदमी मिलकर एक सहारन निकालते हैं और पानी जो नदी में बहता है उसको अपने खेतों में ले जाते हैं। यह खेती बिना पैसे की होती है इनके। इसमें कोई पानी लिफ्ट नहीं करना पड़ता है, केवल मेहनत करके सहारन बनाकर उनको खेतों तक लेते हैं। कम्बाइंड 300 आदमी, एक परिवार या सब मिलकर यह काम करते हैं। अगर यह सहारन पक्की बनाई जाए, हमारे प्रपोजल आपके वहां आ रखे हैं, इसमें आप अगर थोड़ा नजदीकी से देखें तो यह एक बहुत बड़ा काम होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जनजाति क्षेत्र में।

आज लाइट की बात करते हैं तो हमारे सब पंचायत हैडक्वार्टस में लाइट आ रखी है। लेकिन अगर आप लाइट की व्यवस्था वहां पर देखे तो पूरे गांव में लाइट एक आदमी के पास भी नहीं है। एक भिमाणा गांव है जिसकी आबादी लगभग सात-आठ हजार है, उस गांव में खाली चार जनों ने लाइट ले रखी है, बाकी पूरे क्षेत्र में आज किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कि वह लाइट ले। वे स्कैटर्ड पापुलेशन में रहते हैं, नजदीक ऐसे कोई आबादी में नहीं रहते हैं। आपका प्रोसेस है, आप इलैक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं, आपके मन में है कि उनका इलैक्ट्रिफिकेशन करना है। लेकिन आपका पैसा लैप्स हो रहा है। किसी सदस्य ने अभी मुझे बताया कि आपके 16 प्रपोजल थे। पूरे आपके दो ही होते हैं, आपका पैसा हर साल लैप्स होता है तो उसमें आप क्यों

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

नहीं थोड़ा ध्यान रखें और स्कैंटर्ड पापुलेशन के हिसाब से इनकी लाइट की व्यवस्था की जाए। आज इतनी बड़ी आबादी है, तीस से 35 हजार लोग रहते हैं और खाली चार घर में कनेक्शन उपलब्ध है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत शर्मनाक बात है। इस पर आप थोड़ा विचार कीजिए और लोगों को मिले कुटीर ज्योति। अनुसूचित जाति को इसमें प्रिफरेंस मिलता है, इसमें अनुसूचित जनजाति को भी जोड़ा जाए। टार्गेट इनके बहुत कम हैं, इनको भी शामिल करके इसमें फायदा दिया जाए।

सामाजिक सुरक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायत समिति पर लगभग 200 फार्म पारिवारिक सहायता के लिए आज भी पैंडिंग हैं। चयनित परिवार का कमाऊ सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाती है, सरकार उसको दस हजार रुपये देती है। लगभग तीन साल से 200 फॉर्म आज भी पैंडिंग हैं। लोग उस आफिस के चक्कर काट रहे हैं, आज भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रस्तुति के नाम से आपकी पंचायत समिति ने पेमेंट कर दिया, आज दिन तक उनका कोई भुगतान नहीं है। थोड़ी इस व्यवस्था को भी देखे। मैं यही कहना चाहूंगा कि इन गरीबों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल अहारी।

श्री शंकर लाल अहारी : शंकर लाल अहारी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर लाल अहारी।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-33 और 30 जनजाति विकास और समाज कल्याण पर चर्चा हो रही है। श्रीमान्, भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान रखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 1975 में जनजाति विकास विभाग की स्थापना की। इस स्थापना के पीछे एक उद्देश्य था कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में किस ढंग से सर्वांगीण विकास करे, किस ढंग से आदिवासी के परिवारों को आगे बढ़ाएं। इनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जाए, सामाजिक स्थिति कैसे मजबूत हो, सांस्कृतिक स्थिति एवं बौद्धिक विकास इनका कैसे हो, मूलभूत सुख-सुविधाओं के आधार पर यह हमारे जो पूर्वज, नेता थे उनकी एक सोच थी। उनकी कल्पना थी कि आदिवासी धरती पर पड़ा हुआ है उसको कैसे ऊपर उठाया जाए। इसके जीवन में हम किस ढंग से मिलकर उसका विकास करे। यह एक सोच उनमें धीरे धीरे अक्षय रूप में पैदा हुई, विभाग की स्थापना की।

एक जमाना था कि इस धरती पर आदिवासियों ने राज भी किया है, परन्तु परिस्थितियों में समयानुसार परिवर्तन होता

(श्री शंकर लाल अहारी)

गया। आदिवासियों की माली आर्थिक हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती गई, गिरती गई। ज्योंही हमारी कांग्रेस सरकार आयी, कांग्रेस के बड़े नेताओं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अच्छे विचार रखते हुए हमेशा एक बात कही कि आदिवासी, एस.टी., एस.सी. एवं अन्य पिछड़े वर्गों की कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं और इन योजनाओं के माध्यम से इनका विकास किया जाए। राज्य के दक्षिण में पांच जिले हैं, 23 पंचायत समितियां हैं और उन पंचायत समितियों में 1991 की जनसंख्या के आधार पर 35.91 लाख लोगों की बस्तियां वहां बस रही हैं। जनसंख्या के अनुसार हम कह सकते हैं कि पिछले समय में कोई भी शासक या कोई भी राज रहा, परन्तु इन पांच सालों में जो आदिवासियों का विकास हुआ है, विशेष तौर से उसकी वास्तव में हम प्रशंसा करते हैं। खूब-खूब हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी का और मंत्रीजी का कि आपने विशेष प्रावधान रखते हुए एक व्यवस्था दी। उस व्यवस्था में वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपने सिंचाई की योजनाएं बनाईं, सिंचाई के अन्तर्गत कृषि कुओं को गहरा करवाया और ब्लास्टिंग की व्यवस्था दी। पहले किसान के कुओं में 72 होल लगाते थे, अब आपने 144 होल किये हैं। वास्तव में हम धन्यवाद देते हैं। 144 होल लगाने के बाद कुआं गहरा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपने इसके साथ-साथ डीजल सैट भी दिये, जो सामूहिक रूप से दिये, निःशुल्क भी दिये, और ऋणी तौर पर भी कृषकों ने लिये। आपने वाटर शैड योजना बनाई, एनीकट बनाये। जो भूमि कटाव था, वाटर शैड से वह भूमि कटाव बन्द हुआ। परन्तु, श्रीमान् से मेरा अनुरोध है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में दूरदराज में जो लोग निवास करते हैं, पहाड़ों में वहां एनीकटों की आवश्यकता है। पानी नहीं रोका जाएगा तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में विकट परिस्थितियां आएंगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वहां पर एनीकटों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने विद्युतीकरण के लिए हमको पैसा दिया। बस्तियां विद्युतीकरण से जुड़ी हैं परन्तु ऐसा नहीं है कि पूरी बस्तियां जुड़ गई हैं। बड़े-बड़े फले आज भी रह गये हैं इसलिए उन फलों को विद्युतीकरण से जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है। श्रीमान् से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा देवें आदिवासी क्षेत्र में जाकर ताकि जो आदिवासी अंधेरे में रह रहा है वह प्रकाश की ओर आए।

मेरा विधान सभा क्षेत्र जहां है वह गुजरात से सटा हुआ एरिया है। मैं श्रीमान् का ध्यान दिलाता हूं कि गुजरात के लोगों

(श्री शंकर लाल अहारी)

के लिये वहां की सरकार ने पानी की व्यवस्था की है, घर–घर हैण्ड पम्प लगाने की बात की। पर हमारे बार्डर पर हम इतने हैण्ड पम्प लगा नहीं पाये। उन्होंने घर घर में फ्लोवाइज विद्युतीकरण किया है, हम विद्युतीकरण नहीं कर पाये हैं। जहां–जहां बार्डर एरिया है, जो प्रभावित हो रहा है, उस एरिये में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पूनावाला है, डूका है, बचड़िया है, उधरवाला एरिया डूंगरपुर जिले का।

आपने शिक्षा की दृष्टि से आमूलचूल परिवर्तन करते हुए आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिये कल्याणकारी योजनाएं बनायीं। छात्रों को छात्रगृह प्रति माह 150 रुपये के हिसाब से दस माह तक देने का आपने जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिये भी आपने प्रति माह 250 रुपये 10 माह तक देने का जो प्रावधान किया है, वह भी अच्छा है। इसके बाद में छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रति माह आपने 250 रुपये देने की बात की है, वह भी एक बहुत सराहनीय कदम है। आश्रम छात्रावास में पुस्तकें, कोचिंग व्यवस्था भी आपने की है। पिछली सरकार ने भी आश्रम छात्रावास खेले थे और अभी हमारी सरकार ने भी आश्रम छात्रावास खोले है। आश्रम छात्रावासों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। परन्तु देखने की आवश्यकता है, उनका निरीक्षण करने की आवश्यकता है, मोटिवेट करने की आवश्यकता है। हम छात्रावास बनाने के बाद में अगर सही ढंग से उनका भौतिक सत्यापन नहीं कर पाये, सही ढंग से उसका मूल्यांकन नहीं कर पाये तो वह खोलना नहीं खोलने के बराबर है। इसलिए हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि महीने में एक बार कम से कम विभाग की तरफ से इंस्पैक्शन हो जाना चाहिये कि नियमित रूप से खाना मिल रहा है कि नहीं, नियमित रूप से उसके बिस्तर की व्यवस्था है कि नहीं है। वह पढ़ाई के लिये जाता है कि नहीं जाता। सरकार ने जो मूलभूत सुख–सुविधाएं उसको दी हैं, वे उसको हासिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यह देखने का हमारा पहला कर्तव्य बनता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी वन क्षेत्रों की जमीन में रह रहे हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार के ऐसे नियम थे, ऐसे आदेश थे कि 1980 से जो लोग वन क्षेत्र में निवास करते हैं, वह भूमि उनकी नियमित कर दी जाए। तो श्रीमान् से निवेदन है कि 1972 से हम रह रहे हैं वह नियमित नहीं हुई है। उसके बाद में 1980 आ गया उसमें भी नियमित करने की आवश्यकता है इसलिए उसका नजरअंदाज नहीं किया जाए। आप जितना भी दे सकते हो, देनी चाहिये, क्योंकि

(श्री शंकर लाल अहारी)

वहां का आदिवासी सरकार की जो सुख सुविधा मिलने वाली है इसका लाभ नहीं उठा पाता है। इसलिए नहीं उठा पाता है कि उसके खाते में कोई पट्टा नहीं है। जब मालिकाना हक ही नहीं है उस भूमि का, तो जो सुविधाएं मिलनी चाहिये वे उस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। श्रीमान् से निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान देवें और आदिवासी क्षेत्रों में वनों में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा भूमि आबंटित करावें

आश्रम छात्रावासों में हमारे समय समय अनुसार जनजाति परामर्शदात्री की मीटिंग आयोजित होती है, हमने वहां निवेदन किया था पिछले समय में, कि आश्रम विद्यालय बनाएं। पुराने समय के जो छात्रावास हैं वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत करने की आवश्यकता है। इस वर्ष आपने पूरा ध्यान दिया है माननीय मंत्रीजी और हम कह सकते हैं कि यह तारीफे-काबिल है। आश्रमों में जो आपने मरम्मत की व्यवस्था की, पैसा लगाया, वह पैसा दिखता है। हम ऐसा काम करें जिससे कि यह लगे कि हमारा पैसा जिस काम में जा रहा है उस काम में उपयोग में आवे। यह उसकी उपयोगिता नजर आयी। अभी उदयपुर सम्भाग में राष्ट्रपतिजी का दौरा था, उस दौरान उन्होंने उस छात्रावास का निरीक्षण किया और आपकी तारीफ की कि मरम्मत का कार्य ठीक है। हम चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में जो भी काम करें, वह ठोस रूप में काम करें, स्थाई रूप में काम करें जिससे कि आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। मैं श्रीमान् का ध्यान दिलाना चाहता हूं...(व्यवधान) सब जगह होनी चाहिये, कहीं नजरअंदाज नहीं करें। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उधर भी होना चाहिये। श्रीमान् से हमारा निवेदन है कि आप जो भी एनीकट बनाए, मेरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बलूनिया एक ग्राम है, उसमें हमने कई बार निवेदन किया था सिंचाई विभाग के माध्यम से कि लघु सिंचाई का काम किया जाए। परन्तु वह नहीं हुआ तो आपसे निवेदन है कि आप वहां एक बड़ा एनीकट बनाएं।

दूसरा हमारा जो रिजर्वेशन में 12 प्रतिशत निर्धारित है, उसमें हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम किसी का कोटा नहीं छीनना चाहते, पर इस 12 प्रतिशत में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं- आर.ए.एस., आर.पी.एस. और अन्य जो प्रशासनिक सेवा में आते हैं, उसका पांच प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया जाए, इसी में से ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक मिनट और लेना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर से क्या कर रहे थे?

श्री शंकर लाल अहारी : आपने आश्रम स्कूलों की व्यवस्था तो दी, परन्तु अभी भी हमारे यहां आश्रम छात्रावास की और आवश्यकता है, बोरमली में और चारवाड़ा में आश्रम छात्रावास की आवश्यकता है। समाज कल्याण के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण के छात्रावासों का निरीक्षण हमने किया है, जनजाति विकास विभाग के छात्रावास और समाज कल्याण के छात्रावासों में दिन-रात का फर्क है। सत्यता कहने में कहीं चूकूंगा नहीं। मेरा समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारा दौरा हो और हम उसको देखें कि क्या वहां वह छात्रावास है कि नहीं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, बच्चों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यह सब देखने का हमारा फ़र्ज है। वहां समाज कल्याण की स्थिति गम्भीर है और वहां छात्रावासों की जो स्थिति है, या तो मैनेजमेंट बैठ नहीं पा रहा है। बाकी जनजाति या समाज कल्याण छात्रावास में कोई फर्क नहीं है पैसों में, पैसा इनको बराबर मिल रहा है। व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आपके समाज कल्याण के जो छात्रावास चल रहे हैं, माननीय मंत्रीजी, अधिकांश किराये के कमरों में चल रहे हैं। कहीं शहरों में हैं तो जा भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते हैं। अब कोई एक छोटा-सा कमरा ले रखा है, 20-25-50 छात्र रह रहे हैं। श्रीमान्, इसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हुए बजट दिलवाइये। वहां भवन बनाने की आवश्यकता है, इसको देखना चाहिये।

दूसरा, जनजाति क्षेत्र में जो रोडों की व्यवस्था है, अभी युद्ध स्तर पर अकाल राहत कार्य चल रहे हैं। मिट्टी के काम हैं, कच्चे काम चल रहे हैं। कच्चे काम ऐसे हैं कि अगर बरसात आए तो बरसात में चले जाएं। अपन ऐसी व्यवस्था करें कि वे कच्चे काम जितने भी बन गये हैं, अब कच्चे काम ड्राप करते हुए पक्के काम वहां करावें कहीं सी.सी. रोड बन सकता है तो ठीक है, डामरीकरण हो सकता है तो ठीक है, ग्रेवल हो सकती है तो ठीक है। श्रीमान् से हमारा यह अनुरोध है कि इस ओर भी आप आवश्यक रूप से ध्यान देवें।

श्री उपाध्यक्ष : और बस।

श्री शंकर लाल अहारी : जनजाति विकास उप-योजनाओं के अन्तर्गत हमारे छात्रों ने आयुर्वेदिक सब सेंटर या डिस्पेंसरियों में जो भी ट्रेनिंग प्राप्त की है, वे बच्चे कहीं नौकरी पर नहीं लग पाये। श्रीमान् से निवेदन है कि ऐसे बच्चों को नौकरी पर लगाइये और एक से छह की जो पे स्केल बनायी है उसमें फिट करिये। अगर नहीं दे सकते हो तो इसका कोई निर्धारित 300 या 400 रुपये भत्ते के रूप में आप दो ताकि उनका गुजारा चल सके।

(श्री शंकर लाल अहारी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बोलना तो बहुत था परन्तु काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीरामजी।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की मांग संख्या-30 और 33 पर विचार चल रहा है। सदियों से दलित समाज के पीड़ित होने के वजह से जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारी सरकार ने उन्हें ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएं बनायीं। योजनाओं के माध्यम से उनके विकास की योजना बना कर जीवन-स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया। लेकिन आज 55 साल बीत जाने के बाद भी यदि हम उनकी बस्तियों में जाएं और देखे तो थोड़े परिवारों को छोड़ कर अधिकतर परिवार उसी हालत में हैं। कई योजनाएं और बजट भी उनके लिए रखे गये, लेकिन बिना मानीटरिंग और सुपरविजन के कितना बजट उनको दिया गया और कितना खर्च किया गया, वास्तव में सही मायने में देखा जाए तो उनका स्तर अभी तक ऊंचा नहीं उठा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज उन मौहल्लों के अन्दर पानी की व्यवस्था नहीं है। गलियों में देख जाए तो खड्डे पड़े हुए हैं, बिजली की वजह से अंधेरे में पड़े हुए हैं। हमारे समाज कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक सोशल वैलफेयर जिनका हैडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर होता है, उनसे पूछते हैं तो कहते हैं, साहब, पहले तो हमारे पास में बजट आता था, आजकल इतना बजट नहीं आता है। इन कालोनियों में और इस समाज के सुधार का बजट कहां रहता है, हमने पूछा तो कहा, साहब, सम्बन्धित विभागों में रहता है। राज्य सरकार से शोषित, पीड़ित, दलित समाज के लिए जो बजट आता है वह समाज कल्याण विभाग में न होकर सम्बन्धित, जैसे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में दे दिया। अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कब तो उन मौहल्लों में जाएं और कब वहां देखे कि कहां पर किन को पानी की या सार्वजनिक नल की आवश्यकता है। वैसे ही कोई व्यवस्था नहीं है। विद्युत विभाग के पास अगर विद्युत का बजट है और समाज कल्याण विभाग के पास नहीं है तो विद्युत विभाग के लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और आजकल पोल की कीमत इतनी बढ़ी हुई है कि वे खुद तो कनेक्शन ले नहीं सकते हैं। इस तरह गरीब के लिए कनेक्शन लेना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था देखे कि इसकी क्रियान्विति किस ढंग से हो। बजट सोशल वैलफेयर विभाग के पास जाए और सोशल

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

वैलफेयर डिपार्टमेंट का सहायक निदेशक अपने यहां पर या तो तहसीलवाइज उसकी मीटिंग ले या पंचायतों से प्रस्ताव मंगाएं किन-किन कालोनियों में पानी की या बिजली की आवश्यकता है। इस तरह के प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग को जिनके पास बजट आता है, वहां भेजे तो उसकी व्यवस्था सही ढंग से हो सकती है और वे भी अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन असमंजस की स्थिति में जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्दर अभी हमारे 500 गांवों और 150 हरिजन बस्तियों को लिया गया है जिसमें 126 करोड़ का बजट आबंटन किया हुआ है। अब वह बजट कितना उसमें जाता है? इस समाज के लिए 126 करोड़ अभी दिये हैं, पहले भी दिये होंगे? लेकिन कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, बिना मानीटरिंग के उस बजट का कोई पता नहीं पड़ता है। छात्रावासों में भी इस समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं, वैसे हम जाते हैं, देखते रहते हैं लेकिन फिर भी वहां की स्थिति बढ़ी बदतर है। कहीं कम्बल फटे हुए हैं, कहीं उनके सोने के पाटे टूटे हुए हैं, तो उनकी व्यवस्था भी देखी जाए। वहां के सहायक निदेशक जो सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट के हैं, उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वहां जाकर व्यवस्था को देखे। रसोई करने वाले चौकीदार हैं 8-8, 10-10 महीने से, उनको 600 या 700 रुपये मिलते हैं। मैं समझता हूं 600-700 रुपये में अपने परिवार का पालन वह किस तरह से करता होगा, भगवान जाने। जिनको 8-10 साल हो गये हैं उनको चतुर्थ श्रेणी स्थायी वेतन श्रृंखला देकर राहत दिलाएं।

अधीक्षकों के जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उन रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। हमारे जालौर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो छात्रावास तो सायला में हैं, एक बालिका छात्रावास, जालौर है, स्वच्छ का छात्रावास रेलवे स्टेशन, जालौर है और एस.सी. छात्रावास, बागड़ा, इन पांचों छात्रावासों के अन्दर अधीक्षक का पद रिक्त है। ऐसी व्यवस्था भी सुनते हैं कि पास के स्कूल का कोई अध्यापक पार्ट टाइम के लिए उनकी देखरेख के लिए लगाया जाता है। लेकिन वह भी व्यवस्था नहीं होती। उनको 400 रुपये पर मन्थ दिये जाते हैं। एक अध्यापक अगर पास की स्कूल में रहता है, और छात्रावास के अधीक्षक का काम सम्भालता है तो 400 रुपये का प्रावधान है। अधीक्षक का पद स्थायी रूप से विभाग की तरफ से नहीं भरा जाता है तो यथाशीघ्र सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट के सहायक निदेशक को निदेशित करें। अधीक्षक का पद खाली होने से क्या होता है कि छात्र इधर-उधर घूमते रहते हैं और खाना-पीना

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

कितना है, कितना आटा निकालना है, कितनी सब्जी लानी, क्या लाना है, कितना पैसा किस में लगाना, कोई पता नहीं पड़ता है। ऐसे इन्चार्ज के रूप में बालिका छात्रावास के अन्दर महिला शिक्षक की नियुक्ति करवायी जाए और जो बालक छात्रावास हैं उनके अन्दर पुरुष अध्यापक की नियुक्ति करवायी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति जसवन्तपुरा के अन्दर एक एस.टी. का छात्रावास खोला गया था। मैंने पूर्व में भी कहा था, चार साल पहले, कि वहां पर भीलों की बस्ती अधिक है, सुन्दा हिल के आसपास जितनी भील भाइयों की बस्ती है, 40-50 गांव हैं, वहां पर एक भी एस.टी. का छात्रावास नहीं है। एक साल तक वह छात्रावास रहा। वैसे तो वह बी.जे.पी. के राज में 1998 के अन्दर खोला गया था। एक लाख रुपया वहां दिया, सालभर वहां सामान भी परचेज किया, सोने के बिस्तर वगैरह और बरतन वगैरह सारे खरीद लिये थे। एक आहोर में और खोला था। आहोर में सैट कर दिया, लेकिन भील बस्ती के अन्दर जसवन्तपुरा में जो छात्रावास खोला गया था, हमारे समाज कल्याण मंत्री महोदय ने उस छात्रावास को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया। अब वहां पर एक भी छात्रावास नहीं है और एस.टी. के लिए वहां पर छात्रावास की बहुत आवश्यकता है। जसवन्तपुरा के लिए समिति में एक एस.टी. का छात्रावास पहले से प्रस्तावित था और लगाया था, उसको हटाया गया, उसको पुनः वहां दिया जाए। उसके साथ ही एक एस.सी. का छात्रावास रामसिन गांव में दिया जाए। वहां आठ नौ हजार की बस्ती है, बड़ा गांव है, समिति का बीस-तीस गांवों के 30-40 किलोमीटर के एरिये में कोई छात्रावास नहीं है। उधर है तो जालौर और भीनमाल में है और दूसरी तरफ सिरोही में होगा। तो उस क्षेत्र के अन्दर छात्रावास नहीं है इसलिए रामसिन में एक छात्रावास एस.सी. का और एक बालिका छात्रावास खोला जाए। बालिकाओं की संख्या पढ़ाई में बहुत कम लगती है इसलिए बालिका छात्रावास रामसिन में खोला जाए अथवा जसवन्तपुरा में भी एक बालिका छात्रावास आवश्यक है।

इस वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 150 हरिजन बस्तियों में जो 126 करोड़ रुपये दिये गये हैं उसका प्रावधान हरिजन बस्तियों के अन्दर कराया जाए।

बी.पी.एल. परिवारों के गरीब युवाओं के लिए जो पढ़े-लिखे हैं जो व्यवस्था की गयी है दो सौ रुपये देने की, उसमें एस.सी., एस.टी. के तो आएंगे ही तो उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए। सीनियर सैकण्डरी वालों के लिए किया है, अगर एस.सी. और एस.टी. के दसवीं

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

पास हैं तो उनको दो सौ रुपया दिलवाया जाए, यह मेरा सुझाव है। दूर-दराज के एरियाज हैं वहां पर पढ़ाई की विशेष सुविधा नहीं है, अगर किसी गरीब घराने के बच्चे ने आठवीं पास किया है तो उसको सौ रुपया दिलवाया जाए ताकि आठवीं, दसवीं और बारहवीं पास बच्चों को राहत मिल सके।

इस वर्ष अतिरिक्त सुविधा जुटाने हेतु गैर सरकारी संगठनों द्वारा सौ नये छात्रावास स्थापित करने व संचालित करने के लिए राजकोष से अनुदान दिया जाएगा। न्यूनतम दस और अधिकतम बीस छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करने पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे छात्रावास संचालकों को भवन उपलब्ध कराने या छात्रों के लिए बरतन, बिस्तर आदि की सुविधा जुटाने के लिए एक लाख रुपये तक की एकमुश्त राशि एवं पांच सौ रुपये प्रति माह प्रति छात्र की दर से अनुदान देय होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए छात्रावासों के अन्दर खाने की जो व्यवस्था है वह ठीक ढंग से नहीं है। 675 रुपये एक छात्र के लिए बहुत होता है, अगर सही ढंग से उसको खाना और रोटी दी जाए, उस बच्चे के लिए खराबी नहीं है लेकिन सुपरविजन और मानीटरिंग के बिना जो बीच में सब्जी लाने वाले हैं, गेहूं लाने वाले हैं, पिलाने वाले हैं, आटा लाने वाले हैं, उसमें वे खराबी कर देते हैं और पैसा कम देकर बच्चों का खाना बहुत घटिया किस्म का देते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी जो पांच सौ रुपये गैर सरकारी संस्थाओं ने छात्रावासों को दिये जाएंगे उसके अन्दर भी अगर मानीटरिंग नहीं होगी तो बच्चों का शोषण होगा। गैर सरकारी संस्थाओं के साथ में जो पुराने चल रहे हैं छात्रावास, गवर्नमेंट की जिसमें देखभाल होती है, अधिकारी भी होता है वहां भी ठीक नहीं चलता है, तो गैर-सरकारी एक-एक लाख रुपये देकर घटिया मकान में बच्चों को रखेंगे, घटिया उनको खाना देंगे और सबसे अधिक फायदा अपना खुद का करने की कोशिश करेंगे और पांच सौ रुपये बच्चे के लिए जो होंगे उसके लिए भी वहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि सरकारी छात्रावासों की तरह अगर मानीटरिंग हो और अधिकारी रखे जाएं, तब तो ठीक हैं।

एस.सी. और एस.टी. के छात्रों का बैकलाग है, 60-70 हजार पद रिक्त हैं। हर महीने हर विभाग के कई हमारे साथी रिटायर और हो रहे हैं। सत्ता सम्भाली थी उस समय 30-40 हजार पद रिक्त थे, आज साढ़े चार-पांच साल के बाद कम से कम 80-90 हजार पद रिक्त हैं। 12 और 16 प्रतिशत का कोटा जो एस.सी. और एस.टी. का है, उस बैकलाग को भर दिया जाए। एस.सी. और एस.टी. के

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

परिवारों के लिए हम जितना कहते हैं कि एस.सी. और एस.टी. के परिवार हमारे वोट बैंक हैं, इस वोट बैंक को हम नजरअन्दाज कर रहे हैं। अगर यह करें तो मैं समझता हूं उनकी सच्ची सहायता होगी, काफी पढ़े-लिखे युवा जो घूमते हैं वे सर्विस पर लग जाएंगे और जिस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा हम देना चाहते हैं, जिस समाज का कल्याण हम करना चाहते हैं, जो हजारों वर्षों से शोषित हैं, उनको राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इनफारमेशन।

श्री उपाध्यक्ष : नो पाइंट आफ इनफारमेशन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। मैं दो मिनट में सारी बात समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई मिनट नहीं। नो प्लीज। आप बिराजो। अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने यह प्रैक्टिस बना ली है कि चर्चा समाप्त हो उसके बाद मंत्रीजी को नहीं बोलने दिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : XXX

श्री छोगाराम बाकोलिया (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सामाजिक सुरक्षा व समाज कल्याण की मांग पर माननीय सदस्यों ने जो अपने सुझाव दिये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। उसको ले आइये न आप किसी और नियम में। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ हैं इसलिए उनके कल्याण के बारे में रिप्लाई सुनना नहीं चाहते और इस तरह की बाधा डाल कर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बोलिए। कोई अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : चाहे जब खड़े हो जाते हैं, यह कोई तरीका थोड़े ही है। आप बिराजें प्लीज। नो, नो। बोलिए, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप बिराजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसको आप नियमानुसार लाइये। कौन मना करता है? (व्यवधान) माननीय बाकोलियाजी।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो सिर्फ एक लाइन का सवाल है, ज्यादा नहीं है। एक मिनट, ज्यादा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आपका नाम ही नहीं है। माननीय मंत्रीजी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रोशन्दा है वहां पर...

श्री उपाध्यक्ष : आपका यह भी व्यवहार हो गया है कि रोज लास्ट में आप कहते हो कि एक मिनट बोलने दो। यह क्या बात है?

श्री नाथूलाल गुर्जर : पूरे पंचायत क्षेत्र में 90 प्रतिशत जनजाति के लोग रहते हैं, आज उन जनजाति के लोगों को पीने के पानी की मेन समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं है, बिराजिए आप। माननीय बाकोलियाजी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : प्लीज, एक मिनट से ज्यादा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौली विधान सभा की ग्राम पंचायत रोशन्दा वहां पर पूरे पंचायत क्षेत्र के अन्दर नब्बे प्रतिशत जनजाति के लोग रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी यह व्यवहार हो गया कि रोज लास्ट में आप कहते हो कि मुझे एक मिनट बोलने दो। क्या बात है?

श्री नाथूलाल गुर्जर : उन जनजाति के लोगों की पीनें के पानी की मेन समस्या है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायत रोशन्दा के ग्राम काबरी में एनीकट का निर्माण कराया जाए तो वहां के लोगों का भला हो सकता है और वाटर लेवल ऊपर आ सकता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री छोगाराम बाकोलिया (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-33 पर माननीय सदस्यों ने अपनी राय और अपनी मांग के सम्बन्ध में अलग अलग तरीके से बातें रखीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। क्यों बोल रहे हो आप?

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्यों ने जो अपनी ओर से सुझाव दिये हैं, वास्तव में अपने आप में काफी गम्भीरता लिए हुए थे। मुझे सदस्यों की पीड़ा समझ में आती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के और गरीब तबके के लोग जो सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं, उसके बारे में आप भी चिन्तन करने लग गये हैं। हमारी सरकार विशेष रूप से इन वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करने में कहीं पीछे नहीं है।

पूरे साढ़े चार साल हमारे प्रिय मुख्य मंत्रीजी ने इस सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान के अन्दर जिस तरीके से कार्य किया, उसकी प्रशंसा पूरे भारत में हुई है। जो कांग्रेस शासित सरकारें हैं उनमें सबसे अग्रणी सरकार बनकर सबसे ज्यादा कार्य किये हैं। जिस तरीके से आठ साल के कुशासन के टाइम में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर, और भरतपुर जैसे जिले में तो नकेल डालकर घुमाया करते थे, तब हमने सोचा था और मेनिफेस्टो में तैयारी करके यह महसूस किया था कि जब भी हम सरकार में आएंगे तो इस वर्ग का संरक्षण करके इनको आगे बढ़ाने का पूरा कार्य करेंगे। उसी के अनुरूप...

श्री सुरेन्द्र व्यास : भरतपुर के कुम्हेर काण्ड की रिपोर्ट पेश करो आप।

श्री छोगाराम बाकोलिया : वह भी आ जाएगी। (व्यवधान) हम केवल सत्ता में ही नहीं आये, बल्कि इस आधार पर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई और पिछड़े लोगों के सपोर्ट से 200 में से 153 सीटें हमने जीतीं। (व्यवधान)

मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले पचास सालों के राज के अन्दर ये साढ़े चार साल ऐसे निकले हैं जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और बाकी वर्गों की सोशल सिक्योरिटी के मामले में सबसे ज्यादा कार्य इस सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन फिर भी, कुछ चीजें करने के बाद भी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिन कमियों के बारे माननीय सदस्यों ने अपने उद्गार, अपनी अपनी बातें रखीं। चूंकि अब यह डिपार्टमेंट मेरे पास है, कल्याण करना जरूरी है, उसके अनुरूप पूरा विचार करके, सोचकर इस समाज कल्याण विभाग को जो गति देना चाहता हूं उसमें आप सबका सहयोग वांछित है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसीलिए लाए हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : लाये हैं तो ठीक है, समाज का कल्याण ही होगा। उस वर्ग का कल्याण होगा तो हम और मजबूती से जीतकर आएंगे। आपके ऊपर थोड़ी-सी कमजोरी आएगी, लेकिन निःसन्देह इस दिशा के अन्दर हम आगे बढ़ने का कार्य करेंगे।

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

जिस तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उस कारण से हमने अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग का गठन किया। आयोग का गठन करने के साथ साथ महिला आयोग का भी गठन किया ताकि महिलाओं पर उत्पीड़न नहीं हो और उनके भी हकों को सुनकर उनको आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाए। यहां तक कि महिलाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से आज हमारे राजस्थान में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए महिलाओं को नौकरी के अन्दर 30 प्रतिशत दिया, जिसके कारण से उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को सिर्फ 450 रुपये देकर आप काम चला रहे थे, छात्रावासों के बारे में इतनी गम्भीर बातें लोग कह रहे थे कि कहीं गद्दे नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है और बड़ी मुश्किल हो रही है, उसको हमने बढ़ाकर 675 रुपये किया जिसके कारण से आज बच्चे बहुत आराम से हैं और पढ़ने में किसी भी तरह से कमी नहीं है। जहां जहां जिस तरीके से कमियां आपने बताई हैं, उनको फीड करने के लिए पूरा एक्शन ले लिया गया है और आर्डर भी दे दिया गया है। उसके लिए सहकारी मंत्रीजी ने भी प्रशंसा की कि हमको 35 लाख का आर्डर मिला है और उसके कारण से वहां नौकरी तनखाह के पैसे देने के लिए एक मदद मिली है। गद्दे वगैरह तो दूसरी चीजों की जहां जहां कमी है उसको पूरा करने के लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गद्दों के साथ-साथ तकियों का भी ध्यान रखना।

श्री छोगाराम बाकोलिया : तकिये सभी मिलेंगे। वह तरीके से अपन तैयार करके सभी तरीके की कमियां दूर करेंगे।

इसके अलावा अभी अभी हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट की घोषणा के अन्दर जिस तरीके से सौ छात्रावासों का प्रोवीजन किया है उसमें और ज्यादा हमारे छात्रों को मदद मिलेगी और वे पढ़कर आगे बढ़ा सकेंगे। ये अनुदानित छात्रावास एन.जी.ओज. के माध्यम से चलेंगे जिसमें दस से बीस तक की स्ट्रेंथ तक के बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। एन.जी.ओ. को एक लाख रुपये भवन, बिस्तर और फर्नीचर आदि के लिए दिये जाएंगे। इसके अलावा जिस चीज की माननीय सदस्यों ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है, पांच सौ रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह दिये जाएंगे जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को पढ़-लिखकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

इसके साथ साथ वास्तव में डाक्टर साहब ने सही कहा...

एक माननीय सदस्य : कौनसे डाक्टर साहब?

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप नहीं, आपके सामने वाले यादव साहब ने। (व्यवधान)

पी.एम.टी. और पी.ई.टी. के अन्दर जो आरक्षण मात्र आठ प्रतिशत था अनुसूचित जाति के लिए, उसको हमने बढ़ाया, 16 प्रतिशत किया। और अनुसूचित जनजाति के लिए छह प्रतिशत था, उसको बढ़ा कर बारह प्रतिशत किया। उनकी काफी लम्बे समय से मांग थी, उसकी पूर्ति हुई और अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों को इंजीनियर बनने, डाक्टर बनने का एक मौका मिला। उससे ज्यादा बढ़ कर जब मौका मिलेगा तो निःसन्देह वे अपने इस वर्ग को ऊपर उठाने में काफी मददगार होंगे। वास्तव में...

श्री हीरासिंह चौहान : ओ.बी.सी. के लिए क्या किया? उसको भी तो आप ही देखते हो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : ओ.बी.सी. के लिए इक्कीस प्रतिशत।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, तो कहिए तो सही।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उसमें सभी है। महिलाओं के लिए और सभी में आरक्षण किया है, लेकिन इसमें निःसन्देह ओ.बी.सी. को पीछे नहीं रखना चाहते हैं और व्यवस्थित तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं।

इसके साथ हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग को आगे लाने के लिए बी.पी.एल. परिवार के जो बच्चे पढ़े-लिखे हैं लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, इसी बज़ट प्रोविजन के अन्दर उनके लिए प्रावधान किया तीन सौ रुपये का जिस बी.पी.एल. परिवार की बारह हजार रुपये टोटल अगर इनकम है सालाना, तो तीन सौ रुपये प्रति माह ऐसे बच्चों को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे वही होंगे बी.पी.एल. में, जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग से हैं।

यही नहीं, अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग, निःशक्तजन महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन की माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक के अन्दर हमने पूरे राजस्थान के एन.जी.ओ. को बुलाकर एक फिजां पैदा की पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर कि इस वर्ग के लोगों की सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए इन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, पूरे हिन्दुस्तान में उसकी कार्य योजना बनायी जाए। उसी के अनुरूप जयपुर घोषणा पत्र का पेपर बनाया, उस पेपर के माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर इस वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा।

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

हमारे छात्रावासों के अन्दर और भी जो कमियां बताई हैं उन कमियों को ठीक करने के लिए वैसे तो पूर्व में मैंने बता दिया कि माननीय विधायक वहां के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष अपने कंसर्ड प्रधान हैं।

(19.00 बजे)

उसके साथ कई तरीके से सदस्य हैं इसमें। इतने सारे पोजीशन में होते हुए इन छात्रावासों में कमियां नहीं रहनी चाहिये, लेकिन फिर भी रह रही हैं तो मैं निर्देश दूंगा मेरे अधिकारियों और डायरेक्ट्रेट लेवल के अधिकारियों को कि वे जाकर हर जिले की पूरी पोजीशन मुझे लाकर बतावें ताकि कहीं छात्रावास में कमी होगी तो अधीक्षक, या जो भी कंसर्निंग असिस्टेंट डायरेक्टर है, उस पर कार्यवाही की जाए ताकि छात्रावासों में किसी तरीके की कमी न रहे।

माननीय सदस्यों के जो भी मुझे कट मोशंस मिले हैं, ज्यादातर छात्रावासों के...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आपको पूछने देंगे। समाप्त होगा, आपको पूछने देंगे। प्रश्न पूछने देंगे, आप बिराजो। पूछने देंगे आपको। तसल्ली रखो।

श्री श्रवण कुमार : गरीब की पीड़ा की बात बताना चाहता हूं। गरीब का जो दर्द है वह इनको सुनाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार : गरीब का दर्द है उनके दिल में जाकर बैठेगा, उनकी आत्मा में थोड़ा उबाल आएगा। मैं सोचता हूं गरीब की बात जरा ज्यादा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको पूछने देंगे तरीके से तो उसका जवाब आएगा। अभी आप बोल रहे हो, जवाब ही नहीं आएगा। आप बिराजो न।

श्री श्रवण कुमार : जवाब देंगे। मुझे इन्होंने कहा है कि हम गरीब की पीड़ा को उस जगह पहुंचाना चाहते हैं कि गरीब पीड़ित न रहे। मैं उस पीड़ा को बताना चाहता हूं। आप लोगों के दरबार में कम होती है सुनवाई। गरीब की मुझे पीड़ा याद आ गयी इसलिये मैं पीड़ा बताना चाहता हूं।

सूरजगढ़ के अन्दर एक गरीब हरिजन का लड़का उसको मेन रोड के ऊपर पीटा गया। उसकी नाक तोड़ दी, आंख फोड़ दी। दो-तीन महीने तक वह एस.पी. और एडीशनल एस.पी. के चक्कर लगाता रहा। पहले तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद में जब रिपोर्ट दर्ज हुई...

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह तो अलग से केस है, इससे रिलेटेड नहीं है। सारा अलग से केस है।

श्री श्रवण कुमार : क्या कोई सुनाई की बात कर रहे हैं? सुनवाई की बात कर रहे हो क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये ना।

श्री श्रवण कुमार : मामला गरीब की पीड़ा का है, कोई हास्टल बनाने से यह पीड़ा टूट जाएगी? हास्टल बनाने से पीड़ा मिट जाएगी? गरीब को रोड पर पीटा जाता है, एस.पी. सुनता नहीं है एडीशनल एस.पी. सुनता नहीं है उसको।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समझिये। आपको कह रहे हैं कि मंत्रीजी का जवाब आ जाने दीजिये उसके बाद आप पूछिये, आपका जवाब आएगा। आप समझ ही नहीं रहे हो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेंशन केसेज में कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता जतायी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेंशन केसेज पूरे राजस्थान में 1974 में लागू हुए हैं। पहले वृद्धावस्था पेंशन सौ रुपये मिलती थी, जो महिला विधवा हुआ करती थी उसकी सवा सौ मिलती थी। लेकिन हमने सत्ता में आते ही निर्णय लेकर इसको दो सौ रुपये किया। और पहले तो 22 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ करता था, आज 180 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है। यह कोई कमी नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने अभी अभी निर्णय लेकर उसमें भी...

एक माननीय सदस्य : वृद्धि की है...

डा. सी. पी. जोशी : कटौती कर दी, संख्या फिक्स कर दी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : वृद्धि तो क्या, कमी की है। कटौती कर दी, संख्या फिक्स कर दी, तीन डिपार्टमेंट को एक साथ कर दिया।

भारत सरकार ने राज्य आयोजना के तहत पेंशन योजना परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना को टाई अप कर दिया और उसमें 1826.60 करोड़ का प्रोवीजन रखा है। उसमें तो परिवार लाभ योजना ही पूरी तरीके से नहीं चला पाएंगे, उसमें भी कमी आएगी तो पेंशन के केसेज हम देखें? इतनी बढ़-चढ़कर बातें करते हैं, भारत सरकार में आपके प्रधानमंत्रीजी हैं, उन तक पहुंचाइये ताकि ज्यादा से ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन दे सकें। गरीब तबके के हैं, बुजुर्ग हैं, निःशक्तजन हैं, उनका हम कल्याण करते हैं और आपकी भारत सरकार उसमें रोड़ा डालती है, इसलिये इसमें सोचिये। हम तो फिर भी कह रहे हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फिर भी डाके का काम कर रहे हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : जो एप्लाइड हैं, उनको पूरी पेंशन देंगे। इस पर थोड़ा विचार किया जाना चाहिये। इस बार 2002-2003 में 5163 लाख लोगों को लाभान्वित करेंगे पेंशन केसेज में। लगभग 137 करोड़ तो अब तक खर्च हो चुका है।

कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की थी कि राजकीय भवनों के निर्माण नहीं हो रहे हैं, जर्जर स्थिति में हैं। उनकी रिपेयर होनी चाहिये और भवन अलग बनना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को अवगत करना चाहता हूं कि इस बार छात्रावासों के लिये तो प्रावधान किया ही है। भवन निर्माण के लिये 7 करोड़ 89 लाख का प्रोवीजन किया है जिसमें भवनों का जितना काम बाकी बचा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। माननीय सदस्यों की पीड़ा दूर की जा सकती है। गत वर्षों में हमने 138 छात्रावास भवनों की स्वीकृतियां जारी की थीं जिसमें से 98 का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है और 40 का कार्य प्रगति पर है और जो छात्रावास जीर्ण स्थिति में हैं, उनकी रिपेयर के लिये भी इसके माध्यम से पैसा दिया गया है। पहले हमने कामों में 5 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है और बाकी सभी एजेंसीज को काम दिया हुआ है। जो एजेंसीज अपने काम में कमी रखेंगी उनको हम मानीटर करेंगे ताकि छात्रावास भवन निर्माण काम पूरे हो सके, ज्यादा से ज्यादा छात्रावास बन सके।

माननीय वित्त मंत्रीजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना बजट पेश करने से पहले मुझे पूछा था और पूछने के बाद उन्होंने बात मानी। राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि छात्रावास भवन निर्माण के लिये पैसे का प्रोवीजन किया है। आप लोगों की पीड़ा मैं जानता था कि आप जरूर इस तरह की बात रखेंगे, उसके लिये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने आपकी बात मान ली।

श्री श्रवण कुमार : यह राजस्थान का पहला केस है। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : पहली बार कोई हुआ है। मैंने तीनों बातें रखी और उन्होंने तीनों पूरी की हैं। मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सामाजिक सुरक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के कल्याण के लिये अब तक उन्होंने पैसा नहीं मांगा उसके कारण हम पीछे रहे हैं, आज अगर हम तरीके से पैसा मांगेगे तो आपकी डिमाण्ड और बातों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है अनाउंस करते समय और पैसा मिल जाए। आपका प्रेशर आएगा तो निःसन्देह कुछ न कुछ रंगत आएगी और सामाजिक सुरक्षा के कामों में गति प्रदान होगी।

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनको जिन्होंने अपने विचार रखे, भावना रखी और मुझे बल दिया। जितने भी आपके कटमोशंस हैं उनका मैं पूरे डिटेल में जवाब, तैयार भी कर दिये हैं, मैं तो देना भी चाह रहा था, इन्होंने कहा फिर और क्वेश्चन करेंगे इसलिये पहले नहीं दिया। ट्रांसपोर्ट में पहले दिया था, आपने प्रशंसा तो की थी, लेकिन बाद में उसकी और खिंचाई करने लग गये तो इसलिये मैंने नहीं दिया। हमारे पास तो तैयारी पहले से है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। हां, हां, पूछेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पांचों साल आप रहते तो मजा आ जाता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मांग पारित कराओ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह सब संतुष्ट हैं, आप बिराजो न।

श्री छोगाराम बाकोलिया : संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : भाग्य अच्छा होता तो पांचों साल आप ही रहते।

श्री छोगाराम बाकोलिया : राजकीय गारंटी बढ़ायी है। अभी तक भारत सरकार ने 43868 के लक्ष्य दिये थे, वे सभी एस.सी.जी.सी. के माध्यम से पूरे कर लिये हैं। 1997-98 में जो गारंटी थी उसको आठ गुना के लगभग अब की बार हमने बढ़ा दिया है। 59 करोड़ की गारंटी विभिन्न...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिना सुने सब ताली बजा रहे हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : बिना सुने नहीं, बिलकुल सही कह रहा हूं आपसे।

अनुसूचित जाति के लिये 12 करोड़, जनजाति के लिये 10 करोड़, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये हीरासिंहजी हमेशा पूछते रहते हैं कि उनके लिये क्या किया, तो 16 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यकों के लिये 8 करोड़, नि:शक्तजन के लिये 5 करोड़ और स्वच्छकार हेतु 6 करोड़, कुल मिलाकर 57 करोड़ की गारंटी राज्य सरकार ने दी है। इसके माध्यम से इन वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अत्यधिक सहयोग मिलेगा। आपने मेरे को सुना मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान) ये सारे के सारे उठ जाते हैं, कई मंत्रियों को नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरे को सुन रहे हैं इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण के लिए हत्या के मामले में पहले बहुत कम पैसा था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक लाख रुपये किया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसकी क्रियान्विति नहीं हो रही है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं उसके लिए भी कह देता हूं–स्थायी शारीरिक क्षति के लिए 25 हजार, बलात्कार के केसेज में एक लाख रुपये और अस्थायी शारीरिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो आपकी प्रशंसा है। इसकी तो प्रशंसा करते हैं हम आपकी। लेकिन वह मटीरियलाइज नहीं हो रहा है, एक्जीक्यूट नहीं हो रहा है। आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने कल कहा।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने सब जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये थे कि इनके पेमेंट्स इमीजीएटली होने चाहिए। हत्या के मामले में ड्यूज बनते हैं, हत्या के मामले में जब एफ.आई.आर. दर्ज होती है उस समय 75 प्रतिशत दिया जाता है, बाकी का केस डिसाइड के बाद में 25 प्रतिशत दिया जाएगा। बलात्कार के मामले में 50 प्रतिशत इमीजिएटली दिया जाएगा, 50 प्रतिशत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और बाकी का 50 प्रतिशत केस के फैसले के बाद में दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 150 परसेंट बोल दिया...(व्यवधान) 150 परसेंट बोल दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने जो आदेश पारित किया है...(व्यवधान) यह जो रिवाइज आर्डर निकाला है उसकी तो हम प्रशंसा करते हैं। आपके आदेश की भी सराहना करते हैं। हम तो आपके ध्यान में यह ला रहे हैं कि आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसका माननीय अमरारामजी ने भी क्रिटिसाइज किया है, पेमेंट नहीं हो रहा है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय मुख्य मंत्रीजी के दिये हुए निर्देशों के अनुरूप मैं हाउस को पूरा कांफिडेंस में लेते हुए आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इन सभी केसेज में, जितने पैंडिंग हैं उनको पूरा पेमेंट दिये जाने की व्यवस्था की जाएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उन निर्देशों की पालना नहीं हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मुख्य मंत्रीजी को निर्देश दे देंगे न?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या कह रहे हैं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : जहां-जहां कमियां हैं वहां कलक्टर्स को कह दिया है कि आप कहीं से भी पेमेंट करें, उनका पेमेंट होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है उसके बाद में क्या रह जाता है? अगर नहीं करेंगे तो कलक्टर

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

को पूछेंगे बाद में, ऐसी क्या बात है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मुख्य मंत्रीजी को निर्देश दे दें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : हमारे वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश करते हुए, जो मैंने एक बात रखी थी कि विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए पांच हजार से बढ़ाकर ज्यादा किया जाए, उसको बराबर रखा है, लेकिन अनुसूचित जाति-जनजाति का विकलांग जोड़ा अगर शादी करता है तो उनको शादी पर सहायता के रूप में पांच हजार से बढ़ाकर बीस हजार रुपये कर दिया है। यह माननीय वित्त मंत्रीजी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मैं अपनी ओर से और समाज कल्याण विभाग की ओर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी बात सब मानी। आपकी बात नहीं मानते, दूसरों की नहीं मानते, अलग बात है, लेकिन अनुसूचित जाति को प्रोटेक्शन देने के लिए यह सरकार हमेशा तत्पर रहती है। जो कुछ बातें पहले अगर नहीं रखी हैं जिसके कारण से पीछे कुछ कमजोरी रह गयी है तो मैं देखूंगा। चाहे हत्या हो या बलात्कार हो या और कई बातें होती हैं, उनका टाइमली पेमेंट हो, यह मैं विशेष रूप से ध्यान रखूंगा। जहां घोड़ी पर बैठने पर अत्याचार हो जाते हैं, आप जैसे सवर्ण जाति के लोग और बड़े-बड़े लोग उनको नीचे उतार देते हैं, यहां बातें बहुत करते हो, यहां तो उनके प्रोटेक्शन की बात करते हो लेकिन जब बात आती है आपके गांव में तो उनको आप घूमने नहीं देते हो, वास्तव में मैं यह देखूंगा नहीं तो निर्देश देने की कोशिश करूंगा। वहां का बी.डी.ओ. प्रधान और वहां का जो अधिकारी है, जिस गांव के अन्दर वह तैनात है, उसकी ड्युटी बनेगी कि वह प्रशासन को इत्तिला करें। उसके बाद में भी अगर कुछ बात होगी तो हम उसके विरुद्ध एक्शन लेंगे, ताकि इस तरीके से कुछ नहीं हो। मैं देखूंगा, मेरा विभाग इसको मानीटर करेगा कि किसी प्रकार के अत्याचार नहीं होने चाहिए।

श्री श्रवण कुमार : यह भी खाली जोधपुर में होता है, हमारी तरफ नहीं होता है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह जो मंशा है और घोड़ी से उतार कर इस तरह से वातावरण पैदा करना, वह भविष्य में नहीं बने, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से अनुरोध करूंगा कि डिमाण्ड पारित की जाए।

श्री देवीसिंह भाटी : आरक्षण के बारे में बात हमने रखी है, कुछ तो बोलिये। आरक्षण के बारे में बिलकुल ही +++ बैठ गये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप कह रहे थे कि थोड़ा कम बोलिये।

श्री देवीसिंह भाटी : आप बोलिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री देवीसिंह भाटी : आरक्षण के बारे में हमने यहां पर बात रखी थी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बोले तो मैं क्या जबरदस्ती बुलाऊं?

श्री देवीसिंह भाटी : जबरदस्ती कहां है, +++ आसन हमारी मदद के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात के लिए है कि आपने बहस कर ली, उन्होंने जवाब दे दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्रीजी की कुछ बोलने की मंशा है कि नहीं?

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं बोल दूं, आप कहें तो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आसन की कृपा से मेरी बात सुन तो सकते हैं न?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। अब क्या हुआ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, बरथला काण्ड में 5 तारीख की वारदात के बाद 7 तारीख को उप मुख्य मंत्रीजी गये हैं, यहां हाउस में चर्चा होने के बाद दो रोज बाद एफ.आई.आर. दर्ज हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो हो गयी न बात, इसमें नयी बात क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जबरदस्ती कहते हो, संवेदनशील है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 5 तारीख का वाकया है, 2 रोज बाद एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कांस्टीट्यूंएसी का मामला है और वह सदन में चर्चा होने के बाद गये हैं, यह आपकी संवेदनशीलता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। राठौड़ साहब, आप क्या पूछ रहे हैं? आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो लिस्ट पकड़ा दो, आदेश जारी करो कि यह टाइम पर पहुंच जाएं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य, आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूं इस बात को...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सबसे ज्यादा क्राइम धारीवालजी की कांस्टीट्यूंसी में होता है, आप इनके आदेश जारी करो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप सुनिये तो सही। मैं यह देख रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सबसे ज्यादा क्राइम इनकी कांस्टीट्यूएंसी में होता है। यह यहां जयपुर में बैठे रहते हैं और वहां क्राइम होता रहता है, आप इनको आदेश जारी करो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वहां एयर सर्विस नहीं है; हाथों-हाथ कैसे पहुंच जाते?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, आप क्या पूछ रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्वान मंत्रीजी से चीज़ जानना चाहूंगा, आपने सदन में घोषणा की है कि बी.पी.एल. परिवार के उन बच्चों को जिन परिवारों की वार्षिक आय 12 हजार है और तीन साल से रोजगार कार्यालय में जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनको आप 300 रुपये प्रति माह देंगे, तो कृपया यह बताएं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप लाभान्वित करेंगे? क्या कोई ऐसी सूची है आपके पास में आज की तारीख में? जो तीन साल पुराने बी.पी.एल. परिवार जो 12 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले हैं, जिनको लाभान्वित करने का आप सोच रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, नम्बर एक बात? नम्बर दो इसके अलावा आपने इतनी बड़ी योजना बनाई है और आपने सरकार में होते हुए भी सरकार को बार बार धन्यवाद दिया है, इसके लिए बजट का प्रावधान कितने का है? कितने लाख रुपया बजट के लिये रखा है, यह जरा हमें बता दीजिये?

श्री छोगाराम बाकोलिया : सारी इनफारमेशन आने के बाद माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा है, इसकी कार्य योजना बनाकर उस पर एक्शन लिया जाएगा। इनफारमेशन आएगी तभी तो बजट पूरा होगा। कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने नहीं हैं तीन साल के अन्दर, उस सारी इनफारमेशन को कलेक्ट करने के बाद ही पूरा एस्टीमेट बनेगा, फिर मैं बता सकूंगा। पहले आपको क्या बताऊं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक आदमी नहीं मिलेगा। मैंने चूरू जिले में मालूम किया था, एक सिंगल आदमी भी इस तरह के रजिस्ट्रेशन वाला नहीं मिला जो तीन साल पहले रजिस्टर्ड हो और बी.पी.एल. परिवार में हो। ऐसी कोई कैटेगरी आपने बनाई ही नहीं है। मंत्री महोदय, अनुसूचित जाति-जनजाति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की बात करते हो, इस तरह की थोथी बात क्यों करते हो, सीधी बात बताओ न।

श्री उपाध्यक्ष : अब बना लेंगे, क्या तकलीफ है? इसमें क्या है? आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्री महोदय, आरक्षण के बारे में फर्मा रहे थे।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं आपको आरक्षण के बारे में भी बता देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बता ही दो, देखी जाएगी।

श्री छोगाराम बाकोलिया : ऐसा है कि जो-जो एप्लीकेशन हमारे पास आयी थीं उनके निस्तारण में किसी तरीके से कमी नहीं रखी है। कमीशन के माननीय जस्टिस रणवीर वर्मा की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, 26.11.2002 को पुनः कार्यभार सम्भाला है, ऐसे में जो एप्लीकेशंस राजपूत और क्षत्रिय की आयी थी, 8.8.1994 को प्राप्त हुई थीं, उनका निस्तारण पूर्व में कमीशन ने कर दिया है, उनको रिजैक्ट कर दिया है। राजपूत की अन्य उप जातियां, पूर्बिया राजपूत, गौड़ राजपूत, गजावत एवं राघव राजपूत आदि के प्रार्थना-पत्र आयोग को भिन्न-भिन्न दिनांक को प्राप्त हुए थे, इन्हें आयोग ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन में अस्वीकार कर दिया था। उसको अस्वीकार करने के बाद राजपूतों को आरक्षण देने के लिए राजपूत सेना का प्रार्थना पत्र...

श्री श्रवण कुमार : भाटी साहब, आप लोग ही आरक्षण के लग जाओगे तो बचेगा क्या? आप क्षत्रिय हो, आप लोग ही इसे मांग रहे हो? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : 6.7.1999 एवं राजपूत आरक्षण मंच के प्रार्थना पत्र क्रमशः दिनांक 14.9.2000 एवं 29.12.2001 से पुनः प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजपूत आरक्षण मंच के राजपूत, भरतपुर, धौलपुर, और जिलों के...(व्यवधान) दिनांक 16.1.2003 को एवं राजपूत टौंक जिले के दिनांक 1.2.2003 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं। प्रार्थना पत्र आयोग के विचाराधीन हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : इतना विस्तृत नहीं जाना है, और वर्ग भी तो है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : उसके बाद आएंगे तो और ले लेंगे, इसमें क्या है?

श्री देवीसिंह भाटी : और वर्गों का भी तो प्रतिनिधित्व हुआ है और पहले भी आयोग ने कैबिनेट को रिकमंडेशन भेजी थी, आपने उस बंटवारे को भी स्वीकार नहीं किया, टर्न डाउन कर दिया। तो आखिर नीति क्या है आपकी?

श्री छोगाराम बाकोलिया : अब आपने तो राजपूतों की सुनी, ब्राह्मणों की सुना दूं?

श्री देवीसिंह भाटी : मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं सब वर्गों की बात कर रहा हूं और वर्गों ने भी रिप्रजेंटेशन दिया है, उसमें आपने न तो ब्राह्मणों की बात की, न दूसरे प्रतिनिधि राजपूतों की, न कायस्थों की। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप बीच में उठ गये इसलिए नहीं सुन पाये। नहीं तो अभी सुना दूं, इसमें क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बिराजिए।

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह तो उपाध्यक्ष महोदय, अलाउ करेंगे तब बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज, हो गया। हो गई न बात, अब क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है कि राजस्थान के सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए? क्या यह सही है कि आर्थिक आधार होना चाहिए तो इसका संविधान में जब तक संशोधन नहीं हो तब तक नहीं हो सकता? क्या यह सही है कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से विपक्ष की नेता माननीया सोनिया गांधी ने इस विषय में कोई चर्चा की है ताकि वह प्रधान मंत्रीजी से चर्चा करके...

श्री उपाध्यक्ष : यह कैसे बता सकते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह इनको पता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बताएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : What does he know? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके चीफ मिनिस्टर का सवाल है, आप बताइए, अन्यथा आरक्षण की चर्चा करना व्यर्थ है, बेमतलब है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आरक्षण के मामले में हमारी मंशा साफ है। ओ.बी.सी. के बारे में कमीशन है, वह विचार करेगा और विचार करने के बाद में निर्णय करके आगे देखेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, मुझे आप क्षमा करेंगे, मैं अत्यधिक विनम्रता से आपकी समझदारी पर बहुत शंका करता हूं कि आपने राजपूत समाज का रिप्रजेंटेशन आयोग को भेज दिया। ओ.बी.सी. के अन्दर शामिल नहीं हो सकते, जो वर्तमान मानदण्ड है वह है सोशली...

श्री छोगाराम बाकोलिया : यह निर्णय तो कमीशन करेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं कर सकता।

श्री छोगाराम बाकोलिया : बीच में हम कहां करेंगे? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आधार है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : जो एप्लीकेशन आई थी उसको रैफर कर दिया, कमीशन उस पर विचार करके रिजेक्ट कर देगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, समझने का प्रयत्न कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया, बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कांस्टीट्यूशनल पोजीशन समझिए।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप लड़ो आपस में, मुझे क्या? राजपूतों और ब्राह्मणों की लड़ाई में मुझे क्यों ला रहे हो?

श्री देवीसिंह भाटी : यह राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई की बात नहीं है। कमीशन का काम है कि उसके सामने जो भी प्रार्थना पत्र आए, उसके सामने मूल ओ.बी.सी. के डिवीजन का मुद्दा भी था, उसने रिकमंडेशन की है कैबिनेट को, कैबिनेट ने टर्न डाउन कर दिया। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है? जो उसके सामने विषय विचाराधीन है, उसके बारे में कुछ तो सरकार मंशा जाहिर करे। (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य महोदय, नाम बता दिया, उनके रिजैक्ट कर दिया। उनको बता दिया। अब आपकी जो एप्लीकेशन आएगी वह कमीशन के सामने भेज देंगे, कमीशन जो भी निर्णय देगा उसके अनुरूप काम करेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : समाज कल्याण मंत्रीजी, जो भाटीजी कह रहे हैं वह दूसरी बात है। यह कह रहे हैं कि जो आलरेडी ओ.बी.सी. में हैं उनका डिवीजन करके आयोग ने भेजा सरकार के पास और सरकार ने उसको रिजैक्ट कर दिया, उसके बारे में क्या रिकंसीडरेशन हुआ? वापस कर रहे हो? क्योंकि इसी बात को लेकर समाज में जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं, बड़ा जबरदस्त उबाल आ रहा है। इस बारे में क्या विचार है?

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप अपनी एप्लीकेशन माननीय मुख्य मंत्रीजी को दीजिए, रिकंसीडरेशन वह करेंगे, मेरे पास कहां लेकर आ रहे हो?

श्री हीरासिंह चौहान : आपके पास नहीं है क्या?

श्री देवीसिंह भाटी : फिर आयोग काहे के लिए है?

श्री हीरासिंह चौहान : हमने आपको भी दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो, मंत्रीजी, यह बता दो कि आपने आयोग का प्रतिवेदन पढ़ा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : आप यह बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आयोग का दसवां प्रतिवेदन जिसमें ओ.बी.सी. को डिवाइड करने की बात की है, वह पढ़ा है क्या? आपको मालूम है क्या? आयोग ने प्रतिवेदन भेजा है, उसको देखा है कभी आपने? मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : इनको फुर्सत ही नहीं है पढ़ने की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए प्लीज। आप क्या कह रहे हो?

श्री कनकमल कटारा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह बात मैंने नहीं सुनी इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां एक वार्डन के अधीन तीन-तीन छात्रावास हैं और वह भी कन्या छात्रावास हैं, वहां की व्यवस्था कैसे जम रही होगी, कैसी स्थिति होगी? तीन-तीन, चार-चार साल हो गये, एक वार्डन तीन-तीन छात्रावासों की सम्भाल कैसे कर पाता है? हमारे भीलवाड़ा में कन्या छात्रावास है, उसकी रिक्तियों की पूर्ति कब तक कर पाएंगे, यह तो बताया ही नहीं। आपने दूसरी बात आवासन मण्डल की है। हमारे चार साल हो गये, आवासन मण्डल में कौन काम कराया है, क्या नहीं? करोड़ों का बजट था, वह आज दिन तक छात्रावास नहीं बन पाया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज, हो गया। ठीक है, बिराजो। नोट कर लिया उन्होंने, आपको बता देंगे बाद में। माननीय महिला मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय मंत्रीजी, आपने कहा था...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि जवाब आपकी बात का आएगा।

श्री कनकमल कटारा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्रीजी से केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि रिक्त स्थान कब तक भर देंगे? आप इतना बता दो।

एक माननीय सदस्य : पुरुष मंत्री को महिला मंत्री कहा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय श्रवण लालजी, बिराजिए प्लीज। माननीय मंत्रीजी, बोलिए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अनुसूचित जाति की महिला के बारे में कहा कि एफ.आई.आर. होने पर 50 हजार रुपये देंगे। एफ.आर. लगा दी, ऐसी स्थिति में क्या होगा?

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा था कि आपकी बात का जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने जवाब दिया, आपने सुना ही नहीं। खतम हो गया।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा है कि अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार होने

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

की एफ.आई.आर. होने पर 50 हजार रुपये दिए जाएंगे...

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : यह दिलावरजी का सब्जैक्ट है, आप काहे को टच कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए, बोलिए, परमारजी।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : इन्होंने डेढ़ लाख की बात कही है या एक लाख की बात कही है? एफ.आई.आर. होने पर 50 हजार रुपये दे रहे हो, अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि 38 में से 36 में एफ.आर. दे दी, एफ.आर. लग जाती है तो उस राशि का क्या होगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो सुना है जो हो जाएगा।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : एफ.आई.आर. होने पर 50 हजार रुपये दे रहे हैं, एफ.आर. लग जाती है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परमार साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह महिला मंत्री को पुकारा, साहब। एक ही महिला मंत्री विराज रही हैं, बूंदी से आने वाली, उनको कहो, साहब। यह बोले तो सही, जबान तो खोले। महिला मंत्रीजी, आपको पुकार रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार (जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-30 ट्राइबल एरिया डवलपमेंट से सम्बन्धित है। जब ट्राइबल एरिया का नाम आता है तो मोटे तौर पर लोग समझ लेते हैं कि राजस्थान का दक्षिणी भाग जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का भाग है, वह ट्राइबल एरिया डवलपमेंट में आता है। वास्तविकता यह है कि राजस्थान का ट्राइबल पांच भागों में बंटा हुआ है-माडा, टाडा, माडा क्लस्टर, बिखरी हुई आबादी और सहरिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो टाडा है वह एक सब प्लांड एरिया है और उसमें पांच जिलों में 23 पंचायत समितियों का एरिया शामिल है। सिरोही जिले की एक पंचायत समिति आबू रोड, चित्तौड़गढ़ जिले की दो पंचायत समितियां प्रतापगढ़ और अरनोद, बांसवाड़ा की सम्पूर्ण आठ पंचायत समितियां, डूंगरपुर की पांचों पंचायत समितियां और उदयपुर जिले की सात पंचायत समितियां मिलाकर यह ट्राइबल सब प्लान एरिया और टाडा एरिया कहलाता है। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट एप्रोच, इस एरिया में जनजाति समुदाय के लोग मोटे तौर पर भील और गरासिया निवास करते हैं। भील और गरासिया कौम हमेशा से वफादार रही है और दूसरे का अदब करने वाली है। हम मोटे तौर पर हर आदमी का अदब करते हैं तो हमको नासमझ समझा जाता है कि ये समझ नहीं रहे हैं, भोले भाले हैं, लेकिन हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम दूसरों का

(श्री दयाराम परमार)

अदब करते हैं। अपने स्वभाव के कारण दूसरों को सम्मान करना और अपने स्वाभिमान से जीना इनका विशेष गुण है और स्वाभिमान में चाहे वह आदिवासी भूख से मरता है, लेकिन आपको इस धरती पर भील जाति का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा चाहे। वह भूख से ही मर जाए लेकिन भीख नहीं मांगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, वफादारी के नाम पर जब राणा प्रताप युद्ध में लड़ाई करने गये तो महाराणा प्रताप के पास फौज में सिपाही नहीं थे तनखाह लेने वाले लेकिन जब देखा कि हमारे राष्ट्र पर आक्रमण हो रहा है, लड़ाई हो रही है तो उसके पास जिस तरह का भी हथियार था, वह केवल उनके साथ कूद पड़े। जिस तरह से वे लड़ाई लड़ सकते थे, किसी को पत्थर मार सकते थे पत्थर मारा, तीर मार सकते थे तीर मारा, लेकिन अपनी बहादुरी से वे पीछे नहीं हटे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज व्यवस्था बदल गयी। धीरे-धीरे अंग्रेजी हुकूमत हो गई इस मुल्क में और मेवाड़ राज भी उसके अधीन में आ गया। मेवाड़ राज अधीन में आने के बाद में जब वहां के भीलों ने देखा कि अंग्रेजी हुकूमत और वहां के राजा मिलकर हमारे साथ में अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो "लाग-वाद" कर लगा देते, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठायी। दो व्यक्तियों ने उसकी लीडरशिप की, मोतीलाल तेजावत और गुरु गोविन्द, इन दोनों के नेतृत्व में आंदोलन चला, स्वतंत्रता का आंदोलन चला। 8 अक्टूबर, 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर गुरु गोविन्द के नेतृत्व में सभा हो रही थी, वहां पर खैरवाड़ा की मेवाड़ भील कोर और फोर्स मिलाकर चार कम्पनियों ने गोलियां चलायीं और वहां पर 1500 भील मर गये, शहीद हो गये। 7 मार्च, 1922 को मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में पाल छीतरिया में दिनदहाड़े गोलिया चलायी गईं मेवाड़ भील कोर के द्वारा। वहां पर 1200 आदमी शहीद हो गये और उन सबको मार कर कुएं में फेंक दिया गया। वहां पर मार्च में गोलियां चलीं, भील डरा नहीं। 15 मई, 1922 को भुलाड़ और बलोलिया में फिर गोलियां चलीं, 30 गरासिया वहां पर मर गये, 600 आदमियों के घर जला दिये गये।

मैं यह बात इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के वक्त में हमारी भूमिका, राजस्थान में और इससे ज्यादा संख्या में लोगों ने कुर्बानी दी होगी, मैं इतिहास का जानकार नहीं हूं और न मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं तो दर्शन शास्त्र का आदमी हूं, लेकिन वहां पर भीलों ने भी अपनी आजादी के लिए कुर्बानी दी। उस कुर्बानी के बाद में राज व्यवस्थाएं बदलीं, मुल्क आजाद हो गया और आजादी में चुनाव होने लगे तो भील समुदाय हमेशा कांग्रेस का समर्थन करता रहा। कांग्रेस ने उसकी कितनी वफादारी निभायी यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो उस समय भी वफादार था, आज भी वो कांग्रेस के

(श्री दयाराम परमार)

प्रति अपनी वफादारी निभा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समुदाय के, ट्राइबल एरिया के विकास के लिए माडा एरिया में हमारे 17 जिलों में 44 खण्ड हैं। मैं चाहूं तो जिलों के नाम बता दूं, लेकिन सबको अपने-अपने जिले याद होंगे।

इसके बाद माडा क्लस्टर 19 जिलों में 11 माडा क्लस्टर हैं। माडा में साढ़े बारह लाख पापुलेशन है, ट्राइबल सब प्लान एरिया की पापुलेशन 24 लाख है, माडा क्लस्टर की पापुलेशन 45 हजार है, सहरिया की भी 45 हजार के आसपास पापुलेशन है। आजादी के बाद जब यह देखा गया कि यह समुदाय आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसके विकास के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के आधार पर ही ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाकर भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से रुपया और खर्चा करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए सब प्लान की व्यवस्था लागू की।

सब प्लान के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक विभाग 12 प्रतिशत अतिरिक्त रुपया ट्राइबल एरिया में खर्चा करेगा। लेकिन उसका टी.ए.डी. से कोई मतलब नहीं था। डिपार्टमेंट अपना-अपना खर्चा करते, खर्चा करके हमको आंकड़े प्रोवाइड करा देते और वह लिख लिया जाता कि ट्राइबल एरिया में इतना खर्चा विकास के नाम पर हो गया। इसी आधार पर मूल्यांकन करके देखा गया कि यह यह व्यवस्था है और वह कारगर नहीं है, ट्राइबल एरिया के विकास के लिए माकूल नहीं है। यह सब-प्लान की व्यवस्था केवल राजस्थान में ही नहीं थी, और राज्य जो भी ट्राइबल वाले हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, आंध्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, इन सब राज्यों में यह सब-प्लान की व्यवस्था थी। महाराष्ट्र की सरकार ने विचार किया कि इस व्यवस्था से ट्राइबल एरिया का और ट्राइबल का विकास नहीं हो सकता है और इसीलिए उन्होंने वहां के चीफ सैक्रटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर विचार किया कि इस एरिया के विकास के लिए क्या किया जाए। उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि वार्षिक योजना का 6 प्रतिशत रुपया ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया जाए और उसको यह अधिकार दे दिया जाए कि वो अपने आप स्वतंत्र होकर किस काम के लिए खर्च करना है वह तय करे। विभागों से बातचीत करे और उसी के अनुरूप खर्चा करके उस एरिये का विकास करे। इसी आधार पर भारत सरकार के केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय ने यह कहा कि सभी राज्य उसको 1996 तक लागू कर दें।

(श्री दयाराम परमार)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह मसला 6 बार कैबिनेट में आया और 6 बार कैबिनेट में आने के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ। ज्यादा डिस्कस होने के बाद कहा गया कि 13 विभागों का पैसा एकमुश्त उनको दे दिया जाए। चुनाव हुए, सरकार बदल गई। अपनी सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। यह मसला कैबिनेट के सामने आया और कैबिनेट ने उसी आधार पर 13 विभागों का रुपया उसे देने का फैसला कर दिया। फैसला होने के बाद में हमने रुपया मांगा तो यह कहा गया कि रुपया कहां देना था? एक विभाग के दूसरे विभाग में रुपये कैसे दिये जा सकते हैं? यह बिलकुल नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इर्रिगेशन का पैसा पी.डब्ल्यू.डी. में खर्च करें और पी.डब्ल्यू.डी. का पैसा एग्रीकल्चर में खर्चा कर दे। यह कैसे हो सकता है? फिर इस मसले को वापस कैबिनेट में लाया गया और कैबिनेट ने कहा कि इनको वार्षिक योजना में से 8 परसेंट रुपया दे1 अब 8 परसेंट का आधार क्या था? ट्राइबल सब प्लान एरिया में टोटल पापुलेशन 8 प्रतिशत है, उसके आधार पर 8 प्रतिशत रुपया रखने की व्यवस्था की गई। इस फैसले के बाद में भी सरकार टी.ए.डी. को एक साल रुपया नहीं दे पाई। दूसरे साल में हमको 30 करोड़ रुपये दिये और अगले साल हमें 40 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया। वह अकाल के कारण हमको नहीं देकर 10 करोड़ रुपया दिया गया।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इसलिए इसका जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के नेता माननीय कटारिया साहब एक दिन यहां पर विधान सभा में बोले कि आपने महाराष्ट्र पैटर्न का सब सत्यानाश कर दिया। वह आंकड़े उठाकर लाये और सब-प्लान के आंकड़ों से महाराष्ट्र पैटर्न के आंकड़ों का कम्पेरिजन कर रहे हैं। उसमें हमको रुपया 30 करोड़ मिला फिर कुल मिलाकर 40 करोड़ रुपया मिला और वह होता है 400 करोड़ के आसपास। अब 400 करोड़ वाले आंकड़ों से वह सब प्लान के आंकड़ों को मिलाते हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब प्लान की व्यवस्था और महाराष्ट्र पैटर्न की व्यवस्था दोनों अलग-अलग हैं लेकिन दोनों व्यवस्थाएं ट्राइबल एरिया के विकास के लिए लगी हुई हैं। अभी प्रत्येक डिपार्टमेंट 8 प्रतिशत के हिसाब से अपना अपना खर्चा उस ट्राइबल एरिया में करेगा और अतिरिक्त रुपया महाराष्ट्र पैटर्न का हमें जो मिलता है हम उसका खर्चा करते हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न लागू होने के बाद में ट्राइबल एरिया में अपने आप एक चेतना और जागृति आ गई। हर आदमी समझता है

(श्री दयाराम परमार)

कि महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत हमको रुपया मिल रहा है, स्कूल भवन बनाने के लिए मिल रहा है, सड़क बनाने के लिए रुपया, एनीकट बनाने के लिए रुपया मिल रहा है, पुलिया बनाने के लिए रुपया मिल रहा है। इस तरह से लोगों की सोच बन गई है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ट्राइबल के लिए महाराष्ट्र पैटर्न को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करना है। अगर यह स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं समझता हूं, ट्राइबल एरिया का विकास कागजों में होता रहता। हर साल इतने करोड़ रुपये खर्च हो गये, वास्तविकता के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें जो रुपया मिला महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर, मैं विशेष रूप से माननीय कटारिया साहब की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमने क्या किया। महाराष्ट्र पैटर्न के अन्दर 124 एनीकटों का निर्माण किया। लघु सिंचाई में 11 लघु सिंचाई परियोजनाएं 531 लाख रुपये की स्वीकृत की हैं और कार्य जारी है। 474 लाख की लागत से 38 सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया। सी. डी. कार्यों में 29 पुलियाएं दो सौ लाख रुपये की लागत से बनाई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झाडौल तहसील में ओगणा और अटाटिया के बीच में कभी पुलिया नहीं बन सकती थी, वह करीब एक करोड़ रुपये की पुलिया थी लेकिन हमने उसको बनाने के लिए फैसला कर दिया। उसका काम शुरू कर दिया। पारसोला और लोहागढ़ के बीच में धरियावाद में बहुत बड़ी जाखम नदी पर पुलिया थी, उसको बनाने का हमने फैसला कर दिया, उसकी मंजूरी कर दी। बांसवाड़ा में सालमगढ़ और जहाजपुर के बीच में बहुत बड़ी पुलिया थी, हमने 35 लाख रुपये उस पुलिया को भी बना दिया। इसी तरह से कुशलगढ़ के पास, मंगलेश्वर के पास में बहुत बड़ी पुलिया थी, वह भी हमने 30 लाख रुपये लगाकर बना दी। खैरवाड़ा तहसील में मसारे की ओबी और कागदर, खैरवाड़ा से आने वाला आदमी केशरियाजी घूम कर मसारे के ऊपर जाता था, उसके बीच में भी सोम नदी पर पुलिया बना दी। इस तरह से हमने जहां कहीं बड़ी बड़ी पुलियाएं थीं और वर्षों से आदिवासी लोगों को इस नदी को पार करने में बरसात के दिनों में कठिनाई आती थी, पार नहीं कर सकते थे, ऐसे ऐसे काम करके हमने आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा जो पैसा हमारे पास था उसके अनुसार सुविधाएं देने की कोशिश की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस साल हमको 10 करोड़ रुपया मिला। उस 10 करोड़ से हम क्या करेंगे? 12 नये छात्रावास खोलेंगे, 30 सम्पर्क सड़कों का निर्माण करेंगे, 10 अपूर्ण लघु सिंचाई

(श्री दयाराम परमार)

योजनाओं को पूर्ण करेंगे। जनजाति उप योजना क्षेत्र में मानगढ़ डैम जहां पर 1500 आदमी हुआ करते थे, उनके वहां स्मारक बनाने के लिए एक करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी कर दी है। इसके साथ में जनजाति के 500 बेरोजगार युवकों को रोजगार हेतु अनुदान एवं वित्तीय सहायता देने के लिए हमने रुपये का प्रावधान कर दिया है। इसी तरह से नव प्रस्तावित कार्यों के रूप में 47 वाटरशैड विकसित कराए जाएंगे, जनजाति कृषकों के लिए सुविधा विस्तार आगामदी 534 डीजल पम्प सैटों पर अनुदान दिया जाएगा, 10 सामुदायिक नलकूप लगाए जाएंगे, 6 एनीकट बनाए जाएंगे और योजना का निर्माण कराया जाएगा। हमको महाराष्ट्र पैटर्न का जो रुपया मिला उसको इस प्रकार ठीक तरह से जनता के उपयोग के लिए केन्द्रीकृत करने की कोशिश की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पहली बार सरकार के जो महकमे हैं, काम करने वाली जो कार्यकारी एजेंसीज हैं, रुपया उनको ही दिया है। इससे पहले बराबर एन.जी.ओ. को देते गये थे। उन एन.जी.ओज ने सारा झूठा खर्चा करके, माननीय कटारिया साहब जन लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, 27 करोड़ रुपया सरकार के बिना अनुमोदन के सैंक्शन हो गया। वह सारा एन.जी.ओज को दे दिया और एन.जी.ओज ने क्या किया, उसका पता नहीं। एक एन.जी.ओ. को 42 लाख रुपया टी.ए.डी. से 42 लाख रुपये आयुर्वेदिक पौधे लगाने के लिए दिया गया। उसमें से 22 लाख रुपये की फर्स्ट इंस्टालमेंट दे दी। जब सरकार बदल गई तो पूछा कि वह आयुर्वेदिक गार्डन कहां है, दिखाइये। तो उन्होंने कहा, हम तो विदेश यात्रा कर आये, कम्प्यूटर वगैरह खरीद लिये। अब बाकी का रुपये दो तो हम आपके पेड़ लगा देंगे। तो हमने कहा, बाकी का रुपया अब कभी नहीं मिलेगा। इस तरह से उस रुपये को बराबर ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से खर्च करके संस्थाओं ने अपने बनाये लेकिन ट्राइबल का कोई भला नहीं हुआ। इसलिए हमने नीतिगत निर्णय लेकर फैसला किया कि जो भी पैसा आएगा, हम सरकारी बैंकों में देंगे। अगर घोटाला कोई करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए हमको भारत सरकार से जो रुपया मिलता है वह है 20 करोड़ रुपया मिलता है संविधान की धारा 275 एक के अन्तर्गत और 36 करोड़ रुपये केन्द्रीय विशेष सहायता के रूप में। मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि इस साल का पैसा आज की तारीख तक हमको नहीं मिला। अब तक नहीं मिले और मेरे को वे 20 करोड़ रुपये आज मिले, कल

(श्री दयाराम परमार)

मिले तो एक दिन में खर्चा कैसे करूं? 44 करोड़ रुपया दो दिन में खर्चा किस तरह से कर पाऊंगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठकर जिस तरह से अकाल के लिए राजनीति करती है, वैसे ही ट्राइबलों के लिए भी राजनीति कर रही हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी मेरे को कभी कभी टेलीफोन करके कहते हो कि एनीकट मंजूर कर दो, लेकिन मेरी मजबूरी है कि दिल्ली वाले रुपया नहीं दे तो आपका एनीकट मैं कहां से मंजूर करूं। भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों के साथ में हर कदम पर राजनीति करती आई है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस विभाग की रही हैं वे हैं-जनजाति छात्र-छात्राओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने की दृष्टि से उप योजना क्षेत्र में 139, माडा क्षेत्र में 24 सहरिया में 11 छात्रावासों को संचालित किया जा रहा है जिनमें से क्रमश: 27, 8 और 4 छात्रावास बालिकाओं के लिए संचालित हो रहे हैं। 184 छात्रावासों में 11980 की कैपेसिटी के विरुद्ध 11544 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 9 आवासीय विद्यालय जो 9 के 9 बनने के बाद में चालू कर दिये गये। एक एक बिल्डिंग पर चार करोड़ रुपये की लागत आएगी। फर्स्ट फैज का हमारा काम पूरा करके 9 आवासीय विद्यालयों को हमने प्रारम्भ कर दिया है। हम इस वित्तीय वर्ष में 16 नये छात्रावास खोलेंगे। इसमें से हमारे प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य चाहते थे उसी रूप से 16 में से 13 छात्रावास हम लड़कियों के लिए खोलेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो सारा प्रगति प्रतिवेदन में आ गया।

श्री दयाराम परमार : वह तो हमने आपको जानकारी के लिए दिया, फिर कहां से बोले? झूठ मानते हो इसलिए हमने कहा पहले आप पढ़कर आना कि वास्तव में बोल रहे हैं वह सही है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो आ गया न प्रगति प्रतिवेदन में?

श्री दयाराम परमार : हां, आपको जानकारी तो चाहिए? फिर आप कैसे जानेंगे। हम जनजाति छात्राओं को जो कालेज में पढ़ती हैं, उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए ढाई सौ रुपये प्रति माह देते थे, उसको बढ़ाकर साढ़े तीन सौ रुपये हम कर रहे हैं ताकि लड़कियां कालेज में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। इस तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : मांगे पारित करो।

श्री दयाराम परमार : ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट ट्राइबल्स के विकास के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और अपन

(श्री दयाराम परमार)

यह कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइबल एरिया विकसित होगा, अन्य समाजों के साथ में चलने की कोशिश करेगा। लेकिन आपसे एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र पारीक : सुनना पड़ेगा आपको। यह जनजाति के मंत्री हैं इसलिए आप सुनना नहीं चाहते।

श्री देवीसिंह भाटी : यह प्रगति प्रतिवेदन में आ गया जो बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर भी सुनना पड़ेगा आपको।

श्री देवीसिंह भाटी : फिर भी सुन रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रतिवेदन में सारे मंत्रियों के आये हैं लेकिन आपने उनको बैठकर सुना। यह जनजाति के मंत्री हैं इसलिए आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी मानसिकता ही ऐसी है।

श्री देवीसिंह भाटी : आपको तकलीफ यह है कि आपको कभी मंत्री बनने का अवसर ही आपकी पार्टी देती नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं यदि मंत्री बना तो आप तो मुझे सहज रूप से स्वीकार करके सुन लेंगे लेकिन जनजाति मंत्री हैं इसलिए आप सुनना नहीं चाहते। यह क्या मानसिकता हो गई आपकी?

श्री देवीसिंह भाटी : आपकी जो तकलीफ हो रही है न वही तकलीफ है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : जनजाति के तो आप लग रहे हो उनके सामने।

श्री दयाराम परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातों का जिक्र किया था आज। पहली यह थी कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में सारी पंचायतों में अगर एक हजार पंचायतें हैं, सरपंचों के लिए ट्राइबल में रिजर्व हो गई, पंचायत समितियों के प्रधानों के लिए रिजर्व हो गई और एम.एल.ए., एम.पी. की रिजर्व है ही। लेकिन यह जो व्यवस्था हुई है, यह भूरिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई है। भूरिया बी.जे.पी. का आदमी है, उसने कमेटी में रिपोर्ट बनाकर पार्लियामेंट में पेश की। संविधान में संशोधन करवाकर पार्लियामेंट में उसको पास करवाया। पास करने के साथ में यह कहा गया कि एक साल के अन्दर अन्दर सरकार उसमें जिस तरह से चाहे अमेंडमेंट करके उसको लागू कर दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह कानून आने के बाद में उस पर कोई तवज्जह नहीं दी तो उसका नतीजा यह आया कि जो एक साल का पीरियड दिया था वह निकल गया और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो उनके पास में उस कानून को लागू करने के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। उस समय एक कांफ्रेंस हुई थी, माननीय सी.पी. साहब बिराजे हुए हैं, उन्होंने कहा कि यह इस तरह से व्यवस्था करो। मैंने कहा कि सदियों से हमारे बाप दादा साथ में रहे, हम भी उनके साथ

(श्री दयाराम परमार)

में आपस में भाई चारे से वर्षों से रहते हैं, यह मनमुटाव पैदा करने का काम कौन कर रहा है? तो मेरे को कहा गया कि यह संविधान के खिलाफ कौन बोल रहा है। तो आप तो संविधान को रो रहे हो और मैं हमारे आपसी भाई चारे को रो रहा हूं। हमारा भाई चारा बिगड़ रहा है कि आपने सारा रिजर्वेशन उनके लिए कर दिया। हमारे खैरवाड़ा पंचायत है मेरे खुद के तहसील मुख्यालय में, वहां पर एक भी ट्राइबल नहीं था, बाहर से लाकर सरपंच बनाना पड़ा। ऋषभदेव में तो वहां एक वार्ड और ट्राइबल का है। ऐसी पंचायतें बहुत सारी हैं जहां पर हमारा ट्राइबल का आदमी नहीं था तो बाहर से लाकर उनको चुनाव कराना पड़ा। इसलिए जो कुछ भी हमारे सवर्ण जाति के भाई की नाराजगी हुई है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है।

आपने दूसरी बात उसमें कही है कि उस ट्राइबल एरिया में रहने वाले ट्राइबल के लिए रिजर्वेशन का मामला प्रशासनिक सेवाओं में हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता हूं कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं न। यह सरकार के विचाराधीन है और सरकार किस तारीख को फैसला करेगी, यह मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन यह सरकार के विचाराधीन है। ऐसी सारी बात निवेदन करते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मांग संख्या-30 को पारित कराएं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सी जिज्ञासा है हमारी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो बातों पर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस ट्राइबल क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या आज की तारीख में है कि जंगलात की भूमि पर उनके वर्षों से कब्जे हैं, उन कब्जों को रैगुलराइज करने के लिए हमको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। सफलता मिले या नहीं मिले। मैं सोचता हूं कि हमें अपनी तरफ से स्थानीय मौके की रिपोर्ट को इकट्ठा करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि उनको उसमें छूट मिले। नहीं तो वो सारे के सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बरबाद हो जाएंगे और हमारा सारा क्षेत्र तबाह हो जाएगा। इसको प्राथमिकता देकर आप अपनी तरफ से पहले शुरू करिये।

दूसरा, जो आपने मेरे बारे में बात कही, मैं महाराष्ट्र पैटर्न के जो 13 विभाग हैं, मैंने एक एक विभाग का डिटेल ऐसे ही नहीं किया, आपके ही डाकूमेंट से सारा निकाला है। राज्य में महाराष्ट्र पैटर्न से कुल 13 महत्वपूर्ण विभागों में कुल आयोजना बजट से जनजाति उप योजना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्षेत्र पर व्यय जो कुछ भी हुआ, उसी में से मैंने निकाला है। 98 में जो 7.69 प्रतिशत था वह घटते घटते आपके आने के बाद 4.8 हो गया।

श्री दयाराम परमार : माननीय नेता महोदय, मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका, फिर कर रहा हूं कि आप जो फिगर्स बोल रहे हैं वह घटते-घटते का बोल रहे हैं, वह है सब-प्लान की व्यवस्था जबकि महाराष्ट्र पैटर्न की व्यवस्था किसी विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरी बात को भी आप समझने की कोशिश करें। मैंने वो ही 13 डिपार्टमेंट जिन पर जो खर्चा हुआ, उसी के आंकड़े निकाले हैं, बाकी के नहीं निकाले हैं।

श्री दयाराम परमार : एक मिनट। 13 विभागों का जो मामला था, शुरूआत में उसी आधार पर पहल हुई थी कि 13 विभागों का पैसा टीएडी को दे दिया जाए। लेकिन व्यवहारिक रूप से जब रुपया लेने की बात आई तो यह टैक्नीकल मसला आ गया कि एक डिपार्टमेंट का पैसा दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं लिया जा सकता है। एग्रीकल्चर का पैसा पी.डब्ल्यू.डी. में खर्चा नहीं कर सकते, पी.डब्ल्यू.डी. का पैसा इर्रिगेशन में खर्च नहीं कर सकते। इसलिए वह विभाग का मसला छोड़कर फिर दूसरा अमैंडमेंट आया और उसमें लिखा कि किसी विभाग का नहीं, वार्षिक योजना का या सभी विभागों का 8 प्रतिशत होगा। यह बाद में दूसरा अमैंडमेंट हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न अक्टूबर, 2000 में आ गया?

श्री दयाराम परमार : जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसके बाद ही इन 13 विभागों का खर्चा बोलूं? उसके बाद में जब महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर दिया...

श्री दयाराम परमार : 13 विभागों का कोई सम्बन्ध नहीं रहा, यह मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं केवल 13 विभागों का ही बता रहा हूं, बाकी का नहीं बता रहा हूं।

श्री दयाराम परमार : 13 विभागों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा, हमें एकमुश्त अमाउंट वार्षिक योजना में से मिल गया। मैंने आपको पहले निवेदन किया, फिर निवेदन कर रहा हूं कि हमने रुपया किसी और विभाग में खर्च नहीं किया। हमने पुलिया बनाने का फैसला किया, हमने सड़क बनाने का फैसला किया, हमने एनीकट बनाने का फैसला किया। हमने यह कहा कि किसी दूसरे विभाग में खर्चा ही नहीं किया, इसलिए ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं उससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो हमारा अब तक का हिस्सा मिलता था इन 13

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विभागों से, उसकी परसेंटेज कटौती होती चली जा रही है। 13 विभाग पढ़ देता हूं, पहले तो जिन 13 विभागों में आपने कहा कि हमने महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया।

श्री दयाराम परमार : नहीं किया न। फिर आप वही कह रहे हो। 13 विभागों का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा, 13 विभागों में नहीं किया। हमने महाराष्ट्र पैटर्न में वार्षिक योजना में से 8 परसेंट रुपया लेने का फैसला किया है। 13 विभागों का पहले था उसको हमने बदल दिया। इस फैसले से रुपया नहीं लागू होता था। अब खर्चा करने का सवाल आया कि किस विभाग में कितना, आपने एक दिन कहा था मत्स्य विभाग में, मुझे पता नहीं आपको मछली का इतना शौक है। मुझे क्या पता, लेकिन हमने मत्स्य विभाग में जो खर्चा किया वह हमें नहीं करना था। मत्स्य विभाग को करना था, टीएडी को उससे कुछ नहीं करना था। ट्राइबल सब-प्लान की व्यवस्था के अन्तर्गत मत्स्य विभाग को ही उसमें खर्चा करना है, हमें खर्चा नहीं करना है और वह हमें फिगर्स देता है कि हमने इस डिपार्टमेंट में इतना खर्चा कर दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जो कल बोला उसमें और आज के में शायद कुछ फर्क है। राज्य में महाराष्ट्र माडल के अनुसार मुख्य मदों में जनजाति क्षेत्र में वास्तविक व्यय बजट अनुमान-प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कृषि, उद्योग, भू तथा जल संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य विभाग, वन विभाग, सहकारिता, लघु सिंचाई, विद्युत विस्तार और पर्यावरण, ये 13 डिपार्टमेंट...

श्री दयाराम परमार : श्रीमान् मांग संख्या-30 में सभी विभागों के सब-हैड खुले हुए हैं। आप खुद शिक्षा मंत्री थे, स्कूल खुलते तो वो स्कूल ट्राइबल एरिया में खुलता था। आपका जो खोलने का वहां का खर्चा आता, वह ट्राइबल सब-प्लान, ट्राइबल डवलपमेंट डिपार्टमेंट में खर्चा मान लिया जाता था। यह है व्यवस्था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो इसका मतलब यह है कि जो अपना रैगुलर बजट है...

श्री दयाराम परमार : वह तो जा रहा है। वह अपनी जगह जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह तो आपनी जगह जाएगा, उसके बाद आपको 8 परसेंट टोटल बजट का महाराष्ट्र पैटर्न के तहत मिलेगा, यही है न?

श्री दयाराम परमार : अलग से मिलेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 8 परसेंट का मतलब? अगर हमारा टोटल बजट 5857 करोड़ है राजस्थान का उसका 8 परसेंट कैलकुलेशन मैं निकालूं तो यह लगभग 368 करोड़ रुपये बनता है।

श्री दयाराम परमार : डिविजिबल आउट-ले। वार्षिक योजना का नहीं। कमिटेड जो लाइबिलिटीज है उसका पोर्शन, यह अलग हो गया। जो विकास का पोर्शन का पैसा है, वह डिविजिबल आउट-ले का पैसा 8 प्रतिशत है, टोटल का नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप इसको स्पष्ट करिये। या तो यह बोलना बन्द करे। आपका जो इस साल का प्लान है उस प्लान का 8 प्रतिशत पैसा आपको महाराष्ट्र पैटर्न में मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप तो यह स्पष्ट कर दें। अपना इस साल का जो बजट 5857 करोड़ रुपये, उसका 8 प्रतिशत है या नहीं? या फिर इसको जैसा आप कह रहे हैं, इसमें से यह अमाउंट तो घटा है और उसका 8 परसेंट इतना बनता है वह निकाले और उसका 8 प्रतिशत का अमाउंट आपका कितना बनता है वह आप स्पष्ट करे, तब तो स्पष्ट होगा कि हमारा 8 प्रतिशत से शेयर बनता है 76 करोड़ या और कुछ, और उसमें से हमको कितना प्राप्त हुआ। या फिगर बताओ 8 परसेंट का जो आप महाराष्ट्र पैटर्न से कहते हो। एक्चुअल में कितना पैसा आपको मिला और कितना मिलना चाहिए था, वह निकाल कर बताएं।

श्री दयाराम परमार : कितना मिलना चाहिए, एक मिनट, डिविजिबल आउट-ले, इसको मैं नहीं निकाल सकता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अपनी गणित से निकाले।

श्री दयाराम परमार : इसे वित्त विभाग ही निकाल सकता है कि कमिटेड लाइबिलिटी में टोटल में से क्या जाता है और विकास का पोर्शन का कितना। वो ही निकाल सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एग्जामिन करवा लीजिये।

श्री दयाराम परमार : फाइनेंस डिपार्टमेंट ही उसको निकाल कर बता सकता है कि डिविजिबल आउट-ले का पोर्शन तो यह है और उसका 8 परसेंट बनता है। यह मैं नहीं बता सकता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं कि जब आपने महाराष्ट्र पैटर्न का 8 प्रतिशत लागू कर दिया, तो अभी आपका डिपार्टमेंट यह कैलकुलेशन भी नहीं कर पाया कि 2000 से लेकर अब तक आपका 8 प्रतिशत का जो कुछ भी है, शेयर कितना बनता है। गणित भी अभी तक वित्त विभाग ने या आपने नहीं लगायी क्या?

श्री दयाराम परमार : हर साल योजना बढ़ती-घटती रही है। एक साल की कोई योजना बराबर रहती है क्या 8 साल तक की?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अच्छा, पिछले साल का बता दो कि आपका कितना बना था और कितना आपको मिला? सच बात तो यह है कि महाराष्ट्र पैटर्न के कारण से आपका जो अमाउंट बनता है वह आपके पिछले साल का कितना बनता था और उसके अगेंस्ट में आपने कितना प्राप्त किया, इस साल आपका कितना बनता था और आपने कितना प्राप्त किया,...

(20.00 बजे)

श्री दयाराम परमार : हमारा 111 करोड़ रुपये बनता था, तब हमको 30 करोड़ मिला।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, यह बोलो।

श्री दयाराम परमार : जब कोई 113 करोड़ के आसपास का बनता था, उसमें से हमको 40 करोड़ रुपये मिला।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मतलब यह हुआ कि 113 करोड़ रुपया आपके इस महाराष्ट्र पैटर्न से शेयर बनता है और इस साल आपको मात्र 10 करोड़ रुपये मिला, यह है ना? तो इससे भला हुआ है ट्राइबल एरिया का?

श्री दयाराम परमार : ट्राइबल एरिया का आपके समय से ही भला हुआ है, यह इसलिए...नहीं, ट्राइबल एरिया का भला...एक मिनट...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न से हमको जो बनता है, वह हमारा हिस्सा हमको नहीं मिला और हमारा एरिया सफर रहा है इससे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दोनों संतुष्ट नहीं हो सकते।

मांग संख्या-33 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,14,42,17,000/- (पांच अरब चौदह करोड़ बयालीस लाख सत्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाएं?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई है।

मांग संख्या-30 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,83,91,91,000/- (चार अरब तिरासी करोड़ इक्यानवे लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.01 बजे, सोमवार 24 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)